राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 10] चतुर्थ विधान सभा के दशम् सत्र का 31 वां दिवस [संख्या 17

बुधवार

दिनांक 14 अप्रेल, 1971

विधान सभा की बैठक म० पू० 11·01 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजन नाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[जन स्वास्थ्य, राजस्व, विधि, गृह, स्वायत्त शासन, उद्योग, सार्वजनिक निर्माण विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री दौलतराम सारण।

जल प्रदाय योजना का सर्वे

243. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़): क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरदारशहर के पास स्थित गांधी विद्या मंदिर से लगभग 20 खारे पानी के गांवों को पीने का पानी देने की एक जल-प्रदाय योजना की प्राथमिक सर्वे की गई थी? यदि हां, तो कब?

(2) क्या यह सही है कि उक्त ग्रामों में कुओं का पानी खारा और पीने योग्य नहीं है और वह भी पूरी मात्रा में उपलब्ध नहीं होता?

(3) पीने योग्य पानी उपलब्ध न होने पर भी इस योजना को पूरा करने का काम हाथ में क्यों नहीं लिया गया?

(4) क्या यह सही है कि इस योजना की प्राथमिक सर्वे के बाद कई नई जल-प्रदाय योजनायें स्वीकृत की गई हैं? नागौर जिले में ग्राम समुदाय जल-प्रदाय योजनाएं हाथ में ली गई हैं? अब कब तक इस योजना का काम आरम्भ कर दिया जावेगा?

राज्य मंत्राणी, जन स्वास्थ्य (श्रीमती सुमित्रा) : (1) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) जी हां।

(3) अभी तक योजना ही नहीं बनाई गई। इसलिय निश्चित नहीं कहा जा सकता।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री दौलतराम सारण : यह उत्तर गलत है। योजना बनाई गई थी, मेरी व्यक्तिगत जानकारी में है, इसका सर्वे कराया गया था,

(श्री दौलतराम सारण)

सर्वे कराया गया था स्पॉट पर। राज्य मंत्राणी गलत उत्तर दे रही है।

श्रीमती सुमित्रा : माननीय सदस्य को गलतफहमी हो गई है। मास्टर प्लान बनाकर 1966 में भेजा गया है मास्टर प्लान में इस नल कूप को स्रोत मानकर बाकी सारे गांवों के लिए पीने के पानी की समस्या के लिए रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम भेजी हुई है, उसके अलावा अलग से कोई सर्वे नहीं कराया गया।

श्री दौलतराम सारण : गलतफहमी मुझे नहीं है, आपको है, आप केवल उधर से पोस्ट ऑफिस का काम कर रही हैं और मुझे पोस्ट ऑफिस और स्पॉट की भी नोलेज है, इसका मास्टर प्लान से कोई संबंध नहीं है, अलग से स्कीम बनाई गई थी, मास्टर प्लान बाद में बना है, स्कीम पहले बनी है।

श्रीमती सुमित्रा : बताईए मास्टर प्लान कब बना था?

श्री दौलतराम सारण : यह आपका काम है। यह गांव 20 गांवों के लगभग है और खारा और गहरा पानी है और कोई पानी का स्रोत नहीं है केवल सरदारशहर को पानी जा सकता है। और वहां से स्कीम बनाई गई थी लेकिन उस स्कीम को पता नहीं किन कारणों से ड्रॉप किया गया है। इसलिये इसको गंभीरता को देखते हुए राज्य मंत्री उत्तर दें व इस तरह से न टालें।

श्रीमती सुमित्रा : जितनी गंभीरता से खारे पानी की समस्या को माननीय सदस्य ले रहे हैं मैं समझती हूं राज्य सरकार उससे अधिक उसको गंभीरता से ले रही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आप दोनों के ग्रह नहीं मिलते हैं।

श्रीमती सुमित्रा : थोड़े दिन पहले ही इसका डिटेल्ड सर्वे कराने के लिए सर्वे इन्वेस्टीगेशन एग्जीक्यूटिव इंजनीयर ने आदेश दिए हैं कि दुबारा इस स्कीम को देखकर रीजनल स्कीम बनाई जाए।

श्री दौलतराम सारण : कब स्कीम बनाकर काम को हाथ में लिया जाएगा। आशा करें कि इस वित्त वर्ष में ले ली जाएगी?

श्रीमती सुमित्रा : सर्वे रिपोर्ट आने पर कहा जा सकता है।

श्री दौलतराम सारण : जब पानी की आवश्यकता है, पानी खारा है, जल स्रोत उपलब्ध है, बोरिंग की गई है, बिजली उपलब्ध है, फंड्स आपके पास अवेलेबुल हैं, फिर किस बात पर निर्भर करते हैं?

श्रीमती सुमित्रा : रीजनल स्कीम बनाकर उसकी टैक्नीकल व फाइनेन्शिल एप्रूवल होगी। तब जाकर वित्त वर्ष की बात निश्चित तौर से कह सकती हूं।

श्री दौलतराम सारण : वित्त वर्ष में इस स्कीम की स्वीकृति देने में और इसको हाथ में लेने में क्या आपत्ति है? पूरा करने में तो समय लगेगा, इसमें दो राय नहीं लेकिन जब सरकार संजीदगी से और गंभीरता से इस प्रश्न को ले रही है तो ऐसी हालत में जब इन गांवों को पानी देने का पक्का इरादा है तो सरकार को हाथ में लेने में क्या आपत्ति है?

श्रीमती सुमित्रा : इरादा बिल्कुल पक्का है लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया, टैक्नीकल एप्रूवल जब तक नहीं होती है तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री दौलतराम सारण : यह टालने की बात है।

श्रीमती सुमित्रा : यह टैक्नीकल मामला है।

श्री दौलतराम सारण : यह गंभीरता की बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री मेघराज पंवार।

जिला एलॉटमेंट कमेटीज की बैठकें

244. **श्री मेघराज पंवार** (चूरू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जिलों में अलाटमेंट कमेटीज की मीटिंग विधान सभा सत्र चालू रहने के समय न बुलाए जाने की घोषणा राज्य सरकार ने इस सदन में की है?

(2) क्या यह सही है कि इस घोषणा के बावजूद तारीख 16-3-71 से चूरू जिले में कृषि भूमि एलॉटमेंट की कार्यवाही चालू है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार विधान सभा के दौरान हुई मीटिंगों की कार्यवाही को निरस्त कर विधान सभा सत्र समाप्त होने के बाद मीटिंग बुला कर नए सिरे से एलॉटमेंट की कार्यवाही करेगी?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): (1) इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रेषित आदेश की प्रति संलग्न है।

(2) जी हां, प्रश्न के भाग नं० 1 के उत्तर में अंकित आदेशों के अनुसार कार्यवाही करने हेतु जिलाधीश को कहा जाएगा।

(3) सूची परिशिष्ट (क) एवं (ख) संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

श्री दौलतराम सारण : जब विधान सभा के सदस्य विधान सभा में होते हैं उस समय राज्य सरकार ने एलॉटमट केमेटीज की मीटिंग न बुलाने के आदेश दे रखे हैं और कलेक्टर व अन्य संबंधित अधिकारी उन आदेशों की परवाह नहीं करते। राज्य सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करने में समर्थ नहीं है...

(श्री राम किशोर व्यास) राजस्व मंत्री : हमने डिसीजन लिया था कि 31 मार्च तक एलॉटमेंट जल्दी से जल्दी कर दिये जायं, उसमें यदि किसी केस में आपत्ति हो तो रिकन्सीडर किया जायगा।

श्री दौलतराम सारण : सवाल यह है कि इन एलॉटमेंट्स के अन्दर प्रधान और सरपंच ने कई मामलों पर ऐतराज किए हैं, आपका केवल एडवाइजरी रोल है, आपकी राय मानने के लिये वह बाध्य न हों, वह निर्णय करने में सक्षम हों और एलॉटी बाहर के रहने वाला हो, मिलिटरी ऑफीसर्स को जमीन एलॉट की है और भूमिहीनों को एलॉट न करके बाहर के लोगों को एलॉट की है महज इसलिये कि अपने इरादों की पूर्ति के लिये इस तरह से छुप छुप मीटिंग बुलाई।

श्री रामकिशोर व्यास : दो अलग अलग बातें हैं। अनुपस्थिति की वजह से कोई बात ठीक नहीं हुई हो और किसी एलॉटमेंट पर आपत्ति हो तो रीकन्सीडर कर लगे। बाकी एलॉटमेंट्स जो हुए हैं, उचित ह, या अनुचित हैं, यह अलग बात है।

श्री दौलतराम सारण : यह सवाल नहीं है। सवाल यह है कि राज्य सरकार एक तरफ विधान सभा में घोषणा करती है कि माननीय सदस्य जब विधान सभा सत्र में रहेंगे तो कमेटी की मीटिंग नहीं होगी, तो सदस्य इस आदेश के बाद में निश्चित होकर अधिवेशन में आ जाते हैं और पीछे से मीटिंग बुलाई जाती है और डाक घर पर भेजते हैं और सदस्य यहां होते हैं तब तक एलॉटमेंट हो जाता है। दूसरी बात एलॉटमेंट इस प्रकार से की गई है एक मिलिटरी ऑफिसर को एलॉट की गई है चूरू के गांव में, उसका चूरू से क्या संबंध? वह पंजाब का रहने वाला है, इस तरह अन्य लोगों को भी एलाट की गई है।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़): प्रधान देखते हैं कि जब एम० एल० ए० रहता है तब तो मनमानी नहीं चलती। आदेश थे कि जब सेशन होगा तब एलॉटमेंट नहीं होगा फिर क्यों मीटिंग होती है। कृपया जनरल आदेश और दिलवादें।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : जो एलाटमेंट्स किए गए हैं, वह खारिज करने के आदेश दिए जायेंगे?

श्री रामकिशोर व्यास : किसी एम० एल० ए० का आपत्ति हो तो रीकन्सीडर किया जा सकता है।

श्री दौलतराम सारण : सवाल यह है कि एलॉटमेंट कमेटी महज केवल दर्शन देने के लिए या एस० डी० ओ० के दर्शन करने के लिए होती है, सदस्यों की राय की कोई वक्त नहीं है और मनमाने तरीके से एलॉट करते हैं तो फिर हमारे उपस्थित रहने की क्या वक्त रहती है।

श्री अध्यक्ष : श्री वृद्धिचंद जैन।

बाड़मेर जिले के सिविल एवं सहायक सत्र न्यायालय का मुख्यालय

245. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : क्या विधी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) गत वर्ष बाड़मेर जिले में स्थापित सिविल एवं सहायक सत्र न्यायालय का मुख्यावास जिला मुख्यावास बाड़मेर नगर पर न रखा जाकर बालोतरा नगर में क्यों रखा गया?

(2) क्या यह सही है कि सत्र न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों में लगभग 75 प्रतिशत मुकदमे बाड़मेर सब-डिवीजन से संबंधित हैं?

(3) यदि हां, तो फिर भी नए सहायक सत्र न्यायालय की स्थापना बालोतरा सब-डिवीजन के मुख्यावास पर क्यों की गई जब कि वहां पर पहले से सत्र-न्यायालय का मुख्यावास है?

(4) क्या बाड़मेर नगर जिले का मुख्यावास होने, बाड़मेर, सब-डिवीजन के अधिक मुकदमें होने, बाड़मेर सब-डिवीजन म पुलिस थानों की संख्या बालोतरा सब डिवीजन से लगभग दुगुनी होने एवं बाड़मेर सब-डिवीजन की जनसंख्या बालोतरा सब-डिवीजन से अधिक होने के बावजूद भी बाड़मेर नगर म सिविल एवं सहायक सत्र न्यायालय की स्थापना होनी आवश्यक नहीं है?

उप-मन्त्राणी, विधी (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (1) जिला एवं सत्र न्यायाधिश का मुख्यालय बालोतरा होने से हर जिले के अनुसार

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

सिविल एवं सहायक सत्र न्यायालय का मुख्यालय भी बालोतरा रखा गया है। वैसे गत वर्ष सिविल एवं सहायक सत्र न्यायाधीश का कोई नया न्यायालय नहीं खोला गया है। परन्तु जो अधिकार सहायक सत्र न्यायाधीश के 1969 में वापिस ले लिये गए थे वे 1970 में पुनः दे दिये गए हैं।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) जी नहीं। प्रशासनिक कारणों से।

श्री वृद्धिचन्द जैन : यह बालोतरा के अन्दर जो सेशन्स कोर्ट कायम हुआ था इसलिये कायम हुआ था कि बाड़मेर और बालोतरा जिलों के बीच में हैडक्वार्टर बालोतरा पड़ता था दोनों के, परन्तु बालोतरा के अन्दर सेशन्स कोर्ट कायम हो गया है। तो अब बाड़मेर जिले में बाड़मेर हैडक्वार्टर है, बाड़मेर की आबादी ज्यादा है, पुलिस स्टेशन्स ज्यादा हैं और केसेज भी ज्यादा हैं। अगर 10 साल के केसेज इग्जेमिन करें तो आपको मालूम होगा कि बाड़मेर सब-डिवीजन के केसेज अधिक, आबादी ज्यादा, पुलिस स्टेशन्स ज्यादा और सब तरह से बाड़मेर एप्रोप्रिएट है इसलिए सेशन्स कोर्ट और सिविल कोर्ट वहां स्थापित किये जाय।

श्री अध्यक्ष : इसको वापस देख लें।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : विचार किया जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्री बृजवल्लभ बोहरा।

जब्त की गई सोने की मोहरें

246. **श्री बृजवल्लभ बोहरा** (दीगोद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि थाना कैथून, तहसील लाड़पुरा में पुलिस द्वारा दिनांक 27-2-70 को चार मोहरें सोने की राम नारायण से जब्त की गई थीं ?

(2) ये मोहरें किस दफा के तहत जब्त की गई थी ?

(3) इस मुकदमे में अब तक क्या कार्यवाही की जा चुकी है ?

(4) साल भर से ज्यादा हो जाने पर भी इस मुकदमे को अदालत में क्यों नहीं भेजा गया ?

(5) अब इस मुकदमें की कार्यवाही कब खत्म करके इसे अदालत में पेश कर दिया जावेगा ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा): (1) जी हां, यह सही है।

(2) यह चार मोहरें ट्रेजर ट्रोव एक्ट के तहत जब्त की गई थीं।

(3) इस मामले में जिलाधीश, कोटा से स्वीकृति लेकर जांच की जा चुकी है। जांच से यह पाया गया है कि श्री देवीसहाय सदर को उसके मकान की मरम्मत के वक्त चार सोने की मुहरें दीवार में दबी हुई मिली थीं जो उसने रामनारायण लखारा को बेच दीं।

(4) इस मामले में देरी होने का कारण यह है कि पहले जिलाधीश से जांच की विधिवत स्वीकृति ली गयी थी और फिर इस मामले में पूरी छानबीन की गई जिसमें इतना समय लग जाना सम्भव है।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

(5) इस मामले में जांच निर्णय शीघ्र ही डी० एम० के अदालत में वास्ते आदेश प्रस्तुत कर दिया जावेगा ।

श्री बृजवल्लभ बोहरा : क्या यह सही है कि बिना जिलाधीश की आज्ञा के किसी के मकान में संपत्ति पायी हो और उसको जब्त पुलिस के द्वारा कर लिया जाय ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जिलाधीश की आज्ञा से जब्त की गयीं ।

श्री बृजवल्लभ बोहरा : कौनसी तारीख को आज्ञा ली गयी थी ?

श्री हीरालाल देवपुरा : ज्योंही मालूम हुआ तो जिलाधीश की आज्ञा लेकर जब्त की गयीं ।

श्री बृजवल्लभ बोहरा : मोहरें पहले जब्त की गयीं और जिलाधीश की आज्ञा बाद में ली गयी ?

श्री हीरालाल देवपुरा : चार मोहरें ली गयीं और कोई भी चीज नहीं ली गयी । जिलाधीश इसका फैसला करेंगे कि यह किसको लौटायी जाय ।

श्री बृजवल्लभ बोहरा : क्या यह सही है कि मोहरें पहले जब्त की गयी थीं और आज्ञा बाद में ली गयी थी ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : प्रश्न संख्या 247 ।

श्री बृजवल्लभ बोहरा : पुलिस वालों ने इस प्रकार से दबा दिया क्या इसकी जांच आप सी० बी० आई० से करावेंगे ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ।

बारां क्षेत्र की जल-प्रदाय योजना

247. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बारां उप-जिला क्षेत्र के किस किस नगर, कस्बा एवं ग्रामों में नल योजना का कार्य कितने रुपयों की लागत से चल रहे हैं और किन किन ग्रामों में पूर्ण हो चुके हैं ? तथा किन किन ग्रामों में नल योजना विचाराधीन है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) बारां जलदाय विभाग म किस किस पद के अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं ?

(3) क्या यह सही है कि जिला कोटा में कोटा के बाद बारां सबसे बड़ा नगर व उप-जिला केन्द्र है ?

(4) यदि हां, तो बारां जलदाय विभाग कार्यालय में कम से कम सहायक अभियन्ता यानि सब-डिवीजनल केन्द्र होना अनिवार्य है ?

(5) क्या यह सही है कि बारां एवं छबड़ा एवं रामगंज मंडी उप-जिला क्षेत्र में चल रही नल योजना का सहायक अभियन्ता कार्यालय झालावाड़ जिले में है ? यदि हां, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य (श्रीमती सुमित्रा) : (1) सूची संलग्न है ।

(2) 1. अधिदर्शक, 2. मिस्त्री,

(श्रीमती सुमित्रा)

3. हैल्पर प्रथम, (वर्कचार्ज में) 4. स्टोर मंत्री, 5. चौकीदार ।

(3) जी हां ।

(4) जी नहीं ।

(5) जी हां, प्रशासकीय दृष्टिकोण से ।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री देवीदत्त गाडिया : क्या यह सही है कि झालावाड़ में सहायक अभियन्ता का हैडक्वार्टर होने से छीपा बड़ोद, अटरू, बारां, अंता, साबा आदि क्षेत्रों में जहां पर कि कई तो तहसील हैडक्वार्टर्स हैं, पंचायत समिति हैडक्वार्टर्स हैं, जब कि आपकी नीति यह है कि तहसील हैडक्वार्टर और पंचायत समितियों में जलदाय योजना कायम करनी चाहिए, इन क्षेत्रों में, जलदाय योजना लागू नहीं की जा सकी । प्रशासनिक दृष्टि से बारां में हैडक्वार्टर हो इसके लिये आप क्या कहती हैं ?

श्रीमती सुमित्रा : आपने ए० ई० एन० के सब-डिविजन की बात पूछी है और सप्लीमेन्टरी प्रश्न आपने दूसरे ही पूछ लिये कि नल योजना कायम क्यों नहीं हुई ?

श्री देवीदत्त गाडिया : लागू नहीं हुई । झालावाड़ में हैडक्वार्टर्स होने से प्रशासनिक दृष्टि से लागू नहीं किया जा सका । इसलिए क्यों नहीं बारां में सहायक अभियन्ता का हैडक्वार्टर खोल दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न 1 का उत्तर दे दीजिये ।

श्रीमती सुमित्रा : नल योजना की बात और सब-डिविजन की बात दोनों अलग अलग प्रश्न हैं ।

श्री देवीदत्त गाडिया : आप समझने की कोशिश करिये । झालावाड़ में सहायक अभियन्ता का हैड क्वार्टर है । यदि इस हैड-क्वार्टर को आप बारां में कर देते हैं तो प्रशासनिक दृष्टि से बारां, अंता, छीपा बड़ोद, अटरू, साबा आदि क्षेत्रों में जहां कि तहसील हैडक्वार्टर हैं और पंचायत समितियों के हैड क्वार्टर हैं और आपकी नीति के अनुसार वहां पर जलदाय योजना लागू होनी चाहिए, इस दृष्टि से चूंकि झालावाड़ दूर पड़ता है और प्रशासनिक दृष्टि से यह कार्य लागू नहीं होता है इसलिए हैडक्वार्टर सहायक अभियन्ता का यहां बारां में कर दिया जाय तो आपको क्या इसमें दिक्कत है ?

श्रीमती सुमित्रा : बारां, छीपा बड़ोद झालावाड़ जिले के ज्यादा नजदीक है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह गलत है । छबड़ा और छीपाबड़ोद झालावाड़ के नजदीक हैं और बारां, अटरु, अंता आदि सब दूर पड़ते हैं । क्या यह सही है कि एक महीने से बारां नल योजना का कार्य बन्द पड़ा है ?

श्रीमती सुमित्रा : काम तो चल रहा है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : बिलकुल नहीं चल रहा है ।

श्री अध्यक्ष : चल रहा है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : बिलकुल नहीं चल रहा है ।

श्री अध्यक्ष : नहीं चल रहा है ।

Page No 8

श्री देवीदत्त गाड़िया : बिलकुल नहीं चल रहा है अध्यक्ष महोदय । माननीय मंत्री को जानकारी नहीं है और वे गलत सूचना दे रही हैं ।

श्रीमती सुमित्रा : माननीय अध्यक्षजी, काम ठेके पर दिया हुआ है । हो सकता है दस पन्द्रह दिन में काम बन्द हो । और ठेकेदार कहीं और किसी कार्य पर चला गया हो ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मंत्री महोदय को जानकारी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : कितने अर्से से बन्द पड़ा है ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : एक महीने से बन्द पड़ा है ।

श्री अध्यक्ष : बीस दिन तो उन्होंने मान लिए हैं । दस दिन का ही तो प्रश्न है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह नल योजना का कार्य बन्द पड़ा हुआ है । पाइप लाइन बिछी नहीं । मिट्टी पड़ी नहीं । टैन्डर आये नहीं । बारां की बीस हजार की जन संख्या है वहां जलदाय योजना कार्य बहुत जरूरी है और निर्धारित समय पर न हो तो आपही सोच सकते हैं कि कितनी भारी तकलीफ होती है जनता को । यह बता दीजिये कि यह निर्धारित समय पर कब तक पूरी हो जानी चाहिए ?

श्रीमती सुमित्रा : अगले वर्ष पूरी हो जानी चाहिए ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप निश्चित तिथि बतायें कि यह योजना कब पूरी हो जानी चाहिए, पाइप लाइन कब बिछायी जानी चाहिए । मिट्टी कब बिछानी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : आपके प्रश्न का मंतव्य समझ गयी हैं ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : एक जानकारी चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : पहले वह जानकारी आने दीजिए ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : बारां में कार्य ठप्प पड़ा है । हिगन कुआ पर कार्य ठप्प पड़ा है । कब यह हो जावेगा ?

श्रीमती सुमित्रा : 71-72 में काम पूरा हो जावेगा । यह नहीं बता सकती कि पाइप लाइन कौनसी तिथि को बिछेगी, वाटर कब दिया जा सकेगा ।

श्री मोहनलाल मोदी : टंकी पहले बनायी जाती है ।

श्रीमती सुमित्रा : साल बताया जा सकता है । महीना बताया जा सकता है ।

श्री मोहनलाल मोदी : वाटर वर्क्स का कभी समय पर भी काम पूरा हुआ है क्या ? पांच पांच साल, दस दस साल लग जाते हैं

श्री देवीदत्त गाड़िया : जिस ठेकेदार ने काम बन्द कर रखा है उसके विरुद्ध आपने कोई कार्यवाही की है क्या ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्रीमती सुमित्रा : निश्चित अवधि तक यदि ठेकेदार द्वारा काम पूरा नहीं किया गया तो ठेके की शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी ।

Page No 9

प्रश्न संख्या 248

श्री देवीलाल ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत ।

(विराम)

उपस्थित नहीं हैं ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : हाजिर हूं । मैं प्रश्न का नम्बर देख रही थी ।

प्रश्न संख्या 249

नगरपालिका द्वारा जमीन का बेचान व कलेक्टर की स्वीकृति

249. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि छोटी नगरपालिका कोई जमीन का टुकड़ा बेचती है तो उसकी मंजूरी कलेक्टर से लेनी होती है और बेचने के बाद कलेक्टर की मंजूरी आने के बाद ही खरीदार को हैंडओवर की जा सकती है ?

(2) क्या यह सही है कि प्लॉट बेचे जाते हैं तो तब उप-जिलाधीश नीलामी में शामिल रहते हैं ?

(3) क्या सरकार की जानकारी में है कि कलेक्टर की आज्ञा लेने में लम्बी मुद्दत लग जाती है और नगरपालिका की एफिशियेन्सी में बड़ा फर्क होता है ?

(4) जब उप-जिलाधीश उक्त नीलामी में शामिल रहता है फिर कलेक्टर के पास अनावश्यक रूप से मंजूरी के लिये क्यों भेजा जाता है ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (खेतसिंह) : (1) जी हां । नगरपालिकायें अगर कोई जमीन बिना नीलामी के विक्रय करती है तो उसकी स्वीकृति जिलाधीश से लिया जाना आवश्यक है ।

(2) जी हां । नियमानुसार उन्हें उपस्थित होना चाहिये ।

(3) जी नहीं ।

(4) कानूनन आवश्यक है ।'

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : मेरा मतलब है...

श्री मदनसिंह दांता : अगर....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कर्ता ।

श्री मदनसिंह दांता (दांतारामगढ़) : उनके पास सप्लीमेन्टरी नहीं है ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : जिलाधीश को इस विषय के अधिकार देने से काफी विलम्ब होता है । यदि एस० डी० ओ० को ही यह अधिकार दे दिया जाय तो लम्बा वक्त न लगे ।

श्री खेतसिंह : एस० डी० ओ० तो नीलाम में खुद हाजिर रहता है और बतौर पार्टी के रहता है उनको यह अधिकार नहीं दिया जा सकता । कहां विलम्ब हुआ है यह बतायें तो उसकी जांच करा ली जावेगी ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : होती है विलम्ब । प्रोसिजर को आसान कर दीजिये ।

श्री खेतसिंह : एक्ट में प्रोवाइडेड है इसलिये मैं इसको तरमीम नहीं कर सकता हूं, किन्तु विधान सभा ही कर सकती है।

श्री मोहनलाल मोदी(नीम का थाना) : जो जिलाधीश को पावर्स हैं वे एस० डी० ओ० को दे दिये जांय।

श्री खेतसिंह : विधान सभा द्वारा प्रावधान किया हुआ है एक्ट में और वह ही यह कर सकती है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : आपकी ओर से विधान सभा में यह संशोधन रखा जावेगा तो हो जावेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

राज्य सरकार द्वारा जयपुर शहर की सीमा में आवंटित भूमि

250. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

जयपुर शहर की 12 मील की परिधि में किन किन व्यक्तियों को कितनी कितनी भूमि कब कब और कहां कहां अलॉट राज्य सरकार द्वारा सीधे ही की गयी है? इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें, जिनमें इन व्यक्तियों का पूरा पता प्रार्थना-पत्र देने के समय का दर्ज हो? उनमें राज्य कर्मचारी कौन कौन हैं और किस पद पर उस समय थे?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की सूचना एकत्रित की जा रही है, अगले हफ्ते सूचना देदी जावेगी।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : मैं बहुत सीरियस प्रोटेस्ट लाज करना चाहता हूं। यह प्रश्न ओरिजनली मैंने 16 मार्च, 70 को विधान सभा में भेजा। तब पोस्टपोनमेंट मांगा गया। बजट सैशन निकल गया। फिर मई में सैशन शुरु हुआ, उसमें उत्तर नहीं दिया गया, उसमें पोस्टपोनमेन्ट मांगा, मई का सारा सैशन निकल गया। फिर नवम्बर में सैशन में मैंने रिपीट किया इसे, पर उत्तर नहीं आ पाया। अब मार्च 71 में रिपीट किया। तो एक तरफ से इस प्रश्न को 13 महीने हो गये सरकार के पास गये। केवल एक क्वेश्चन है। कोई भाग भी नहीं है उसके। प्रश्न भी सीधा है और केवल जयपुर शहर का है कि जयपुर शहर की 12 मील की परिधि में किन 2 व्यक्तियों को कितनी 2 भूमि कब 2 और कहां 2 राज सरकार द्वारा सीधे ही अलॉट की गई है। जिलाधीश कार्यालय यहां है, तहसील का कार्यालय यहां है जहां से इसका उत्तर आना है, पर फिर भी 13 महीने हो गये उत्तर नहीं मिल रहा है। इसका मुझे अत्यन्त खेद है।

कल परसों भी यही हुआ। डॉक्टरों के मामले में यह हुआ। इस सारे सैशन में भी तीन सवाल आये और तीनों का पोस्टपोनमेंट चाहा है। रूल्स की मंशा है कि 15 दिन का नोटिस आना चाहिये। पर इस मामले में 13 महीनें के नोटिस के बाद भी उत्तर नहीं मिल रहा है तो मैं नहीं समझता इसका उत्तर कब मिलेगा। मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं। नियमों में सरकार के मंत्री को कोई अधिकार नहीं है पोस्टपोन करने का। चाहे इसे आप व्यवस्था का प्रश्न समझें, नियमों का प्रश्न समझें या कैसा भी समझें अगर कहीं पोस्टपोनमेंट करने का नियम

Page No 11

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हमारे यहां है तो 43 है, जिसमें मेम्बर को अधिकार दिया गया है। वह पोस्टपोन मांग सकता है केवल।

श्री रामकिशोर व्यास : इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके, इसके लिये तो माफी चाहता हूं। अगली टर्न पर जरूर दे दिया जावेगा।

ट्रेक्टर का कारखाना

251. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या भरतपुर जिले में ट्रैक्टर बनाने का कारखाना लगाने के लिये सरकार की कोई योजना है? अगर हां, तो इस कारखाने को किस पार्टी द्वारा कब से चालू किया जा रहा है?

उप-मन्त्री, उद्योग (श्री भीमसेन) : मैसर्स भारत इण्डस्ट्रीज व कर्मशियल कारपोरेशन, कलकत्ता को लेटर ऑफ इन्डेन्ट दिया गया है। अभी निश्चित अवधि बताना सम्भव नहीं है।

श्री रामकिशन : आप क्या कह गये, सुन नहीं पाया।

एक माननीय सदस्य : इनको दृष्टि-दोष हो गया था।

श्री रामकिशन : मेरे पर भी बुढ़ापे का असर हो गया।

श्री अध्यक्ष : इनका ध्यान भावी पीढ़ी पर ज्यादा चला गया।

श्री मनोहर सिंह मेहता : इनकी आखें भी कमजोर हैं तो सुनते भी कम हैं?

श्री रामकिशन : ये सर्वोदयी गड़बड़ी कर रहे थे।

श्री अध्यक्ष : वापिस पढ़ दीजिये।

श्री भीमसेन : मैसर्स भारत इण्डस्ट्रीज व कर्मशियल कारपोरेशन, कलकत्ता को लेटर ऑफ इन्डेन्ट दिया गया है। अभी निश्चित अवधि बताना सम्भव नहीं है।

श्री रामकिशन : यह कारखाना तो भरतपुर में ही खोल रहे हैं न?

श्री हरिदेव जोशी : इस पार्टी ने एक कारखाना राजस्थान में लगाने के लिये एप्लाई किया। भारत सरकार ने इस पर लेटर ऑफ इन्डेन्ट इन्हें दे दिया। पार्टी ने भरतपुर में वह कारखाना लगाने की बात कही। हमने हां कह दिया। उन्होंने वहां जमीन देखी है। लैटर ऑफ इन्डेन्ट प्रिलिमिनेरी है। लाइसेन्स बाद में मिलेगा। लाइसेन्स स्वीकार हो जायेगा।

श्री रामकिशन : क्या यह सही है कि राजस्थान में दो कारखानें खोलने की प्रारम्भिक चर्चा चल रही है।

श्री हरिदेव जोशी : जी हां।

श्री रामकिशन : दूसरा कहां खोलने की बात है?

श्री हरिदेव जोशी : आपने तो इसका प्रश्न पूछा है। आपने भरतपुर का ही पूछा। उसका जवाब दे दिया।

श्री रामकिशन : क्या यह सही नहीं है कि मुख्य मंत्री जी ने ऐलान किया था कि पिछले वर्ष में कारखाना शुरू कर दिया जावेगा?

Page No 12

श्री हरिदेव जोशी : मैंने जैसा निवेदन किया दूसरे कारखाने की बात भी है, एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन इसे कर रहा है। पर यह तो प्राइवेट सेक्टर में है जिसका लैटर ऑफ इन्डेन्ट इश्यू किया गया है।

शरणार्थियों की दुकानें

252. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि घंटाघर, कोटा से शरणार्थियों की कच्ची दुकानें हटाई गई थीं ? अगर हां, तो क्यों ? कब व कितनी ?

(2) क्या यह सही है कि इन शरणार्थियों को हटाकर छोटे तालाब में बसाया गया है ? अगर हां, तो कब व कितने व्यक्तियों को ? कृपया सूची देने का कष्ट करें।

(3) उपरोक्त लोगों को छोटे तालाब क्षेत्र में भूमि पर किस शर्त पर बिठाया गया है ?

(4) क्या यह सही है कि शरणार्थी इस भूमि को 99 वर्ष की लीज पर लेना चाहते हैं ? अगर हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री खेतसिंह): (1) जी हां। आवागमन म बाधा होने की वजह से दिनांक 5-7-69 को 72 दुकानें हटायी गई थीं।

(2) जी हां, दिनांक 19-7-69 को। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) शर्तनामें की प्रतिलिपि संलग्न है।

(4) जी नहीं। प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि जिस स्थान से शरणार्थियों की 72 दुकानें हटाई गई थी ये सन् 48 से नगरपालिका के किराये पर उस जगह पर बसे हुए थे ?

श्री खेतसिंह : मेरे पास इसकी तारीख तो नहीं है, पर हां इन स्थानों पर वे थे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि ये सारे म्युनिसिपैलिटी के किरायेदार थे ?

श्री खेतसिंह : हो सकता है। मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि उनको अपने पुराने स्थानों से हटाने से पहले नगरपालिका ने किसी प्रकार का कोई नोटिस इनको नहीं दिया ?

श्री खेतसिंह : जानकारी नहीं है इसकी मुझे। पर यहां से हटाकर दूसरी जगह रखना जरूरी था इससे आवागमन में बाधा पड़ती थी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : राज कानून का है। मनमानी थोड़े ही है कि यहां से उठाया और जब आपकी मरजी आई जहां चाहा बिठा दिया। नगरपालिका के किराये पर बैठे थे। उनको खाली करने का नोटिस दिया जाना चाहिये था बाकायदा। अब आपको यह पता ही नहीं है कि किराये पर

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

थे या नहीं कह दिया दूसरी जगह बसा दिया। यह तो मैं भी जानता हूं और हटा दिया इसीलिये तो क्वेश्चन पूछा है।

श्री खेतसिंह : उन्होंने मान लिया था कि वहां जाकर बस जावेंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या नगरपालिका को दुकानदारों ने लिखकर कहा था कि हम वहां जाने को तैयार हैं? या आप यों ही जबानी कह रहे हैं?

श्री खेतसिंह : यह आवश्यक नहीं कि लिखित में लिया जावे। बातचीत करके समझौता कर लिया। किसी ने ऐतराज नहीं किया।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि उन शरणार्थियों को हटाने के पश्चात् मैंने स्वयं ने इसके विरोध में भूख हड़ताल की थी?

श्री अध्यक्ष : यह तो अलग से प्रश्न पूछिये।

श्री खेतसिंह : यह जानकारी में नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, इनको कोई जानकारी नहीं है, कैसे बसाया गया, ये नगरपालिका के किरायेदार थे या नहीं इनकी क्या मांग थी यह सब कुछ नहीं बता सकते, इन्होंने प्रश्न की तैयारी ही नहीं की। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसको पोस्टपोन किया जाय और दुबारा ये पूरी जानकारी लेकर सदन में आवें।

श्री अध्यक्ष : भूख हड़ताल आपने की या नहीं, यह तो सामान्य ज्ञान का प्रश्न है।

श्री खेतसिंह : कई बार कई लोग करते हैं। मुझे नहीं मालूम किस मौके पर आपने कब भूख हड़ताल की।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि कई लोगों को जहां पर बसाया गया है ये हटाये गये लोग तो 72 ही थे ये 105 कहां से आ गये आपकी लिस्ट में?

श्री खेतसिंह : 72 दुकानदारों को हटाया और वहां बसाया इनमें से तो कोई कम नहीं हुआ न? अब ज्यादा बस जाते हैं तो अच्छा ही है, बुरा क्या हुआ इसमें?

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि जहां बसाया गया है वहां उनको पक्की दुकानें बनाकर बसने की इजाजत दे दी गई है?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि उन दुकानदारों को जब हटाया गया और उन्होंने जब हटने से इन्कार किया तो उस अवसर पर नगरपालिका ने यह वादा किया कि नई जगह बसने पर उनको वहां 99 साल का पट्टा दे दिया जावेगा?

श्री खेतसिंह : जी नहीं, यह सही नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : दुकानें वहां पक्की स्थिति में हैं, क्या यह सही है?

श्री खेतसिंह : आप कमाल करते हैं। आप यह भी पूछेंगे कि उनके दो दरवाजे हैं, चार खिड़कियां हैं, क्या है कैसे है इतनी डिटेल मेरे पास नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न की बिलकुल जानकारी

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

मन्त्री महोदय को नहीं है अध्यक्ष महोदय, किन हालातों में उनको वहां से हटाया गया, इसका पता नहीं, दुकानें पक्की बना दी गई, इसका पता नहीं राज सरकार से 99 साल की लीज की शर्त थी। उत्तर दे रहे हैं नहीं। तो सप्लीमेन्टरी पूछना, न पूछना बराबर है। इसलिए निवेदन करूंगा कि इसे पोस्टपोन किया जाय। इनको कहा जाय कि अगली टर्न पर पूरी तरह से इस प्रश्न को समझकर स्टडी करके आवें।

श्री खेतसिंह : 99 साल की लीज पर नहीं दी गई मैंने कहा न। लाइसेन्स पर दी हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : लाइसेन्स में पीरियड है क्या ?

श्री खेतसिंह : शर्तनामा मेरे पास है, आप कहें तो पढ़कर सुना दूं।

श्री कृष्णकुमार गोयल: शर्तनामें की 14वीं कलम पढ़कर सुना दीजिये।

श्री खेतसिंह : आपने भी वह शर्त पढ़ाई जो मुझे साफ दिखती भी नहीं। अन्य स्थान पर नहीं हटाया जावे, लाइसेन्स होल्डरों को इस स्थान से और कहीं नहीं हटाया जावेगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि इस शर्त के बाद भी जो लोग तालाब में बसे हैं उनको पक्की दुकानें बनाने की इजाजत दे दी गई है ?

श्री खेतसिंह : अगर दे दी गई है तो अच्छा किया है न ? नुकसान क्या किया ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि जहां 48 से उन दुकानदारों को बसाया गया वहां बड़ी कठिनाई थी, न वहां आवागमन के साधन थे न कुछ और। वन वे ट्राफिक था। उनको वहां किराये पर बसने दिया गया। नगरपालिका उनसे किराया वसूल करती थी। जब किराये पर वे थे तो बिना किसी नोटिस दिये उनको नहीं हटाया जा सकता था। पर उनको जबर्दस्ती हटाया गया। उनका सामान तोड़-फोड़ दिया गया। खैर किसी प्रकार वहां से हटकर वे वहां गये। उनको इस शर्त पर वहां बसाया गया कि वे वहां परमानेन्टली बसेंगे, पक्की दुकानें बनाएंगे और 99 साल की लीज पर दे दी जावेगी। तो क्या इनको पक्की दुकानों पर बसाया है और क्या 99 साल की लीज पर बसाने को तैयार हैं ?

श्री खेतसिंह : मेरे पास जो अध्यक्ष नगरपालिका की चिट्ठी में बतलाया है उसमें यह लिखा है कि दुकानों को 99 साल की लीज पर देने के लिये कोई प्रार्थना-पत्र उपलब्ध नहीं हुए।

श्री अध्यक्ष : श्री मजलिस खां। ऑर्डर प्लीज।

कामां क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत

253. **श्री मजलिस खां** (कामां): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कामां-पहाड़ी, कामां-जरहड़ा और पहाड़ी-बीबां, पहाड़ी-नगर, कामां-कोसी पांचों सड़कों की हालत बहुत पहले से ही खराब चली आ रही है ?

(श्री मजलिस खां)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़कों पर जो कभी कभी पैचिंग का काम कराया जाता है वह साथ साथ उखड़ता चला जा रहा है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त पांचों सड़कों की हालत दिन पर दिन खराब से खराब होती चली जा रही है ? यदि हां तो क्या राज्य सरकार उक्त सड़कों की अच्छे ढंग से मरम्मत कराने की कृपा करेंगी ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या यह सही है कि कामां वाई-पास की हालत बहुत ही खराब है ? यदि हां तो इसकी मरम्मत कब तक करादी जावेगी ?

(5) क्या यह सही है कि डीग से कामां, जुरहड़ा, कामां-कोसी जाने वाली बस कस्बे के बीच से गुजरती हैं ? क्या यह भी सही है कि कस्बे में कई मोड़ पड़ते हैं जिन पर अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं और ट्रैफिक सुगमता से पास नहीं होता है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार कामां में वाई पास निकाल कर इस असुविधा को दूर करने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद लुहारू (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है अतः इसको स्थगित कर दिया जाये ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित कर दिया गया ।

श्री विजयसिंह ।

बाड़मेर जिले में नियुक्त थानेदार

254. **श्री विजयसिंह** (मकराना) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में कई थानेदार तीन वर्ष से अधिक समय से एक ही जगह पर नियुक्त हैं ?

(2) क्या यह सही है कि गुड़ा पुलिस थाने के थानेदार एक बार भी गुड़ा थाने से नहीं बदले गये हैं ? अगर नहीं तो उपरोक्त थानेदार को कहां कहां कितने समय के लिये भेजा है ? स्थान मय समय की सूची के सदन की मेज पर रखें ।

राज्य मंत्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) जी नहीं ।

(2) वर्तमान थानेदार पुलिस थाना, गुड़ा दिनांक 18-1-69 को जिला जोधपुर से स्थानान्तरण पर जिला बाड़मेर में आये थे और तब से वे थाना गुड़ा में तैनात हैं । इन्हें माह जुलाई, 1970 से माह नवम्बर, 1970 तक के लिये कलकत्ता भेजा गया था ।

श्री विजयसिंह : कौनसी तारीख को आये थे ?

श्री हीरालाल देवपुरा : 18-1-69 को आये थे ।

श्री विजयसिंह : इसके बाद ट्रेनिंग को कौनसी तारीख को गये ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जुलाई, 70 में ।

श्री विजयसिंह : इस दौरान में जबकि वे ट्रेनिंग पर गये थे किसी थानेदार को पोस्ट नहीं किया गया ?

Page No 16

श्री हीरालाल देवपुरा : यह प्रश्न आपने नहीं पूछा है ।

श्री विजयसिंह : थाना क्यों खाली रखा गया ?

श्री हीरालाल देवपुरा : थाना कभी खाली नहीं रहता है । इन्चार्ज रहता है वह तफतीश की कार्यवाही करता रहता है । यह प्रश्न भी आपने नहीं पूछा है ।

श्री विजयसिंह : क्या यह सही है कि यह जो थानेदार आई० दानाराम है वह माननीय मंत्री गंगाराम चौधरी का रिश्तेदार है ।

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है । अलग से प्रश्न है । माननीय मंत्री महोदय ।

श्री विजयसिंह : क्या यह सही है कि बाड़मेर के एस० पी० ने इसका ट्रान्सफर कर दिया था ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अलग से प्रश्न है ।

श्री विजयसिंह : एस० पी० से तबादला होने के बाद डी० आई० जी०, जोधपुर ने उसको केंसिल कर दिया ।

श्री हीरालाल देवपुरा : यह अलग से प्रश्न है ।

श्री विजयसिंह : तो फिर क्या मैं इस उत्तर को फाड़ दूं । हर प्रश्न का उत्तर यही मिल रहा है । यह सब प्रश्न अध्यक्ष महोदय इसी प्रश्न से संबंधित हैं । वहां पर थानेदार को जानबूझकर रोका गया है । इलेक्शन के अन्दर किसी का तबादला नहीं होगा यह इस सरकार का रूल है और 15 तारीख के बाद किसी का तबादला इस सरकार ने नहीं किया फिर एस० पी० को वहां से क्यों हटाया गया । इस एस० पी० का तबादला सिर्फ इसलिए किया गया था कि उसने इस थानेदार का तबादला कर दिया था ।

श्री हीरालाल देवपुरा : ऐसी बात नहीं है । किसी भी थानेदार को तीन साल से ज्यादा समय हो जाता है तो उसका तबादला कर दिया जाता है ।

श्री अध्यक्ष : अतिरिक्त कोई जानकारी है आपके पास में ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिवल्लभ शर्मा । प्रश्न संख्या 255 ।

सवाईमाधोपुर के ओवर ब्रिज की स्वीकृति

255. **श्री हरिवल्लभ शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर जंक्शन के रेल्वे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज की स्वीकृति केन्द्र द्वारा हो चुकी है और राज्य सरकार ने भी अपने अंशदान का अपने इस वर्ष के (1970-71 के) वित्तीय बजट में प्रावधान किया है ? यदि हां, तो 1970-71 में राज्य सरकार ने कितनी राशि का इस कार्य हेतु प्रावधान किया ?

(2) उक्त प्राविकृत राशि में से 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में कुल कितनी राशि व्यय की गई ? यदि नहीं की गई तो इसका क्या कारण है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन अहमद) : (1) जी नहीं, विचाराधीन है। एक लाख का प्रावधान किया गया था ।

(श्री अमीनुद्दीन अहमद)

(2) वर्ष 1970-71 में धनराशि व्यय नहीं हुई है क्योंकि रेल्वे अधिकारियों से ऐस्टीमेट प्राप्त नहीं हुए ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : तो आपका क्या यह मतलब है कि केन्द्रीय सरकार ने अभी इस जगह पर पुल बनाना स्वीकार नहीं किया है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह सवाल नहीं है कि स्वीकार नहीं किया गया है । उनके पास नक्शे भेजे गये हैं और वे एप्रूव होकर के नहीं आये हैं, उन्होंने उनको मन्जूरी नहीं दी है ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : तो आपने प्रश्न के उत्तर में जी नहीं कैसे कहा ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मैंने सही उत्तर दे दिया है ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर के रेल्वे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज की स्वीकृति केन्द्रीय सरकार द्वारा हो चुकी है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह सही है कि स्वीकृति हो चुकी है । उनकी स्वीकृति आने के बाद हम स्वीकृति देंगे । हमारे पास यह पैसा आ जायेगा इस एन्टीसीपेशन में हमने अपने बजट में यह पैसा रख दिया था। अगर मन्जूरी आ जाती चालू वर्ष के अन्दर तो काम शुरू हो जायेगा लेकिन उनके यहां से नक्शे मन्जूर होकर नहीं आये हैं और मन्जूरी न दे और जब तक खुद काम शुरू न करें कोई काम हम वहां पर नहीं कर सकते है यह प्रावधान तो एहतियातनतौर पर रख दिया गया था ताकि जल्दी से जल्दी काम शुरू हो जाये ?

श्री हरिवल्लभ शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने एम्ब्रोगुस रिप्लाई दिया है। इसमें दो प्रश्न हैं । एक तो वहां पर केन्द्रीय सरकार ने ओवर ब्रिज बनाना स्वीकार कर लिया है और इसको राज्य सरकार ने भी स्वीकार किया है । आपने कहा कि अभी तो ऐस्टीमेट बन रहे हैं । आप उनसे इनको एप्रूव करा रहे हैं और आप यह भी कह रहे हैं कि केन्द्रीय सरकार ने अभी इसको एप्रूव नहीं किया है तो पोजीशन क्या है इसको स्पष्ट करने की कृपा करें ।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : जितने नक्शे हैं वे स्वीकृत होकर आवें और जब तक नक्शे मन्जूर होकर नहीं आयेंगे तब तक वहां पर काम शुरू नहीं होगा ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : क्या यह सही है कि पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार ने वहां पर पुल बनाना स्वीकार कर लिया था किन्तु राज्य सरकार की ओर से इसकी कोई पैरवी नहीं की गई है ?

श्री अध्यक्ष : क्या यह स्वीकार कर लिया गया था ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह पिछले साल ही स्वीकार हुआ है 70-71 में ।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रेमसिंह सिंघवी । प्रश्न संख्या 256.

पुलिस की फायरिंग से मारे गये व्यक्ति

256. **श्री प्रेम सिंह सिंघवी** (छबड़ा) क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) पिछले तीन वर्षों में राजस्थान

(श्री प्रेमसिंह)

की पुलिस ने राजस्थान के अन्दर कितनी बार जनता पर गोली चलाई और कहां कहां पर तथा पुलिस के फायरिंग की वजह से कितने व्यक्ति मारे गये और किन किन कारणों से गोली चलाने की आवश्यसकता पड़ी ?

(2) क्या यह सही है कि पिछले माह फरवरी में कोटा फेक्टरी एरिये में जो गोलीकान्ड (फायरिंग) हुआ था उसमें मरने वालों की संख्या 70 से अधिक है ? यदि हां, तो कौन कौन व्यक्ति मारे गये?

राज्य मंत्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) पिछले तीन वर्षों में राजस्थान पुलिस द्वारा झूझनूं, चुरू, सीकर, उदयपुर, बीकानेर जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा और गंगानगर जिलों में 17 बार फायरिंग किया गया जिसमें कुल 16 व्यक्ति मारे गये। पुलिस को यह फायरिंग कानून व्यवस्था एवं आत्मरक्षा हेतु करना पड़ा था।

(2) यह गलत है। कोटा जे० के० सेन्थे फैक्टरी में किये गये फायरिंग में कुल 8 व्यक्ति मारे गये थे। मारे गये व्यक्तियों की सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री प्रेमसिंह सिघवी : मंत्री महोदय ने यह बताया है कि 9 जिलों में 17 बार सरकार ने गोलियां चलायी है परन्तु उसके साथ साथ गांवों के नाम और उनके तहसील हैडक्वार्टर के नाम नहीं बताये गये हैं ? 17 बार जो फायरिंग हुआ है उसमें कितने की न्यायिक जांच सरकार ने करायी है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह अलग से प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि जान बूझकर लोगों की हत्या करने के लिये ये गोलियां चलायी गयी हैं जिसका प्रमाण चूरू की जांच से प्रकट हुआ है। उससे यह साबित हुआ है और यह सही है।

श्री अध्यक्ष : श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : यह कहा गया है कि कानून और व्यवस्था के लिये यह फायरिंग किया गया है यह गलत है। चूरू में जो फायरिंग हुआ था उसमें इनके खिलाफ फैसला हुआ था। वहां फायरिंग गलत हुआ है और कमीशन ने उसका फैसला दिया है। तो यह कैसे कहा गया कि कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये यह फायरिंग किया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : डेकोइट ऑपरेशन के सिलसिले में जो गोलिया चलाई गई हैं क्या वह भी इसमें शुमार है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : नहीं है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : क्या वह कानून एवं व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : फायरिंग आदमियों के ऊपर हो जो आपने डिस्टींकशन किया है, अन्तर डाला है वह किस प्रकार

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

से किया है ? किस प्रकार के लोगों के ऊपर फायरिंग किया गया है ?

श्री अध्यक्ष : सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी।

झालावाड़ जिले में व्यय की गई राशि

257. **श्री विठ्ठलप्रसाद शर्मा** (अकलेरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत 3 वर्षों में झालावाड़ जिले में पी० डब्ल्यू० डी० का भवन एवं पथ का कितना बजट था और किस किस तहसील या पंचायत समिति में कितनी कितनी राशि व्यय की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(2) क्या यह सत्य है कि जिले का सारा बजट सलोदिया-पिड़ावा में ही व्यय किया गया है और सारे जिले की सर्व उपेक्षा की गई ?

(3) क्या यह सत्य है कि मनोहरथाना क्षेत्र से फेमिन के फण्ड से लाया हुआ डामर भी वहां से उठा लिया गया और राजनैतिक पक्षपात किया गया ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन अहमद) : (1) झालावाड़ जिला भवन व पथ के बजट प्रावधान की सूची (अ) संलग्न है। तहसील व पंचायतवार खर्च के आंकड़े विभाग में नहीं रखे जाते हैं।

(2) यह सही नहीं है। कार्य स्वीकृति के अनुसार ही किये गये हैं।

(3) मनोहरथाना-महारावपुरा व मनोहरथाना-राजगढ़ सड़कों की दशा वर्षा में अधिक खराब हो जाने तथा अकाल कार्य समाप्त होने के कारण डामर उपयोग में नहीं लाई जा सकी अतः जनहित में डामर का उपयोग अन्यत्र कराया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री विठ्ठलप्रसाद शर्मा : आपने जो सूची मुझे दी है उस सूची का जरा मुलाहिजा कर लीजिये। मैंने जो सूची मांगी थी वह प्रश्न के पार्ट 2 में साफ है। पंचायत समिति और प्रत्येक तहसील के अन्दर कितना 2 पैसा खर्च किया गया है वह सूची मैंने मांगी थी। वह बात तो आपने बतायी ही नहीं है और उसको छिपा दिया गया है। आपके सब-डिवीजन हैडक्वार्टर्स हैं और आपके यहां पर यह भी प्रावधान है कि किस किस डिवीजन में कितना कितना पैसा खर्च किया गया है—वह सूची मैंने मांगी थी।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, स्पष्टीकरण करें।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मेरी जो जानकारी थी वह अध्यक्ष महोदय मैंने दे दी है।

श्री विठ्ठलप्रसाद शर्मा : आप प्रश्न को पढ़ लीजिये।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : प्रश्न का जवाब दे चुका हूं।

श्री विठ्ठलप्रसाद शर्मा : भाग 2 को जरा आराम से पढ़ लीजिये।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : आराम से ही पढ़ कर आया हूं।

Page No 20

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रश्न किया था, यह जानकारी चाही थी किस किस तहसील में कितना कितना पैसा खर्च किया गया है। इसके संबंध में नहीं बताया गया है और इस सूची में में भी आपने कोई जानकारी नहीं दी है। उसके सम्बन्ध में कुछ बताया नहीं। कोई जानकारी नहीं दी।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मैंने यह कहा अलग अलग हिसाब मेरे पास नहीं है।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि जिले का सारा पैसा पिड़ावा में खर्च किया गया है?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह भी मेरे पास जानकारी नहीं है।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : मैं यह बताना चाहता हूं उस क्षेत्र के डिप्टि मिनिस्टर साहब हैं जिन्होंने सारा पैसा खर्च कर दिया। वहां पर जनता चिल्लाती है कोई सुनता ही नहीं है। फेमीन की खरीदी हुई डामर...

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं अध्यक्ष महोदय, सारा पैसा पिड़ावा में खर्च किया है।

श्री अध्यक्ष : यह है क्या जानकारी?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मेरे पास यह जानकारी नहीं है कि सारा पैसा पिड़ावा में खर्च हुआ है।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा) : सारा पैसा खर्च नहीं हुआ तो कितना हुआ. यह बता दीजिये।

श्री जुझारसिंह (रामगंजमंडी) : मैं स्पेसिफिक रोड पूछ रहा हूं सालोदिया-पिड़ावा रोड़ पर कितना खर्च हुआ है यह बताने की कृपा करें।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : आप मंत्री है या नवाब?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह पहले तय होना चाहिये अध्यक्ष महोदय, कि ये मंत्री है या नवाब?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मंत्री तो मैं हूं ही और नवाब का मेरा....

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपके दिमाग में नवाबपना है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो जवाब ही नहीं आया। अध्यक्ष महोदय स्थिति महत्वपूर्ण है.....

श्री अध्यक्ष : मैं प्रश्न पर फिर देखूंगा कि पोस्टपोन किये जाने काबिल है क्या?

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : मैं निवेदन करना चाहता हूं जो डामर फेमीन के फन्ड्स से खरीदी गई मनोहर थाना में उसको दूसरी जगह क्यों हटा दी। यह राजनीतिक पक्षपात नहीं तो क्या है?

श्री अध्यक्ष : क्या कोई डामर हटाई गई है?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : अध्यक्ष महोदय, सड़क की हालत खराब थी और पूरी सड़क नहीं बन सकती थी इसलिये इसका उपयोग वहां नहीं हो सकता था।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : उस सड़क पर डामर की आवश्यता नहीं थी तो डाली ही क्यों, यह बेवकूफी क्यों की ?

श्री जुझारसिंह : क्या यह सही है...

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्रीमती मदन कौर।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मदनकौर! कहां तक पहुंच गये ?

स्थगित प्रश्न (24-3-71 व 31-3-71)

जोधपुर तथा बाड़मेर जिलों में सड़कों पर कार्य।

75. **श्रीमती मदनकौर** (पचपदरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या जिला जोधपुर और बाड़मेर म आगोलाई से माड़पुरा, शेरगढ से पचपदरा और बालोतरा से समदड़ी सड़कों पर कंकरी और डामर बिछाने का काम हाथ में लिया गया था ?

(2) प्रत्येक सड़क पर कितने कितने मील कंकरी और डामर बिछवाया जा चुका है ? इन सड़कों पर पूर्ण डामर बिछाने का काम कब तक पूरा हो जावेगा ?

(3) क्या यह सही है कि ये तीनों सड़कें प्लान रोड्स हैं ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन अहमद): (1) जी हां।

(2) प्राप्त सूचना के अनुसार सूची "अ" संलग्न है ? अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता।

(3) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

श्रीमती मदनकौर : क्या यह सही है कि ये तीनों प्लान रोड्स नहीं हैं ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : प्लान में नहीं है।

श्रीमती मदनकौर : अध्यक्ष महोदय, आगोलाई से माडपुरा रोड 30 वर्ष पहले बनी थी। यही प्लान में नहीं है तो क्या है आपके प्लान में ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जरा जोर से डाटो।

श्री अध्यक्ष : 30 वर्ष पुरानी है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मगर प्लान में नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री दिग्विजय सिंह। राजस्व मंत्रीजी।

स्थगित प्रश्न (24-3-71 व 31-3-71)

सरकारी कार्य में आई भूमि का लगान।

81. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि अकाल राहत कार्यों में कई काश्तकारों की खुदकाश्त भूमि पर सड़क व सिंचाई विभाग द्वारा कार्य किये गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि काश्तकारों से उस भूमि का भी लगान लिया जा रहा है

(श्री दिग्विजयसिंह)

जिसे सरकार ने अकाल राहत कार्यों में ले ली है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या तहसीलदारों द्वारा ऐसी समस्त भूमि का नक्शा बना कर जिलाधीशों को भेज दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(4) क्या सरकार इस विषय पर ध्यान देते हुये समस्त जिलाधीशों को उचित आदेश प्रदान करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): (1) जी हां ।

(2) जी नहीं ।

(3) तहसीलदारों द्वारा ऐसी अवाप्त की गई भूमि का नक्शा जिलाधीशों को भेजने की कार्यवाही जारी है ।

(4) जिलाधीशों को आदेश दिये हुये हैं कि किसी भी काश्तकार की भूमि अवाप्त हो जाने के पश्चात् उससे लगान वसूल नहीं किया जाये ।

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्रीजी ने प्रश्न दो में जी नहीं कहा है। जिन काश्तकारों की जमीन सड़क के अन्दर काम में आ गई है उस भूमि का लगान वसूल नहीं किया गया है फिर आपके ये आदेश......

श्री गंगाराम चौधरी : मेरी जानकारी के अनुसार जिन सड़कों के लिये भूमि अवाप्त की गई है उनका लगान नहीं लिया जा रहा है।

श्री दिग्विजयसिंह : मैं कह रहा हूं उनका लगान भी लिया जा रहा है । ऐसे नक्शे बनाकर भेजे हैं । आपने आदेश दिये हैं तो उन्होंने वसूली कैसे नहीं की ?

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ): रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने पहले भी कहा था लगान सब जगह से हटा दिया गया है लेकिन अभी भी लगान उन जगहों पर लिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता ।

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, जिन रकबों का लगान वसूल हो चुका है क्या उसको कोई मुजरे देंगे , क्या आप उनको कम्पनसेट करेंगे । पालिसी है क्या गवर्नमेंट की ?

श्री गंगाराम : यह तो हाल ही आदेश जारी कर दिये गये हैं जो जमीन सड़क में या सरकारी कार्यक्रम में ले ली है जैसा माननीय सदस्य फरमा रहे हैं जहां सड़क बन चुकी है और उसका भी लगान लिया जा रहा है तो उसको लौटाने की व्यवस्था की जायेगी ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जिस भूमि की अवाप्ति करने का उल्लेख आपने प्रश्न 4 में किया है क्या यह अवाप्ति लैन्ड एक्वीजिशन एक्ट के अन्तर्गत हुई है ?

श्री दिग्विजयसिंह : अकाल राहत कार्यक्रम में जो सड़कें बनी हैं उनकी कार्यवाही लैन्ड एक्वीजीशन एक्ट के अन्तर्गत नहीं की गई है ।

श्री भैरोंसिंह : तो किस कानून के तहत की गई है?

श्री गंगाराम चौधरी : कृषकों से बातचीत करके ही उनकी भूमि ली गई है

श्री भैरोंसिह : क्या यह माना जाय कि सड़क बनाने पूर्व आपने लिखित में उनसे कोई अनुमति ले ली है ?

श्री रामकिशोर व्यास (राजस्व-मंत्री): इसका सम्बन्ध अकाल राहत विभाग से है कौनसी जमीन ली है और कौनसी जमीन नहीं ली है। हमारे विभाग से तो इसका इतना ही ताल्लुक है जो जमीन ली गई है उस पर लगान नहीं लिया जाना चाहिये। इत्तिला नहीं मिलने की वजह से लगान लिया गया है तो उसको वापिस करने की बात हो सकती है। अवाप्त करने का काम हमारा नहीं है।

श्री भैरोंसिह : कानून के अन्तर्गत एग्रीकल्चरल लैन्ड से लगान वसूल करते हैं और किसी जमीन को लगान मुक्त करने का आदेश होता है तो वह किस आधार पर देते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : फेमिन का काम खोला जाता है तो गांव वालों की इच्छा पर खोला जाता है।

श्री भैरोंसिह : क्या यह माना जाय कि जिस भूमि का लगान माफ किया है वह फेमिन डिपार्टमेंट की तरफ से यह लिखा हुआ आया है कि अमुक भूमि सड़क के लिये ले ली गई है, उसका लगान वसूल नहीं किया जाय।

श्री रामकिशोर व्यास : रिपोर्ट आ जाती है।

श्री भैरोंसिह : तहसीलदार के पास यह सूचना कौन देता है कि इतनी भूमि सड़क के काम में ले ली गई है।

श्री रामकिशोर व्यास : पटवारी से।

श्री भैरोंसिह : पटवारी से सम्बन्धित है क्योंकि पटवारी से नीचे तो कोई होता नहीं जिसका नाम बताया जाता। फेमिन का काम है यह रेवेन्यू विभाग को कौन सूचना देता है कि अमुक अमुक सड़क फेमिन के काम में निकल रही है और उसका लगान नहीं लिया जाय।

श्री रामकिशोर व्यास : इसमें कोई दो राय की बात नहीं है मालूम नहीं पड़ता है....

श्री भैरोंसिह : यह कोई खास जवाब नहीं है अध्यक्ष महोदय। यह बताया जाय कि रेवेन्यू विभाग को कौन सूचना देता है कि अमुक अमुक क्षेत्र में से सड़क निकली है और उसका लगान वसूल नहीं किया जाय।

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो जानकारी हो जाती है।

श्री भैरोंसिह : जानकारी का कोई नियम है क्या ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या वास्तविकता यह नहीं है कि कोई इस प्रकार की रिपोर्ट फेमिन डिपार्टमेंट से आपके डिपार्टमेंट म नहीं आई ?

श्री रामकिशोर व्यास : पटवारी तहसीलदार मौके के अफसर होते हैं.....

श्री मदनसिंह : कोई रिपोर्ट दी है क्या फेमिन डिपार्टमेंट ने आपको ....

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री मदनसिंह : किसी की जमीन छीन लो और उसको कुछ मत दो। मैं समझता हूं इसकी व्यवस्था होनी चाहिये।

(माननीय सदस्य के बराबर बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता, माननीय सदस्य ।

श्री दिग्विजयसिंह : जब भूमि अवाप्त नहीं की तो फेमिन कोड के कौनसे नियमों के अन्तर्गत यह कार्यवाही की जिसके तहत आप किसी की जमीन पर कोई कार्य कर सकते हों ?

श्री रामकिशोर व्यास : म्युचुअल एडजस्टमेंट के जरिये हो सकता है ।

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन हैं म्युचुअल एडजस्टमेंट कहीं हुआ ही नहीं है । यह तो केवल बहाना बाजी है । म्युचुअल है तो कोई रिटिन में आपके पास है क्या ?

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न ।

श्री बालसिंह सोढा : क्या यह सही है कि जितनी सीमा सड़कें बनी हैं उसके तहत जितने काश्तकारों की जमीन आई है उनको मुआवजा नहीं दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष : अगल से प्रश्न है ।

नैक्स्ट, राजस्व मंत्रीजी ।

श्री विट्ठल भाई ।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि रेवेन्यू और अकालग्रस्त मंत्री दोनों एक ही जवाब दे देंगे और हमें सन्तोष करादे...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल प्रश्नकर्त्ता का ही हो ऐसी बात नहीं है । यह जनता और काश्तकारों का है और जब अकाल राहत मंत्री से पूछते हैं तो वे राजस्व मंत्री पर टाल देते हैं और जब राजस्व मंत्रीजी से पूछते हैं तो वे अकाल राहत मंत्री जी के ऊपर टाल देते हैं और इसलिए यह प्रश्न हल नहीं होता है ।

प्रश्न संख्या 162

श्री अध्यक्ष : श्री विट्ठल प्रसाद ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

नैक्स्ट, श्री बालसिंह सोढा ।

स्थगित प्रश्न

(31-3-71)

ट्रकों की खरीद

164· **श्री बालसिंह सोढा** (जैसलमेर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सीमा सड़क निर्माण विभाग में कितनी ट्रकें खरीदी गई और आज उसमें से कितनी ट्रकें काम में आने योग्य हैं ? खरीद की कुल मूल्य की राशि कितनी है ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त ट्रक ठेकेदारों को किराये पर दी गई थी ? अगर हां, तो किस किस ठेकेदार से कितना किराया वसूल किया गया ? जिलेवार व ठेकेदार वार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि ट्रकों की मरम्मत भी कराई गई है ? अगर हां, तो आज तक किस किस डिवीजन में मरम्मत पर कितना खर्च हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(श्री बालसिंह सोढ़ा)

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त ट्रकों का कर का भुगतान भी किया गया है ? अगर हां, तो किस ठेकेदार ने कितना कर विभाग के माध्यम से दिया और किस ठेकेदार के लिये विभाग ने कर से छूट चाही ? सूची सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन अहमद) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए इसको स्थगित करने की कृपा करें।

श्री बालसिंह सोढ़ा : यह कब तक आ जायेगा...

(कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

श्री दिग्विजयसिंह : मेरा प्रश्न ले लिया जाये।

श्री विट्ठल भाई : मेरा प्रश्न लिया जाये। प्रश्न 160.

एक माननीय सदस्य : आपने पहले विट्ठल प्रसाद बोला था और ये विट्ठल भाई हैं।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, विट्ठल भाई...

स्थगित प्रश्न
(31-3-71)

घाटोल-प्रतापगढ़ सड़क निर्माण में आई भूमि का मुआवजा

160. **श्री विट्ठल भाई** (पीपलखूंट) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा में तहसील घाटोल से प्रतापगढ़ जाने वाली सड़क में वहां के काश्तकारों की जमीन आई है ?

(2) यदि हां, तो किस किस गांव में और कितने काश्तकारों की जमीन सड़क में आई है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त काश्तकारों की जमीन का मुआवजा अब तक नहीं चुकाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन अहमद) : (1) जी हां।

(2) सूची (अ) प्रस्तुत है।

(3) थोड़ों को मुआवजा दे दिया गया है, कुछ गावों के अवार्ड प्राप्त नहीं हुये है, जिनकी कार्यवाही जारी है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

श्री विट्ठल भाई : कितने लोगों को दिया और कितने बकाया हैं ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री विट्ठल भाई : क्यों ? जानकारी क्यों नहीं है ? यह सड़क कबसे बननी शुरू हुई और यह जमीन कबसे आई यह तो बतायें ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह अकाल राहत पर जो काम हुए हैं और खास तौर से इस सड़क के बनाने की इसलिए कार्यवाही की गयी कि चित्तौड़ से बांसवाड़ा का कोई रास्ता हो जाये और इसीलिए इसका काम जोर देकर चालू कराया गया है और अवार्ड

(श्री अमीनुद्दीन अहमद)

के मामले में मैं यकीन दिलाता हूं कि जल्दी से जल्दी इसकी कार्यवाही की जायेगी ।

श्री भैरोंसिंह : इसका अवार्ड कौन देगा?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : डिपार्टमेन्ट कन्सर्न्ड देगा ।

श्री भैरोंसिंह : कौनसा डिपार्टमेंट ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : जो भी डिपार्टमेंट होगा ।

श्री भैरोंसिंह : फिर भी कौन देगा ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : एक्वीजीशन ऑफिसर देगा ।

श्री भैरोंसिंह : दूसरा प्रश्न यह है कि जो जमीन ली है वह लैण्ड एक्वीजीशन के मातहत ली है जिससे वह अवार्ड देगा?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : जरूर ।

श्री बिट्ठल भाई : घाटोल से प्रतापगढ़ सड़क तो पी० डब्ल्यू० डी० के नीचे है न कि अकाल राहत डिपार्टमेंट के नीचे ।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है ।

श्री बिट्ठल भाई : अलग से नहीं है, अध्यक्ष महोदय । यह कह रहे हैं कि अकाल राहत से हुआ है जब कि यह सड़क पी० डब्ल्यू० डी० की है । घाटोल से मुडासर तक काम पी० डब्ल्यू० डी० का हुआ है और उनकी जमीन रोकी हुई है और उनको कोई मुआवजा नहीं दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट,

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि कई बार सदन में आया है लेकिन अबकी बार जिस रूप में आया है उसमें यह है कि लेण्ड एक्वीजीशन एक्ट की कार्यवाही नहीं हुई, मुआवजा देने का प्रश्न नहीं है - इस आधार पर मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि आपके मंत्री स्पष्ट उत्तर नहीं देते हैं और एक दूसरे के ऊपर अपनी रेस्पान्सीबिलिटी फिक्स करके इस सदन में उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं तो क्या आप आश्वासन दे सकते हैं कि फेमिन के दिनों में जितनी रोड्स के लिए जमीन ली गयी है उसके लिए कोई मुआवजा अधिकारी नियुक्त किया जायेगा और ऐसा समय निर्धारित किया जायेगा कि उस निर्धारित समय में ही इसकी व्यवस्था की जा सकती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : मैं यह निवेदन करूं कि अगर फेमिन के दिनों में जिस जगह से सड़क निकाली जाये और लैण्ड एक्वीजीशन की सारी फार्मेलिटीज को पूरा किया जाये तो वह सम्भव नहीं होगा और आम तौर से जहां भी सड़कों का काम हाथ में लिया जाता है वह गांव वालों की सहमति और सहयोग के आधार पर लिया जाता है इसलिए लैण्ड एक्वीजीशन आफिसर के जरिये अवार्ड सब जगहों के देने का प्रश्न खड़ा नहीं होता । लैण्ड रेवेन्यू एग्जेम्शन्स की बात यह अवश्य है कि उस जगह सम्भव हो तो अवार्ड में जमीन देने की बात को ध्यान में रखा जा सकता है। साथ ही किस नेचर की जमीन पर से सड़क निकाली है उसको भी ध्यान में लेना होगा क्योंकि आम तौर से सड़कें रेगिस्तानी इलाके में ज्यादा बनी हैं या

Page No 27

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

पहाड़ी इलाके में जहां वेल्यूएवल लेण्ड के ऊपर से जमीन बहुत ही कम निकाली गयी है। अब वेल्यूएवल लेण्ड के अन्दर फेमिन के अन्दर मे रेख्याल से कहीं एक दो उदाहरण हों तो कह नहीं सकता वर्ना किसी वेल्यूएवल लेण्ड के ऊपर से यों भी नहीं निकाली जाती है। मैं समझता हूं यह बात सभी माननीय सदस्यों के ध्यान में है। अब फेमिन में जहां जहां रोड्स निकाली जायें सबके लिए कम्पेन्सेशन पूरी तरह से केश में ही दिया जाय यह करने के लिए कमिट करना मुश्किल है।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, यह एक अधिकार का सवाल है...

श्री विट्ठल भाई : फेमिन में नहीं बनी है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि उसका मुआवजा दिलायेंगे या नहीं ? घाटोल और प्रतापगढ की सड़क है यह पी० डब्ल्यू० डी० की है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा ....

श्री दौलतराम सारण : जो मुख्य मंत्रीजी ने जवाब दिया है उसके लिए निवेदन करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : मैंने प्रश्न दूसरा ले लिया है।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, दूसरा तो ले लिया लेकिन यह राजस्थान की सवा दो करोड़ लोगों के हकों का मामला है। वेल्युएवल लेण्ड की कोई डेफीनेशन नहीं है। जिस प्रकार की लेण्ड है वह किसान के लिए वेल्यूएवल है। गंगानगर के किसान के लिए गंगानगर की जमीन वेल्यूएवल है और दूसरी जगह के किसानों के लिए दूसरी जगह की लेण्ड वेल्यूएवल है...

श्री अध्यक्ष : आर्डर, दूसरा प्रश्न ले लिया गया है।

(श्री दौलतराम सारण के बोलते रहने पर) माननीय सदस्य। राजस्व मंत्रीजी।

श्री दौलतराम सारण : इसलिए जिनके खेतों में से सड़कें निकली हैं (श्री वृद्धिचन्द्र जैन के बीच में बोलने पर) आपके तो खेत ही नहीं है आप क्या बोल रहे हैं। फालतू वकालत करते हो.....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, आपको ऐसी ताकीद क्या है ?

श्री अध्यक्ष : दूसरे माननीय सदस्यों के प्रश्न अवशेष रह गये हैं।

श्री दौलतराम सारण : मेरा प्रश्न भी अवशेष है। आप किनारे के ऊपर से कूदकर आगे चले जाते हो।

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

माननीय राजस्व मंत्रीजी।

श्री दौलतराम सारण : मैं इस संबंध में यह जानना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष : मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है।

श्री दौलतराम सारण: जिन लोगों की जमीनें गयी हैं वे मुआवजे के अधिकारी

(श्री दौलतराम सारण)

हैं या तो उनको मुआवजा दिया जाये या फिर उनको एवज में भूमि दी जाये। वहां पर खेतो में सड़क बनाने के लिए पत्थर डाल दिये गये हैं और सैकड़ों बीघा खेत बरबाद कर दिये गये हैं। अगर मुआवजे का सवाल आता है तो कहते हैं यह देना सम्भव नहीं है.....

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न–स्थगित प्रश्न ले रहा हूं...

श्री दौलतराम सारण : इसलिए इस संबंध में राज्य सरकार को गौर करना चाहिए।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न ले लिया। यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है और मुख्य मंत्रीजी ने उत्तर दिया यह उत्तर जायज नहीं है कि जमीन ले ली जाये और उसके बदले में जमीन नहीं दी जाये या मुआवजा नहीं दिया जाये। यह कितनी बुरी बात है। आप काश्तकार नहीं हैं जिससे कि आपके दिल में दर्द हो....

श्री अध्यक्ष: आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : न तो जमीन दी जाये और न मुआवजा दिया जाये और इस तरह से टालने की कोशिश की जाती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय राजस्व मंत्रीजी।

श्री रामचन्द्र आर्य : उन्होंने भी चिकनी चुपड़ी बात कह दी। इसका जवाब दिलाया जाये। काश्तकारों को जमीन के बदले जमीन मिलनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्रश्न समाप्त हुए।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह गरीब काश्तकारों से संबंधित है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य। माननीय श्री आर्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष : राजस्व मंत्रीजी।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को ....

श्री दौलतराम सारण : आपको इस तरह से सरकार और माननीय सदस्यों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस प्रश्न का उत्तर दिलाया जाय। यह साधारण प्रश्न नहीं है। यह हजारों किसानों का सवाल है। वे अगर कानून को नहीं समझते हैं तो उनको इस तरह से बेरहमी से कुचला नहीं जाना चाहिए। हमको उन्होंने वोट दिया है और हम उनके वोटों से यहां प्रतिनिधि बनकर आये हैं तो उनकी समस्याओं को हमें यहां रखने का अधिकार है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब दिलाया जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों की ओर से सुझाव जब अकाल के दिनों में काम चलते हैं तो कई जगहों पर सड़कें खोलने के और कई काम–काज के लिए काफी आते हैं। अकाल के दिनों में भी काफी राजस्थान के अन्दर

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
गया हूं लेकिन मुझे एक गांव में भी लोग ऐसे नहीं मिले हैं जिन्होंने यह कहा हो कि पहले मुआवजा दिया जाय जब भी सड़क की बात आई है तो ।

श्री रामचन्द्र आर्य : पहले सन करें लेकिन जब उनकी जमीन ली है तो उसके बजाय उनको जमीन देना चाहिए····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री रामचन्द्र आर्य : मेरा कहना यह है कि आप उन्हें पैसा दें । मेरा यह कहना नहीं है आप पहले पैसा दें । चाहे पैसा बाद म दें लेकिन पैसा जरूर दें ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसके लिए वाद-विवाद होता नहीं है। यह तो यहां हो गया है । जहां सहमति होती है वहीं पर सड़कें निकाली जाती हैं इसलिए वह इतना महत्वपूर्ण सवाल नहीं रहता है ।

श्री रामचन्द्र आर्य : किसानों से जबरदस्ती जमीनें छीन ली जाती हैं उसमें हमारी कौनसी सहमति होती है ?

श्री रोशनलाल शर्मा : यह गलत है ।

श्री रामचन्द्र आर्य : किसानों के पास 10-10 बीघा जमीनें होती हैं उनमें से जमीन ले ली जाती है....

श्री रोशनलाल शर्मा : किन्तु रिलीफ की सड़कों की जमीन किसी से जबरदस्ती नहीं ली जाती है । हम से तो आज तक लोगों ने नहीं कहा है कि मुआवजा दिलाया जाय ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि जो प्लान के अन्दर रोड्स ली जायं उन रोड्स के बारे म एक्वीजिशन एक्ट के मातहत कम्पेन्सेशन की और दूसरी कार्यवाही होना चाहिए । उसके बारे में कुछ लोगों को नहीं मिला हो तो कन्सीडिरेशन वाली बात हो सकती है...

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय,...

श्री मदनसिंह : माननीय सदस्य बारबार कह रहे हैं वह उसी के लिए कह रहे हैं। वे फैमीन की बात नहीं कर रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह : जो खुशी से....

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मैंने जवाब दिया है कि जो कुछ होना चाहिए और नहीं हुआ है तो हो जायगा पी० डब्ल० डी० रोड्स के बारे में ।

श्री विट्ठल भाई : कब तक दिला दिया जायगा मुआवजा ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

श्री भैरोंसिंह : माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उत्तर देकर ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि फैमीन के नाम से किसी की जमीन को लिया जाय तो उसमें मुआवजा देने की कोई आवश्यकता नहीं है । मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी इस बात को स्वीकार करेंगे कि कानून में इस प्रकार का कोई भेद नहीं है कि आप प्लान के अन्दर रोड्स के लिए जो जमीन लेते हैं तो एक्वीजिशन एक्ट में कार्यवाही करेंगे और फैमीन म रोड्स के लिए जमीन लेंगे तो एक्वीजिशन एक्ट के अन्दर कार्यवाही करने की जरूरत नहीं है हम यह नहीं कहते हैं कि फैमीन में

(श्री भैरोंसिंह)

लेने के पहले ही सारी कार्यवाही कर लें, लेकिन फैमीन की रोड्स के लिए भी यदि कोई आदमी मुआवजे का क्लेम करता है तो राज्य सरकार को, उसको देना चाहिए। कानून में उसको सम्पत्ति का अधिकार है और जो कानून के अन्तर्गत उनको मुआवजा देने की व्यवस्था है। प्रश्न इतनासा ही था। प्रश्न का जो उन्होंने उत्तर दिया है वह इस प्रकार का दिया कि फमीन में ली जाय तो तो वह यों ही ले ली जाय। इसी विधान सभा का बनाया हुआ कानून है और इसी विधान सभा ने काश्तकारों को सम्पत्ति का अधिकार दिया है। उस संपत्ति को लेने का अधिकार बिना मुआवजे के नहीं है। अगर मंत्रीजी लेना चाहें तो जबरदस्ती लें......

श्री अध्यक्ष: पर्याप्त हो गया, माननीय सदस्य।

श्री मदनसिंह: अगर जबरदस्ती किसी की जमीन लें.....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: कानून में अगर म्यचुअल कन्सेन्ट से किसी के वहां से रोड निकलती है तो सारी प्रोसीडिंग पहले करना ही चाहिए, यह आवश्यक नहीं है।

श्री भैरोंसिंह: यह मैंने नहीं कहा है।

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: इसलिए मैंने निवेदन किया कि जो बांसवाड़े में बनाई वह प्लान रोड के मुआवजे वाली बात अलग से बात थी, लेकिन राजस्थान में फेमीन वाली बात के लिए अमूमन मैं यह कहकर चल सकता हूं कि जनरल कन्सेन्ट होती है तभी रोड्स वगैरह बनाते हैं उसके लिए कमिट करने वाली बात कैसे हो सकती है।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

स्थगित प्रश्न
(31-3-71)

अकलेरा तहसील में भूमि पर अतिक्रमण के मामले

162. **श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा** (अकलेरा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अकलेरा तहसील में ऐसे कितने कृषक हैं जिन्होंने अनुचित रूप से राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है ?

(2) उक्त अतिक्रमण के कितने अभियोग तहसील में कितने अर्से से विचाराधीन हैं?

(3) गत 4 वर्षों में जुर्माने अथवा पैनेल्टी के रूप में कितनी राशि किस किस वर्ष वसूल की गई ? आंकड़े देने की कृपा करें।

(4) गत 4 वर्षों में कितने व्यक्तियों के मामले फैसल किये जा चुके हैं ?

उत्तर

(1) 3,047।

(2) इस समय तहसील अकलेरा में उक्त अतिक्रमण के 3,047 मुकदमें विचाराधीन हैं। इन मामलों में से 2 वर्ष

(राजस्व मंत्री)

से पुराने 9, सन् 1969 के 78 तथा सन् 1970 के 2,960 मामले हैं।

(3) गत 4 वर्षों में जुर्माने (पैनेल्टी) की रकम निम्न प्रकार वसूल की गई है :–

सन्	राशि (रुपयों में)
1967	54,337
1968	1,45,191
1969	1,30,444
1970	1,07,331
योग ..	4,27,303

(4) गत 4 वर्षों में 26,230 अतिक्रमण के मुकद्दमात फैसले किये जा चुके हैं। इनमें ऐसे व्यक्ति भी शामिल हैं जो सालवार अतिक्रमण करते हैं।

काश्तकारों के खातेदारी अधिकार

248. **श्री देवीलाल** (सराड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला उदयपुर, तहसील सराड़ा में भूमि पर पुराने कब्जे मान कर सन् 1967 से 1970 तक कितने काश्तकारों को खातेदारी हक दिया गया हैं ?

(2) क्या यह सही कि कई काश्तकारों के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही की गई हैं ? यदि हां, तो ऐसे कितने काश्तकार हैं जिनको सन् 1967 से 1970 तक भूमि से बेदखल कर जुर्माना व पैनल्टी कायम की गई हैं ?

(3) क्या उक्त वर्षों में काश्तकारों पर जो पैनेल्टी तथा जुर्माना किया गया है उसकी डिमान्ड तैयार हो चुकी है ? यदि हां, तो कितने रुपयों की डिमाण्ड तैयार की गई है ?

(4) क्या यह भी सही है कि उप-जिलाधीश, सलूम्बर के कार्यालय में और तहसील सराड़ा के कार्यालय में काश्तकारों के नाजायज कब्जों के केस पैंडिंग पड़े हुए हैं ? यदि हां, तो ऐसे कितने केस हैं ?

(5) क्या तहसील सराड़ा में नाजायज कब्जे वाले काश्तकारों की फसलें कुर्की में ली जा रही हैं ? यदि हां, तो ऐसे कितने काश्तकार हैं जिनकी फसलें कुर्की में ली गई हैं।

उत्तर

(1) 1964 काश्तकारों को खातेदारी अधिकार दिये गये हैं।

(2) 1,642 काश्तकारों को बेदखल कर जुर्माना व पैनेल्टी कायम की गई है।

(3) 32,415) रु० का डिमाण्ड कायम किया गया है।

(4) 11 मामले तहसील सराड़ा के एस० डी० ओ०, सलूम्बर में पैन्डिग हैं 23 मामले सन् 70 के तहसील सराड़ा में पैन्डिग हैं जिनमें कार्यवाही जारी है।

(5) सम्वत् 2,027 में रबी में जदीद नाजायज काश्त की ऐसे 8 काश्तकारान की फसलें कुर्क की गई हैं।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम डोडा में गिरफ्तार किये गये व्यक्ति

232. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम डोडा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ में तारीख 25-11-69 को रात्रि में कुछ व्यक्ति चोरी करने आये और इन्होंने श्री राधाकिशन कुलमी के मकान से बैल निकाल कर भागे और जब पता चलने पर गांव वाले दौड़े तो बदमाशों से बैल छुड़ालिये?

(2) क्या यह भी सही है कि गांव वाले और इन चोरों में झगड़ा, मार पीट भी हुई और चोरों ने बन्दूकें चलाई जिससे एक व्यक्ति घायल हो गया और मर भी गया ? दीगर कितने व्यक्ति भाग गये जो नहीं पकड़े जा सके। उन्हें पकड़ने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(3) क्या इस संबंध में ग्राम के लोगों को यह कह कर कि तुम लोग इन लोगों से अफीम बेचने का धंधा करना चाहते थे गिरफ्तार किया गया ? यदि हां, तो किन किन को और उन पर किस जुर्म में मुकदमा चलाया गया है ?

उत्तर

(1) दिनांक 25/26-11-69 की मध्य रात्रि में ग्राम डोडा में श्री कचरू सिंह और उसके साथियों ने श्री राधाकिशन के मकान में दाखिल हुए थे। लेकिन उन लोगों ने न तो राधाकिशन के घर में कोई चोरी की और नहीं कोई बैल वगैरह लेकर भागे। श्री राधाकिशन द्वारा हल्ला करने पर गांव वाले उन लोगों के पीछे दौड़े लेकिन कोई बैल वगैरा नहीं छुड़ाया।

(2) गांव वालों और इन भागने वाले व्यक्तियों में परस्पर कोई झगड़ा नहीं हुआ भागने वालों का पीछा करने के दौरान बन्दूक के फायर अवश्य हुए थे जो उन भागने वालों ने ही अपना पीछा छुड़ाने के लिये किये होंगे। लेकिन बन्दूक से कोई आदमी न तो घायल हुआ और न ही मरा। श्री कचरूसिंह पुत्र भोपालसिंह सोंधिया, निवासी पीपलिया (एम०पी०) पकड़ा गया जिसको गांव वालों ने पीटा और एक पेड़ से बांध दिया जिससे वह मर गया दीगर आदमी मौके से भागने म सफल हुए। इस घटना का मु० नं० 92।69, धारा 302, ताजिरात हिन्द में दर्ज किया जाकर तफतीश की गई और अदालत में सर्व श्री राधा किशन, फूल चन्द, मोहन, कैलाश, पन्ना, मांगिया व जानकीलाल के खिलाफ चालान दिनांक 19-2-70 को जेर दफा 304।34, आर० पी० सी० में पेश कर दिया गया तमाम मुलजिमान दिनांक 3-2-71 को एम० एम० कोर्ट से डिस्चार्ज हुए।

(3) जी नहीं, गांव वालों को तो केवल 304 आई०पी०सी० के तहत गिरफ्तार किया गया जहां से डिस्चार्ज हुए।

विकास अधिकारी एवं थानेदार के विरुद्ध शिकायतें

233. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 5-7-69 की रात्रि को 1-00 बजे के लगभग (जयपुर-कोटा रोड) निवाई के पास गुनसी गांव के समीप सब-इन्सपेक्टर, पुलिस, निवाई एवं विकास अधिकारी, निवाई जीप नं० आर० जे० एस० 640 से जा रहे थे तथा

(श्री रामप्रसाद बोहरा).

कोटे की तरफ से आने वाली जीप आर० जे० आर० 3760 जिसमें छीपावड़ोद के प्रधान तथा अकलेरा के डॉक्टर एवं श्री मोहन लाल चौधरी बैठे थे तब उनसे थानेदार एवं विकास अधिकारी ने गाली गलोच किया व थानेदार, निवाई लकड़ी लेकर मारने दौड़े तथा श्री मोहन लालजी चौधरी की जेब से कागज नोट दो सौ रुपये के व एक चैक छीन कर नोट वहीं बिखेर दिए तथा गाड़ी की चाबी भी छीन कर ले गए जो थोड़ी दूर जाकर बड़ी देर से वापिस दी ?

(2) क्या यह सही है कि विकास अधिकारी एवं थानेदार दोनों शराब पिए हुए थे और विकास अधिकारी विकास विभाग की जीप नं० आर० जे० एक्स० 640 को चला रहे थे ?

(3) इस जीप में और भी सात आठ व्यक्ति थे जिसमें दो व्यक्ति टोंक के थे जिन्होंने इन प्रधानजी को मारने से बचाया ?

(4) क्या यह सही है कि इस प्रकार नोट, चैक व दीगर कागज थानेदार द्वारा जबरन छीन कर नोटों को सड़क पर बिखेर देना कहां तक ठीक था ? इनके खिलाफ पुलिस की ओर से क्या केस दर्ज रजिस्टर किया गया है ? अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(5) क्या यह भी सही है कि थानेदार एवं विकास अधिकारी के खिलाफ केस चलाने व कार्यवाही करने के संबंध में आई०जी०पी० एवं पंचायत मंत्री को कोई प्रार्थना-पत्र प्रधान, छीपावड़ोद, जिला झालावाड़ द्वारा दिया गया ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(6) सरकारी जीप को विकास अधिकारी एवं थानेदार द्वारा इस प्रकार कार्य में लेना क्या उचित है ?

उत्तर

(1) दोनों जीपों का इस तारीख व समय पर आना जाना सही है परन्तु यह गलत है कि विकास अधिकारी या थानेदार ने प्रधानजी को गाली गलोच की या लकड़ी लेकर मारने दौड़े। श्री मोहन लाल के हाथ से नोट छीनकर बिखेर देने तथा जीप की चाबी छीन लेने व बाद में लौटा देने की बात सही है। यह भी सही है कि इन दोनों व्यक्तियों ने प्रधान जी के साथ अभद्र व्यवहार किया।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) इस मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग (अपराध शाखा) के अधिकारी द्वारा कराई जाकर प्रतिवेदन दिनांक 30-9-69 को प्राप्त हुआ। राज्य सरकार ने अपने आदेश दिनांक 28-11-69 द्वारा पुलिस अधीक्षक, टोंक को थानेदार के विरुद्ध कार्यवाही करने का आदेश दिया दोनों थानेदार व विकास अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अभी विचाराधीन है।

(5) जी हां। प्रधानजी व श्री राम प्रसाद बोहरा, विधायक की शिकायत प्राप्त होने पर जांच कराई गई थी।

(6) विकास अधिकारी सरकारी जीप पर दौरे पर थे। थानेदार जो गश्त में गये हुए थे, लौटते समय मिल जाने के कारण जीप में साथ हो गये।

हैड मोर्हरिर के विरुद्ध शिकायतें

234. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि हैड मोर्हरिर, श्री इमामुल्लाखां, चौकी रीछवा, थाना बकानी, जिला झालावाड़ की शिकायतों की जांच दिनांक 15-4-69 व 16-4-69 को डिप्टी एस०पी०, अकलेरा द्वारा की गई और शिकायत करने वालों व गवाहान के बयान लिये गये ? यदि हां, तो जांच का क्या नतीजा हुआ ?

(2) क्या यह सही है कि फिर दिनांक 5-6-70 को इन्सपैक्टर, झालावाड़ द्वारा इन्हीं हैड मोर्हरिर की जांच की गई ? यदि हां, तो जब एक बार जांच करली गई तो दुबारा लोगों को बुलाकर क्यों परेशान किया गया तथा बयान कहे मुताबिक क्यों नहीं लिये गये ? क्या ऐसी आपत्ति वक्त जांच सरपंच, रीछवा द्वारा की गई थी ?

(3) क्या यह सही है कि श्री इमामुल्ला के खिलाफ शिकायतें काफी अर्से से हैं और लगातार इनके बारे में लिखा जाता रहा है?

उत्तर

(1) जी हां, इस जांच के परिणामस्वरूप हैड मोर्हरिर को आर०सी०सी०ए० रूल्स को धारा 16 के तहत आरोप-पत्र दिये जाकर गृह निरीक्षक, झालावाड़ द्वारा विधिवत जांच कार्यवाही की जा रही है ।

(2) उप-अधीक्षक द्वारा की गई जांच तो प्राथमिक जांच थी और उसी जांच के आधार पर अब आर०सी०सी०ए० रूल्स की धारा 16 के तहत गृह निरीक्षक द्वारा विधिवत जांच की जा रही है । अतः इस जांच में गवाहान के दुबारा बयान हैड मोर्हरिर के रूबरू लेना और हैड मोर्हरिर को गवाह से जिरह करने का मौका देना आवश्यक था । सरपंच द्वारा उठाई गई आपत्ति का निवारण गृह निरीक्षक ने मौके पर ही कर दिया था ।

(3) श्री इमामुल्ला के खिलाफ 3 शिकायतें सन् 1969 से पैंडिंग हैं जिनके अन्तिम निर्णय शीघ्र ही लिये जाने की हिदायत कर दी गई है ।

ए० एस० आई० के पद के लिये परीक्षा

235. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान पुलिस सबोर्डिनेट सर्विस रूल्स, 1966 की धारा 23 (1) व 24 के अन्तर्गत सन् 1969 में हैड कांसटेबिलों की ए० एस० आई० के पद के लिये परीक्षा बीकानेर में हुई थी ? यदि हां, तो कुल कितने हैड कांसटेबिलों ने उक्त परीक्षा में भाग लिया था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त परीक्षा का आज तक परिणाम घोषित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या यह सही है कि जानबूझ कर परिणाम घोषित नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि परीक्षाफल घोषित हुआ है तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट कीजिये ।

(4) क्या यह सही है कि इस प्रकार की परीक्षा अन्य क्षेत्रों में भी हुई ? यदि हां, तो कहां कहां पर व कौन कौन से सन् में हुई है ? परीक्षाफल की प्रति सन् 1969 से

Page No 35

(श्री रामचन्द्र आर्य)

1971 तक की सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

(1) जी हां । 20-2-69 को ऐसी परीक्षा बीकानेर में हुई थी । इस परीक्षा में कुल 54 हैड कानिस्टेबलों ने भाग लिया था।

(2) जी हां, यह सही है । उक्त परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया गया है। परीक्षा का परिणाम राज्य सरकार के आदेश सं० एफ3 (181) एचई। दिनांक 22-7-69 के अनुसार रोका गया है ।

(3) परिणाम घोषित करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

(4) जी नहीं, सन् 1969 से 1971 तक इस प्रकार की परीक्षा बीकानेर खण्ड के अलावा कहीं नहीं हुई । अतः परीक्षाफल की प्रतियां प्रस्तुत करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

236. **श्री विजयसिंह** (मकराना): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 14 अक्टूबर, 1969 को कुछ असामाजिक तत्वों ने यह अफवाह फैलाई थी कि मकराने में गोले बारूद से ट्रकें भर कर आई हैं जिससे दशहरे के रोज मुसलमानों पर हमला किया जावेगा ?

(2) क्या यह सही है कि जिलाधीश नागौर को इसकी जानकारी दी गई ?

(3) क्या यह सही है कि कुछ लोग हिन्दु-मुस्लिम, झगड़ा करवाना चाहते थे ये लोग कौन कौन हैं और इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है ।

(2) जी हां ।

(3) कुछ असामाजिक तत्वों ने ऐसी भावना फैलाने की चेष्टा की परन्तु बावजूद भरसक प्रयत्नों के उनके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त हो सकी । अफवाह बिल्कुल बेबुनियाद वा निराधार थी ।

अन्ता कस्बे में हत्या का मामला

237. **श्री देवीदत्त गाड़िया**(बारां) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला कोटा के अन्ता कस्बे में कुछ माह पूर्व श्री मदनलाल माली नामक व्यक्ति की हत्या हुई ?

(2) क्या यह सही है कि अन्ता पुलिस को एक लाश खाड़ी के पास पानी के नाले के आस पास मिली थी ? यदि हां, तो क्या पुलिस ने उक्त पोस्ट मार्टम करवाया था? पोस्ट मार्टम रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(3) क्या सी०आई०डी० के एक अधिकारी ने पता लगाया कि वह लाश मृतक श्री मदनलाल की ही थी ?

(4) क्या पुलिस ने उस लाश के शरीर से कोई चीज बरामद की ?

(5) क्या यह सही है कि सी०आई०डी०

Page No 36

(श्री देवीदत्त गाडिया)

पुलिस अधिकारी ने इस हत्या काण्ड का पता लगाकर कुछ व्यक्तियों की गिरफ्तारियां की है ? और बाकी के विरुद्ध अन्य कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या क्या कार्यवाही की?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां। दिनांक **14-7-70** को एक लाश पानी में पड़ी होने की इत्तला मिली थी जिस पर पुलिस, अन्ता ने दिनांक 14-7-70 को ही उस लाश को बमोरी की खाड़ी से बरामद कर पोस्ट मार्टम करवाया था । पोस्ट मार्टम की प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की जा सकती क्योंकि असल (मूल) पोस्ट मार्टम रिपोर्ट अदालत के पास है ।

(3) जी हां । सी० आई० डी० द्वारा इस मामले में मु० नं० 46/70 धारा 302 आइ० पी० सी० थाना अन्ता का अनुसंधान के दौरान दि० 14-7-70 को मिलने वाली लाश मदनलाल माली निवासी अन्ता की प्रमाणित हुई थी ।

(4) जी नहीं ।

(5) जी हां। सी० आई० डी० अधिकारी द्वारा अनुसंधान किये जाने पर दि० 5-12-70 को मदनलाल माली की हत्या के अपराध में नन्दकिशोर पुत्र गोपी गुजर निवासी अन्ता तथा नाथी बेवा मदनलाल माली निवासी अन्ता की गिरफ्तारी की गई। अपराधी बाबूराम उर्फ बाबूलाल पुत्र गणपतलाल महाजन निवासी अन्ता गिरफ्तारी से बचकर फरार है जिसकी गिरफ्तारी के भरसक प्रयत्न किये गये किन्तु गिरफ्तारी में नहीं आ सका जिसे 8-1-71 को इश्तहारी मुजरिम घोषित कराया जाकर इसकी चल अथवा अचल सम्पत्ति दि० 13-1-71 को कुर्क की गई और दि० 21-1-71 को नन्दकिशोर घना था का चालान न्यायालय में पेश किया गया तथा बाबूराम उर्फ बाबूलाल अपराधी के खिलाफ 512, जाब्ता फौजदारी की कार्यवाही की गई है ।

अरनोद में तहसील का कार्यालय

238. **श्री हरलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला चित्तौड़गढ़, तहसील प्रतापगढ़ की कुल कितनी आवादी, क्षेत्रफल व कितनी रैवेन्यू है ?

(2) क्या यह सही है कि यहां की आबादी, क्षेत्रफल व रैवेन्यू को देखते हुए तहसील प्रतापगढ वहुत बड़ी है जिससे काम नहीं सम्भल रहा है ? यदि हां, तो इस समस्या को देखते हुए जहां पहले अचनारा मुकाम अरनोद में तहसील थी वहां पुनः तहसील कायम करने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह सही है कि तहसील कार्य के लिए अरनोद पंचायत समिति के लोगों को काफी दूर दूर से आना पड़ता है ? और वहां आने जाने का कोई साधन नहीं है, जिससे उनको तीन-तीन चार-चार दिन लग जाते हैं ।

उत्तर

(1) जिला चित्तौड़गढ की तहसील प्रतापगढ की आबादी 1,25,785, क्षेत्रफल 5,35,971 एकड़ व रेवेन्यू 7,82,146 रूपये

(राजस्व मंत्री)

है।

(2) प्रतापगढ जिले की सबसे बड़ी तहसील है। अचनेरा में अभी पुनः तहसील मुख्यालय स्थापित करने का राज्य सरकार का कोई विचार नहीं है।

(3) काश्तकारों को तहसील में अधिक से अधिक 45 मील से आना पड़ता है और वर्षा ऋतु में काश्तकारों को आने जाने की कठिनाई है किन्तु बकाया समय में मोटरें चलती है जिससे ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 घन्टों में ही पहुंचाया जा सकता है।

तहसीलदार टोडारायसिंह के पास विचार मामले

239. श्री जगन्नाथ पटेल (टोडारायसिह) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) टोडारायसिह तहसील में कुल काश्तकार कितने हैं ? तथा राजस्व खसरा कथूनी में मुस्तकिल कितने हैं व गैर खातेदार कितने है ?

(2) क्या यह सही है कि धारा 91 के मामलों में निर्णय करने के लिये एडीशनल तहसीलदार मुकर्र किये गये थे, तथा क्या यह भी सही है कि उन्होंने खातेदारी अधिकार के फैसले नहीं दिये ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) तहसील टोडारायसिह में वर्तमान तहसीलदार ने चार्ज लेते समय धारा 91 के कितने केसेज अपने चार्ज में लिये ?

(4) उपरोक्त तहसीलदार ने अपने कार्यकाल में कितने केसेज के फैसले दिये तथा कितने केस के फैसले करने अभी बाकी है ?

उत्तर

(1) तहसील टोडारायसिह में कुल 14,917 काश्तकार हैं जिनमें 11,810 मुस्तकिल व 3,107 गैर खातेदार हैं।

(2) यह सही है कि धारा 91 के मुकदमों का निर्णय करने के लिये अतिरिक्त तहसीलदारों की नियुक्ति की गई। अतिरिक्त तहसीलदार, टोडारायसिह ने नियमानुसार जिनको खातेदारी अधिकार पहुंचता था उनको खातेदारी दी और उनके केसेज का नियमन किया है।

(3) तहसील टोडारायसिह में वर्तमान तहसीलदार के चार्ज लेते समय धारा 91 के 1,757 मामले चार्ज में लिये।

(4) वर्तमान तहसीलदार ने अपने कार्यकाल दिनांक 9-9-70 से 31-3-71 तक 244 मामलों में फैसला किया है। दिनांक 31-3-71 को तहसील में 2,414 मामले पेंडिंग थे।

वीरगति प्राप्त सनिकों को भूमि

240. श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर) : क्या राजस्व (सैनिक कल्याण) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने वीरगति प्राप्त सैनिकों को 25 बीघा सिंचित भूमि आवंटित करने की घोषणा की थी ?

(2) क्या यह सही है कि पिछले चार पांच माह से भूमि आवंटन की सीमा 25 बीघा से कम कर 20 बीघा कर दी है ? अगर हां, तो इसके आदेश किसके द्वारा

(श्री बालसिंह सोढ़ा)

कब किये गये है और किस नियम में संशोधन कर उसके अधीन यह निर्णय कब लिया गया?

उत्तर

(1) जी हां, प्रावधान है।

(2) जी नहीं।

राजस्व निरीक्षकों की वरिष्ठता सूची

241. **श्री रामसिंह कुड़ी** (जायल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान राजस्व निरीक्षकों की वरिष्ठता सूची बनाने के क्या क्या आधार हैं ? क्या अनट्रेण्ड व्यक्तियों को भी ऐसी सूची में शामिल किया जा सकता है ? यदि हां, तो किन किन कारणों से ?

(2) राजस्थान में ऐसे कितने नायब तहसीलदार एक वर्ष से दो वर्ष से, तीन वर्ष से या 4 वर्ष से भी अधिक समय से नायब तहसीलदार के पदों पर कार्य करते थे और उन्हें पदोन्नत किया जाकर राजस्व मण्डल से या संबंधित कलेक्टरों से निरीक्षक बनाया गया हैं ? उन्हें पहले किन किन कारणों से पदोन्नत किया गया था, अब किन किन कारणों से पदोन्नत किया गया है ?

(3) क्या 1965 में राजस्व मण्डल की डी०पी०सी० की बैठक हुई थी और उसमें निरीक्षकों की पदोन्नतियों के बाबत एक निर्णय लिया जाकर 60 या 62 व्यक्तियों के लिए पदोन्नत नहीं किये जाने बाबत निर्णय लिया गया था ? उनमें से आज कितनों को पदोन्नत किया जा चुका हैं और क्यों ?

(4) राजस्थान में राजस्व, सेटलमेन्ट एवं कोलोनाइजेशन विभागों में नायब तहसीलदारों, सदर कानूनगो और सदर मुन्सरिमों के पदों पर एसे कितने आदमी काम कर रहे हैं, जिनका नाम निरीक्षक व नायब तहसीलदार, सदर कानूनगो की वरिष्ठता सूचियों में आज तक अंकित नहीं है ?

उत्तर

(1) दिनांक 1-11-56 से पूर्व भू-अभिलेख निरीक्षकों की वरिष्ठता का निर्धारण राजस्थान राजपत्र सं० 52 दिनांक 11-2-54 में दी गई हिदायतों के अनुसार किया गया है अप्रशिक्षित व्यक्तियों को एसी सूची में स्थान नहीं दिया जाता है ।

(2) पूर्व में यह पदोन्नतियां एडहोक तौर पर दी गई थीं अब इन्हें वरिष्ठता के आधार पर जो व्यक्ति कनिष्ठ थे पदोन्नत किया गया है ।

(3) एसी बैठक नहीं हुई है ।

(4) राजस्थान के समस्त स्थाई भू-अभिलेख निरीक्षकों के नाम वरिष्ठता सूची में उपलब्ध हैं इसी प्रकार मौलिक नायब तहसीलदारों की सूची में स्थाई सदर कानूनगो एवं सदर मुन्सरिमों का नाम मौलिक नायब तहसीलदारों की सूची में जोड़ दिये गये हैं ।

पटवारियों के फिक्सेशन के मामले

242. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :––

(1) नागौर जिले के कितने पटवारियों का फिक्सेशन नये वेतनमान में किया जाना शेष हैं ?

(श्री हरजीराम बुरड़क :)

(2) जिनका फिक्सेशन किया जाना बाकी है, वह कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) नागौर जिले के 24 पटवारियों का फिक्सेशन नये वेतनमान में किया जाना शेष है ।

(2) इनका फिक्सेशन सर्विस रिकार्ड पूर्ण होने पर शीघ्र कर दिया जायगा ।

अलवर जिले की पंचायतों को आवंटित भूमि

243. **श्री गंगासहाय** (कठूमर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर जिले में कितने स्कूलों और कितनी पंचायतों को कितनी कितनी भूमि आवंटित की गई है ? पंचायत समिति वार स्कूल एवं पंचायतों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

(2) क्या सभी स्कूलों व पंचायतों ने आवंटित की गई भूमि पर दखल लेकर उपयोग में लेना आरम्भ कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) अलवर जिले में स्कूल व पंचायतों को जो भूमि आवंटित की गई है उसकी सूची संलग्न है ।

(2) आवंटित की गई भूमि के बेदखल लेने व उसका उपयोग करने संबंधी सूचना भी उक्त सूची में अंकित है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम टहला पटवार सर्किल में लगान की वसूली

244. **श्री गंगासहाय** (कठूमर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पटवार सर्किल ग्राम टहला के ग्राम गढ-राजोर टहला घेवर, नेडोली आदि में बारानी सोयम का लगान 95 पैसे प्रति बीघा लिया जाता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस पटवार सर्किल के ग्राम डबकन की बारानी सोयम का 2.80 पैसा प्रति बीघा लगान लिया जाता है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी नहीं । भूमि वर्गीकरण बन्दोबस्त हाल के तहत ग्राम डबका में बारानी सोयम वर्ग की भूमि कायम ही नहीं की गई है । इस ग्राम में बारानी भूमि का एकमात्र वर्ग बारानी अलिफ की है और बारानी अलिफ का पड़ता 2.80 पैसे प्रति बीघा है ।

फोरमेनों का प्रमोशन पर स्थानान्तरण

245. **श्री गंगासहाय** (कठूमर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि खनिज विभाग के फोरमेनों जिनकी सर्विसेज 8 से 12 वर्ष की हो चुकी हैं का स्थानान्तरण प्रासीक्युटिंग ओफिसर, सुपरवाईजर्स एवं सर्वेयर्स के पदों पर किया गया है ? यदि हां, तो किन व्यक्तियों का और कब कब ?

(2) क्या यह सही है कि खान एवं भू-वैज्ञानिक अधिनियम (तकनीकी नियमों)

(श्री गंगासहाय)

में इस प्रकार के स्थानान्तरण करने का कोई प्रावधान नहीं है ? यदि हां, तो फिर किन नियमों के अन्तर्गत उक्त फोरमेनों का स्थानान्तरण किया गया है ?

उत्तर

(1) यह सही है कि खनिज विभाग के कुछ अस्थाई माइन्स फोरमेन श्रेणी 2 को स्थानान्तरण प्रोस्पेक्टिग सुपरवाईजर एवं सर्वेयर के पद पर किया गया था। श्री असगर अली, श्री शम्भूदयाल भट्ट, श्री शराफत हुसैनखां, माइन्स फोरमेन श्रेणी 2 का स्थानान्तरण दिनांक 1-5-69 को एवं श्री राजकमल गुप्ता का स्थानान्तरण संचालनालय आदेश दिनांक 21-8-69 से किया गया था।

(2) यह सही है कि खान एवं भू-विज्ञान सब-आर्डिनेट सेवा नियम 60 में इस प्रकार का अन्तर परिवर्तन का प्रावधान नहीं है, किन्तु जिन कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये गये हैं वे संबंधित नियमों के नियम 4 (ड) के अधीन, सेवा के सदर अस्थाई होने के कारण नहीं होते थे। किन्तु इस प्रश्न पर विचार करने के पश्चात् उन्हें वापस इनके मूल पदों पर स्थानान्तरण कर दिया गया था।

डेड रेन्ट के खातों का बकाया

246. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या उद्योग तथा खान मंत्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि रुपया 35,687.88 की राशि श्री हरिश व्यास के खिलाफ डेड रेन्ट खाते बकाया है ? अगर हां, तो इसकी वसूली के लिये राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(2) क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार को इस बकाया के संबंध में पूरी जानकारी के उपरान्त भी उनको ग्राम बरथल, तहसील निवाई में सिलीका सैण्डकी नये खनन् पट्टों का (एक्जीक्यूशन) निष्पादन करने की अनुमति दी गई है ?

(3) क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार की पालिसी के अनसार राज्य सरकार ने दूसरी अन्य पार्टियों की बकाया की रकम जमा न कराने तक उन्हें लीज एग्रीमेंट निष्पादन करने की इजाजत नहीं दी है ? अगर हां, तो श्री व्यास के बारे में इस नियम का उल्लघंन क्यों किया गया ?

(4) क्या यह सत्य है कि श्री व्यास की माली हालत इतनी खराब है कि वे न तो लीजों पर ही काम कर सकते हैं और न समय पर डेड रेन्ट की रकम ही जमा करा सकते हैं ?

(5) क्या यह सत्य है कि साधारणतया राज्य सरकार लीज एग्रीमेंट के निष्पादन के दो महिनों के अन्दर जो पार्टियां काम शुरू नहीं करती हैं, उनको काम चलाने के लिये नोटिस देती है तथा फिर भी जो काम नहीं चलाती है, उनकी लीज रद्द कर देती है ? अगर हां तो क्या श्री व्यास को ऐसे कोई नोटिस सिलीका सेण्ड की खान को न चलाने के कारण दी गई है ? अगर हां, तो क्या उन्होंने काम चालू किया है ? अगर नहीं तो ऐसा उनके साथ क्यों नहीं किया गया ?

(6) क्या यह सत्य नहीं है कि काम न करने के कारण राज्य सरकार को राजस्व

Page No 41

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

की क्षति हो रही है ? राज्य सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाना चाहती है ?

(7) क्या राज्य सरकार के नियमानुसार समय पर डेड-रेन्ट की रकम न जमा कराने पर खनन्पट्टा खारिज करके ऐरिया को फ्री घोषित किया जाता है ? श्री व्यास के मामले में इस नियम के अनुसार कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है विशेषतः अब राज्य सरकार को इस बात की पूर्ण जानकारी है कि श्री व्यास के पास से डेड रेन्ट की रकम वसूल नहीं हो सकती है क्योंकि उनके पास कोई चल व अचल सम्पत्ति नहीं है ?

(8) इस संबंध में कब तक राज्य सरकार कार्यवाही करेगी ?

(9) क्या यह सत्य नहीं है कि राज्य सरकार ने श्री व्यास के विरूद्ध अपने लीज एरिया के बाहर अनाधिकृत कार्य करने के कारण उनके ऊपर मुकदमा दायर करने का फैसला किया था, तथा माईनिंग इन्जीनियर, जयपुर को निर्देश भी दिया था कि उन पर नियमानुसार मुकदमा दायर किया जावे ? अगर हां, तो आज तक मुकदमा क्यों नहीं दायर किया गया है ? इस मामले में राज्य सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ?

उत्तर

(1) जी हां, इस बकाया राशि में से रु० 10,191·92 की वसूली के लिये केन्द्र सरकार का स्थगन आदेश है और रु० 18,104.28 की राशि की वसूली लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत चल रही है। शेष राशि के लिये पार्टी को 60 दिवसीय नोटिस दिया हुआ है जिनकी अवधि समाप्ति की प्रतीक्षा है।

(2) जी हां, ऐसा केन्द्र सरकार का निर्णय जो श्री हरिश व्यास को रिविजन प्रार्थना-पत्र पर हुआ, उसकी पालना में किया गया है।

(3) जी हां, श्री हरिश व्यास के मामले में ऐसा केन्द्र सरकार के आदेश की पालना में किया गया।

(4) ऐसी जानकारी राज्य सरकार की नहीं है।

(5) यह सही नहीं है कि संविदा निष्पादन के 2 माह की अवधि में खन्न कार्य आरम्भ नहीं करने पर खन्न पट्टा रद्द करने हेतु नोटिस दिया जाता है। इसके लिये एक साल तक कार्य नहीं करने पर ही नोटिस दिये जाने का नियमों में प्रावधान है।

(6) यह सही नहीं है। डेडरेन्ट काम बन्द रहने पर ही देय होता है।

(7) जी हां, श्री व्यास के मामले में स्थिति इस प्रकार है कि एक खन्न पट्टा जो सवाई माधोपुर क्षेत्र म था जो खनि कार्य नहीं करने के दोष पर खंडत किया गया और जिसके संबंध में डेडरेन्ट की राशि रु० 18,104.26 बकाया थी कैन्सिल करके क्षेत्र फ्री कर दिया गया है। दूसरी खन्न पट्टे के मामले में पार्टी के रिविजन प्रार्थना-पत्र पर केन्द्र सरकार ने स्थगन आदेश दे रखा है और जो श्री व्यास को 2 खन्न पट्टों के मामले में डेडरेन्ट की बकाया राशि जमा नहीं कराने के कारण कानूनी 60 दिन का नोटिस दिया हुआ है। जिनकी अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है।

(8) जैसा उपर अंकित किया गया है कार्यवाही चालू है ?

(उद्योग तथा खान मंत्री)

(9) जी हां, बाद में पार्टी की उजरदारी पर पूण जांच होने तक कोई कार्यवाही नहीं करने का निर्णय लिया गया । यदि जांच से अनाधिकृत काय होना पाया जायगा तो उचित कदम उठाये जायेंगे ।

रायल्टी की बकाया राशि

247. **श्री बिट्ठल प्रसाद शर्मा** (अकलेरा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में किस किस ठेकेदार अथवा कम्पनी के जिम्मे कितनी कितनी राशि प्रत्येक जिले में रायल्टी की बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) यह रुपया किस किस में कितने सालों से बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) माह फरवरी, 71 तक की 25 हजार एवं अधिक की रकम जिनमें बकाया है उनकी 'अ' सूची संलग्न है । इस बकाया में से भी माह मार्च, 71 के अन्त तक काफी पार्टीयों की रकम जमा हो चुकी है । किन्तु यह नवीनतम सूचना संचालनालय में अप्रेल अन्त तक अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त होगी ।

(2) दिनांक 26-2-71 को जो बकाया तादादी रु० 1,19,62,279 रही उसका विवरण सूची 'ब' में दिया गया है व संलग्न है । इन बकाया के वसूली व विवरण सूची 'ग' में दिया गया है जो संलग्न है । छोटे छोटे ठेकेदारों की बकाया का पूर्ण उल्लेख अधीनस्थ कार्यालयों यानि अभियन्ता एवं सहायक खनिज अभियन्ता के कार्यालयों में रखा जाता है ।

इस प्रकार की सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है व एकत्र करने में काफी समय लगने की संभावना है । राज्य सरकार के पास तो 25 हजार एवं अधिक के बकाया के मामलों की सूची आती है । अतः 25,000) की बकायात बाबत सूचना प्रस्तुत की गई है।

जिन पार्टियों में दिनांक 26-2-71 को जो बकाया रही है उसकी सूची एनक्सर 'अ' पर दी हुई है तथा बकाया की अवधि का भी इसमें उल्लेख कर दिया गया है ।

(सूची विस्तृत होन के कारण विधान सभा पुस्कालय में रक्खी गई)

नगरपालिका डींग द्वारा भूमि का बेचान

248. **श्री मघराज पंवार (चूरू)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 1968-69 में नगरपालिका, डीग को नजूल की भूमि बेचने के फलस्वरूप कुल कितनी आय प्राप्त हुई थी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त नगरपालिका के रिकार्ड के अनुसार कई जमीनों को नीलाम करने की कार्यवाही बाद की तारीखों में है जब कि उन जमीनों का मूल्य नगरपालिका पहले ही ले चुकी थी ?

(3) यदि हां, तो इस नगरपालिका में हुए ऐसे कितने मामले सरकार के ध्यान में आये हैं ?

(श्री मेघराज पंवार)

(4) इन मामलों में नीलामी की कार्य-वाही बाद की तारीखों में बताने और नीलामी से पहले ही जमीन का मूल्य ले लेने का क्या औचित्य था ?

(5) उक्त नगरपालिका को रसीद नं० 26174 दिनांक 7-9-68 से कितनी राशि प्राप्त हुई थी ? रसीद की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(6) कृपया यह बतायें कि उक्त रसीद में प्राप्त राशि किस जमीन के बेचने के फलस्वरूप तथा किस व्यक्ति से प्राप्त हुई थी ? जमीन के नक्शे की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(7) कृपया यह भी बतायें कि किस अधिकारी के आदेशों से उपरोक्त राशि नगर-पालिका में जमा की गई थी । उन आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(8) उपरोक्त जमीन को नीलाम करने का प्रयत्न किस अधिकारी द्वारा और किन किन तारीखों में किया गया था ?

(9) क्या यह सही है कि विवादास्पद जमीन की नीलाम संबंधी कार्यवाही बाद की तारीखों में है और जमीन का मूल्य उससे बहुत पहले ही नगरपालिका ने प्राप्त कर लिया था ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

(10) क्या यह सही है कि ऑडिट के समय संबंधित फाइलें लोकल फण्ड ऑडिट के ऑडिटरों के मांगने पर भी उपलब्ध नहीं की गई थी ?

(11) क्या यह सही है कि इस जमीन का तथा कथित नीलामी नोटिस सार्वजनिक अवकाश के दिन निकाला गया था ? यदि हां तो उन आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें । जिनके अन्तर्गत उस दिन कार्यालय खुलवाया गया था ? साथ ही नीलामी नोटिस की प्रति भी सदन की मेज पर रखें?

(12) क्या यह सही है कि उपरोक्त जमीन की नीलाम करने की कार्यवाही वस्तुतः कभी नहीं की गई थी जिसकी शिकायतें वहां के निवासियों ने सरकार को की है ?

(13) क्या यह आरोप सही है कि नीलामी नोटिस और फर्द नीलामी पर स्वयं पालिका कर्मचारियों ने गवाह के रूप में हस्ताक्षर किये थे ?

(14) इस जमीन के मामले में प्रारंभ से अन्त तक किस किस कर्मचारी द्वारा क्या क्या अनियमित्ताय की गई थी और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(स्थगित किया गया)

नगरपालिका, खेड़ली में नियुक्तियां

249. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

नगरपालिका खेड़ली में गत पांच वर्षो म विभिन्न पदों पर कितनी नियुक्तियां की गई हैं ? इनमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के कितने व्यक्तियों को नियुक्तियां दी गई हैं ?

उत्तर

(1) गत् 5 वर्षों में 21 नियुक्तियां विभिन्न पदों पर की गई है इनमें अनुसूचित जाति के 3 व्यक्तियों की नियुक्तियां की गई

(स्वायत्त शासन मंत्री)

है अनुसूचित जन-जाति के किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की गई है ।

वाटर वर्क्स से खारे पानी की सप्लाई

255. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कस्बा नोहर के वाटर वर्क्स से खारे पानी की सप्लाई की जाती है ? यदि हां, तो यह स्थिति कब से है ?

(2) क्या मीठे पानी के लिये कोई व्यवस्था की जा रही है ? यदि हां, तो वह कब तक सम्पन्न हो जायेगी ? और उस पर व्यय का अनुमान क्या है ?

(3) कस्बे की जनता को मीठा पानी सप्लाई करने के लिये सरकार ने कब से, क्या कोई व्यवस्था कर रखी है ? यदि नहीं, तो इसके लिये दोषी कौन है ?

(4) फिलहाल मीठे पानी की पूर्ति कैसे होती है ?

(5) मौजूदा वाटर वर्क्स पर अब तक कितना रुपया व्यय हो गया है और प्रति मास कितना व्यय हो जाने का प्रावधान है ?

उत्तर

(1) जी हां, सन् 1964 से ।

(2) जी हां, वित्तीय वर्ष 1971-72 के अन्त तक पूर्ण किये जाने की सम्भावना है व्यय का अनुमान 6.65 लाख रु० है ।

(3) जी नहीं, मीठे पानी के लिये योजना निर्माणाधीन है ।

(4) जोहड़ से व अन्य बेरियों से ।

(5) मोजूदा वाटर वर्क्स पर कुल 7.82 लाख रुपया व्यय हुआ है । और प्रतिमास व्यय होने का कोई प्रावधान नहीं है ।

विभाग द्वारा संचालित ट्यूब वैल्स

251. **श्री बालसिंह सोढ़ा** (जैसलमेर): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर एवं जोधपुर में जिन ट्यूब वैल्स का संचालन जन-स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है उसमें से कितने चल रहे हैं और कितने बन्द हैं ? सूचि सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने उपरोक्त जिलों में जहां पेयजल का अभाव है, वहां ट्यूब वैल्स चलाने के आदेश दिये हैं? अगर हां, तो आज तक उनको प्रारम्भ नहीं करने के क्या कारण हैं और भविष्य में ट्यूब वैल्स संचालन के लिए क्या व्यवस्था सरकार कर रही हैं ?

(3) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले में रनाऊ, विदालानी, खुडी के ट्यूब वैल्स चलाने की स्वीकृति होते हुए नहीं चलाए जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) जैसलमेर 9, बाड़मेर 11, बीकानेर 13, नलकूप चल रहे हैं, जैसलमेर 9, बाड़मेर में 2 तथा जोधपुर में 2 नलकूप बन्द हैं । सूची सदन की मेज पर रख दी गई ।

(जन स्वास्थ्य मंत्री)

(2) समस्त नलकूपों को चलाने के आदेश नहीं हैं। केवल 6 नलकूपों के अकाल राहत के अन्तर्गत चलाने के आदेश है और वह चल रहे हैं। शेष नलकूपों को सम्बंधित ग्राम पंचायत संधारण हेतु आवश्यक धनराशि जमा कराये जाने पर चलाये जाने की व्यवस्था है।

(3) विदालानीनलकूप इस विभाग के अधीन नहीं हैं। रनाऊ तथा खूड़ी नलकूप को 31-7-70 तक अकाल सहायतार्थ चलाए गये थे। तत्पश्चात, रनाऊ व खूडी नलकूप को चलाने की राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई हैं। इसके अतिरिक्त खूडी नलकूप सार्वजनिक निमार्ण बिभाग (परियोजना) के मांग के आधार पर रकम जमा कराने पर खूडी नलकूप चलाया गया था।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम

252. **श्री हरज़ीराम बुरड़क** (लाडनू): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम केराप, तहसील डीडवाना रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम के अन्तर्गत कौन कौन से गांव आयेंगे और इस पर क्या लागत आयेगी ?

(2) उक्त कार्य का ठेका किस व्यक्ति को दिया गया है ?

उत्तर

(1) ग्राम केराप, तहसील डीडवाना रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम के अन्तर्गत निम्न ग्राम शामिल किये गये हैं, इस योजना की अनुमानित लागत 13-12 लाख रुपये आयेगी।

केराप	1053
अगणेतीया	117
मंडारी	406
गमरोडा	586
दोदल	208
चोमू	293
सोनेवा	785
वरोड	488
अंमला	901
रनसीसर	874
सांमकान्ता	564
पालोत	871
जोरावरपुरा	91
टांकरियावास	549
पुवाडिया	209
नवरंगपुरा	151
चेक	172
खारीडया	398
दुदोली	726
कोलदू	1403
दादूबासनी	132
गरदेजा बासनी	202

(2) उक्त योजना में अलग 2 कार्यों का ठेका अलग अलग व्यक्तियों को दिया गया है न कि किसी व्यक्ति विशेष को।

रतनगढ़ का गन्दे पानी का नाला

253. **श्री लाभचन्द वैद** (सुजानगढ़): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार की कोई योजना रतनगढ़

(श्री लाभचन्द जैन)

शहर के गन्दे पानी के नाले को बाहर निकालने की है ? यदि हां, तो यह योजना कब तक चालू की जायगी ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

इस विभाग के पास ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है । प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । नगरपालिका से ऐसे कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए ह ।

किशनगंज के पास पार्वती नदी पर पुल

254. **श्री नन्दलाल** (किशनगंज) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा-शिवपुरी सड़क पर किशनगंज के पास पारवती नदी पर एक पुराना पुल है ? यदि हां, तो इसका निर्माण कब हुआ था ?

(2) क्या यह सही है कि इस नदी पर नीचा पुल होने से पूरी बरसात रास्ता बन्द रहता है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस पुल को ऊंचा बनवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां, इस पुल का निर्माण रियासतों के राजस्थान में शामिल होने से पूर्व का है ।

(2) जी हां, अर्थाभाव के कारण कार्य नहीं कराया जा सका है ।

खेड़ली-कठूमर सड़क

255. **श्री गंगासहाय** (कठूमर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि खेड़ली से कठूमर की सड़क पर सैंकड़ों स्थानों पर गड्डे पड़े हुए हैं और विभाग द्वारा उन गड्ढों को भराया भी नहीं जा रहा है ?

(2) क्या कठूमर से लक्ष्मणगढ़ की सड़क की हालत भी बहुत खराब है जिससे आये दिन बसों के टायर फटते हैं और यात्रियों को कठिनाई होती है ?

(3) क्या सरकार इस सड़क की मेटलिंग व टारिंग तुरन्त कराने की व्यवस्था करेगी :—

उत्तर

(1) यह सही नहीं है, मरम्मत गैंग द्वारा कराई जाती है ।

(2) सड़क की दशा अधिक अच्छी नहीं है । टायरों के फटने की जानकारी इस विभाग को नहीं है ।

(3) अर्थाभाव के कारण समस्त रोड पर डामर व मेटलिंग कराया जाना संभव नहीं है ।

अकाल सहायता कार्य के अन्तर्गत नई सड़कों का निर्माण ।

256. **श्री हरिवल्लभ शर्मा** (सवाई-माधोपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वर्ष 1970-71 म राज्य

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

सरकार ने अकाल सहायता कार्य को पूरा करने के अतिरिक्त अन्य नई सड़कों का निर्माण भी कराया ? यदि हां, तो ये सड़कें कहां कहां, कितनी कितनी बनवाई गई और उन पर कितनी धनराशि व्यय की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में भी नई सड़कें बनाने की कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो कहां कहां, कितनी कितनी सड़कें कितनी कितनी लागत की बनाने का विचार है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना स्वीकृत नहीं है, प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

अधूरी सड़कों का निर्माण

257. **श्री हरिवल्लभ शर्मा** (सवाई-माधोपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने पांच वर्ष अथवा इससे अधिक अवधि से अधूरी पड़ी हुई सड़कों को पूरा कराने की कोई योजना बनाई थी ? यदि हां, तो बोंली से निवाई की सडक कितने साल से अधूरी पड़ी हुई है ?

(2) यह कुल कितने मील लम्बी सड़क है, इसमें से कितने मील सड़क बन चुकी है और अब कितना बनाना शेष है ?

(3) यह सड़क कब तक पूरी करदी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, कार्य चालू है।

(2) 22/1½ मील में से 20/1½ मील का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और 2 मील का कार्य प्रगति पर है।

(3) अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता।

जिला डिवीजन जयपुर के अधिशासी अभियन्ता

258. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला डिवीजन जयपुर में अधिशासी अभियन्ता कौन है तथा इस डिवीजन में उनकी नियुक्ति कब हुई थी ?

(2) इन अधिशासी अभियन्ता ने अपने कार्यकाल में जयपुर जिले में कब कब, कहां कहां कितनी सड़कों का निर्माण किया और उसका ठेका किस किस ठेकेदार को किस किस की अनुमति से कब कब दिया और वह कार्य कब सम्पन्न हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) इन अधिशासी अभियन्ता ने अपने कार्यकाल में लोहे तथा लोहे का सामान कब कब, कहां कहां से कितने कितने रुपये का किस किस ठेकेदार से किस किस अधिकारी की अनुमति से खरीदा और कितने रुपयों का खरीदा तथा उसका उपयोग कब कब कहां कहां और कितना कितना किया व अन्य

(श्री श्रवणलाल)

विभागों व अन्य अभियन्ताओं को कितना कितना, कब कब कितने कितने रुपयों का दिया ? पूरी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(4) क्या यह सत्य है कि इन अधिशासी अभियन्ता ने 67-68 में कांटेदार तार खरीदे थे ? यदि हां, तो (1) यह तार क्यों खरीदे गये ? (2) किसकी अनुमति से खरीदे गये ? (3) किससे खरीदे गये और किस रेट पर खरीदे गये ? (4) तथा इनके स्टोर में कितने दिन पड़े रहे और इसके बाद उनका कहां उपयोग किया गया ?

(5) क्या यह सत्य है कि इन अधिशासी अभियन्ता ने 1967-68 में तत्कालीन कृषि मन्त्रालय को लगभग 66 टन कांटेदार तार बेचे थे ? यदि हां, तो किस रेट पर क्यों और किसकी अनुमति से बेचे थे ।

(6) क्या यह सत्य है कि जिला डिवीजन जयपुर में जनवरी, 68 से 30 अप्रेल, 1970 तक कुछ सड़कों की चौड़ाई बढ़ाई गई है ? यदि हां, तो किन किन सड़कों की और उन पर कितना व्यय हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(7) क्या यह सत्य है कि सड़कों की चौड़ाई बढाने का कार्य नये कार्य की परिधि में आता है और उसकी विशेष अनुमति की आवश्यकता है परन्तु जिला डिवीजन के इन अधिशासी अभियन्ता ने सड़कों की चौडाई बढ़ाने के कार्य को विशेष मरम्मत के फण्ड में से किया है और इसके लिए विशेष अनुमति प्राप्त नहीं की थी ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) श्री पी० सी० त्रिपाठी की नियुक्ति 27 मार्च, 1971 में की गई है ।

(2) उक्त अधिशासी अभियन्ता ने अपने कार्यकाल में सड़क निर्माण नहीं कराया है अत: ठेका व कार्य समाप्ति का प्रश्न नहीं उठता ।

(3) लोहा व लोहे का सामान नहीं खरीदा गया ।

(4) वर्तमान अधिशासी अभियन्ता वर्ष 67-68 में खण्ड कार्यालय में नियुक्त नहीं थे ।

(5) प्रश्न नहीं उठता ।

(6) सूची 'अ' संलग्न है ।

(7) जो नहीं सड़कों को चौड़ा कराने की अनुमति अधीक्षण अभियन्ता ने दी थी ।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

चूरू शहर तक अप्रोच रोड

259. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या चूरू-भालेरी सड़क म जहां रतनगढ सड़क आकर निलती है उससे चूरू शहर तक अप्रोच रोड़ बनाने की विभाग की योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) यह कितना लम्बा टुकड़ा है और इसके लागत मूल्य का अनुमान क्या है ?

(3) क्या विभाग की दृष्टि मे इस

Page No 49

(श्री दौलतराम सारण)

टुकड़े के बनने से जिला केन्द्र चूरू शहर के विकास में आवागमन में विशेष प्रगति व सुविधा संभव है ?

उत्तर

(1) अप्रोच रोड का कार्य योजना म स्वीकृत नहीं है ।

(2) 6½ फर्लांग लम्बा है, अनुमानित व्यय धनराशि क्या होगी, एस्टीमेट नहीं कराया गया ।

(3) आवागमन में थोड़ी सुविधा स्वाभाविक है ।

अस्पताल के पास का सरकारी कुआ

260. **श्री गंगासहाय** (कठूमर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नये जनाने अस्पताल अलवर के पास का कुआ सरकारी होने के कारण सार्वजनिक निर्माण विभाग, अलवर ने गत वर्षों का किराये का बिल 7 हजार रुपये का स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग, अलवर को भेजा है ?

(2) क्या इस बिल की रकम वसूल की जा चुकी है? यदि नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जनाना अस्पताल अलवर के पास सरकारी कुआ अवश्य है, लेकिन इस विभाग द्वारा किसी को भी किराये पर नहीं दे रखा है। अतः बिल भेजने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

कोटा स्टेट की पुलियाएं

261. **श्री जुझार सिंह** (रामगंज मंडी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) भूतपूर्व कोटा स्टेट के समय की कितनी ऐसी पुलियायें हैं जो सड़क से अलहदा बनी हुई हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) कोटा स्टेट के समय बनाई गई इन पुलियाओं की अनुमानित लागत कितनी है और इन्हें सुरक्षित रखने की दृष्टि से विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

(3) क्या "बालाजी की थाक" नामक कालीसिन्ध पर बनी पुलिया की हालत बहुत खराब हो चुकी है व उसकी मरम्मत होना आवश्यक है? यदि हां, तो इसकी मरम्मत कब तक करा देने का सरकार विचार रखती है?

(स्थगित किया गया)

डाक बंगलों एवं रेस्ट हाउसों का निर्माण

79. **श्री दिग्विजय सिंह** (उनियारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या वर्ष 1969-70 में विभाग द्वारा कोई नए डाक बंगले या रेस्ट हाउस बनाए गए है? यदि हां, तो कहां कहां?

(2) क्या यह सही है कि "कोट ग्राम के बांध" पर विभाग द्वारा कोई नया डाक बंगला बनाया गया है? यदि हां, तो इस पर कुल कितनी लागत आई है ?

(श्री दिग्विजयसिंह)

(3) क्या यह सही है कि इस भवन के निर्माण में किसी सेठ ने या किसी संस्थाने पैसे दिए हैं ? यदि हां, तो उसके द्वारा कुल कितनी धनराशि दी गई और उसका क्या नाम है?

(4) इस भवन के निर्माण करने का क्या कारण है? क्या यह राष्ट्रीय मार्ग पर पड़ता है ?

(5) क्या यह सही है कि इस भवन का निर्माण करने से पूर्व दूसरी साइट' देखी गई थी और उस डूंगरी पर सड़क बनाई गई थी ? यदि हां तो उस कार्य पर कितना खर्च हुआ?

(6) क्या यह सही है कि जिस स्थान पर इस भवन का निर्माण किया गया है वहां पर एक "शिवालय" पहिले से ही बना हुआ है?

(7) क्या यह सही है कि इसके वहां निर्माण पर वहां के लोगों ने एेतराज किए थे? यदि हां, तो उस पर विभाग ने ध्यान क्यों नहीं दिया?

(8) क्या यह सही है कि इस भवन का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह सिचाई विभाग के अधीन है?

(9) क्या यह सही है कि इस डाक बंगले के निर्माण पर करीब 50,000 रुपये खर्च हुए हैं?

(10) क्या यह सही है कि इसके निर्माण हेतु मुख्य मंत्री ने विशेष रूप से स्वीकृति प्रदान की थी?

(स्थगित किया गया)

गंगानगर में ड्रेनेज का काय

15. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा) :- क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करगे :-

(1) कस्बा गंगानगर में बनने वाले ड्रेनेज में अब तक क्या प्रगति हुई है?

(2) ड्रेनेज का कितना कार्य हो चुका है और कितना बाकी है?

(3) शेष कार्य कितने समय में पुरा हो जावेगा?

(4) इस ड्रेनेज में कुल कितनी धनराशि खर्च होगी?

(5) ड्रेनेज किस इन्जिनियर की देख-रेख में बन रही है?

(6) क्या यह सही है कि इस ड्रेनेज निर्माण की कुछ शिकायतें वहां के नागरिक कर रहे ह?

(7) यदि हां, तो किस प्रकार की शिकायतें है ?

उत्तर

(1) एक वड़ा तालाव 5 सब-ड्रेनेज बनवाई गई है। 5 नाले व सब-ड्रेनेज बनवानी बाकी है।

(2) प्रश्न के खन्ड 1 में उत्तर दे दिया गया है।

(3) नगरपरिषद के पास आर्थिक व्यवस्था होने पर ही कार्य पूरा हो सकेगा।

(4) 70 लाख रुपया व्यय होने का अनुमान है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(5) इस योजना के अन्तर्गत बड़े नालों का पहिले का करीब 2/3 भाग मुख्य अभियन्ता, जन-स्वास्थय की मारफत करवाया गया था। शेष कार्य नगर परिषद ने मुख्य अभियन्ता जन स्वास्थय द्वारा स्वीकृत तख्मीनों व डिजाइनों के अनुसार अपने इन्जिनियरिंग स्टाफ की देख रेख में करवाया था।

(6) जी हां।

(7) नागरिक ड्रेनेज योजना को शीघ्रतिशीघ्र कार्यन्वित करवाना चाहते हैं। गन्दे पानी के इकट्ठे होने व निकालने की समुचित व्यवस्था न होने से सफाई की हालत सन्तोषजनक नहीं रहती है।

अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों को नौकरियां

148. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या राजस्थान सरकार ने यह घोषणा की थी कि अनुसूचित जातियों व जन-जातियों के लोगों को 12½ प्रतिशत के स्थान पर अब 28 प्रतिशत नौकरियां दी जावेंगी? यदि हां, तो कब और उसके बाद उपरोक्त जातियों के लोगों को कितनी प्रतिशत नौकरियां किस किस जिले में दी गई हैं? जिलेवार नौकरियों की श्रेणी सहित सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या सरकार प्रमोशन व कन्फरमेशन में भी अनुसूचित जातियों व जन-जातियों के कर्मचारियों को 28 प्रतिशत के आधार पर इसी अनुपात से सीनियोरिटी लिस्ट बना कर प्रमोशन व कन्फरमेशन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) राज्य के हर विभाग सरकारी व अर्द्ध सरकारी संस्थाओं में किस किस प्रतिशत से अनुसूचित जातियों व जन-जातियों के कर्मचारी काम कर रहे हैं? अलग अलग विभागवार व नौकरियों की श्रेणीवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) जिन विभागों में घोषित नीति के अनुसार उचित मात्रा में अनुसूचित जातियों व जन-जातियों के व्यक्तियों को भर्ती नहीं किया गया है, क्या सरकार द्वारा उनके खिलाफ कार्यवाही की गई है?

उत्तर

(1) जी हां। माह सितम्बर 69 में यह घोषणा की गयी थी तथा दिनांक 7-4-70 को अनुसूचित जाति व जन-जातियों के लिए राज्य सेवा में निर्धारित सुरक्षित स्थान 28% तक बढ़ाने के विधिवत आदेश हुये। उपलब्ध सूचना के अनुसार दिनांक 1-4-70 से 30-9-70 तक 113 सरकारी कार्यालयों में विभिन्न श्रेणियों में जो नियुक्तियां की गई हैं और उनमें से उपरोक्त वर्गों के जितने उम्मीदवार नियुक्त किये गये हैं उनकी सूचना तालिका 'अ' में अंकित है। नियुक्तियां संबन्धित विभागों द्वारा की जाती हैं और तदनुसार सूचना भी अलग अलग विभागों को ही संकलित की जाती है। जिलेवार सूचनायें संकलित नहीं की जाती।

(समाज कल्याण मंत्री)

(2) अनुसूचित जाति व जन-जातियों के कर्मचारियों को पदोन्नति पर आरक्षण देने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है जिस पर अभी निर्णय नहीं हुआ है।

(3) सरकार के प्रत्येक विभाग सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं आदि में किस किस प्रतिशत में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों को नौकरियां दे रखी है उनकी सूची विभागानुसार व श्रेणी-नुसार पूर्णतया अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है अतः सूची प्राप्त होने पर यह सूची बनाई जा सकेगी।

जिन विभागों में राज्य सरकार की घोषित नीति के अनुसार उचित मात्रा में अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के व्यक्तियों को अकारण भर्ती नहीं किया गया पाया जावेगा, राज्य सरकार उन विभागाध्यक्षों के खिलाफ कार्यवाही अवश्य करेगी, जिन जिन विभागों में इस प्रकार की सूचना प्राप्त हुई है कि उन्होंने घोषित नीति के अनुसार भर्ती नहीं किया है उनसे स्पष्टीकरण मांगे जा रहे हैं, पूर्ण सूचना प्राप्त होने पर अगर अकारण उन्होंने घोषित नीति के अनुसार भर्ती नहीं किया हो तो उच्च स्तरीय समिति के समक्ष उन विभागाध्यक्षों के नाम रखें जावेंगे और राज्य सरकार उन पर कार्यवाही करेगी।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

वृद्धावस्था पेंशन

152. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान वृद्धावस्था पेन्शन नियम, 1964 के अन्तर्गत प्रति वर्ष राज्य भर में कुल कितने व्यक्तियों को कितनी धनराशि सहायता के रूप में दी गई? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) जयपुर जिले में जिन लोगों को यह पेन्शन दी जा रही है उनके नाम व पते सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

पुलिस थाना सांचोर व सरवाना में जीपों की व्यवस्था

156. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि पुलिस थाना सांचोर व सरवाना जिला जालोर में जुर्म संख्या काफी अधिक है एवं थाना का हलका भी बहुत बड़ा है ? अगर हां, तो क्या सरकार कानून व व्यवस्था ठीक तरह से चलाने की दृष्टि से उपरोक्त थानों में जीपें दिलाने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

(2) क्या सरकार उपरोक्त दोनों थानों के लिये अभी फिलहाल कम से कम एक जीप शीघ्र देने का विचार रखती है ? अगर हां तो कब तक ? अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

(3) क्या यह सत्य है कि जिला पुलिस अधीक्षक जालोर ने कुछ जगह विशेष आर० ए० एसी० की पोस्टें कानून व व्यवस्था की दृष्टि से कायम करने की शिफारिश की है ? अगर हां, तो कब? ऐसी व्यवस्था कब तक कर दी जावेगी ?

Page No 53

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(4) क्या यह सत्य है कि जिला जालोर में अस्थाई समय के लिये कानून व व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस का चलता फिरता विशेष दस्ता लगाने की सिफारिश पुलिस अधीक्षक, जालोर ने की है ? अगर हां, तो कब? ऐसी व्यवस्था कब तक कर दी जावेगी ?

(5) खेजडियाली पुलिस आउट-पोस्ट को पुख्ता आउट-पोस्ट कब तक कर दिया जायेगा ? क्या सरकार द्वारा इस संबंध में पहले भी आश्वासन दिया गया था ? अगर हां, तो कब ? अब तक इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) यह बात सही है, कि सांचोर और सरवाना थानों का हल्का जिले के दीगर थानों के मुकाबले में बड़ा है । लेकिन यह बात सही नहीं है कि इन दोनों थानों में जिले के दीगर थानों के मुकावले में अपराध अधिक होते हैं । जालोर जिले में सन् 1970 में थाना जालोर में 129, सांचोर में 80, नागौर में 65, भीनमाल में 58, उम्मेदपुर में 44 और सरवाना में 44 अपराध होना पाया जाता है । अतः इन दो थानों में ही कानून व्यवस्था के लिये जीपें दिलवाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है । सरकार की नीति के अनुसार थानों को गाड़ियां नहीं दी जाती है क्योंकि इतने अधिक साधन उपलब्ध नहीं हैं । केवल वृत अधिकारी के स्तर तक गाड़ियां उपलब्ध होती हैं । आवश्यकता पड़ने पर ही थानों को जिला पुलिस द्वारा गाड़ी दी जा सकती है ।

(2) यह प्रश्न ही नहीं उठता है ।

आवश्यकता पड़ने पर हैडक्वार्टर से समय समय पर गाड़ी मिल सकती है।

(3) जी हां, पुलिस अधीक्षक, जालोर ने आर० ए० सी० की पोस्ट के लिये दिनांक 17-12-70 को उप-महानिरीक्षक, आरक्षी के जोधपुर खण्ड को सुझाव भेजा था जो विचाराधीन है ।

(4) जी नहीं, पुलिस अधीक्षक, जालोर की ओर से ऐसी कोई सिफारिश नहीं की गई है । यह कार्य पुलिस अधीक्षक अपने स्तर पर ही आवश्यकता पड़ने पर कर सकते हैं ।

(5) खेजडियाली पुलिस आउट-पोस्ट को स्थाई बनाने के लिये प्रश्न विचारधीन है।

स्थगित प्रश्न

(31-3-71)

भ्रष्टाचार के मामलों की जांच

157. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा अब तक कुल कितने मामलों में जांच की गई है ?

(2) इनमें से कितने मामलों में चालान अदालत में पेश किया गया है ? सूची मय, नाम पद एवं आरोप के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) सूची संलग्न है ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :—

(1) श्री बालसिंह सोढा, श्री पृथ्वीसिंह चौहान, श्री विजयसिंह व श्री डूंगाराम राजोरिया, सदस्य, विधान सभा ने पश्चिमी पाकिस्तान से हजारों की संख्या में अल्पसंख्यकों को गंगानगर, बाड़मेर व जैसलमेर में लगातार प्रवेश होने तथा शरणार्थियों को राहत देने के संबंध में सरकार की उदासीनता के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

(2) श्री बालसिंह सोढा, श्री पृथ्वीसिंह श्री विजयसिंह व श्री डूंगाराम राजोरिया, सदस्य, विधान सभा ने एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की भी सूचना दी है जिसमें कहा गया है कि जैसलमेर जिले में बन्दोबस्त कार्य चल रहा है तथा हजारो लोगों के कब्जे में जमीन कम है किन्तु उनसे अधिक जमीन की वसूली हो रही है, दूसरी तरफ कइयों के कब्जे में अधिक जमीन है किन्तु रेकार्ड में कम बतलाई गई है। अतः जब तक सही रेकार्ड तैयार न हो जाय तब तक अवास्तविक वसूली को रोका जाय ।

(3) उपरोक्त इन्हीं माननीय सदस्यों ने एक और स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें कहा गया है कि इस वर्ष जैसलमेर जिले के कई गांवों में अकाल होते हुए भी उनको अकालग्रस्त घोषित नहीं किया गया है और इससे कई गांवों में विषम स्थिति उत्पन्न हो गई है।

(4) श्री पृथ्वीसिंह, श्री विजयसिंह व श्री बालसिंह सोढा, सदस्य, विधान सभा ने पाली डाक बंगले में एक अधिकारी की विदाई के अवसर पर एक उप-मंत्री के आचरण के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

उपरोक्त सभी स्थगन प्रस्तावों के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी मिलने पर इन पर निर्णय लिए जाकर मैं माननीय सदस्यों को यथाशीघ्र सूचित कर दूंगा ।

श्री विजयसिंह : उप-मंत्री का नाम नहीं बताया है । हमने उसमें मेन्शन किया है ।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें । दी चेयर इज ऑन इट्स लेग्स ।

श्री मदनसिंह: सारे उप मंत्रियों की तरफ नजर जा रही है। ऐसा होना ही नहीं चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : इनके अतिरिक्त और भी स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई है जो इस प्रकार हैं:-

(1) श्री बालसिंह सोढा व श्री श्रवणलाल, सदस्य, विधान सभा ने जैसलमेर जिले के कई गांवों में पेयजल के संकट के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

(2) एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री बालसिंह सोढा व श्री पृथ्वीसिंह, सदस्य, विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें जैसलमेर व बाड़मेर जिले में कई गांवों में ट्यूब वैल नहीं चलाये जाने के कारण पेयजल का संकट उत्पन्न होने का उल्लेख किया गया है।

(श्री अध्यक्ष)

जैसलमेर जिले में जल के अभाव के संबंध में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की स्वीकृति दी जा चुकी है और उपरोक्त दोनों मामलों को इसमें सम्मिलित कर लिया जायेगा।

(3) श्री बालसिंह सोढा, श्री पृथ्वीसिंह व श्री विजयसिंह, सदस्य, विधान सभा ने पाली जन सम्पर्क अधिकारी के आचरण के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस विषय में अल्प-सूचना प्रश्न भी प्राप्त हो चुका है।

(4) श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य, विधान सभा ने 26-27 मार्च को राजगढ़, जिला चूरू की एक बगीची में एक व्यक्ति की लाश मिलने तथा पुलिस द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही न करने के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(5) श्री मदनसिंह दांता, सदस्य, विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें कहा गया है कि संसोपा द्वारा बूट पालिश जैसी गुलामी की प्रवृत्ति अपनाये जाने से राजस्थान की जनता की भावनाओं पर कुप्रभाव पड़ा है। (हंसी)

(6) राजस्थान राज्य की वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण मंत्रियों एवं विधायकों द्वारा इम्पाला गाड़ी का प्रयोग बंद करने बिजली, पानी व टेलीफोन पर सीलिंग लगाने, 12 हजार कि० मी० की यात्रा बन्द करने तथा दौरों पर सीलिंग लगाने के संबंध में श्री मनोहरसिंह मेहता, सदस्य, विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

उपरोक्त मामले इतने अविलम्बनीय लोकमहत्व के नहीं है कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर इन पर विचार किया जावे। इसके अलावा ये मामले संबंधित मांगों पर विचार करते समय कटौती प्रस्तावों के जरिये भी सदन में उठाये जा सकते हैं। अतः इनको सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री मदनसिंह: अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: अभी चल रहा हूं मैं।

कुछ पेंडिंग स्थगन प्रस्तावों के संबंध में भी मैं अपना निर्णय देना चाहता हूं। ये स्थगन प्रस्ताव इस प्रकार हैं:—

(1) बंगला देश (पूर्व बंगाल) में पाकिस्तान द्वारा किये जा रहे फौजी आक्रमण और पश्चिमी पाकिस्तान में बंगला देश के नागरिकों का राजस्थान में आगमन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव। माननीय मुख्य मंत्री ने इस विषय में कल भी कुछ स्पष्टीकरण किया था और उस निर्णय और उसके संदर्भ में एक प्रस्ताव रखने के लिए भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा है।

(3) कस्बा दौसा, जिला जयपुर में पेयजल के अभाव के संबंध में श्री डूंगाराम राजोरिया, सदस्य, विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

उपरोक्त स्थगन प्रताव अविलम्बनीय लोकमहत्व के नहीं हैं। ये मामले संबंधित मांगों पर विचार के समय कटौती प्रस्तावों के जरिये भी उठाये जा सकते हैं। अतः

(श्री अध्यक्ष)

मैं इन्हें प्रस्तुत किये जाने की अनुमती देने में असमर्थ हूं ।

दो और भी पेंडिग स्थगन प्रस्तावों का यहां पर उल्लेख करना चाहता हूं ।

(1) राज्य सरकार द्वारा बीमा विभाग के विकेन्द्रीकरण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री भैरोंसिह शेखावत व श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव । इसी आशय के एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री देवीदत्त गाड़िया, सदस्य, विधान सभा द्वारा पहले दी गई थी ।

(2) एडवर्ड मिल्स, ब्यावर के चालू न होने से मजदूरों में व्याप्त असन्तोष के संबंध में श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव ।

मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यह चाहूंगा कि माननीय संबंधित मंत्री इन विषयों में स्थिति को स्पष्ट करते हुए शीघ्र वक्तव्य देने की कृपा करें ।

मैं इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं ।

श्री मदनसिंह : मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा था, अध्यक्ष महोदय, देश की आजादी के लिए वैसे हमारे बड़े बड़े नेताओं ने अपनी कुर्बानी दी थी....

श्री अध्यक्ष : मैंने उसको अस्वीकार किया है, माननीय सदस्य !

श्री मदनसिंह : आज, अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात नहीं है कि हम कुर्बानी नहीं दे सकते हों लेकिन हमारे देश के बच्चों के अन्दर गुलामी की भावना पैदा की जाय.....

श्री अध्यक्ष : मैंने अस्वीकार किया है ।

श्री मदनसिंह : मैं मानता हूं...

श्री अध्यक्ष : अस्वीकार किये हुए स्थगन प्रस्ताव पर कोई वाद-विवाद नहीं होगा ।

श्री मदनसिंह : जहां तक हमारे नागरिकों के अधिकारों का सवाल है,...

श्री अध्यक्ष : इस पर चर्चा नहीं होगी । माननीय सदस्य (श्री मदनसिंह के बोलते रहने पर) अंकित नहीं हो ।

श्री मदनसिंह : ×××

श्री अध्यक्ष : चर्चा नहीं होगी ।

श्री मदनसिंह : ×××

श्री अध्यक्ष : मैंने अंकित न करने का आदेश दिया है ।

श्री मदनसिंह : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है । इस पर कोई चर्चा नहीं उठेगी ।

श्री मदनसिंह : ×××

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री मदनसिंह : ×××

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : साहब, यह मौलिक बात है ।

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया ।

श्री मदनसिंह : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप नियमों की अवहेलना कर रहे हैं।

श्री मदनसिंह : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है आपका प्रवचन !

श्री मदनसिंह : ×××

श्री अध्यक्ष : आपका स्थगन प्रताव अस्वीकार किया हुआ है।

श्री मदनसिंह : ×××

श्री अध्यक्ष : आप क्या चाहते हैं, माननीय सदस्य !

श्री मदनसिंह : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! स्थान ग्रहण करें। आपकी चर्चा अंकित नहीं हो रही है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : सेवा और गुलामी में फर्क है।

श्री मदनसिंह : ×××

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मदनसिंह : ×××

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें !

श्री यशवन्तसिंह नाहर : इसे आप सेवा नहीं मानते हैं। आप मानते हैं, बूट पालिश करना गुलामी है। सेवा क्या होती है, यह आपको पता नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर दोनों ओर की चर्चा अंकित नहीं हो ?।

श्री मदनसिंह : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मदनसिंह : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री मदनसिंह : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री दांता, स्थान ग्रहण करें।

श्री मदनसिंह : ×××

श्री रामकिशन : कौनसे मंत्री महोदय का वक्तव्य चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : आप भी स्थान ग्रहण करें।

श्री रामकिशन : किस मंत्री महोदय से वक्तव्य चाहते हैं ? किसके पास बूट पालिस का विभाग है ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : मुख्य मंत्री के पास है।

श्री रामकिशन : जो समाजवादी मंत्री हैं उनके पास ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : जबर्दस्ती बोलने के नाम पर ठाकुर मदन सिंहजी आज नम्बर ले गये।

श्री अध्यक्ष : कौन आगे था ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव पेश किया था, आपने अस्वीकार किया है, लेकिन मैं एक मिनिट अर्ज करना चाहता हूं.....

×××अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

Page No 58

श्री मदनसिंह : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ प्रिविलेज।

श्री अध्यक्ष : आई विल एन्टरटेन इट आफटरवर्ड।

श्री मनोहरसिंह मेहता : राजस्थान की वित्तीय स्थिति इतनी खराब है....

श्री अध्यक्ष : आप किस पर, माननीय सदस्य, कैसे बोल रहे हैं ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : मेरा स्थगन प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्ष : अस्वीकार हुआ है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : जरा सा अर्ज कर दूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं कर सकेंगे उसके बाद।

श्री मदनसिंह : ऑन ए पॉइन्ट आफ आर्डर....

श्री मनोहरसिंह मेहता : आप नहीं फर्मायेंगे तो नहीं बोलूंगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप बोल नहीं सकते हैं।

श्री मदनसिंह : अध्यअ महोदय, जितनी यह कार्यवाही हुई यह भी दूर होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर।

श्री मदनसिंह : आपके हुक्म के बाद में मेहता साहब ने जो कुछ कहा है वह प्रोसीडिंग से दूर होना चाहिये।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आपने उनके लिए कहा है, जो देशभक्ति के काम कर रहे हैं उनको आप गद्दार बता रहे हैं इसलिये सदन की कार्यवाही में अंकित नहीं हो रहा है। मैंने वैसा नहीं कहा है मैंने वह कहा है जो देश को जीवित रखने वाला है।

श्री रामचन्द्र आर्य : दोनों निर्दलीय भिड़ गये।

श्री मनोहरसिंह मेहता : देशभक्तों को आपने गद्दार बताया है, इसलिये उसको कार्यवाही से अलग किया जा रहा है। मुझे दुख है, विधान सभा में बैठने वाले माननीय सदस्य इस प्रकार की बात करें।

श्री मदनसिंह : यह मेरा प्रिविलेज है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : जो देश को आजाद करने के लिये कुर्बानी कर रहे हैं...

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त हुआ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : उनको आपने गद्दार बताया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : मुख्य मंत्रीजी, तोते को अपनी तरफ ले लो।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): साथ में आप भी आ जायं।

श्री मदनसिंह : मेरा पाइन्ट ऑफ प्रिविलेज है, अध्यक्ष महोदय, जिन प्रातः स्मरणीय रहमान साहब के लिये आप कहते हैं, वैसे ही वोट लेकर मैं भी आया हूं, मुझे भी अधिकार है कि मैं सदन में बोलूं......

श्री अध्यक्ष : पॉइन्ट ऑफ प्रिविलेज क्या है ?

श्री मदनसिंह : मुझे बन्द किया गया सदस्यों द्वारा, क्या मैं बोल नहीं सकता हूं,

(श्री मदनसिंह)

मैं बात नहीं कर सकता हूं, मैं अपना ख्याल व्यक्त नहीं कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : इस वक्त......

श्री मदनसिंह : आज भी, अध्यक्ष महोदय, आपने मेरी चर्चा को अलग कर दिया, जो कार्यवाही थी उससे हटा दिया......

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मुख्य मंत्रीजी ने भी कटवा दिया था।

श्री मदनसिंह : वह कौनसा अच्छा कर दिया।

श्री अध्यक्ष : आँर्डर प्लीज : नियमों के अन्तर्गत......

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, इनको ऊटपटांग बोलने की इजाजत देनी चाहिए.....

श्री मदनसिंह : इस ××× , जहां हम विचार व्यक्त नहीं कर सकते, विचार को सुना नहीं सकते। हमारे विचारों को सुनना चाहिए.....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! स्थान ग्रहण करें।

×××इन शब्दों को एक्सपंज किया जाय। स्थान ग्रहण करें।

श्री मदनसिंह : फौजी शासन में और क्या होता है। किसी आदमी का गला दबा दिया जाय......

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री मदनसिंह : असेम्बली में दो मिनिट बोल नहीं सकते......

श्री अध्यक्ष : मैं, माननीय दांता को नाम से सम्बोधित करता हूं।

श्री मदनसिंह : (अश्रव्य)

(श्री मदनसिंह द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव था, उसकी व्यवस्था के लिये फर्माया था, जानकारी करने के लिए फर्माया था, उसमें क्या जानकारी लेनी है ? अध्यक्ष महोदय, जानकारी इतनी सी है कि हमारे माननीय जसराजजी दल बदल कर कांग्रेस में गये, उन्होंने कुछ नाचने गाने वाली औरतों को पाली......

श्री अध्यक्ष : देखिये, इस पर यदि अभी चर्चा करेंगे, तो माननीय सदस्य, इस वक्त की चर्चा स्थगन प्रस्ताव पर प्रभाव डालेगी। मैंने जानकारी प्राप्त की है, अच्छा हो, मैं जानकारी कर लूं।

श्री रामचन्द्र आर्य : जानकारी का मतलब...

श्री अध्यक्ष : मैंने यथाशक्ति प्रयास किया है कि यथासम्भव जल्दी प्राप्त हो ! मुख्य मंत्री जी !

श्री डूंगाराम राजोरिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मुख्य मंत्री जी प्रस्ताव रखेंगे। (श्री डूंगाराम राजोरिया के बोलते रहने पर) मैं इनसे निपट लेता हूं। आप स्थान ग्रहण करें।

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाले गये।

Page No 60

श्री डूंगाराम राजोरिया : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था ....

श्री अध्यक्ष : मैंने उस स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार किया है, आपका बोलना नियमों के विरुद्ध है। अस्वीकार किया है। ठप्प हुई थी पानी की सप्लाई के लिए था।

श्री डूंगाराम राजोरिया : आज के लिए कहा था, कल जानकारी दिला देंगे। कल विश्वास दिलाया गया था, परसों विश्वास दिलाया गया था।

श्री अध्यक्ष : मैंने जानकारी की, उससे वह अस्वीकार हो गया। वह अस्वीकार कर दिया गया है।

श्री दिग्विजयसिंह : जानकारी दिलाने के लिए कहा था।

श्री डूंगाराम राजोरिया : कल जानकारी दिला देंगे, यह कहा था।

श्री अध्यक्ष : बहुत आग्रह किया था, उसके प्रस्तुत होने पर कि आज ही दिया जाय, निर्णय, तब मैंने आपसे निवेदन किया था कि कल मैं उस पर निर्णय दूंगा और आज मैंने निर्णय दे दिया। निर्णय देने के बाद अस्वीकृत प्रस्ताव पर कोई चर्चा नहीं हुआ करती है।

श्री रामचन्द्र आर्य : बात वही रही !

श्री अध्यक्ष : देखिये, माननीय सदस्य, आपकी कठिनाई मैं समझता हूं, मैं सम्बन्धित मंत्री महोदय से इस सम्बन्ध में बातचीत करके क्या सोल्यूशन निकलता है वह कर दूंगा !

माननीय मुख्य मंत्री !

पूर्वी बंगाल के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कल निवेदन किया था, पूर्वी बंगाल के सम्बन्ध में मैं निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:

"यह सदन पाकिस्तान सरकार द्वारा पूर्वी बंगाल में सशस्त्र सेना के माध्यम से किये जा रहे नृशंसतापूर्ण नर-संहार पर गम्भीर चिन्ता एवं रोष प्रकट करता है। पाकिस्तान सरकार ने दिसम्बर, 1970 में हुए सामान्य चुनावों में जनता द्वारा स्पष्ट एवं निश्चित रूप से व्यक्त अभिमत का एवं तदनुकूल जनता की आशा आकांक्षाओं एवं जनतंत्रीय सिद्धान्तों का सम्मान करने के बजाय पूर्वी बंगाल में संहार एवं दमन का ताण्डव मचा दिया है। विधान एवं मानवीय आदर्शों का घोर तिरस्कार कर जनता के लोकतंत्रीय अधिकारों को सुसज्जित सेना द्वारा नृशंसतापूर्वक दबाया जा रहा है।

लोकतंत्रीय एवं नागरिक अधिकारों के लिए दमन एवं अत्याचार का वीरतापूर्वक मुकाबला करने को कृत-संकल्प पूर्वी बंगाल की जनता के प्रति यह सदन अपनी हार्दिक सहानुभूति, संवेदना एवं सहयोग प्रकट करता है।

भारत की जनता एवं भारत सरकार ने सदासे मानवीय अधिकारों की प्रतिष्ठा के लिये सर्वत्र अपना तत्पर सहयोग दिया है। यह सदन भारतीय संसद द्वारा पूर्वी बंगाल की स्थिति पर पारित संकल्प का पूर्ण समर्थन करता है और दृढता एवं निष्ठापूर्वक यह व्यक्त करता है कि मानवीय सिद्धान्तों की

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

सुरक्षा एवं विश्व-बन्धुत्व के आदर्शों से प्रेरित नीति में भारत के लोग पूर्ण रूप से सहयोग देंगे । सदन का भारत सरकार से एवं जनता से अनुरोध है कि पूर्वी बंगाल की पीड़ित मानवता की अधिकांधिक सम्भव सहायता करें ।

सदन अपना दृढ विश्वास व्यक्त करता है कि पूर्वी बंगाल के 7½ करोड़ लोगों की लोकतंत्रीय आकांक्षाओं के लिये इस संघर्ष में अन्ततः विजय होगी । इन्हीं शब्दों के साथ में प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं और मुझे आशा है इसे सर्वसम्मति से यह सदन स्वीकार करेगा ।

श्री रामानंद अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय...

श्री मनोहरसिंह मेहता : दो दो मिनट सब बोलेंगे ।

श्री अध्यक्ष : इस संबंध में पहले भी चर्चा इस सदन में हो चुकी है । मेरा विश्वास है कि यह जो प्रस्ताव मुख्य मंत्री ने यहां रखा है इस पर सर्वसम्मति से सदन सहमति देगा और इस पर कोई डिबेट न हो । मैं इस पर सदन की सहमति मानकर चलता हूं प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री पी० के० चौधरी : मेरा निवेदन है एक अमेंडमेंट है पाकिस्तानी सैनिक......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री पी० के० चौधरी : उसके बजाए "पश्चिमी सैनिक"......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें । प्रतिवेदनों का उपस्थापन ।

प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंड़ावत : मैं निष्पादन बजट से संबंधित प्राक्कलन समिति 1970–71 के लेखे 18वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक प्राक्कलन समिति, 1970–71 के 21वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करती हूं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं राजस्थान लघु उद्योग निगम (अंकेक्षा प्रतिवेदन वर्ष, 1966–67 से संबंधित) विषयक राजकीय उपक्रम समिति के आठवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति 1970–71 के 14 वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

काश्तकारों को जमीनों के इन्द्राज सम्बन्धी रिकॉर्ड की पास-बुकें न देने सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव श्री हरजीराम बुरड़क काश्तकारों को अपनी जमीनों के इन्द्राज संबंधी रेकॉर्ड की पास-बुकें न दिए जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): अध्यक्ष महोदय, मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में मुख्यतः दो बातों का उल्लेख किया गया था । पहली यह थी कि राज्य सरकार ने बार बार घोषणा की है कि काश्तकारों को जल्दी से जल्दी पास बुकें वितरित की जायंगी । कई बार यहां पर कहा गया कि इतनी पास-बुकें दे दी गई हैं और अमुक जिले में इतनी दे दीं, इस साल इतनी देंगे लेकिन जहां तक वितरण का सवाल है, अगर

(श्री हरजीराम बुरड़क)

जिलाधीशों के पास भेजना ही सरकार ने वितरण माना है तब तो ये लोग जो कह रहे हैं वह सही है। जिलाधीश तहसीलों में भेज देंगे, तहसीलदार पटवारियों को भेज देंगे लेकिन जो वितरण वास्तव में काश्तकारों को करना था, वह नहीं हुआ। इसके जो आंकड़े हैं बिल्कुल फर्जी हैं। कहीं कहीं काश्तकार ने अगर पटवारी से मिल कर पास-बुक ले ली हो तो वह बात अलग है लेकिन जितने आंकड़े सरकार की तरफ से बता रहे हैं उस हिसाब से पास-बुकें नहीं भेजी गई हैं। इसके अलावा इन पास-बुक्स देने की जो घोषणायें की गई थी उसमें मुख्य कारण बताया था कि पास बुक के जरिये काश्तकारों को बैंक से ऋण लेने में सुविधा होगी लेकिन एक भी काश्तकार को आज तक पास-बुक के आधार पर ऋण नहीं मिला। जो भूमि विकास बैंक है जो राज्य सरकार की है उसमें हर स्तर पर राज्य सरकार के प्रतिनिधि हैं उसमें भी पास बुक के आधार पर काश्तकार को ऋण नहीं दिया जाता, उनके जो एप्लीकेशन्स फॉर्म्स हैं, उनका जो प्रोसीजर है, उसमें भी कहीं कोई सुधार नहीं हुआ और पास-बुक के आधार पर ऋण देने की बात शामिल नहीं की है। बार बार जब सवाल उठाया जाता है तो सरकार की ओर से उत्तर दिया जाता है कि पास बुक के आधार पर ऋण दिया जाता है लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह सरासर गलत बात है। आज तक एक काश्तकार को भी पास बुक के आधार पर ऋण नहीं दिया गया, फिर इन पास बुक्स देने का जो सरकार का उद्देश्य था कि इनको ऋण मिलने में सुविधा होगी, वह पूरा नहीं हो सका। पास-बुक वितरण का मुख्य ध्येय था कि काश्तकारों को ऋण मिलेगा। अब जिन बैंकों से यह ऋण दिलवा रहे हैं, जैसे लैंड मॉर्गेज बैंक है उनके फॉर्म्स और पास-बुक में जो एन्ट्रीज हैं उनका कोई मेल नहीं। इसलिये बैंक वाले ऋण नहीं देते इसलिये मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि कितनी पास बुकें दे दी गई और बाकी किस समय तक दे दी जायंगी और इन पास बुकों का देने का जो मक्सद था वह कहां तक पूरा हुआ है। अगर बैंक वालों से मिलकर सुधार किया जा सकता है तो वह करके दुबारा पास-बुक दिलायें।

श्री गंगाराम चौधरी (उप-मंत्री राजस्व): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो बातें कही हैं। इस संबंध में मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार ने घोषणा के पश्चात् काफी तादाद में पास बुकें उनके नाम से तैयार करके छपवाई हैं और अब तक की स्थिति यह है कि कुल 8.67 लाख पास-बुकें छपवाकर संबंधित जिलों में भेजी गई हैं, जिसमें नागौर जिले में भी लगभग 24 हजार पास-बुकें भेज दी गई हैं और अलग अलग जिलों में जिला स्तर पर हिदायतें कर दी गई हैं जिलाधीशों को कि वे जल्दी से जल्दी पास बुकें तैयार करवाकर काश्तकारों को बाटें। पिछले दिसम्बर माह में इसी संबंध में यहां पर जिलाधीशों का एक सम्मेलन बुलाया गया था और उस समय भी जिलाधीशों को पास बुक्स के संबंध सारी चर्चा करके विशेषतः हिदायत की गई थी कि इनको तैयार करवाकर काश्तकारों को बांटी जायं। उसके पश्चात् कहां तक प्रगति हुई है मैं नहीं कह सकता। माननीय सदस्य जो कठिनाई बता रहे हैं ऋण के संबंध में बैंकों को क्या आपत्ति है, हम पता लगायेंगे लेकिन जहां तक सरकार की जानकारी है संबंधित बैंक केवल कृषक द्वारा पास-बुक बतलाने के बाद में हलफनामा

(श्री गंगाराम चौधरी)

लेती है वह शायद इस कारण लिया जाता है कि पास बुक में अमुक तिथी तक एन्ट्री होती है और उसके बाद में कृषक ने कोई और ऋण ले लिया हो उस संबंध में जानकारी करने के लिए या संतोष के लिये बैंक अधिकारी शायद हलफनामा लेते हैं वरना पास बुकों को सही मानकर उनके एन्ट्रीज पर ऋण देते हैं। फिर भी राजस्व विभाग इस संबंध में जानकारी कर लेगा कि पास बुकों के आधार पर बैंकों द्वारा ऋण क्यों नहीं दिया जाता। राजस्व विभाग ने पास बुक का नमूना तैयार किया था तो उस संबंध में सहकारी विभाग और अन्य बैंकों से चर्चा की थी और उनकी राय के माफिक ही पास बुक में संशोधन भी कर दिया था और उनके द्वारा बतायी गयी एन्ट्रीज भी कर ली गयी थी। इस पास बुक में पांच भाग हैं। भाग 4 में भुगतान किये हुए ऋण का ब्यौरा और 5वें में वसूली का ब्यौरा है।

श्री रामचन्द्र आर्य : तीन साल से आप घोषणा कर रहे हैं कि पास बुक दे रहे हैं आज तक तो कहीं काश्तकारों के पास देखने को मिली नहीं।

श्री अध्यक्ष : आप आरम्भ रखिये।

श्री गंगाराम चौधरी : पास बुक का नमूना पिछली बार सदन की मेज पर रख दी थी और माननीय सदस्यों के पास भी नमूना भेज दिया था।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यहां पर रख देने से लोगों को थोड़े ही मिलती हैं।

श्री गंगाराम चौधरी : इसके उपरान्त और कोई कठिनाई विशेषत; माननीय सदस्यों द्वारा जानकारी में लायी जावेगी तो उसका निराकरण करने की कोशिश की जावेगी।

श्री रामचन्द्र आर्य : पास बुक दी ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : आरम्भ रखिये।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रयत्न यह रहा है कि खातेदार और गैर खातेदार काश्तकारों को पास बुक मिल जाय। और भी प्रगति के लिये जिलाधीश को आदेश दे दिये जावेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं एक जानकारी चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री बुरड़क।

श्री हरजीराम बुरड़क : कलेक्टरों के पास जितनी भी पास बुकें भेजी हैं 25 प्रतिशत भी उनके पास नहीं पहुंची हैं। आपने यह बताया कि लैंड मार्टगेज बैंक पास बुक देखने पर और हलफनामा लिख देने पर लोन दे देता है। आप इसका एक केस भी बता दें तो मैं उसको स्वीकार कर लूंगा। लेकिन आपको एक ऐसा भी कोई नमूना नहीं मिलेगा कि पास बुक मिल गयी हो।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं यह निवेदन कर रहा था कि क्या सरकार की यह जानकारी में है कि कौन 2 जिलों में कितनी पास बुकें बांटी गयी है। (विराम) अभी बटीं नहीं है। आप कहते हैं कि भेज दी। काश्तकारों के पास पहुंची नहीं। लैंड मोर्टगेज बैंक में पेश करते है तो क्या वे रिकाग्नाइज करते हैं यह जानकारी है क्या ?

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप जिलों में पास बुक भेजना बताते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार एक भी पास बुक काश्तकार को नहीं दी गयी है ।

श्री दौलतराम सारण : यह सही है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : एक भी पास बुक काश्तकार को बतायी नहीं किस जगह है यह आपने जानकारी की है ?

श्री पो० के० चौधरी : म यह जानना चाहूंगा कि कुल कितने खाते राजस्थान में है ? (विराम) कुल 50 लाख से अधिक खाते हैं और 8 लाख आपने पास बुकें छापी हैं। उनका डिस्ट्रिब्यूशन कैसे होगा ?

श्री हरिवल्लभ शर्मा : एक भी पास बुक सवाई माधोपुर जिले में नहीं बंटी है। हो सकता है मंत्री महोदय ने अपने जिलों में और दूसरे मंत्रियों के जिलों में बंटायी हो । सवाई माधोपुर जिले में तो एक भी पास बुक नहीं बंटी है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं पूछना चाहता हूं कि किसान को राहत देने के लिये पास बुक की बात कर रहे हैं । ट्रेसपासर्स के लिये राज्य सरकार के आदेश हैं कि खाते बंदी कर दी जाय। ऐसे कई काश्तकार हैं जिनके खाते नहीं बांधे गये हैं तो उनको पास बुक देंगे या नहीं ? जो ट्रेस्पासर्स हैं उनकी पास बुक में ट्रेसपासर शब्द लिख दिया जाय तो उनको मालूम हो जावेगा। माननीय राजस्व मंत्रीजी ने कहा कि जिलाधीशों को बार बार आदेश दिये गये हैं । मैं आप से पूछना चाहता हूं कि जिलाधीश आपकी आज्ञा नहीं मानते हैं और मुख्य मंत्रीजी को आपने पत्र लिखा है कि जिलाधीश आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, तो जब जिलाधीश आपकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो पास बुकों का वितरण किस प्रकार से होगा। एक अवधि बता दीजिये कि अमुक तारीख तक कर देंगे ।

श्री रामसिंह कुड़ी : मैं राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने पास बुक इन्ट्रोड्यूस की । कोओपरेटिव बैंक आदि के जो नियम हैं उनमें परिवर्तन हुआ है क्या इसी प्रकार व्यवसायी बैंक और लैंड मोर्टगेज, बैंक है उनके फार्म और नियमों में परिवर्तन के आदेश आपने दिये हैं क्या ?

श्री फूलचन्द बाफना : क्या आप अन्तिम तारीख बता सकने की स्थिति में हैं कि उस तारीख तक सब काश्तकारों का पास बुकें वितरित हो जावेंगी ।

श्री गंगाराम चौधरी : मुख्यतः प्रश्न सामने आगये हैं । वे इस प्रकार हैं । पहला तो पास बुक वितरण का है कि किस प्रकार वितरण हुआ है । ये आंकड़े हमारे पास अभी नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष : वितरण हुआ भी है या नहीं ?

श्री रामसिंह कुड़ी : उप राजस्व मंत्री जी बता दें कि खुद खातेदार हैं । क्या उनके पास पास बुक पहुंच गयी ?

श्री रामकिशोर व्यास : बजट के टाइम में किस जिले में कितनी वितरण हो गई है यह हम बता देंगे ।

श्री दौलतराम सारण : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में स्पष्ट मुद्दों की जानकारी चाही गयी थी उनका तो कोई जवाब ही नहीं

(श्री दौलतराम सारण)

दिया। अब कहते हैं कि बजट के समय में दे देंगे। उस समय कह देंगे कि पांच जिलों की आयी है और बाकी की नहीं आयी है। यह बड़ी चिन्तीय स्थिति है, अध्यक्ष महोदय। हमारी जानकारी के अनुसार अब तक कोई पास बुक किसी काश्तकार को नहीं मिली है। और न ही किसी पास बुक के आधार पर कोई बैंक ऋण देने के लिये तैयार है क्योंकि उनके जो फार्म्स बने हुए हैं उनमें तब्दिली नहीं करायी है वे देने के लिये तैयार नहीं उनकी मौजूदा एन्ट्रीज के माफिक। वे इसको मान्यता भी नहीं देंगे जब तक उनमें परिवर्तन नहीं हो जाता है। जवाब देने की ही बात हो तो अलग बात है लेकिन यदि वास्तव में काश्तकार को राहत देने की बात है तो आपको चाहिये कि कार्मशियल बैंक, और मार्टगेज बैंक सहकारी बैंकों के नियमों और फार्मों में तब्दिली कराइये। जिससे वे ऋण प्राप्त कर सकें। सहकारी विभाग, तहसीलदार और दूसरों से तस्दीक करानी पड़ती है। इनको कराने में आधा खर्चा तो वैसे ही वह कर देगा।

श्री गंगाराम चौधरी : जब इन पास बुकों का नमूना तैयार किया था उस समय सहकारी और कार्मशियल बैंकों की राय ली गयी थी और सारे प्रोविजन को इन्कोरपोरेट किया था। यदि इन पास बुकों के आधार पर कर्मशियल बैंक, सहकारी बैंक और लैण्ड मोर्टगेज बैंक ने परिवर्तन नहीं किया होगा तो सम्बन्धित विभाग और बैंक को निवेदन किया जावेगा।

श्री मदनसिंह दांता : पास बुक मिली ही नहीं है।

श्री सारण : किस तारीख तक सब को वितरित कर देंगे ?

श्री अध्यक्ष : उत्तर देने दीजिये।

श्री गंगाराम चौधरी : एक प्रश्न माननीय पी० के० चौधरी ने किया था कुल कितने खाते हैं। 40 लाख के करीब खाते ह। 81 हजार पास बुकें हमने जिलों म भेजी हैं। उन्हें वितरण, जैसा आपका अनुमान है, किया जा रहा है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : नहीं हुआ है।

श्री रामसिंह कुड़ी : पांच हजार ही बताया।

श्री रामकिशोर व्यास : पास बुक पटवारी द्वारा तैयार होती है। उसको इन्सेन्टिव देने के लिये यह भी निर्णय किया गया है कि एक पास बुक पर उसको एक रुपया दिया जाय।

श्री रामचन्द्र आर्य : वह एक क्या सौ रुपया लिये बगैर नहीं तैयार करता ? सौ रुपया मांगता है ? आपको मालूम है ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : बात सही है। अध्यक्ष महोदय।

श्री गंगाराम चौधरी : अब तक पटवारी वगैरा सभी स्टाफ चुनाव आदि कामों में व्यस्त रहे हैं और अब इन्सेन्टिव भी दिया गया है तो अब तैयार की जावेंगी।

ट्रेस पासर्स के सम्बन्ध में सवाल आया खातेदारों और गैर खातेदारों को कुछ सीमा तक सरकारी बैंकों द्वारा ऋण दिया जा सकता है।

(श्री गंगाराम चौधरी)

भूमिहीन जो हैं उन्होंने जो नाजायज कब्जे कर लिये थे 1-1-71 तक तो 15 बीघा तक उनको भी रेगुलेराइज कर दिया जावेगा। बिना शुल्क या पेनल्टी वगैरा कुछ भी लिये। तब वे भी अधिकारी हो जावेंगे सरकारी बैंकों से ऋण के लिये। गैर खातेदार खातेदार होंगे तब उनको अन्य बैंकों से भी दे दिया जावेगा यह भी निर्णय ले लिये गये हैं। सरकार ने आदेश जारी कर दिये हैं। तो इस समस्या का भी समाधान हो जावेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कब तक हो जावेगा ?

श्री मदनसिंह : पास बुक तैयार करने के बाद देने का काम पटवारी पर नहीं छोड़ा जावे। वह तो एक एक पास बुक के लिये सौ सौ दो दो सौ रुपये लेगा और इस तरह से भ्रष्टाचार का खुला खेल होगा।

श्री हरजीराम बुरड़क : पटवारी के मार्फत नहीं दिया जावे।

मैं और भी पूछना चाहता हूं कि कितनी पास बुकें आपने जिलों में भेजी हैं और पूरी कब तक छपकर लोगों को मिल जावेंगी' यह भी बता दें।

दूसरा मैंने यह कहा था कि जिस काम के लिये पास बुक थी उसमें एक भी काश्तकार को पास बुक के आधार पर ऋण नहीं मिला

श्री गंगाराम चौधरी : जल्दी से जल्दी किया जावेगा। जहां तक उन के आधार पर ऋण मिलने की बात है और जानकारी कर ली जावेगी। क्या और आवश्यकता पड़ती है इसमें उस हिसाब से और संशोधन कर लेंगे, वैसे ये पास बुकें बैंक वालों से भी सलाह लेकर तैयार करवाई हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क : आपको स्वीकार करने में क्या आपत्ति है कि एक भी काश्तकार को पास बुक के आधार पर ऋण नहीं मिलता। अगर यह बात गलत साबित हो तो शर्त रखने को तैयार हूं। एक भी ऐसे किसी काश्तकार को आप पेश कर दें जिसे पास बुक के आधार पर ऋण मिला हो सारे राजस्थान में।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्रीजी से एक बात पूछना चाहूंगा। राजस्व मंत्रीजी ने स्वयं ने एक पत्र इस अप्रेल के महीने में माननीय मुख्य मंत्रीजी को लिखा है जिसमें कहा है कि जिलाधीश उनके आदेश को नहीं मानते। तो जिनकी आज्ञा जिलाधीश न माने तो क्या यह विश्वास कर सकते हैं कि जिले जिले में इनके कहे अनुसार पास बुकें किसानों में बंट जावेंगी ? अब कलेक्टर ही आपकी आज्ञा का पालन नहीं करता रेवेन्यू सेक्रेट्री के आदेशों की पालना कलेक्टर नहीं करता तो फिर आप क्या कर सकते हैं ?

श्री फूलचन्द बाफणा : मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया कि अन्तिम तारीख कौनसी है जब कि सब किसानों को राजस्थान भर में आप पास बुकें वितरित कर देंगे ? दो साल तीन साल म जो भी तारीख आप ठीक समझें वह बता दीजिये।

श्री रामकिशोर व्यास : अध्यक्ष महोदय दो प्रश्न हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं तो केवल यह कहना चाहता हूं कि यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है

Page No 67

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जिसकी सूचना काफी पहले दी जाती है। ऐसी स्थिति में मंत्रीजी की तरफ से यह कहा जावे कि सूचना उनके पास नहीं है तो यह बात तो बहुत बेवाजिब सी मालूम पड़ती है। सूचना नहीं मंगा सके या मंगाई है तो देना नहीं चाहते इस फेक्ट को क्यों छिपाते हैं। मान लें कि पास बुकें नहीं दी जा सकी हैं। 87 हजार पास बुकें बांटी गई हैं ऐसी सूचना दी है। पर लोग कहते हैं यह गलत है। अगर यह गलत है तो कह दें गलत है। आप अपने विभाग की गलती को छिपाते क्यों हैं झूंठ बोलकर, सदन में सही सही कह दें। आपका विभाग आगे से ठीक काम करेगा। अब आप यह कहें कि मालूम नहीं है तो इतने दिन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर आपको मिले तो फिर इसका मकसद क्या रहा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जब जब सीलिंग की बात आई थी तब तक कह दिया गया कि जानकारी नहीं है। सीलिंग के बारे में भी जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा कि कितने आदमियों ने कितनी जमीन एक्वायर कर ली तो कह दिया हमारे पास जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : समझ गये। राजस्व मंत्री जी।

श्री रामकिशोर व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें दो प्रश्न उत्पन्न हुए हैं। एक तो पास बुक के वितरण के बारे में और दूसरा उन पर ऋण दिये जाने के बारे में।

इसमें यह तो नहीं पूछा गया था कि क्चुअली सारे राजस्थान भर में जिलेवार कितनी बांटी गई। आप कहें तो पढ़कर सुना दूं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

तो किस किस जिले में कितनी कितनी एक्चुअली दी गई इसके बारे में पूछा नहीं था। वह इत्तला आप चाहेंगे तो अब दे दूंगा। ऐतराज जैसी इसमें कोई बात नहीं है। और छिपाने की भी कोई बात नहीं है।

अब पास बुक वितरित ही नहीं हुई यह कहना सही नहीं है। अब कहां कहां कितनी कितनी बंटी हैं यह सूचना आपको जल्दी ही दे सकूंगा। बजट पर बहस के दौरान दे दूंगा। हमने करीब 8 हजार पास बुकें अलग अलग जिलों में भेजी हैं। इसम अब लेनेवालों को वहां जाना पड़ेगा और उसकी एक रुपया कीमत देनी पड़ेगी।

श्री रामचन्द्र आर्य : इसे पंचायतों में जमा करवा दें।

श्री रामकिशोर व्यास : आप बात पूरी सुनना नहीं चाहते, बीच में ही बोल उठते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : आप पटवारी के चक्कर में हैं, किसान को उसके चक्कर में और डालना चाहते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : तो इतना प्रोसीजर तो करना पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां जाकर एक रुपया देकर लाना चाहिये और इसमें आप लोगों के सहयोग की भी मैं आकांक्षा करता हूं। अब वह नहीं देगा यह अगर आशंका है तो अभी तक तो ऐसी शिकायत आई नहीं है, आवेगी तो हम तुरन्त एक्शन लेंगे।

श्री रामचन्द्र आर्य : पास बुक छपी ही नहीं है, आवेगी कहां से, देंगे कहां से।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं भाग कर तो जा नहीं रहा हूं । आप पूछिये एक नहीं, दस बात पूछिये, पर आप मुझे कहने तो दीजिये। जवाब देने की मेरी तैयारी है पर बीच में इस तरह से व्यवधान करने से न आप कह पाते हैं न मैं अपनी बात आपको समझा पाता हूं ।

मैं निवेदन कर रहा था कि पास बुक उन्हें वहां जाकर लेनी पड़ेगी। तहसीलदार, एस० डी० ओ० की शिकायत ही आज तक किसी ने नहीं दी । दें तो बात समझ में आ सकती है। अगर शिकायत आई तो कार्यवाही अवश्य होगी । मैं आपका इतना ही सहयोग चाहता हूं कि वहां जाकर लाने में लोगों की सहायता करें ।

श्री मदनसिंह : आपके पटवारी और तहसीलदार तो दे चुके। आप कहें तो एक एक लाख काश्तकार आपके घर पर आकर रिपोर्ट करेंगे कि वे दे नहीं रहे हैं । किससे करें फिर शिकायत कैसे करें । दुनिया जानती है कि बिना रिश्वत लिये न पटवारी कुछ देने करने वाला है, न तहसीलदार ही ।

श्री रामकिशोर व्यास : आपका सहयोग चाहिये । इस मामले में दो राय नहीं है । हम भी आपकी चिन्ता में शामिल हैं। किसान को लाभ जल्दी से जल्दी मिले, हम भी चाहते हैं कि इसमें कोताई न हो ।

श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : तीन साल तो हो गये ।

श्री रामकिशोर व्यास : पटवारी को ही तो उनमें एन्ट्रीज करनी पड़ती है। पटवारी के सिवाय और कोई कर नहीं सकता । और कोई तरीका हो सकता हो तो बतावें। ओब्जेक्ट अचीव करने में अगर प्रोसीजर बदलना पड़े तो हम तैयार हैं। इसमें पंचायत क्या पार्ट प्ले कर सकती हैं इसे भी कन्सीडर करने की हमारी तैयारी है । हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बांटी जावें और बिना किसी शिकायत के बांटी जावें ।

ऋण की जहां तक बात है । इसमें बैंक इन्कार न करे इसके लिये ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : पास बुक क्या तहसील में जाकर लानी पड़ेगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां ।

दूसरी बात जो ऋण की बात है उसमें हमारे पास में यह इन्फोरमेशन है कि जो पास बुक बनायी गयी है वह पहले कोआपरेटिव बैंक और दूसरे बैंक से कन्सल्ट करके बनायी गयी है, उनकी सलाह और मशविरे से बनायी है, और जो फार्म उसमें है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। अगर वे कहेंगे कि इनमें परिवर्तन की जरूरत है तो निश्चित तौर से उसमें परिवर्तन किया जायेगा। कुछ बैंक दे भी रहे ह लोन और कुछ नहीं भी दे रहे हैं...

श्री हरजीराम बुरड़क : एक काश्तकार का नाम भी बता दें जिसने पास बुक के आधार पर लोन लिया है, जिसे पास बुक के आधार पर लोन मिला हो। .. पास बुक के आधार पर किसी को भी लोन नहीं मिला है। आप यह बात गलत कह रहे हैं ।

श्री रामकिशोर व्यास : आप कहते हैं तो सच है । मैं आपको बता दूं मैं खुद भी यह बात चाहता हू कि पास बुक से बैंक से लोन मिले । बैंक के प्रोफार्मा की

(श्री रामकिशोर व्यास)

वजह से या और कोई उनके फार्म भरने होते हैं तो उनको बुलाकर इस पर विचार कर लेंगे, डिसकशन कर लेंगे और फिर जैसा वे कहेंगे, उनकी सलाह से यह किया जायेगा। तो जो डिफिकल्टी है, मीटिंग करके उसको हल करने की कोशिश करूंगा।

श्री रामसिंह कूड़ी : माननीय मंत्री महोदय....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्यों की चिन्ता से अवगत है और मेरा विश्वास है कि यह प्रश्न, जो इसका उत्तर यहां पर दिया गया है, उससे माननीय सदस्य आश्वस्त नहीं हुए हैं। मैं यह चाहता हूं जैसा आपने सुझाव दिया है, इस प्रश्न पर पुनः विचार किया जायगा और इस प्रश्न पर पुर्नविचार किया भी जाना चाहिये कि किस तरह से किसानों को सुविधा शीघ्रातिशीघ्र मिल सके। मैं समझता हूं कि आप माननीय विरोधी दल के नेता, विरोधी गुट के नेता या और माननीय सदस्यों को बुलाकर आप इस पर उनकी सुझावों को ले लें और उन सुझावों के बाद जो कुछ भी सुधार कर सकते हों तो वह अच्छे हो या और कोई सुझाव दे और जिससे जल्दी से जल्दी इस मसले का निराकरण हो सके और इस सन्दर्भ में आप माननीय सदस्यों से मिल लें।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, एक मुद्दा रह गया है। कुल कितनी पास बुक की आवश्यकता है और कितनी अवधि में पास बुक का वितरण कर दिया जायगा यह आपने नहीं बताया है, जो कि मुख्य मुद्दा है।

श्री अध्यक्ष : जो स्पष्टीकरण बाकी रह गया है, जो आपकी जानकारी में है वह इस समय दे दिया गया है। और इस सन्दर्भ में मीटिंग में विचार हो सकता है। 1971–72 के बजट पर सामान्य वाद-विवाद। श्री भैरोंसिंह शेखावत।

आय-व्ययक 1971-72 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री भैरोंसिंह शेखावत : (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, 1967 के आम चुनावों के बाद, इस सरकार का यह अन्तिम बजट है। और अन्तिम बजट होने के कारण मैं ऐसा समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, बीच में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बजट पर कुछ भी कहा जाय, उसे सुनने के लिये हमारे वित्त मंत्री महोदय, सदन में उपस्थित नहीं है, यह थोड़ा उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : वित्त मंत्री महोदय, उपस्थित हों। आप जितने प्राक्कियन इसका कर लीजिये, वे आ रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह निवेदन कर रहा था, अध्यक्ष महोदय कि यह इस सरकार का अन्तिम बजट है और अन्तिम बजट होने के नाते राजस्थान की जनता को यह अपेक्षा थी कि इस अन्तिम बजट में हमें पिछले वर्षों में जो उपलब्धियां मिली हैं, उसका एक चित्र और भविष्य में हम क्या करना चाहते हैं, उसकी एक योजना इस बजट के माध्यम से इस सदन की जानकारी के रूप में दी जाती। इस बजट में इस बात की अवश्य चेष्टा की गई है कि बजट सन्तुलित बने। 22 करोड़ का अनकवर्ड गेप रख कर राजस्थान सरकार जनता को यह बताना चाहती है कि हम इस वर्ष मामूली-सा टैक्स

Page No 70

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

लगाकर बजट को सन्तुलित करने की चेष्टा कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं और बाकी का अनकवरर्ड गेप यह भारत सरकार से उपलब्ध होगा और इस कारण कोई नया टैक्स लगाने की योजना नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य, से सारे देश में इन पिछले वर्षों से इस प्रकार की परम्परा चली आ रही है कि वह चाहे केन्द्र का बजट हो, वह चाहे किसी प्रादेशिक सरकार का बजट हो, अनकवर्ड गेप रखने की एक परम्परा चलती आ रही है। किसी भी देश की वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में उस समय तक सही चित्रण नहीं हो सकता है जिस समय तक हम अनकवर्ड गेप बनाकर चलें और जो अनकवर्ड गेप के नाम पर डेफिसिट बजट को रख कर इसको सन्तुलित करने का आश्वासन दें। अनकवर्ड गेप के कारण प्राइसेज शूट अप करती है लेकिन और भी कई इकोनोमिक ट्रबल खड़े होते हैं जिनके निराकरण के लिये भविष्य में जाकर कई प्रकार का और खर्चा सरकार को करना पड़ता है। इस वर्ष का बजट सन्तुलित बजट है। मैं वित्त मंत्री महोदय और सदन को यह बताना चाहूंगा कि चुनाव के पहले वर्ष का बजट हमेशा सन्तुलित होता है। यदि आप 56 का बजट देखेंगे, उसके बाद 61 का बजट देखेंगे और उसके बाद 66 का बजट देखेंगे तो जो भी चुनाव हो रहे हैं, इस सरकार ने चुनाव के पहले के वर्ष का बजट सन्तुलित बजट के रूप में प्रस्तुत किया है, करती आयी है इसमें विशेष कारीगरी की आवश्यकता नहीं है, विशेष परिश्रम की आवश्यकता भी नहीं है। आम जनता का दबाव होता है जो हमें अगले वर्ष चुनाव में जाकर जनता से वोट लेने होते हैं और वोट लेने की इच्छा से ही सरकार ने चुनाव से पहले वर्ष का बजट में किसी प्रकार का टैक्स लगाने की स्थिति पदा न हो इसलिये बजट सन्तुलित बनाया जाये और इस प्रकार से यह बजट भी एक सन्तुलित बजट के रूप में रखा गया है।

मैं ऐसा समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि इस बजट में नीति और सिद्धांतों का भी उल्लेख किया गया है। उद्देश्य और नीतियों-इस बात का उल्लेख किया गया है। लेकिन सारे बजट भाषण को देखने के बाद एक चीज स्पष्ट होती है कि इसमें किसी प्रकार की नीति का डिक्लेरेशन नहीं है। किसी प्रकार का कोई लक्ष्य नहीं है। मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि यह बजट एक किसी खास नीति का निर्देशक नहीं है और यह बजट पूर्ण तथा लक्ष्यविहीन है। वित्तमंत्री महोदय ने इस बजट के दो पेज-पहला पेज और आखिरी पेज, इन दोनों पेजों के अन्दर उर्दू के लफ्जों का इस्तेमाल करके यह बताने की कोशिश की है कि कि मैं बहुत प्रगतिशील हूं। और यह बजट प्रगतिशीलता का प्रतीक है। अगर उर्दू और हिन्दी के फर्क से कोई आदमी प्रगतिशील हो सके, किसी प्रकार के कारनामे प्रगतिशीलता का सकेत दे सकें तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वित्त मंत्री जी इसमें सफल हुये हैं लेकिन भाषा के माध्यम से कोई प्रगतिशीलता का काम ध्यान में आता हो तब तो कोई बात समझ में आये लेकिन यहां एक बात नये रूप से इस बजट भाषण में देखी है। आपने लिखा है-चुनावों के नतीजों के लाजमी तौर पर दूरगामी परिणाम होंगे। अर्सेदराज से दबे

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हुये अवाम ने बेहतर जिन्दगी के अपने हक का दावा किया है । एक नया जोश, एक नयी उम्मीद उभर आई है, खासतौर से नौजवानों और मजलूमों में । राजनीतिक नेताओं की यह जिम्मेदारी है कि इस जोश को रचनात्मक मोड़ दें और लोगों के उभरते हुए अरमानों को पूरा करें । मैं समझता हूं यह तो राजनैतिक नेताओं की जिम्मेदारी आ गई है तो आंशिक रूप से सरकार अपनी जिम्मेदारी बाकी के लोगों पर डालने का प्रयास कर रही है । सरकार पर किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं है । राजस्थान की सरकार जनता के बढ़ते हुये अरमानों की जिम्मेदारी नहीं लेती । आगे कहा गया है- मुझे यकीन है कि श्रीमती गान्धी के गतिशील और प्रबुद्ध नेतृत्व में नयी केन्द्रीय सरकार इस चुनौती का मुकाबला करेगी और जनता से किये गये वायदों को निभायेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि अब तक जितने बजट भाषण मैंने देखे हैं उन में मैंने कभी स्वर्गीय प्रधान मंत्री जवाहरलाल नहरू का नाम, स्वर्गीय श्री लाल बहादुर का नाम और अब तक हिन्दुस्तान की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी उनके सम्बन्ध म भी पहले के दजट भाषण में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं देखा । यहां जो उल्लेख किया गया उसका स्पष्ट उल्लेख यह है कि लोगों के अरमानों को पूरा करने की जिम्मदारी या तो श्रीमती गान्धी पर है या अरमानों को पूरा करने की जिम्मेदारी राजनीतिक नेताओं पर है। इस सरकार किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं है और वह जिम्मेदारी सरकार पर होती तो सरकार अपने बजट भाषण में उन सारे मुद्दों पर, सदन का ध्यान आकर्षित करती । राजस्थान की जो समस्यायें हैं उन समस्याओं का समाधान इसमें होता । अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण के आखिरी पैरा म लिखा है-श्रीमान्, अब मैं अपनी तकरीर खत्म करना चाहता हूं । मैंने सदन के सामने राजस्थान की मौजूदा वित्तीय स्थिति और विकास की तस्वीर मोटे रूप से पेश की है- अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा कह सकता हूं और वित्त मंत्री जी इस बात को स्वीकार करेंगे कि उन्होंने राजस्थान की वित्तीय स्थिति को मोट तौर पर नहीं बल्कि हल्के रूप से राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत की है। स्पष्ट वित्तीय स्थिति आपको विधान सभा में प्रस्तुत करनी चाहिये थी वह नहीं की जिसके कारण राजस्थान की वित्तीय स्थिति का स्पष्ट पता लगता और न इसमें राजस्थान के प्रशासनिक कार्यों के लेखे-जोखे की जानकारी मिलती है। आगे आप कह रहे हैं हमारा मकसद नये समाज की रचना करना है। मैं आपसे जानना चाहूंगा यह आपने कोई नई बात कही है क्या? जब से मैं विधान सभा में आया हूं कांग्रेस के नेताओं ने इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है। और अगर यहां भी आपने उसी प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है तो मैं समझता हूं यह रूटीन है और उसमें किसी प्रकार की नवीनता नजर नहीं आती है। नजरिये और तौर-तरीकों म इन्कलाबी तब्दीली लानी होगी । यह तौर तरीका, नजरिये और तब्दीली लाने का प्रश्न है वह मैं पूछना चाहता हूं आप किससे अपेक्षा कर रहे हैं? जनता तो तब्दीली लाने को तैयार है, जनता तो नये नजरिये लाने को तैयार है। मैं राजस्थान की सरकार से और खास तौर से वित्त मंत्री जी से पूछना चाहूंगा जो नजरिये बदलने का प्रश्न है तो क्या आप स्वयं अपने नजरिये गरीब जनता के लिये बदलन को तैयार हैं।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

राजस्थान के वित्त मंत्री श्री मथुरा दास जी माथुर स्वयं खड़े होकर कहें कि मैं नजरिये बदलने को तैयार हूं। क्या आपका मंत्री मण्डल इसके लिये सक्षम नहीं है जो एक कलेक्टिव तस्वीरें प्रस्तुत कर सके जिससे लोगों का आदर्श जगे और आपकी नजरिये और तब्दीली में विश्वास प्रकट कर सकें लेकिन मैं कह सकता हूं इनमें वह हिम्मत नहीं है। आगे कहा गया है अध्यक्ष महोदय सदियों से मुफलिसी के दामन में पलने वाला दबा इन्सान अब निजात चाहता है। उसकी सब्र का जाम लबरेज हो चुका है। वह तेजी से मंजिल की तरफ बढने, के लिये बेताब है। मंजिल दूर है और रास्ता कठिन है, मगर अवाम के इरादे दृढ़ और मजबूत हैं। ये बढते कदम कभी रुक न पायेंगे। अब मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय इन दो पेजों के अलावा या तो ऐसा लगता है वित्त मंत्रीजी ने इस बजट भाषण को दूसरों पर छोड़ दिया है और जहां उर्दू के अल्फाज किये हैं क्योंकि ये जानते है कि बजट भाषण का सदस्य पहला पेज देख लेंगे और आखिरी पेज देख लेंगे और उसमें वित्त मंत्री जी ने अपनी छाप लगा दी। लेकिन राजस्थान में कोई नई तब्दीली, नया नजरिया नया इन्कलाब आया हो, इस बजट भाषण को रखने के बाद ऐसा कोई भी इन्सान नहीं कह सकता है। पिछले चार साल में जो बजट प्रस्तुत किया है इसमें और उन बजट भाषणों में अन्तर है। पहले के बजट भाषण स्पष्ट थे और अब यह बजट भाषण कन्फ्यूज्ड रूप में है। राजस्थान सरकार की वित्तीय स्थिति का पता नहीं लगता कितना खर्च होता है और न इस बात का अनुमान लगता है कि राजस्थान के प्रोग्रेसिव रिटर्न्स की क्या स्थिति है। एक रुटीन के रूप में बजट पेश किया है। अब सन्तुलित बजट की बात माननीय वित्त मंत्री जी ने कहीं राजस्थान में हमने कई प्रगतिशील काम उठाये हैं जिनके द्वारा बेकारी मिटेगी, जिनके द्वारा जो आम समस्या है उनका समाधान होगा। मैं स्पष्ट रूप से यह कहना चाहूंगा और जैसा मैंने कहा है राजस्थान की वित्तीय स्थिति आप सही कभी रखते नहीं। आपने अपने बजट भाषण में कहा है पेज 6 पर इसके विपरीत हमने इस साल के दौरान 25 पाइन्ट 44 करोड़ के वेज एन्ड मीन्स के घाटे को भी पूरा किया है। इस स्थिति में 15 पाइन्ट 22 करोड़ का सुधार हुआ है परन्तु इन्होंने 1970-71 के बजट के तखमीनों में नहीं दिखाया गया था तो मैं यह कह रहा हूं आप जो चीज छिपाकर रखना चाहते हैं और इसी को बाद में अकाऊन्ट्स को एडजस्ट करने की दृष्टि से कह देंगे विवश होकर करना पड़ रहा है। उसी प्रकार अध्यक्ष महोदय कल माननीय वित्त मंत्री जी ने स्वीकार किया लगभग 59 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट है उसे स्पष्ट रूप से जैसे पिछले बजट भाषणों म उल्लेख किया जाता था इस बार उल्लेख नहीं किया। इसी प्रकार कई आइटम्स ऐसे हैं जिनके आधार पर मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं ये 22 करोड़ का डेफिसिट को पूरा नहीं करेंगे। आपने कहा है 22 करोड़ का गेप नहीं रहेगा। आपने कोई 50 लाख रुपये शराब बन्दी के कारण कम आमदनी बताई और उसके लिये कहा कि वह भारत सरकार से मिलेगा फिर आपने इस बात को भी कहा है 106 करोड़ अकाऊन्ट्स का जो खर्चा हुआ है वह भी भारत सरकार से मिलेगा। वह केवल आप अन्दाज के आधार पर ही कहते हैं। क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा यह तो आप जाने लेकिन 22 करोड़

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

के गेप के आधार पर उसको सन्तुलित बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा निश्चित मत है इस बजट में कई आइटम्स ऐसे हैं जिन पर खर्चा जयादा होगा और कई आइटम्स ऐसे हैं जिन पर आमदनी कम होगी और जो भारत सरकार से सहायता मिलेगी उससे 22 करोड़ का डेफिसिट नहीं रहने वाला है इसमें भी मेरा मत है यह 22 करोड़ से बढ़ेगा। और फिर इस वर्ष चुनावों के कारण काफी एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा बढ़ेगा। चुनावों के साल का बजट अध्यक्ष महोदय कोई सा ही ले लें उसमें इस प्रकार ही दिखाया गया है लेकिन चुनाव के बाद के जो बजट हैं 1967 को ले लें 1957 को ले लें, 1963 का ले ले जो चुनावों के बाद का बजट आता है व राजस्थान की जनता के लिये भयंकर होता है भयंकर रूप से उस बजट में टैक्स लगाये जाते हैं। सारे घाटे की पूर्ति टैक्सों से की जाती है और यह भी बजट उसी प्रकार की भूमिका को लिये हुये है। चुनाव के वर्ष में पता नहीं टैक्सों से घबड़ाकर जनता हमको वोट दे या नहीं।' इस बात का इनको अध्यक्ष महोदय बड़ा डर रहता है। लेकिन चुनाव निकलने के बाद जनता को भयंकर रूप से पीड़ित किया जायगा। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार आज सब में सामंजस्य बिठाने की बात कर रही है, सन्तुलन की बात कर रही है, बेकारी को मिटाने की बात कर रही है मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने इन्जीनियर्स, डाक्टर्स, डिप्लोमा होल्डर्स, शिड्यूल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को फेस प्रोग्राम के मातहत 26 हजार व्यक्तियों को काम देने की जो स्थिति बताई है राजस्थान की सरकार क्या यह कह सकती है कि राजस्थान में आज इतने पढ़े लिखे बेकार हैं, इतने अनपढ़ बेकार हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में इतने बेकार हैं और सीजनल इतने बेकार हैं? न आप अर्बन एरिया के बारे में कुछ बता सकते हैं, न रूरल एरिया के बारे में बता सकते हैं, न आप यह बता सकते हैं कि पढ़े लिखे कितने बेकार हैं, न यह बता सकते हैं कि सीजनल बेकार इतने हैं तो अध्यक्ष महोदय, एक बात आप मानकर चलें कि जो सरकार यह कहकर चले कि हम बेकारी की समस्या को मिटाना चाहते हैं उस सरकार से कोई भी व्यक्ति यह तो पूछना चाहेगा कि राजस्थान में वास्तव में बेकार कितने हैं, उनकी संख्या आपके पास नहीं। आपने कहा कि हम हजारों इन्जीनियर्स को और डॉक्टर्स को स्टाइपेण्ड देंगे। क्या आप डॉक्टर्स का पूल बनाकर उनको स्टाइपेण्ड देकर बेकारी की समस्या का समाधान कर देंगे? उसमें भी आपने कहा है कि दो वर्ष तक स्टाइपेण्ड दिया जायेगा और राज्य सरकार उम्मीद करके चलती है कि दो वर्ष के बाद इन लोगों को कोई न कोई रोजगार मिल जायगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा इस सदन से कि आज तक हमारी एक योजनाबद्ध विकास की स्थिति चल रही है और जो भी योजनायें बनी पहली पंजवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, और तीसरी पंचवर्षीय योजना इसमें से चाहे हम केन्द्रीय सरकार की योजना देखें चाहे राज्य सरकार की योजना देखें उस योजना के प्रारूप में या उस योजना की पुस्तक में एक बात का निश्चित रुप से उल्लेख होता था कि हमारे यहां पिछले वर्ष में अनएम्पलॉइड की संख्या इतनी थी और अगले वर्ष में अन-एम्पलॉयमेन्ट की संख्या इस प्रकार से बढ़ने वाली है। लेकिन अध्यक्ष महोदय जब से प्लान को छुट्टी मिली है उस समय से राजस्थान की सरकार यहां और भारत सरकार केन्द्र में जितने आदमी बेकार हैं उनके आंकड़े

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बताने को तैयार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जिस समय प्लानिंग कमिशन की स्थापना हुई थी उस समय भी भारत के संविधान में जो निर्देशित तत्व हैं और जो लोगों को धंधा देने का प्रावधान है उस प्रावधान के आधार पर ही यह 15 अगस्त, 1950 को रेज्योल्यूशन पास करके योजना कमिशन की नियुक्ति की गयी थी और हिन्दुस्तान में योजना के आधार पर विकास करने की स्थिति पैदा की गयी थी। उस समय उस रेज्योल्यूशन के बाद जब भी तीन प्लान बने पहले प्लान में यह था कि हम लोगों को रोजगार मुहैया करायेंगे हमारी जितनी योजनायें हैं वह इस आधार पर निर्धारित की जायेंगी कि वह रोजगार मुहैया करायें। दूसरी पंचवर्षीय योजना में आपने इसी बात को रिपीट किया लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना में आपने फुल एम्पलायमेन्ट का टारगेट रखा था उस टारगेट से आप विमुख हो गये और आपने उसके ऊपर कोई महत्व नहीं दिया और चौथी पंचवर्षीय योजना अध्यक्ष महोदय मैंने जो देखी इस चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्दर तो प्लानिंग कमिशन ने इस बेकारी के संबंध में बेकारों को किस प्रकार से काम मिल सकता है। इस संबंध में मौखिक सहानुभूति भी प्रकट नहीं की। आंकड़े देने का सवाल तो पैदा ही नहीं होता। अब प्लानिंग कमिशन के सामने यह झगड़ा पैदा हो गया कि बेकार कौन है। बेकार की परिभाषा क्या है, किस आदमी को बेकार माना जाय।

अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि बेकारी के नाम पर पंचवर्षीय योजना में अरबों रुपया खर्च कर दिया, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में काफी रुपया खर्च कर दिया और चौथी पंचवर्षीय योजना में जाकर हमारी योजना बनाने वाले और हमारी सरकार यह कहे कि बेकारों की संख्या इकठ्ठी करने से पहले इस बात का निर्णय किया जावे कि आज बेकार की परिभाषा क्या है। अब बेकार की परिभाषा तय होगी। उसकी परिभाषा किस प्रकार से बताई जाये इसके लिए कमेटी बनाई गयी। उस कमेटी ने यह तो कम से कम कह दिया कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो बेकारों के आंकड़े प्लान में दिखाये गये हैं उनका कोई साउन्ड बेसिस नहीं है। तो आज बेकारों के संबंध में भारत सरकार जब स्वीकार करके चले कि हमने योजना में जो बेकारों की संख्या दी थी उसका कोई साउन्ड बेसिस नहीं था तो इस योजना में कितनी गलती हो सकती है इसका आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, यहां तो बेकार रह रहे हैं और रोजी रोटी के लिये वह त्राहि त्राहि करते घूम रहे हैं और किस प्रकार से बेकार के परिवारों की परिस्थिति सुधरे, किस प्रकार से पढ़ाई-लिखाई का इन्तजाम हो, वह तो इसकी चिन्ता कर रहे हैं और भारत सरकार इस बात की चिन्ता कर रही है कि बेकारों की परिभाषा क्या है। अब उस बेकारों की परिभाषा में उन्होंने तय कर दिया कि चौथी पंचवर्षीय योजना में बेकारों के आंकड़े देने की आवश्यकता नहीं है। बेकारों के आंकड़े नहीं होंगे तो भारत सरकार को या किसी भी राज्य सरकार को लोग बदनाम नहीं कर सकते कि अमुक क्षेत्र में इस प्रकार की बेकारी की संख्या है और उसके लिए भारत सरकार और राजस्थान की सरकार को कोई पाबन्द नहीं करेगा।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मैं ऐसा समझता हूं कि आज देश में जिस प्रकार से हिंसा की स्थिति है उसके लिए मैं भारत सरकार को जिम्मेदार ठहराता हूं कि उसने शिक्षित वर्ग में बेकारी की समस्या को खड़ा कर दिया। आज लोकतंत्र को जीवित रखना है तो आवश्यकता इस बात की है कि हम लोगों की बेकारी को मिटाने के लिए ज्यादा से ज्यादा काम हाथ में लें और वह बेकारी किस प्रकार से मिटाई जा सकती है उसकी व्यवस्था करें। अगर बेकारी की समस्यायों को यों ही बनी रही और हम उस समस्या से आंखें बन्द करते रहे तो आप मानकर चलें कि इस बेकारी के कारण देश के सामने बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न होगा जिसका समाधान आंकड़ें देने से या भाषणों से नहीं होगा। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार ने बेकारी की समस्या के लिए क्या समाधान किये जायें उसके दो उपाय निकाले हैं उसमें एक उपाय यह है कि भारत सरकार ने एक फ्रेस प्रोग्राम 26 जिलों में बनाया है जिसमें प्रत्येक जिले में हजार-हजार व्यक्तियों को काम मिलेगा और उसके लिए 12।। लाख रुपया हर डिस्ट्रिक्ट में रखा जायेगा और जो सरकार ने योजना बनाई है डाक्टर्स की, इन्जीनियर्स की उसके ऊपर खर्चा होगा 20 लाख रुपया। टोटल 32।। लाख रुपया जो खर्चा होगा राजस्थान सरकार राजस्थान के बेकारों की समस्या का समाधान करना चाहती है। मैं समझता हूं कि इससे कोई भी प्रगतिशील विचारों का व्यक्ति है कम से कम वह यह तो महसूस करके चलेगा कि राजस्थान में जिस प्रकार की बेकारी की समस्या है उसके अनुपात में जिस प्रकार के उपाय होने चाहिए उस प्रकार के उपाय राजस्थान की सरकार ने नहीं किये। मुझे तो भय है अध्यक्ष महोदय, और मैं तो सन्देह भी प्रकट करना चाहता हूं कि आपका कोई फ्रेस प्रोग्राम अगले वर्ष चलने वाला नहीं है। यह एक्सपेरीमेन्ट नहीं है। यह एक्सपेरीमेंट चुनावों के पहले किया जाये। आज इस बात की चर्चा है कि सरकार के पैसे से हर जिले में 26-26 हजार कार्यकर्त्ता खड़े किये जायेंगे जो कि कांग्रेस की जय जयकार चुनाव के दिनों में गायेंगे। यदि सरकार की यह योजना है तो मुझे आपत्ति नहीं है। मैं ऐसा समझता हूं कि इस प्रकार की आपत्तिजनक स्थिति को वित्त मंत्री जी जान बूझ कर लाये हों ऐसा मैं नहीं कह सकता लेकिन दिल्ली के जिन लोगों ने इस योजना को बनाकर भेजा है अगर इसको कार्यरूप में परिणित करना चाहते हैं तो मैं निश्चित रुप से कहूंगा कि राजस्थान की सरकार प्रायोरिटी लेकर चले-कि 26 जिलों में एक एक हजार लोगों को रोजगार देने की बात किस प्रकार से ली जानी चाहिए और ऐसे काम लिये जाने चाहिए जो कि एम्पलायमेंट की पोटेन्शल को जनरेट करते हों।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार एम्पलायमेंट के बारे में कितनी चिन्तित है यह इससे पता चलता है कि भारत सरकार ने रुरल इन्डस्ट्रीज बोर्ड के सिफारिश के ऊपर राजस्थान के चुरू और नागौर जिले के अन्दर दो सेन्टर्स खोले और रूरल इन्डस्ट्रीज प्राजेक्ट के अन्दर यहां पर लोगों को किस प्रकार से काम सिखाये जायें इसकी व्यवस्था की गयी थी और इस पर 1.28 लाख का खर्चा हो गया। खर्चा होने के बाद वह प्राजेक्टस बन्द हो गए। सामान आज उनका यों का यों

(श्री भैरोंसिंह)

पड़ा है और किसी एक व्यक्ति को ट्रेनिंग नहीं मिली और ट्रेनिंग नहीं मिलने के कारण वे बन्द कर दिये गये। अब आप यह कहना चाहें कि हम ग्रामीण क्षेत्रों की बेकारी गृह उद्योगों से समाप्त करना चाहते हैं तो अगर आप समाप्त करने की नीयत रखकर चलते तो पिछले वर्ष में जो भारत सरकार से स्वीकृत प्राजेक्ट्स लाये थे उसके आधार पर लोगों को इस प्रकार की शिक्षा-दीक्षा मिल जाती तो वह गांवों में छोटे-मोटे उद्योग धंधे चलाकर अपना पेट भरने की स्थिति में आते लेकिन आपने उस संबंध में कोई चिन्ता नहीं की। अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बेकारी की समस्या के समाधान के लिए आप यह कहकर चलें कि हमारे पास जितने साधन होंगे उन साधनों के आधार पर ही हम इस बेकारी की समस्या की व्यवस्था कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, बजट में इसके बारे में क्या कदम उठाये गये हैं, बजट में क्या लक्ष्य हैं? 1952 से यह सरकार चल रही है और हमारे संविधान में कुछ निदेशक तत्व हैं। आज इन तत्वों के आधार पर राजस्थान सरकार का कुछ लक्ष्य होता, लक्ष्य इस मतलब से कि हम राजस्थान के अंदर बेकारी किस तारीख तक मिटा सकते हैं। राजस्थान में जो सुविधाएं हैं उनके अनुसार 10 वर्ष में हर आदमी को एज्यूकेट करने की व्यवस्था यह की गई है, उस लक्ष्य की पूर्ति हम कब कर पायेंगे। राजस्थान में जहां हाउसिंग प्रोब्लम है उस हाउसिंग प्रोब्लम को किस समय तक पूरा कर पायेंगे। राजस्थान में यदि यही स्थिति रही तो बाकी की फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन्स का जो कर्जा है उस कर्जे को कम से कम किस समय तक चुका पायेंगे या किस समय तक उसको रिपे करने की पोजीशन में आयेंगे? अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा और सदन को जानकारी भी होगी कि आज से कुछ समय पहले हमारे प्रधान मंत्री ने जिस समय चौथी पंचवर्षीय योजना की चर्चा चलने वाली थी उस समय यह कहा था कि चौथी पंचवर्षीय योजना में हम इस बात की कोशिश करेंगे कि किसी प्रकार से हम पर फोरेन एड सब्स्टेन्शल इन्क्रीज न हो। अब वह तो इन्क्रीज नहीं होने की बात कहना चाहते हैं-पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमेशा इस बात का प्रयास किया गया कि हम फोरेन एड से दबे हैं। आज राजस्थान सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि आपके ऊपर 647 करोड़ रुपयों का कर्जा है, उस कर्जे के पेमेंट का क्या लक्ष्य किया गया? क्या आप रिपे की पोजीशन में आगये? आगे जाकर उस सवाल के ऊपर क्या चिन्ता है, या राजस्थान सरकार केवल यह चिन्ता करती है कि भारत सरकार से हमको कर्जा मिल जाय तो कर्जा ले लें? कर्जा लेने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि आप डेवलपमेंट के कामों में पैसा खर्च करके उस राशि के द्वारा केपिटल इन्वेस्टमेंट का कर्जा चुकाया जा सके तो किसी को कोई चिन्ता नहीं, लेकिन दुर्भाग्य की स्थिति यह है कि कल माननीय वित्त मंत्रीजी यह नहीं बता सके कि भारत सरकार से ले कर केपिटल हैड में कितना एक्सपेन्डीचर कर चुके हैं और उसके केपिटल एसेट्स कितने निर्माण हुए हैं और उसका चुकारा किस प्रकार से किया जायगा। जिस प्रकार की आज हमारी वित्तीय स्थिति है उसमें सरकार से कम से कम यह आशा नहीं कर सकते हैं कि भविष्य में राजस्थान सरकार सेल्फ जेनेरेटिंग इकोनोमी का निर्माण

(श्री भैरोंसिंह)

कर पायेगी, और इकोनामी के आधार पर जो राजस्थान में इन्वेस्टमेंट किया गया है उसके रिर्टन के आधार पर फर्दर इन्वेस्टमेंट कर पायेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है, अध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान सरकार और जनता यदि जल्दी से जल्दी सावधान नहीं हुई तो जो भारत सरकार और दूसरी फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन्स का कर्जा है उसका ब्याज चुकाने के लिए राजस्थान सरकार के बजट का अधिकांश हिस्सा हमें देना पड़ेगा। सन् 1952 से लेकर आज तक हमने करोड़ों रुपयों का चुकारा किया है और हालत अब ऐसी पैदा हो गई है कि ब्याज को चुकाने के लिए हम केपिटल कर्ज करते चले जा रहे हैं और ब्याज की रकम भारत सरकार को जमा करा रहे हैं। भारत सरकार को ब्याज जमा नहीं कराते हैं तो दूसरे काम के लिए और केपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए भारत सरकार जो पैसा देती है उसके खाते में उसे जमा करते चले आ रहे हैं। यह स्थिति किसी भी सरकार के लिए वित्तीय स्थिति दयनीय है और राजस्थान सरकार की स्थिति इस आधार पर बहुत ही दयनीय बन चुकी है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अब तो वित्त मंत्रीजी गत वर्ष से यह स्वीकार करके चलते हैं कि पर केपिटा इन्कम एक उलझन की बात है, और उलझन की बात होने के नाते कोई भी नहीं कह सकता है कि पर केपिटा इन्कम वास्तविक कितनी है। आंकड़े बता दिये जाते हैं। तो कोई आंकड़े किस आधार पर बनाते हैं, वह किस प्राइस लाइन पर बने हैं। उन आंकड़ों के आधार पर वे इस बात से सहमत नहीं है कि वास्तविक स्थिति क्या है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके बजट में और आपकी नीति में यह लक्ष्य है कि जो गरीब तबका है समाज का, जिसको एक साधारण श्रेणी के लिए खर्चे की आवश्यकता है उतनी भी उपलब्ध नहीं होती हैं उस तबके को किस तारीख तक आम जनता के बराबर लाने की कोशिश में जो लोअर मिनिमम कन्जम्पशन वाला स्टेण्डर्ड है उस लेवल तक आप ले आयेंगे ? इस प्रकार की स्थिति राजस्थान सरकार की नजर नहीं आती है। ऐसी हालत में, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि न तो इस बजट में कोई नीति है, न लक्ष्य है किसी प्रकार का, और न इसमें क्या करना चाहते हैं इस प्रकार के टार्गेट्स हैं। इसको एक रुटीन को बजट कह सकते हैं जो ये ले आये हैं इस विधान सभा के आगे। अब इसको ये कहें कि यह बजट समाजवादी है बजट मैं समझता हूं कि यह अपने आपको धोखा दना है। कोई यह कहे कि यह पूंजीवादी बजट है तो वह अपने आपमें धोखा खायेंगे। लेकिन मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यह बजट न समाजवादी है, न पूंजीवादी है, यह बजट अवसर का लाभ उठाने के लिए पूरा अवसरवादी है। इसमें किसी प्रकार की प्रेणा नहीं है, किसी प्रकार का लक्ष्य नहीं है, किसी प्रकार की नीति नहीं है, एक रुटीन को पूरा करने की बात थी वह वित्त मंत्रीजी ने इस सदन में पेश कर दी।

अब मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस सारे सदन को आप यह कहकर कि हमारे वित्तीय साधन सीमित हैं, इसलिये ज्यादा कुछ नहीं

(श्री भैरोंसिंह)

कर सकते हैं। तो आपने अपने वित्तीय साधनों को बढाने के लिए किस प्रकार के प्रयास किय हैं? अध्यक्ष महोदय, आपने अपने भाषण में केन्द्रीय योजनाओं का उल्लेख किया है। आपने कहा है कि केन्द्र से हमें यह यह मिल रहा है। केन्द्रीय सरकार ने छोटे काश्तकारों, मारजीनल किसानों और भूमिहीन मजदूरों, के लिये देश भर में पाइलाट प्रोजेक्ट कायम करने की स्वीकृति दी है। मैं समझता हूं कि इसमें आपकी तारीफ की आवश्यकता नहीं। भारत सरकार ने दिया और आपने बजट में उसका उल्लेख कर दिया। इसी प्रकार से केन्द्रीय सरकार ने रुरल वर्क्स प्रोग्राम्स की स्कीम स्वीकृत की है। आपने एक पैराग्राफ उसमें जोड़ दिया। आपकी तरफ से कोई लेनादेना नहीं है। आपकी तरफ से केवल एक मात्र काम यह है कि जो पैसा मिलता है उसे ईमानदारी से खर्च कर पायेंगे या नहीं वह विश्वास भी तो मैं समझता हूं वृद्धिचन्द्रजी जैन को भी नहीं होगा, दूसरों का सवाल तो पैदा नहीं होगा।

कुल बोये गये क्षेत्र के 15 प्रतिशत भाग में ही सिंचाई होती है और बारानी खेती के के लिये केन्द्रीय सरकार ने एक प्रोजेक्ट की स्वीकृति दी है कि बारानी खेती में अच्छी पैदावार देने वाली फसलें की जा सकती है। यह प्रोजेक्ट जोधपुर के लिए होगा। मैं समझता हूं कि इसमें भी राजस्थान सरकार का लेना देना नहीं है।

कम अवधि में पैदावा रदेने वाली किस्में और उन्नत तरीकों के विकास से सिंचित इलाकों में बड़े पैमाने पर बहुफसली व्यवस्था लागू करना सम्भव हो गया है। इस नयी तकनीक का प्रदर्शन करने और इसको किसानों में लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने राज्य में दो प्रोजेक्ट स्वीकृत किये हैं। इसका भी आपने पैराग्राफ बना दिया है। इसमें आपकी महनत पैसे भर की नहीं है।

राजस्थान में औद्योगिकरण में क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने के लिये 16 जिलों को भारत सरकार ने चुना है। वे दो जिले तय होंगे जिन दो जिलों को 50 लाख रुपयों से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा उनमें कुछ विशेष रियायतें दी जायगीं। यह भी मैं समझता हूं भारत सरकार ने किया है। इसमें आपका लेना-देना नहीं है।

सड़कों के लिय भी राजस्थान नहर क्षेत्र में वह मंडियों के विकास हेतु 50 लाख स्वीकार किये गये हैं और राष्ट्रीय मार्गों की मरम्मत के लिय 1.50 करोड़ स्वीकार किय गये हैं। इसमें भी आपका लेना-देना नहीं।

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन प्रोग्राम के मातहत 5 करोड़ की वित्तीय सहायता मिलेगी। मैं समझता हूं कि इसमें आपकी मेहनत का फल नहीं है· · · · ·

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : शिक्षा पर खर्च करेंगे।

श्री मनोहरसिंह मेहता : शिक्षा तो सर्वनाश की ओर ले जा रही है।

श्री भैरोंसिंह : इसम आपका लेना-देना नहीं है।

आवासन के बारे में आपकी योजना है। तो हाउसिंग कॉर्पोरेशन से आपको पैसा

(श्री भैरोंसिंह)

मिलेगा, अरबन बैंक से आपको पैसा मिलेगा। लाइफइन्श्योरेन्स कॉर्पोरेशन से आपको पैसा मिलेगा, कामर्शियल बैंक से पैसा मिलेगा। भारत सरकार का इसमें कुछ हिस्सा होगा और आप राजस्थान में भवन-निर्माण की योजना हाथ में लेंगे। इसमें भी मैं समझता हूं कि आपकी किसी प्रकार की मेहनत नहीं है, यों तो आपका है सारा बजट।

आपने बजट में यह भी बताया है कि 20 हजार कुओं को आप बिजली देना चाहते हैं। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि पिछले वर्ष इस सदन में आपने कहा था कि 10 हजार कुओं को बिजली दी जायगी। क्या 10 हजार कुओं को बिजली दे दी गई है ? यदि दे दी गई है तो सदन में स्टेटमेंट पेश करें कि इन 10 हजार कुओं को बिजली दी गई है। अध्यक्ष महोदय, एक बार टार्गेट्स तय कर लिए जाते हैं और आगे जाकर कहते हैं कि 10 हजार कुओं को बिजली मिलने की सम्भावना है और अगले वर्ष 20 हजार कुओं को बिजली देंगे तो यह स्थिति आपसे जानना चाहूंगा कि जिस आश्वासन पर आपने बजट पास करवाया है उसका विवरण सदन में पेश करें। 600 नई बस्तियों को बिजली देने की बात करते हैं तहसीलों, सब-तहसीलों, पंचायत समितियों के हैडक्वार्टर्स पर जो बिजली देने की बात कही थी तो उसको आपने कहां तक पूरा किया ?

अब जैसा कि वृद्धिचन्द्रजी जैन कह रहे थे कि शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं ऐसा समझता हूं कि 67 के बाद से नये स्कूल खोलने का काम, नये कॉलेज खोलने का काम, प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को अपग्रेड करने का काम एक प्रकार से स्टैण्डस्टिल था। अब आप उस काम को ले रहे हैं तो राजस्थान में जिस प्रकार की आवश्यकताएं हैं, राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में जो बेकलाग आपने निर्माण कर दिया है उसके अनुपात में जो आज आप खर्च कर रहे हैं वह कुछ नहीं है। वह मैं समझता हूं आप भी स्वीकार करेंगे कि जो टार्गेट थे बजट के शिक्षा के क्षेत्र में उन टार्गेट से हम बहुत पीछे चल रहे हैं, और उस आधार पर जो पैसा खर्च करने की बात कहना चाहता हूं उसके अनुपात में पैसा बहुत कम है।

अध्यक्ष महोदय, वाटर सप्लाई के प्रश्न पर 50 लाख रुपया खर्च करने की योजना है और रूरल एरिया में 3.55 करोड़ खर्च करने की योजना है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आप पानी के मामले में मास्टर प्लान बना कर बैठें, 52 से पहले और 52 के बाद से, सदन में हमेशा, अध्यक्ष महोदय, पानी के संबंध में चर्चा होती रही, लेकिन आप इस समस्या का समाधान नहीं कर सके। आप लोगों के लिए पूरी शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सके। आप लोगों को रोजगार धन्धा खोलने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर सके। राजस्थान में गृह निर्माण की समस्या है, उसका समाधान नहीं कर सकते। लेकिन राजस्थान की जनता एक अपेक्षा करके चलती है, आप बीस वर्ष के शासन के बाद में लोगों को पीने का पानी मुहय्या करायेंगे। आप स्वीकार करके चलते हैं कि राजस्थान में दस हजार गांव ऐसे हैं जिनमें पानी का एक स्रोत भी नहीं है, उन सारे गांवों की पानी की समस्या का समाधान करने के लिए आपने करोड़ों रुपया खर्च कर दिया है, और मास्टर प्लान आपने बनाये, लेकिन ऐसी कोई गारन्टी राजस्थान सरकार दे सकती है कि

(श्री भैरोंसिंह)

हम राजस्थान में पानी की समस्या का समाधान इतने दिनों के अन्दर कर देंगे, उस वर्ष तक कर देंगे, उसके बाद पीने के पानी की प्राब्लम राजस्थान में नहीं रहेगी ? जब तक आप लक्ष्य निर्धारित करके नहीं चलते हैं, उस समय तक लक्ष्य की पूर्ति के लिए कितने साधनों की आवश्यकता होगी, वह किस प्रकार जुटाये जायेंगे, इस बारे में विचार नहीं किया जा सकता है ।

पिछड़ी जाति के लिए बजट के अन्दर खर्च में कुछ बढ़ोतरी कर दी है । चिल्ड्रन एक्ट के कारण कुछ खर्च करने की बात कही है, करेंगे । नगरपालिका के कर्ज आदि । यह सब कुछ उसी प्रकार की व्यवस्था कर दी है, जिसे करने की आपकी मजबूरी थी । बाकी के कुछ स्टेटों में भी इस प्रकार की व्यवस्था हुई है । एक बात की मैं तारीफ करूंगा, जो पेन्शनर्स के मामले में आपने स्टेप उठाया है, वह उचित है । उसकी मैं सहाराना करूं तो कोई ज्यादती की बात नहीं होगी । ऐसे कदम की सराहना करनी चाहिए.........

श्री रामकिशन : सराहना के साथ ज्यादती शब्द मत जोड़ें । सराहना सरहना है ।

श्री भैरोंसिंह : सराहना है ।

श्री रामकिशन : सराहना कर दें मुक्त कण्ठ से ।

श्री भैरोंसिंह : ऐसी स्थिति में बजट में क्या है ? बजट के अन्दर आय के साधन देखें, खर्च जितना हुआ है वह खर्च हुआ है, लेकिन राजस्थान सरकार यह कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है । राजस्थान में आय के साधन कौनसे हैं ? राजस्थान में आय का साधन है आबकारी, राजस्थान में आय का साधन है खनिज, राजस्थान में आय का साधन है लैंड रेवेन्यू, राजस्थान में आय का साधन है सिंचाई योजनायें, राजस्थान में आय का साधन है फारेस्ट । और बाकी कोई साधन नहीं है । मैं अब सरकार से पूछना चाहता हूं, आपने आय के साधन बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किये हैं आज तक ? आय के साधन के लिए बिजली विभाग है । आपको साधन मिल सकते है तो आबकारी से साधन जुटा सकते हैं । आप लैंड रेवेन्यू से साधन जुटा सकते हैं । लेकिन कभी इस बात की चिन्ता की, कि इन सारे साधनों के संबंध में गम्भीरता से चिन्तन किया जाय जिससे राजस्थान सरकार की आमदनी बढ़ सके । मैं उदाहरण के रूप में कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में रोक फास्फेट उदयपुर के पास में मिला है, वह राजस्थान के लिए कामधेनु रहा है, आप गाय का दूध निकालें, जितना कामधेनु दूध देती है, वह खत्म होना कठिन है, उसी प्रकार यह माइन राजस्थान के लिए कामधेनु है । हम भाग्यशाली हैं कि हमारे राजस्थान में यह माइन, मंहगी खनिज सम्पदा मिली है, लेकिन उसका उत्खनन गवर्नमेंट एजेंसी नहीं करती है, इसलिए नहीं कर पाती है, कि एक तरफ तो समाजवाद का नारा कांग्रेस सरकार देती है, एक तरफ राष्ट्रीयकरण का नारा लगाती है, कोई राष्ट्रीयकरण का विरोध करें तो उसको प्रतिक्रियावादी कहती है । मैं आरम्भ से कहता आ रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, इस खान को प्राइवेट लोगों के हाथ में मत देओ, यह राजस्थान की शान है, इसको दूसरे के कब्जे में मत जाने देओ । इस पर राजस्थान का डिपार्टमेंट

Page No 81

(श्री भैरोंसिंह)

काम करे, राजस्थान सरकार इस पर इन्वेस्टमेंट करे और राजस्थान सरकार इससे निकले खनिज को ले और उसके विक्रय से राजस्थान की वित्तीय स्थिति को सुधारे लेकिन राजस्थान सरकार की इस काम को करने की मन्शा नहीं है। मैं बराबर कहता आ रहा हूं, राजस्थान सरकार की गलती से ही सांभर साल्ट, हिन्दुस्तान साल्ट कोरपोरेशन में चला गया। अगर यह राजस्थान सरकार के अधिकार में होता तो बाई-प्रॉडक्ट के इतने छोटे मोटे कल कारखाने खड़े किये जा सकते थे, जिनसे बेकारी की समस्या का समाधान होता और राजस्थान की वित्तीय स्थिति को सुधारने में भी योगदान होता, लेकिन राजस्थान सरकार उसको करने की बात नहीं सोचती। ऐसी स्थिति में आज कोई कहे कि राजस्थान गरीब है, तो मैं नहीं मानता। राजस्थान मालदार है, लेकिन दुर्भाग्य से इस सरकार के कारनामों के कारण राजस्थान की जनता गरीब है। राजस्थान में अतुल सम्पत्ति है, लेकिन यहां की जनता बिल्कुल सम्पत्तिविहीन हो रही है। केवल उस सम्पत्ति का और जनता का कल्याण करने का काम है वह राजस्थान सरकार को मिला हुआ है। जो सम्पत्ति धरती में से निकलती है वह जनता के पास पहुंच नहीं पाती है, उसको बिचौलिये खाते हैं। आज आवश्यकता उन बिचौलियों को खत्म करने की है जो जनता की सम्पत्ति को जनता में नहीं पहुंचने देते हैं, बीच में ही हड़प कर लेते हैं। इसका इलाज इस बजट में देखना चाहें तो मुझे नहीं दिखता है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार घाटे में चल रही है, राजस्थान में अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड-यह ऐसी चीज है, जिसमें घाटे का सवाल पैदा नहीं होता है, कार्मशियल अन्डर टेकिंग है, लेकिन आप सुन कर ताज्जुब करेंगे, '65 लाख के घाटे का अनुमान इसमें लगाया गया है। एक तरफ, अध्यक्ष महोदय, पेय जल की समस्या है, आपको याद होगा, मैंने पिछली बार इस सदन में कहा था, हमारे वित्त मंत्री ने इस ट्यूब वेल ऑर्गेनाइजेशन के अन्दर जबर्दस्ती अनावश्यक रूप से कुछ रिग्स खरीदने का ऑर्डर दिया। उस समय एग्रीकल्चर मिनिस्टर शोभाराम जी थे, आज भी हैं, उनको इस बात का पता नहीं, डिपार्टमेंट उनके नीचे था, लेकिन 40, 45 लाख रुपये के रिग्स की उन्होंने खरीद करवा दी, मशीन आ गई, मशीन के स्पेअर पार्ट नहीं आये, मशीन का उपयोग नहीं हुआ, आज के दिन पूरा एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन उस एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा राजस्थान के अन्दर ऐसी हालत पैदा हो गई है कि लगभग 19 मशीन हमारे पास हैं इस समय, रिग्स, परक्यूशन रिग्स-यह ग्यारह-बारह के करीब हैं, टोटल रिग्स हमारे पास 19 हैं, और सदन को सुन कर ताज्जब होगा कि राजस्थान सरकार, राजस्थान की जनता पानी के लिये त्राहि त्राहि कर रही है.....

श्री अध्यक्ष : आपके लिए पानी सुलभ कर दूं गिलास से।

श्री भैरोंसिंह : ठीक चल रहा हूं।

राजस्थान में जनता पानी के लिए त्राहि त्राहि कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ ट्यूब वेल,......

श्री विजयसिंह ; राजस्थान को जल सुलभ करें।

श्री भैरोंसिंह : नल-कूप खोदने की मशीन है, उनके लिए आपके पास काम नहीं है। काम मांगने के लिए हरियाणा गये हैं, काम मांगने के लिए मध्य प्रदेश गये हैं, ट्यूब वैल खोदने का हरियाणा में कान्ट्रेक्ट लिया है, मध्य प्रदेश में कुए खोदने का कान्ट्रेक्ट ले रहे हैं। हालत यह है कि राजस्थान के गांवों में कुए नहीं हैं, राजस्थान में दस हजार गांवों में कुए नहीं हैं, दस हजार गांवों में कुए खोद कर, कुए गहरे करके पानी की समस्या का समाधान किया जाता, और इसके लिये इन 19 मशीनों का उपयोग किया जाता तो राजस्थान के अन्दर पानी की समस्या का काफी निराकरण होता, लेकिन इस विभाग के पास काम नहीं है और पूरा उसका एस्टब्लिशमेन्ट है, तमाम राजस्थान....

श्री दौलतराम सारण : रुपया जमा पड़ा है किसानों का, रुपया जमा पड़ा है लेकिन बोरिंग नहीं करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : हो सकता है बोरिंग नहीं कर रहे हों, तो सरकार का बोरिंग आप कर दे, और जनता कुओं का बोरिंग कर देगी।

अध्यक्ष : महोदय, सवाल यह है, मैं निवेदन कर रहा था....

श्री रामकिशन : दस वर्ष तो हो गये, लगता है, हमसे होगा नहीं।

श्री भैरोंसिंह : छोटे छोटे राजस्थान के कार्मशियल डिपार्टमेन्ट हैं, उन कार्मशियल डिपार्टमेन्टस में घाटा है। आप कोई डिपार्टमेन्ट ले लें, कोई भी डिपार्टमेन्ट ले लें, जो कार्मशियली रन कर रहा हो, सबके अन्दर घाटा चल रहा है। अब, अध्यक्ष महोदय, आमदनी अगर हमारे पब्लिक अन्डरटेकिंग से नहीं हो रही हैं, आमदनी कार्मशियल डिपार्टमेन्ट से नहीं हो रही है तो फिर किस आधार पर हम बिना टैक्स रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं- यह चिन्ता का विषय रहता है। आप सारे बजट पर दृष्टिपात करलें, आंकड़े देखें, बहुत कम कार्मशियल अन्डर टेकिंग हैं जिनके अन्दर लाभ मिल रहा है। गंगानगर शुगर फैक्ट्री में घाटा है, धौलपुर हाई टेक को 54 लाख का कर्ज मिला है। यह वित्त मंत्री के कारण कर्ज मिला है। कोई बुद्धिमान आदमी होता तो इसमें ढाई सौ का इन्वेस्टमेन्ट भी नहीं करना चाहता, वह इस धौलपुर हाई टेक को 54 लाख का कर्ज नहीं दिलवाता। तो यह घाटा दिखाना एक स्कैण्डल है। कोई इसकी जानकारी करे, जो इन्डस्ट्री हैं, जो प्रोजक्ट हैं, जिनके डवलपमेंट के चांसेज नहीं हैं, सरकार अन्धी होकर कर्ज लेकर, इनमें लगा कर इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। अब यह 54 लाख का कर्ज राइट आफ किया जाय, इस पर सरकार विचार कर रही है। मैं कहना चाहूंगा, कहां रुपया इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है, उसका डिसीजन लिया नहीं और इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। गंगानगर शुगर फैक्ट्री है, उसके साथ एक्साइज डिपार्टमेंट है। इसकी आय देखिये। एक तरफ हम कहते हैं कि हम प्रोहिबिशन करना चाहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि आय कम हो नहीं। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, मनोहरसिंह मेहता से निवेदन करना चाहता हूं, इस सरकार का भरोसा मत करो कि यह सरकार कोई प्रोहिबिशन करने के पक्ष में है। यह सरकार प्रोहिबिशन करने के पक्ष में नहीं है। इस सरकार ने जो प्रोहिबिशन किया है, उसका छोटा सा चित्र मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। अध्यक्ष

(श्री भैरोंसिंह)

महोदय, आज से कुछ दिन पहले, कुछ दिन पहले नहीं, एक साल पहले....

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : आप प्रोहिबिशन के पक्ष में है क्या ?

श्री भैरोंसिंह : आप सुनें तो सही।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने घोषणा की पिछले वर्ष, सिरोही, जालोर, बाड़मर और जैसलमेर-इन चार जिलों में प्रोहिबिशन होगा......

श्री रघुनाथ विश्नोई : खूब पिलाई है।

श्री भैरोंसिंह : उदयपुर के कुछ हिस्से, डूंगरपुर,-बांसवाड़ा, उदयपुर के कुछ हिस्से में अब की बार करने की घोषणा की। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं......

श्री मनोहर सिंह मेहता : अब कि बार बिल्कुल नहीं की है।

श्री भैरोंसिंह : उदाहरण के रूप में कहना चाहता हूं, पिछली बार जोधपुर शहर का कान्ट्रेक्ट दिया, जोधपुर शहर का कान्ट्रेक्ट 1968 में 24 लाख का हुआ, 1969 में 27 लाख का हुआ, 1970 मे 31 लाख का कन्ट्रेक्ट हुआ। यह कान्ट्रेक्ट एक मोहनलाल के नाम से हुआ......

श्री रामकिशन : मोहनलाल सुखाड़िया?

श्री भैरोंसिह : नहीं !

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर !

श्री भैरों सिंह : मोहनलाल नाम से हुआ, 19 पार्टियां हैं इसमें, अलग अलग इस कान्ट्रेक्ट में। एक असिस्टेन्ट एक्साइज आफिसर जालोर में था, उनका नाम गैरालाल माथुर है, वह जोधपुर आया, जोधपुर आकर कान्ट्रेक्ट मोहन लाल के नाम से लिवा लिया। इस सम्बन्ध में सदन में कई बार चर्चा हुई है कि कान्ट्रेक्ट कान्ट्रेक्टर के नाम से नहीं लिया, इस असिस्टेन्ट एक्साइज आफिसर ने लिया है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई न होने के बाद, मुझे याद है, इसी सदन में जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था, जोधपुर में शराब जितनी रख रहे हैं, मोहनलाल का कान्ट्रेक्ट रख रहे हैं, मोहनलाल बेनामी गैरालाल माथुर, असिस्टेन्ट एक्साइज आफिसर, वह कान्ट्रेक्टर रहेगा, इसका परिणाम निकलेगा कि राज्य सरकार को आय नहीं होगी, लेकिन साथ ही जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर में जोधपुर के ठेके की शराब खुले रूप से बिकेगी। अध्यक्ष महोदय, जोधपुर के अन्दर केवल 12 दुकानों की सैंक्शन थी, साइन बोर्ड 17 के लिखे हुए हैं और इल्लिगल 50 हैं। अब

श्री रामानन्द अग्रवाल : बहुत थोड़ी है।

श्री भैरोंसिंह : जोधपुर शहर की बात है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जोधपुर शहर अकेले की हैं।

श्री भैरोंसिंह : अब कोई यह माने, शराब जितनी वहां थी, वह वहां से बाहर गई नहीं, तो मैंने बाड़मेर और जसलमेर के आंकड़े इकट्ठे किये हैं। मैं उनको सदन के सामने रखना चाहता हूं।

(श्री भैरोंसिंह)

31 मार्च, 1970 को तो यहां प्रोहिबिशन लागू हुआ, 30-11-70 को 14 बोतलें व्हिस्की की और 11 सादी-यह पकड़ी गई। उसके बाद में भीनमाल में पकड़ी गई 23 बोतलें, और उसके बाद में पकड़ी गई, 425, जालोर में पकड़ी गई, 25 बोतलें हनुमानदास कांकरा के अन्दर पकड़ी गई 2 बोतलें और पकड़ी गई, उसके पश्चात् 75 बोतलें जगदीशलाल कलाल के यहां पकड़ी गई, छः बोतले पकड़ी गई शंकरलालजी के यहां, 37 पकड़ी गई. ...

श्री दौलतराम सारण : इनके यहां ?

श्री अध्यक्ष : पॉइन्ट ऑफ पर्सनल एक्स्प्लेनेशन ?

श्री भैरोंसिंह : यह नहीं है।

श्री शंकरलाल : मुझे मालूम है कि इन्होंने किस लिए इस प्रकार नाम लिया।

श्री भैरोंसिंह : बाड़मेर के अन्दर 19-10-70 को तीन हजार बोतलें पकड़ी गई, और 26 मार्च को ढाई सौ बोतलें पकड़ी गई। आबू के अन्दर जीप एक्सीडेंट हुआ, उसमें ढाई सौ बोतलें बिखर कर सड़क पर गिर गई। यह पकड़ी और जितनी बोतलें पकड़ी गई, यह इसलिए बतला रहा हूं कि जोधपुर कॉन्ट्रेक्टर की शराब उस प्रोहिबिटेड एरिया में जाती है, इससे बिक्री ज्यादा होती है। बिक्री ज्यादा होती है और दूसरी तरफ राजस्थान सरकार को नुकसान पहुंचाया जाता है, और जो ड्राई एरिया है, दूसरी तरफ वहां गेरीलाल माथुर कॉन्ट्रेक्टर, असिस्टेन्ट एक्साइज ऑफिसर होकर गाड़ी में शराब भरवा कर पेट्रोलिंग ऑफिसर को साथ लेकर गांवों के अन्दर और बाजारों में बेचने के लिए जाता है। बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य वृद्धिचन्द्रजी स्वीकार करेंगे इस बात को कि जिन बोतलों को गिरफ्तार किया, वह इस असिस्टेन्ट एक्साइज ऑफिसर ने गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि म्युनिसिपलिटी की चुंगी चौकी के आदमी और शराब बेचने वालों में झगड़ा हुआ, उस समय पुलिस वहां पहुंची और उसने तीन हजार बोतलों को गिरफ्तार किया। इससे अन्दाज लगाइये कि कोई प्रॉहिबिशन है ? प्रोहिबिशन करना नहीं है, क्योंकि जिस अधिकारी ने बोतलें पकड़ी, उस अधिकारी को वित्त मंत्री ने डांटा, उस अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेने के लिए धमकी दी, और यहां तक स्थिति आ गई कि उसका ट्रांसफर कर दिया। जिस कॉन्ट्रेक्टर की चीजें पकड़ी गई, उसकी शिकायत हुई तो वित्त मंत्री शिकायतें सुनने के लिए जोधपुर गये, वहां जाकर सरकारी अधिकारियों को डांटा, कि इस तरह का काम उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में आय की सुन लीजिये, राजस्थान सरकार आय की बात करती है, लेकिन आफर सिस्टम की बात को इन्ट्रोड्यूज नहीं किया। आफर सिस्टम एक नई अजीब चीज है। उसमें कह कर चलते हैं कि साढ़े आठ पर्सेन्ट बढ़ाया है, कई जगह पर साढ़े पच्चीस पर्सेन्ट बढ़ाया है। इस विधान सभा में सदस्यों ने मांग की थी कि गारन्टी सिस्टम को खत्म करो। लेकिन सरकार ने गारन्टी सिस्टम को खत्म नहीं किया है और गारन्टी के ऊपर आफर सिस्टम को इन्ट्रोड्यूज किया है। जोधपुर में जहां पहले 31 लाख का था, वहां 31 लाख 7 हजार का कर दिया है, बीकानेर में 15 लाख 45 हजार था, जो होल्डर है उसका 15 लाख 45 हजार

(श्री भैरोंसिंह)

है, अजमेर में 31 हजार था, उसको बढ़ा कर 34 हजार कर दिया है, ऑफर जयपुर में 47 लाख का था, उसको बढ़ा कर 47 लाख 95 हजार कर दिया । गंगानगर में 24 का लाख था, उसको बढ़ा कर 30 लाख कर दिया । उदयपुर में 16 लाख था, उसको बढ़ा कर 18 लाख कर दिया। मैं राजस्थान सरकार से पूछना चाहता हूं, ऑफर का आपका कौनसा क्राइटेरिया था? जिसने जोधपुर का कॉन्ट्रैक्ट लिया, जोधपुर कॉन्ट्रैक्ट में ढाई पर्सन्ट बेसी रखा, वह प्रजेन्ट कन्जम्प्शन पर नहीं, प्रजेन्ट सेल पर नहीं, प्रजेन्ट गारन्टीड अमाउन्ट पर नहीं, इस प्रक्रिया को मिनिमाइज करके गत वर्ष के आंकड़े लिये और उसके आधार पर व्यवस्था की। अध्यक्ष महोदय, प्रोहिबिशन का दूसरा स्वरूप देखिये। आज जालोर, भीनमाल, बाड़मेर, जैसलमेर में प्रोहिबिशन है, लेकिन प्रोहिबिशन के कानून में एक व्यवस्था रखी गई कि किसी को डॉक्टर ब्राण्डी बता दे कि ब्राण्डी लेना जरूरी है तो ब्राण्डी उसको मिले यह सुविधा होनी चाहिए। अब ब्राण्डी कैसे मिले? डॉक्टर का सर्टीफिकेट हो उससे। अब सवाल पैदा हुआ, डाक्टर का सर्टिफिकेट मिल गया, लेकिन जैसलमेर से ब्राण्डी खरीदने जोधपुर क्यों आये? तो इसके लिए रूल्स में संशोधन करा कि ट्रान्सपोर्ट से बीमार के लिए बाहर से ब्राण्डी लाये। लेकिन ट्रान्सपोर्ट पर खर्च आता है, तो फॉरिन लिकर का जिन चार स्थानों पर लाइसेन्स वापिस ले लिया गया था, वह वापिस उनको दे दिया गया। यह लाइसेन्स फॉरिन लिकर, कन्ट्री मेड फॉरिन लिकर का लाइसेन्स है। अब लाइसेन्स के सम्बन्ध में ऐसी स्थिति चल रही है, यह क्यों चल रही है? मुझे खेद के साथ में कहना पड़ता है, वित्त मंत्री जी, यह इसलिए आप कह रहे है क्योंकि भैरालाल माथुर आपकी मासी का लड़का, भाई था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस कान्ट्रेक्ट के अन्दर हमारे वित्त मंत्री का हाथ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान की सरकार ने कान्ट्रेक्टर से चुनाव के दिनों के पहले पांच लाख रुपये का चन्दा लिया। मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि उस पांच लाख रुपये की पूर्ति करने के लिए आफर गलत देकर राजस्थान सरकार को नुकसान पहुंचाया गया है। क्या इन वित्त मंत्री के हाथ में फाइनेन्स, राजस्थान का फाइनेन्स सेफ हो सकता है। बिल्ली को दूध की रखवारी में बैठा दिया गया है। यह राजस्थान की वित्तीय स्थिति को बढ़ायेंगे? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सात जन्म में भी बढ़ा नहीं सकते हैं। इसलिए मेरी मांग है कि इस सदन की समिति के द्वारा पद के दुरुपयोग की, घोटाले की जांच कराई जाय और वित्त मंत्री से यह वित्त विभाग छीन लिया जाय। तब आपको मालूम होगा कि क्या हालत है। आबू में बंगला बना है, वह वित्त मंत्री का बना है ...

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री): आन ए पॉइन्ट आफ पर्सनल क्लेरीफिकेशन। मैं डिनाई कर रहा हूं, आबू में बंगला बना है, न कान्ट्रेक्ट, जिसके बारे में जोर से बोल कर कह रहे हैं, उसमें मेरा हाथ है। अपने दो फेक्ट कहे हैं, उनसे मैं डिनाई कर रहा हूं बाद में बाकी का जवाब दे दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : आबू में बंगला बना

Page No 86

(श्री भैरोंसिंह)

है, उसकी फोटो है, आपके पुत्र के नाम से जमीन ली गई, उस जमीन के पास गरालाल माथुर का बंगला है। यह दोनों बंगले बने हैं। मैं इस मिस्ट्री में नहीं जाना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में और कहना चाहूंगा कि जो आबू में जमीन खरीदी गई है वह सरकारी जमीन है, जिस समय ब्रिटिश हुकूमत थी, उस जमाने के अन्दर वह एक्वायर की गई, तो एक्वायर करने के बाद जमीन किसी के पजेशन में नहीं जा सकती, किसी प्रयोजन में नहीं काम आ सकी तो लोगों को घास काटने का काम दिया गया था, वह छः छः एकड़ जमीन खरीदी गई है और यह बंगले की जमीन है, यह इनके नाम से नहीं है, इनके पुत्र के नाम से है....

श्री मथुरादास माथुर : मेरे पुत्र के नाम से, मेरे नाम से कोई बंगला बना हुआ नहीं है, न मैंने बनाया है ?

श्री भैरोंसिंह : जमीन ?

श्री मथुरादास माथुर : एग्रीकल्चरल लैंड लिया है मैंने, उसके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है, इसलिए बंगला बनाने का सवाल पैदा नहीं होता। जमीन प्राइवेट थी, प्राइवेट व्यक्ति की मैंने खरीदी। उसके बाद लोगों ने कहा कि इस जमीन के बारे में डिस्प्यूट पैदा हो गया है, तो मैंने कहा, वापिस सरेन्डर कर दूंगा। वह जमीन आबू की म्युनिसिपल लिमिट के बाहर है....

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस झगड़े में कलेक्टर ने नोटिस निकाला वह आपको पढ़कर सुनाता हूं।

"आबू नगरपालिका के क्षेत्र में स्थित कुछ भूमि जिसका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है, इण्डियन पोर्ट्स एण्ड हेल्थ रेस्टोर कंपनी लिमिटेड के लिए अवाप्त की गई थी और संबंधित काश्तकारों को इस भूमि का मुआवजा भी दे दिया गया था। चूंकि उपरोक्त कंपनी ने कुछ शर्तों की पालना नहीं की जिन पर यह भूमि उन्हें पट्टा (लीज) पर दी गई थी, इस लिए जिलाधीश सिरोही के आदेशानुसार उपरोक्त कंपनी को दिया गया लीज निरस्त कर दिया गया था। इस लीज के निरस्त हो जाने के बाद निम्नलिखित सभी भूमि राज्य सरकार की संपति हो गई थी और नियमानुसार आबू नगरपालिका में निहित हो चुकी थी।"

माथुर साहब जमीन आपने बड़ी होश्यारी से ली है। जमीन का हिस्सा खसरा नम्बर म्युनिसिपेलिटी के अधिकार में चला गया। अब म्युनिसिपल एरिया को किस प्रकार बेच लिया जाए ? आपने जो रूरल एरियाज में विलेजिज में जमीन के कन्वर्शन के नियम बनाए हैं वे जनता के लिए नहीं हैं, उसके पीछे यह भी है कि किसी चक्कर में न फंसू और जो कुछ इमारत बन चुकी उसको रेग्यूलराइज किया जा सके।

राज्य सरकार यदि ईमानदारी से प्रोहिबिशन करना चाहती है तो उस क्षेत्र में शराब न जाए इसके लिए कड़ी से कड़ी व्यवस्था करें। दूसरी बात यदि आप शराब बेचना चाहते हैं तो शराब से ज्यादा से ज्यादा आमदनी हो, इसकी व्यवस्था हो। आज शराब पर कोई कीमत निर्धारित नहीं है। कन्ज्यूमर्स से पूरी

(श्री भैरोंसिंह)

वसूली की जाती है, राज्य सरकार को कम पैसा मिलता है। यदि सरकार शराब के लाइसेन्सदारों की सरकार बन जाए, उनके हित की चिन्ता हो तो मुझे कहना नहीं है लेकिन यदि जनता के हित में व्यवस्था करती है तो आफर सिस्टम जो सरकार ने इन्ट्रोडयूस किया है, उसको खतम करना चाहिए और साथ ही राज्य सरकार इस पर पुनः विचार करके राजस्थान में ठेके दुवारा नीलाम कराए, इस बात की व्यवस्था करें।

गंगानगर शुगर मिल के अन्दर जो शुगर का परसेन्टेज है वह गिरता जा रहा है। रेक्टीफाइड स्प्रिट का परसेन्टज गिरता जा रहा है, कोयले का कन्जम्पशन बढ़ता जा रहा है। जितनी अव्यवस्था कम्पनी के अन्दर हो सकती है, चल रही है। ऐसी हालत में सरकार आज कहकर चले कि हम अंडरटेकिंग्स से ज्यादा से ज्यादा, मनी ड्रा करने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, समय पर बताऊंगा।

अनूपसागर, अनूपगढ़ की मेन ब्रांच उसके अन्दर जितना वाटर पोटेन्शल क्रीएट किया गया उसके अगेन्स्ट में जितनी सिचाई की जानी चाहिए थी, वह नहीं हुई और सिंचाई न करने के कारण से 7 लाख रुपये राज्य सरकार को एक साल में घाटा हुआ। 1967-68 में जो पोटेन्शल क्रीएट हुआ 68 हजार एकड़ के अन्दर सिचाई कर सकते थे उसके अगेन्स्ट 16 हजार एकड़ में हुई। 1968-69 म 1.65 लाख एकड़ की सिचाई कर सकते थे उसके अगेन्स्ट में 31,000 एकड़ में हुई। 1969-70 में 2.51 लाख के अगेन्स्ट 64 हजार एकड़ में पानी आया है। सिचाई हम कर सकते हैं, जमीन प्यासी है, किसान पानी देना चाहता है लेकिन हमने व्यवस्था नहीं की उस कारण से घाटा हुआ। इसी प्रकार हमारे जो 6 मेजर प्रोडक्टिव कामर्शियल इर्रीगेशन प्रोजेक्ट्स हैं माऊरा, चम्बल इनकी प्रशासनिक अव्यवस्था ऐसी हो गई कि इसके अन्दर हमको नुकसान होने लगा। सबमें 6 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। माइनर में तो नुकसान हुआ लेकिन मेजर प्रोजेक्ट्स के अन्दर केवल प्रशासनिक कठिनाई के कारण। मुख्य मंत्रीजी कहेंगे कि बेटर लेवी वसूल नहीं की जाती है, वहां कामर्शियल क्राप्स पर टैक्स नहीं लिया जाता, सरचार्ज वसूल करने का जनता विरोध करती है, तो वह सही नहीं है। यहां तो प्रशासनिक अकुशलता के कारण वाटर पोटेन्शल का उपयोग न होने के कारण घाटे की स्थिति बनी हुई है। कोई यह समझे कि राज्य सरकार अपनी आमदनी से बाकी रिसोर्सेज से किसी प्रकार राजस्थान की स्थिति को ठीक करेगी, ऐसा नहीं लगता।

कोआपरेटिव सोसाइटीज और बाकी कम्पनियों में लगभग 15 करोड़ का हमारा इन्वेस्टमेन्ट है। हमारी सालाना आमदनी 12-15 लाख के बीच में झूलती हुई चलती है। 15 करोड़ के रिटर्न पर एक परसेंट के रिटर्न की अपेक्षा करते हैं। 3॥ प्रतिशत हमने उनका ब्याज चुकाया है। अब 5 प्रतिशत ब्याज हो रहा है। हमें फायदा एक प्रतिशत भी नहीं मिलता है। ऐसी कौनसी प्रशासनिक दिक्कतें आपके सामने आ रही हैं जिनके

(श्री भैरोंसिंह)

कारण आप आमदनी के सोर्सेज को किसी प्रकार कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं ।

टैक्स के बारे में वित्त मंत्री ने खुशी से कहा है कि मैंने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, मतलब कोई मोटा टैक्स नहीं लगाया । मैंने आज सुबह बजट भाषण को पढ़ा । सरकार इस सदन में घोषणा कर चुकि है कि हम भूमि की नीलामी नहीं करेंगे । यहां कुछ पार्टियों के बीच में समझौता हुआ । सरकार ने घोषणा की लेकिन यदि पेज 31 पर देखें तो जहां रिवाइज्ड एस्टीमेट्स से 216 लाख की आमदनी थी अगले वर्ष 523 लाख की आमदनी लिखी है । उसमें लिखा है कि अगले वर्ष के सम्बन्ध में भूमि विक्रय से इतनी आमदनी होने की आशा है । आपने भूमि नीलामी के सम्बन्ध में क्या कोई निर्णय ले लिया ? कब लिया ? इस सदन को उस निर्णय के प्रति आश्वस्त किया या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो नीति नीलामी करने के बारे में तय की गई थी उस पर राज्य सरकार आज भी कायम है और यह जो बढ़ोतरी है, वह जो एलाटमेंट्स होंगे कोलोनाइज्ड एरियाज के अन्दर उसकी किश्तों के रूप में, उसकी फिगर्स हैं।

श्री भैरोंसिंह : इसमें नहीं लिखा है।

श्री अध्यक्ष : आपको 60 मिनट बोलते हुए हो गए हैं, आप अपने दल का समय ले रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह: मैं जल्दी कर रहा हूं । अब लैंड रेटस का सवाल है। कुछ रिवीजन की बात है। 20 लाख रुपए की इसमें वृद्धि होगी । इस टैक्स के बारे में मुख्य मंत्री ने कहा । अध्यक्ष महोदय, बिना टैक्स लगाए भी आमदनी हो सकती है । एन्टरटेनमेंट टैक्स की व्यवस्था है, आपने 20 लाख लगाए । कुछ सेल्स टैक्स में उधर पैसेंजर और गुड्स टैक्स बजट के अन्दर कुछ रकमें दिखाई हैं और बजट एस्टीमेट्स में 40 लाख की आमदनी दिखलाई है। लेकिन बजट भाषण में कहा है कि मामूली टैक्स की हेरफेर की गई है और दुनिया को बताया गया है कि हमने मामूली टैक्स लगाए हैं। तो आपने जो नए टैक्स लगाए और उसका पूरा टर्न-ओवर दिया है, उसमें 40 लाख शामिल हैं या नहीं । आप सदन में बड़ी चतुराई से बातें करते हैं उसका उल्लेख जिस गति से किया गया है कि जो टैक्स हमने लगाए हैं उनसे 40 लाख की आमदनी होगी लेकिन जो टोटल टर्न ओवर आपने लिखा है उसमें 40 लाख रुपए नहीं हैं । कितने आइटम्स ऐसे होंगे जिन पर आज आपने टैक्स नहीं लगाया है लेकिन आगे चलकर लगाने वाले हैं । राजस्थान में मनोरंजन कर है । कुछ दिन पहले सिनेमा मालिक मेरे पास आए और कहने लगे कि आज कल जयपुर में एक प्रकार का फैशन चल पड़ा है कि कुछ पिक्चर्स को मनोरंजन कर से एग्जेम्पट किया यहां पर पांच पिक्चर्स बताऊंगा, होंगी तो ज्यादा, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार इन पांच पर कर नहीं लगाया। पूर्व पश्चिम, यादगार, सस्ता खून और महंगा प्यार । इन पर एग्जेम्प्शन्स किये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सस्ता खून और महंगा प्यार ।

श्री भैरोंसिंह : आपने अपने एक्स्प्लेनेटरी मेमोरेन्डम में इस बात को स्वीकार

(श्री भैरोंसिंह)

किया है कि 1970-71 के बजट एस्टीमेट्स में 1 करोड़ 27 लाख का एस्टीमेट किया है उसको रिवाइज किया 1 करोड़ 26 लाख और फिर 1971-72 के बजट में एस्टीमेट किया है 1 करोड़ 28 लाख। क्या कोई नया टैक्स नहीं है ? मैं सरकार पर एक चार्ज लगाना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार ने इस राजस्थान विधान सभा से राजस्थान एन्टरटेनमेन्ट एडवरटाइजमेन्ट टैक्स अमेन्डमेन्ट एक्ट, 1970 पास करवाया फरवरी 70, में। सदन में वित्त मंत्रीजी ने भाषण दिया कि लाखों रुपयों की आमदनी होगी। यह बर्डन सिनेमा देखने वाली जनता पर नहीं होगा। लेकिन सदन को सुनकर ताज्जुब होगा कि जिस राजस्थान एन्टरटेनमेन्ट एडवरटाइजमेन्ट टैक्स अमेन्डमेन्ट एक्ट को इस सदन ने 27-2-70 को पास किया उसका नोटिफिकेशन निकाला सरकार ने 30 मार्च, 1971 को। एक वर्ष में आमदनी हो सकती थी। मुख्य मंत्रीजी से कहूंगा कि वित्त मंत्रीजी से पूछें कि एक साल तक यह लागू क्यों नहीं हुआ। लोग कहते हैं, आप कानून पास करवा लो। लागू करवाना तो हमारे हाथ में है। हमने कहा कि कल टैक्स लगेगा। उन्होंने कहा कि हम हुक्म देंगे जब टैक्स लगेगा। जब मैंने यह नोटिफिकेशन पढा तो नमस्कार कर लिया कि वित्त मंत्रीजी मथुरादासजी माथुर नहीं तुम हो। हर बजट में फिगर आते हैं कि कन्सेशन चार्जेज से 50 लाख की इनकम होगी। ओपन लैंड पड़ी हुई है टैक्स लगाने से लाखों की आमदनी होगी। राजस्थान सरकार ने कानून और रूल्स बना कर अधिकार दिये हैं। पचास लाख की आमदनी हर साल लगाते हो और तब से उस आइटम को ड्राप कर दिया। आमदनी राजस्थान सरकार को हो सकती थी उससे उसको क्यों वंचित रखा ?

एक ही प्रश्न नहीं है। अनेकों प्रश्न हैं। पंचायत समितियों का प्रश्न आता है तो उसको देख लीजिये। मकानों का प्रश्न आता है। पंचायत समितियां काम करे मुझे आपत्ति नहीं। लेकिन मेरी स्वयं की मान्यता है कि राजस्थान में ट्रिपाट्राइ सिस्टम फल हो गया। बार बार यह मांग की गई है कि पंचायतों को ताकतवर बनाइये और पंचायत समितियां को खत्म कर दीजिये। सरकार मानती नहीं लेकिन एक दिन आवेगा कि राजस्थान सरकार को पंचायत समितियों को समाप्त करना होगा। जो बर्डन इनके कारण है उसकी

(2 म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

सरकार को चिन्ता नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, सदन को यह जानकर ताज्जुब होगा कि लगभग 65 करोड़ रुपया पंचायत समितियों के पास है जिसके युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स राजस्थान सरकार के पास नहीं हैं। 288 लाख रुपये के युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दूसरी संस्थाओं के नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े मसले के आपके पास युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं है। सर्टिफिकेट लेना तो दूर रहा लेकिन सरकार ने आदेश निकाल दिये कि पंचायत समितियों से युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं।

Page No 90

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चेनाराम बच जावेगा ।

श्री भैरोंसिंह : चेनाराम तो बच जावेगा लेकिन चेनाराम से बड़े चेनाराम बैठे हुए हैं ।

लोकल फण्ड ऑडिट की रिपोर्ट को उठा कर देख लीजिये । एक एक रिपोर्ट को देख लीजिये । अनेक भारी घोटाले देखने को मिलगें, अनेकों एम्बेजलमेन्ट देखने को मिलेंगे, अनेकों मिस्युटिलाइजेशन ऑफ फण्ड्स देखने को मिलेंगे, अनेकों रोंग अकाउन्टिंग के मसले मिलेंगे । उसके बाद भी 65 और 28 करोड़ के मामलें में युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स नहीं लिये जांय तो इससे बड़ा इनएफिशियेन्सी का काम राजस्थान सरकार का नहीं हो सकता । हमने पैसा दिया, टैक्स के रूप में दिया । सर्टेन कन्डीशन्स पर पंचायत समितियों को रुपया दिया । कानून के अन्तर्गत उनको युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देने चाहियें उन्होंने नहीं दिये ।

यही हालत कोओपरेटिव्ज की है । 31 मार्च तक 946 लाख का प्रोविजन है । 786 लाख इन्वेस्टमेन्ट है और 2 लाख का डिविडेन्ड । 620 सोसाइटीज हैं । 224 लाख रुपया उनको दिया और दूसरा 136 लाख और शेयर सर्टिफिकेट्स में सोसाइटीज ने इन्वेस्टमेन्ट किया वह देना चाहूंगा । 101 सोसाइटीज में 119 लाख के शेयर सर्टिफिकेट्स नहीं हैं । इससे ही आप अन्दाज लगा लीजिये कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति किस प्रकार की है ।

तीसरी खादी इन्स्टीट्यूशन हैं । पहली पंचायत समिति, दूसरी कोओपरेटिव सोसाइटी और तीसरी खादी इन्स्टीट्यूशन । खादी ग्रामोद्योग बोर्ड । यह तो प्रिविलेज्ड इन्स्टीट्यूशन है । लोन जो दिया बोर्ड को उसमें से 12 लाख के युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं हैं । ब्रान्चेज में 3 लाख के युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स नहीं हैं । लाखों रुपयों की रिकवरी होनी चाहिये थी वह नहीं हुई । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप यहां किसलिये बैठे हो ? पंचायत समितियों को रिलेक्शेन दे दिया, लोकल फण्ड ऑडिट ने दुनियां भर की भयंकर स्थिति चित्रित की उनके लिये आपने डाइरेक्टली यह व्यवस्था करली कि भविष्य में युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट न लिये जांय । कोओपरेटिव सोसाइटी में शेयर इन्वेस्टमेन्ट किया उनके सर्टिफिकेट न लिये जायं । खादी बोर्ड को जितना पैसा दिया उनका युटिलाइजेशन हुआ या नहीं, उनके वापिस लेने की आवश्यकता नहीं । यह तो सरकारी इन्वेस्टमेन्ट है ।

अब पूछना चाहता हूं गरीबों की दृष्टि के विषय में । माननीय वित्त मंत्रीजी कहते हैं कि हम गरीबों का फायदा करना चाहते हैं । उन्होंने हाउसिंग बोर्ड द्वारा मकान बनाने की व्यवस्था की है । मुख्य मंत्रीजी या आप बता दें कि आपने कभी इस बात का केल्कुलेशन किया है कि राजस्थान में कितने हाउस युनिट्स हैं ? कच्चे मकान कितने हैं और पक्के मकान कितने हैं ? स्लम्प और कच्ची बस्तियां कितनी हैं ? सर्वे कराया है कभी आपने ? वर्षों से रहने वाले लोगों के पास पक्के मकान कितने हैं और कच्चे मकान कितने हैं ? 61 की सैंसेज के

(श्री भैरोंसिंह)

अनुसार राजस्थान में 19 परसेन्ट पक्के मकान हैं और बाकी कच्चे हैं। मैं राजस्थान सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप मकान बना रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड यह काम करता है। हाउसिंग बोर्ड के द्वारा और राजस्थान सरकार के द्वारा अब तक मकान बनाये उनके बारे में कुछ कह सकते हैं? भारत सरकार से आपको मास्टर प्लान बनाने के लिये पैसा मिला। जयपुर, अजमेर, कोटा, अलवर, भरतपुर, ब्यावर, जोधपुर आदि नगरों के लिये पैसा मिला। 30 लाख 36 हजार रुपया खर्च कर दिया। जबकि 72 लाख पूरा होना चाहिये था। जोधपुर, अजमेर, कोटा की रीजनल प्लान 66 तक होने की थी, अलवर, भरतपुर, ब्यावर व जोधपुर की 72 तक खतम होनी चाहिये थी। पर आज तक एक भी मास्टर प्लान तयार नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? राजस्थान सरकार को इनके नियम बनाने थे। आब्जेक्शन इन्वाइट करने थे। पर किसी प्रकार का डिस्पोजल राजस्थान सरकार ने नहीं किया।

स्लम क्लीयरेन्स के नाम पर तीसरी योजना तक जो पैसा मिला राजस्थान की सरकार अच्छी तरह जानती है कि राजस्थान में 35 परसेन्ट ही रुपया उसके अन्दर से खर्च हो पाया। राजस्थान में स्लम क्लीयरेन्स के लिये तीसरी योजना में प्रावधान था 40 लाख रुपये का।

अब आपके कुल मकान बने 162। किन्तु तीन साल के अरसे में 3।। हजार जिसमें बनने वाले हैं। आप बनावेंगे। जहां तक मकानों का काम है आप 3/4 सौ मकान बनाकर के किस प्रकार से टारगेट को पूरा करेंगे?

मैं तो कहना चाहता हूं कि आप हरिजनों को पट्टा देने की बात करते हैं लैंड को कनवर्शन एग्रीकल्चर की करते तो उसके बराबर प्रीमियम देनी पड़ेगी आपने अनाउन्स किया। पर मैं कहता हूं "राजस्थान सरकार एक ही काम कर दे राजस्थान सरकार एक सरकूलर निकाल दे कि हरिजनों को एक रुपये में पट्टा दिया जावेगा। एक तरफ आप हरिजनों की बात करना चाहते हैं पर दूसरी तरफ एक रुपया में पट्टा देने के स्थान पर प्रीमियम देने की व्यवस्था की है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : रुरल एरियाज में एग्रीकलचरिस्ट लेबर को फ्री मिलेगा।

श्री भैरोंसिंह : शहर में जिन्होंने मकान बना लिये उनको तो पैसा देना पड़ेगा। उनके लिये कहता हूं कि एक रुपया में पट्टा दे दें। अब निवेदन करूंगा मुख्य मन्त्रीजी से कि आप एक बात का लक्ष्य निर्धारित करें कि राजस्थान के अगले वर्ष तक जो भी हरिजन राजस्थान में हैं जो जमीन के ऊपर काबिज है जिसने कच्चा मकान बना रखा है राजस्थान की सरकार नामीनल रेट पर उनको पट्टा दे देगी। यह घोषणा नहीं की जाती तब तक यह मानकर चलें कि ज्यादा कच्चे मकान हरिजनों के ही हैं और उनमें कमी होने वाली नहीं है। पहले घोषणा यह होनी चाहिये कि उनको पट्टा मिलेगा।

दूसरी घोषणा यह होनी चाहिये कि जो भी रुपया उपलब्ध होगा उनको मकान बनाने के लिये दिया जावेगा।

(श्री भैरोंसिंह)

हाउसिंग बोर्ड, इम्प्रूमेन्ट ट्रस्ट आपने बनायें। इनमें रखते किनको हैं जिनका जनता डिस्कार्ड कर देती है। कोटा में नाथूलालजी जैन, यू० आई० टी० के चेयरमेनशिप से हटा दिय गये चुनाव लड़ा, हार गये। तो फिर यू० आई० टी० के चेयरमैन बना दिये गये। अब निर्लज्जता की भी हद होती है। जिसे जनता के एक बार कण्डम किया पहले कण्डेम किया 67 के चुनावों में। यह कण्डम आदमी मुख्य मंत्रीजी को अच्छा लगेगा। जो हारेगा वह इनको अच्छा लगेगा। चाहे रामकिशोरजी व्यास हों चाहे कोई हो।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हारे हुए को कण्डम कहने का मतलब हम आप भी है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, रामानन्दजी, अपने को कोई ये पद देने वाले नहीं हैं। किन्तु हालत यह है कि रामकिशोरजी व्यास हार जावें तो यू०आई०टी० के चेयरमैन। कोई राजस्थान का होम मिनिस्टर कहीं हार जावे तो यू० आई० टी० का चेयरमैन। अब वे लोग क्यों बनते हैं, यह तो उनके सोचने की बात है। सुखाड़िया जी ने तो ऐसी परम्परा बना दी है। हारो, आओ मेरे पास। नाथूलालजी को बना दिया, बालचन्दजी को बना दिया।

मैं यह बात किसी राजनैतिक द्वेष के कारण नहीं कहता पर वास्तविकता को देखते हुए यह निश्चित रूप से कहता हूं कि आप नाथूलालजी जैन है, बालचन्दजी वेद हैं उनका अपोइन्टमेन्ट राजनैतिक दृष्टि से जहां करते हैं वहां ऐसी यू०आई०टी० जनता की सेवा नहीं कर सकती। रामकिशोरजी व्यास 20 वर्षों से जयपुर में है। यू०आई०टी० में काफी रहे, यू०आई०टी०में कितना काम किया ? मैं पूछता हूं। राजनैतिक आधार पर जब यहां थोपे जाते हैं तो सेवा का प्रश्न नहीं रहता, काम करने का सवाल नहीं आता। यह तो वे खुद ही जानते हैं। उनका खुद का जी दुख पाता है। मन में साफ समझते हैं।

अब इस हालत में उपाध्यक्ष महोदय, सारी स्थिति को देखते हुए निवेदन करूंगा इस हाउसिंग की प्राब्लम को खत्म करने के लिए व्यवस्था सरकार को करनी पड़ेगी डेफीनेट पालिसियां बनानी पड़ेंगी। जो कच्ची बस्तियों में बस रहे है उनके लिये व्यवस्था करनी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर में पानी के प्रश्न को लेकर एक डेपूटेशन मुख्य मन्त्रीजी के पास गया। वित्त मन्त्री जी भी थे वहां, एक लम्बी चौड़ी प्लान बनाई गई। ऐसा लगा उस प्लान को देखते हुए कि अगले साल संकट आवेगा ही नहीं, कुछ रुपया मन्जूर हुआ, बनास से पानी लाने की योजना के लिए, ट्यूब वैल के लिये, मैं माननीय मुख्य मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि उस वक्त जो आपने एश्योरेन्सेज दिये थे क्या उनको पूरा करवाया ? कभी आश्वासन देने के बाद यह भी देखते हैं कि वे पूरे भी हुए या नहीं ? गंगानगर के बारे में आश्वासन दिये। पूरे वे पूरे नहीं हुए। कोटा एजीटेशन के एश्योरेन्स पूरे हुए, यह भी देखा ? कभी देखा सरकारी कर्मचारियों के साथ एश्योरेन्सेज दिये वे पूरे किये गये या नहीं ? इसकी भी एक सीमा होती है। सरकार के आश्वासनों पर भरोसा किया जाय इसकी आवश्यकता है। पर आप स्वयं ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रहे है कि सरकारी आश्वासनों पर कोई भरोसा नहीं करे। ऐसी हालत में यह निवेदन करूंगा कि

(श्री भैरोंसिंह)

राजस्थान की वित्तीय स्थिति भयंकर संकट में है। राजस्थान में जितने रिसोंसेज फोलो किये जा सकते थे उस दृष्टि से राजस्थान सरकार अपनी आय के साधनों को नहीं बढ़ा पाती। खनिज के आधार पर, बेकारों की समस्या, राजस्थान की वितीय सकट को समाप्त करने की प्रक्रिया चालू की जा सकती थी वह नहीं की। राजस्थान सरकार ने गरीबी का नाम ले कर उस गरीबी के नाम के आधार पर योजना बनाकर थोड़े से पैसों का प्रावधान रखकर गरीबों की समस्या का समाधान नहीं कर पाई। न राजस्थान सरकार सरकारी कर्मचारियों को और जनता को आश्वस्त कर पाई, न बेकारी की समस्या का समाधान कर पाई। यह बजट भी इसी बात की ओर संकेत करता है। चुनावों में चाहे प्रचार करके आपन लोगों के अरमान बढ़ा दिये हों पर चुनावों के बाद सरकार पर जो जिम्मेदारी आई है उसके अनुरूप आचरण नहीं किया तो परिणाम इसके घातक होंगे।

आप जीत जावें, हम हार जावें, हम जीत जावें और आप हार जावें यह मोटी बात नहीं है। लोकतन्त्र में तो यह हार जीत की प्रक्रिया चलती रहेगी। पर लोकतन्त्र सुरक्षित रहे इसकी आवश्यकता है। आपने अरमान तो बढ़ाये पर इसके विपरीत जिस तरह की छोटी सी योजना लेकर चल रहे हैं इससे काम नहीं चलेगा अब।

राजा महाराजा अपनी जगह थे। वह एकतन्त्री शासन का एक सिस्टम था। वह सिस्टम खत्म हुआ, दूसरा सिस्टम आया लोकतन्त्री शासन प्रणाली का। इसके साथ साथ ही उनके प्रिवी पर्सों का सवाल आया। उनकी सम्पति का सवाल आया। ये ज्यादा दिन रहने वाले नहीं है यह हर आदमी मानकर चलता है। पर केवल इन राजा महाराजाओं को खत्म करने से, कण्डम करने से काम नहीं चलेगा। बीस वर्ष पहले लोकतन्त्रात्मिक स्थिति देश में आई। राजा गये, रियासतें भी लुप्त हो गई, समय के प्रवाह में बह गई, समय का तकाजा था। अब वे तो वापस आने से रहीं। तो आज इस स्थिति में कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि कहने मात्र को वे पुराने राजा महाराजा तो 22-23 रहे हैं। पर इन बाईस तेईस सालों के इस लोकतन्त्री शासन में एक नये राजा महाराजा इतने जल्दी पैदा हो गये हैं। यहां तो आज हर मंत्री राजा महाराजा बन बैठा है। कौनसे राजा महाराजा मन्त्री नहीं हैं। कौन मंत्री आज के दिन गरीब है? या एक साधारण नागरिक की तरह है? किस मन्त्री के पास आज पैसे की कमी है? माथुर साहब कहें, आप गरीब हैं क्या? मैं समझता हूं कि जितना आलीशान बंगला आज माथुर साहब के पास है, वैसा किसी राजा महाराजा के पास भी? आपके इस बंगले में कोई घुस जावे तो रामबाग पैलेस फीका लगने लगेगा। रामबाग को लोग भूल जावें।

तो माथुर साहब, मैं निवेदन करूंगा कि जिस जनता ने उन राजा महाराजाओं को समाप्त कर दिया। पुराने राजा महाराजाओं का नाम शेष ही रह गया। उनकी तो प्रिविपर्सों के पीछे पड़े हैं उनकी सम्पति को हड़पने के पीछे पड़े हैं। पर याद रखिये जनता के शोषण करने की प्रवृति और वह पुराने राजा

Page No 94

(श्री भरोंसिंह)

महाराजाओं की ऐसी इशरत की प्रवृति आप में भी बहुत जल्दी बीस बाईस साल के छोटे से शासन काल में ही पैदा हो गई है तो इसको भी जनता जल्दी ही समाप्त कर देगी। असली सामन्त जो आज पैदा हो गये हैं इन नये सामान्तों को भी जनता शीघ्र ही खतम कर देगी। आज आप यहां शान शौकत से बैठकर गरीब जनता की बात करते हैं, गरीबी हटाने की बात करते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ अपना कथन समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट की आलोचना करने की दृष्टि से भले ही कुछ कहा जाए, पर अगर निष्पक्ष दृष्टि से इसे देखें और पढ़े और इस पर चिन्तन करें तो मैं समझता हूं कि राजस्थान के लिये यह जो बजट पेश किया गया है वास्तव में इस साल का यह एक ऐतिहासिक बजट है। मैं इसको ऐतिहासिक बजट इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, कहता हूं कि जहां तक इस बजट के अन्दर राजस्थान के विभिन्न वर्गों के लिए, विभिन्न पक्षों के लिए, राजस्थान के विकास के लिए और गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए, जहां तक हो सकता है इन लोगों के लिए कुछ न कुछ इस बजट में दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, जितने भी बजट आज तक इस सदन में पेश किये गये हैं मैं यह निवेदन करूंगा कि जो बजट गत वर्षों में पेश किये गये हैं उन सबसे यह बजट उत्तम बजट है, उत्तम बजट प्रतीत होता है और वास्तव में एक दिशा में एक फीजा जो देश में, देश के अन्दर लोक सभा के मध्यावधि चुनाओं के बाद, समाजवाद की नई रोशनी, नई लहर जो कांग्रेस ने और यहां की जनता ने रोशनी दी है, वह हमारे सामने आई है। तो उसका भी संकेत इस बजट में निश्चित तौर से मिला है। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है। इस बजट के अन्दर समाजवाद की बात नहीं हो ऐसी बात भी नहीं है। यह बजट प्रगति की ओर नहीं है, वैसा भी नहीं कहा जा सकता है वैसे, उपाध्यक्ष महोदय, मोटे तौर पर इस पर मुझसे बहुत से लोगों ने चर्चा की और इस बजट के अन्दर प्रत्येक क्षेत्र को कुछ न कुछ जरूर दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम हम कृषि के क्षेत्र में और किसानों की समस्याओं की तरफ देखें तो इस बजट के अन्दर जो महत्वपूर्ण निर्णय हमारे सामने आया है और जिसका वास्ता गांवों में बसे हुए छोटे छोटे किसानों से है, और यहां के, राजस्थान के सैंकड़ों ही नहीं, हजारों, लाखों किसान इस बात की तारीफ करेंगे कि राजस्थान की सरकार ने भूमि पर 1-1-71 तक जिन लोगों ने 15 बीघा तक पूरे राजस्थान में कब्जा कर रखा है, उन लोगों की जमीनों को भी रेगुलराईज करने के लिये, उसकी ओर इसके अन्दर प्रावधान किया है। इसका तात्पर्य यह है कि छोटे-छोटे किसानों को ही इसका फायदा मिलेगा। कल बहुत से लोगों ने टिनेन्सी एक्ट पर बहस के दौरान यह कहा था कि इससे बड़े बड़े लोगों को ही फायदा होगा, वे ही इसका लाभ उठायेंगे, तो यह गलत है। जब इसके अन्दर एक सीमा रख दी गई है कि

(श्री शंकरलाल)

15 बीघा कुल जमीन होगी, इस सीमा तक जो भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, उसको बिना जुर्माने के 1-1-71 तक के कब्जे को नियमित किया जायेगा तो उपाध्यक्ष महोदय वे छोटे छोटे किसान ही हैं जो भूमिहीन हैं, जिनके पास टूकड़े टूकड़े जमीन है। इसके अलावा और कोई नहीं है। मेरे इलाके के अन्दर, पाली जिले के अन्दर, रायपुर तहसील में, बाली तहसील में हीरासिया जाति के और अन्य जातियों के लोग है जो कि छोटे छोटे किसान ही हैं, जो राजस्थान के अन्दर है, उनको इससे राहत मिलेगी अन्यथा इन लोगों पर बड़े भारी जुर्माने होते और उनको जमीन से बदखल कर दिया जाता। अभी भी बेदखली के कई ऐसे फैसले दिये जा रहे हैं। इसलिए उनको अब रोका जा सकेगा। इतना ही नहीं राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि जिनका जुर्माना वसूल कर लिया गया है वह उनके लगान में एडजस्ट कर लिया जायेगा। यह एक बहुत बड़ी बात है।

इसके साथ साथ उपाध्यक्ष महोदय, उत्पादन का चित्रण भी हमारे सामने खीचा गया है सबसे बड़ा 76 लाख टन का रेकार्ड उत्पादन इस वर्ष हुआ है.....

श्री रामचन्द्र आर्य : आप क्या कह रहे हैं ? गरीबों को और हरिजनों को कोई कब्जा नहीं करने देता है सौ में से एक-दो ऐसे आदमी मिलेंगे.....

श्री शंकरलाल : आप इस बात को समझे नहीं है। नया कब्जा करने का कोई प्रश्न नहीं है आप इसको जैसे समझे है बता देना।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर कृषि क्षेत्र के अन्दर और भी बातें उत्पादन के साथ साथ लोगों को ऋण देने की बात कही गई है। यह भी इसके अन्दर बताया गया है कि कितना ऋण दिया जायेगा। वह आने वाले वर्ष के अन्दर 17 करोड़ का ऋण मिलेगा। इसके लिए एग्रीकल्चर रिफाइनेन्सिग स्कीम है। इसके साथ ही साथ बाराह-आनी जमीन की तरक्की के लिए जोधपुर जिले में एक प्रोजेक्ट खोला जायगा। इसके अलावा मारजिनल किसानों के लिये भरतपुर, उदयपुर और जिलों के लिए जो जो स्कीम तैयार की गई है वह मैं समझता हूं कि कृषि के क्षेत्र के अन्दर एक अच्छी स्कीम है।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय बहु-फसली व्यवस्था जहां पर है, क्योंकि सिंचाई के साधन वहां पर है, वहां पर उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाय इसके लिए वहां पर दो प्रोजेक्ट कोटा और चित्तोड़ में खोले जायेंगे। इसके साथ ही साथ सहकारिता के माध्यम से जो ऋण मिला है 20 करोड़ तक वह आगामी वर्ष में 23 करोड़ का ऋण इन सहकारी समितियों के मारफत मिलेगा जिससे किसानों की हालत में सुधार होगा, यह कहा जा सकता है। बिजली के अन्दर 10,000 कुओं को बिजली देने का टारगेट था, उस लक्ष्य के अन्दर 12,500 कुओं को बिजली देने के लक्ष्य की प्राप्ति सम्भव हो रही है और 71-72 के वर्ष के लिये राज्य सरकार ने 20,000 कुओं को बिजली देने का लक्ष्य रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : यह चुनाव का वर्ष है।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, चाहे

(श्री शंकरलाल)

चुनाव का वर्ष हो, और चाहे और किसी कारण से यह किया जा रहा है लेकिन यह एक अच्छी बात है। यह सोचने और समझने की बात है। परन्तु है यह अच्छी बात। बजट अच्छा है इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसके अन्दर जो प्रावधान है वह किसानों और जनता के लिए आम तौर पर लाभदायक है और समाजवादी दृष्टिकोण को लेकर किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, किसानों के फायदों के साथ साथ में एक और निवेदन करना चाहूंगा कि खुशहाली कर तमाम मध्यम और छोटी सिंचाई योजनाओं में खुशहाली कर को समाप्त कर दिया गया है। यह बड़ी राहत की बात है। किसानों को एक साथ इतने राहत किसी एक बजट में मिली है, यह हमें नहीं देखने को मिली है। इस सम्बन्ध में एक निवेदन करना चाहूंगा और सुझाव के तौर पर राजस्थान सरकार को कहना चाहूंगा कि कृषि का उत्पादन जिस प्रकार से बढ़ रहा है, जिस प्रकार से अनाज का उत्पादन बढ़ रहा है लेकिन उसके साथ ही साथ अनाज का भाव गिरता जा रहा है यह हमारे लिये चिन्ता का विषय है। मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अनाज के भाव दिन-प्रतिदिन गिर रहे हैं, बाजरा का क्या भाव है? गेहूं का आज क्या भाव है? दिनोंदिन इनके भाव गिरते जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसका कुछ न कुछ सरकार ने हल नहीं निकाला तो कृषि उत्पादन में जितनी वृद्धि होती जा रही है, जितना आकर्षण लोगों का इसके प्रति हो रहा है, भावों की गिरावट से कहीं उनमें उदासीनता न आ जाये। उपाध्यक्ष महोदय, वैसे फूड कारपोरेशन इसके लिये है। फूड कारपोरेशन किसानों से अनाज खरीदने के लिये है। कई जगह उसके भन्डार हैं। परन्तु यह फूड कारपोरेशन किसानों से अनाज सीधा नहीं खरीदता है और किसानों से न खरीद कर बनियों से खरीदता है और फूड कारपोरेशन को जो रसीद दी जाती है वह किसानों को दी जाती है। इस प्रकार व्यापारी, बिचोलियों ने मिलकर फूड कारपोरेशन के अन्दर एक भ्रष्टाचार बना रखा है और इससे किसानों को जो मदद मिलनी चाहिये, वह नहीं मिलती है और फूड कारपोरेशन के लोग खुले आम इन लोगों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। यह बात बाजारों में खुले आम होती है। यह केवल चर्चा ही नहीं बल्कि स्पष्ट बात है। इसलिये इसके ऊपर सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिये और इसका उपयुक्त हल निकालना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैं निवेदन कर रहा था, इसके अन्दर सभी प्रकार के तबकों के लिये प्रावधान रखा गया है। सबसे मोटी बात यह आती है कि हमारी पिछड़ी जाति के लोगों के लिये, राजस्थान के अन्दर जो बेकवर्ड क्लासेज, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की है, उनके लिये भी इस बजट के अन्दर अच्छी राहत देने का प्रावधान रखा गया है। वैसे पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिये जो 59.15 लाख का प्रावधान था वह बढ़ाकर 67.26 लाख का इस वर्ष किया गया है। जो सालाना योजना है, वह

(श्री शंकरलाल)

सालाना योजना काफी अच्छा लक्ष्य लेकर बनायी गयी है। और मैं ऐसा समझता हूं कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति इस सालाना योजना से प्राप्त हो जाती है। तो हम बहुत बड़ा लक्ष्य इसमें प्राप्त करेंगे। वैसे अनुसूचित जाति, जन-जाति के लोगों की बस्तियों में सार्वजनिक नल इस प्रकार लगाये जायेंगे कि उनको निःशुल्क पानी भरने को मिलेगा। इसी प्रकार बिजली की लाइन वहां इन बस्तियों में निःशुल्क ले जाई जायेगी। राज्य के खर्चे पर बिजली और पानी इन बैकवर्ड क्लासेज की बस्तियों के अन्दर पहुंचाया जायेगा। इस प्रकार एक बहुत बड़ी राहत देने की बात कही गयी है। इसी प्रकार से इनके होस्टल्स् के अन्दर 40 से 55 रुपया और 45 से 60 पया प्रति माह बढ़ा दिया गया है प्रत्येक विद्यार्थी के लिये, इससे राज्य के बजट पर 10 लाख का भार बढ़ेगा जो कि इन पिछड़ी हुई जातियों पर किया जायेगा। मैं समझता हूं कि यह पिछड़ी जातियों के लिये लाभदायक चीज है।

इसके साथ ही पिछड़ी जाति, जन-जाति के विद्यार्थियों को कम्पीटीटिव परीक्षा में तैयार करने के लिये एक केन्द्र स्थापित करने की बात कही गई है। इन जातियों के विद्यार्थियों के लिये गत बजट के अन्दर यह घोषणा की गई थी कि पोस्ट ग्रेजुएट्स को 150/- रुपया प्रति माह और ग्रेजुएट्स को 100/- रुपया प्रति माह उनको नौकरी न मिलने तक वजीफा के रूप में दिया जाता रहेगा। इसकी जगह अब राज्य सरकार ने पोस्ट ग्रेजुएट्स को 250/- रुपया प्रति माह और ग्रेजुएट को 150/- रुपया प्रति माह रोजगार न मिलने तक दिया जाने की घोषणा की है।

श्री उपाध्यक्ष : पिछले साल कितनों को मिला ? (विराम) आपके क्षेत्र में पिछली साल किसी को मिला या नहीं मिला।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में पिछले साल किसको मिला और किसको नहीं मिला इसके आंकड़े तो मेरे पास नहीं है। जो यह घोषणा की गई है वह उत्तम है। मैं यह निवेदन कर दूं घोषणायें तो बहुत अच्छी है अगर इसकी क्रियान्विति हो जाती है, इसका पालन ठीक हो जाता है तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा लक्ष्य हम राजस्थान के लिये प्राप्त कर लेते हैं लेकिन कारण क्या है घोषणा घोषणा ही रह जाती है इम्पलीमेन्टेशन नहीं होता है। इसका कारण यह है कि हमारा जो प्रशासन है.........

(बीच में व्यवधान होने पर)

.. ..मैं निवेदन किये देता हूं। हमारे बजट की प्रत्येक चीज, बजट का प्रत्येक इम्पलीमेन्टेशन प्रशासनिक मशीनरी पर निर्भर करता है। हमारी जो प्रशासनिक मशीनरी है अगर वह बजट की प्रत्येक बातों का पालन करे तब तो हो सकेगा वर्ना नहीं हो सकेगा। हर एक चीज के लिए नियम होते हैं, राज्य सरकार के सरक्यूलर होते हैं उनमें कई प्रकार की अड़चनें होती है, उसमें रेड टेपिज्म घुस जाता है। उदाहरण के लिये अनुसूचित जाति और जन-जाति के

(श्री शंकरलाल)

लिये एक हजार रुपये तक का ऋण और 700 रुपये तक के अनुदान देने की बात है लेकिन किससे तसदीक होकर आये, पंचायत समिति से आये या और किसी बड़े अधिकारी से होकर आये यह जो प्रोसीजरल बात है उसकी वजह से और छोटी-मोटी आपत्ति के कारण उसका प्रार्थना-पत्र लौटा दिया जाता है। अब उपाध्यक्ष महोदय इस बात को सोचना पड़ेगा। भारत की प्रधान मंत्री ने नया पद जब सम्भाला तो सारे सेक्रेटेरियट को बुलाकर इस बात को कहा कि जो हमारे प्रशासन में रेड टेपिज्म है और जो रूल्स की वजह से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं उनमें ढिलाई देनी पड़ेगी। हमारी नीतियों की प्राप्ति कैसे होती है इसको प्रशासन को देखना पड़ेगा। चाहे वह सचिवालय के स्तर पर हैं, चाहे गांव के स्तर पर हो और चाहे कलेक्ट्री के स्तर पर हो उनमें यह भावना होनी चाहिये.........

श्री उपाध्यक्ष : मशीनरी को सुधारने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री परसराम मदेरणा : आपके पास मशीनरी सुधारने के कोई सुझाव हैं ?

श्री शंकरलाल : यह सुझाव तो दे रहा हूं-उपाध्यक्ष महोदय, प्रथम सुझाव तो यह है.........

श्री मदनसिंह : जो सिद्धान्त को बताने वाले लोग हैं उस मशीनरी को भी.........

श्री शंकरलाल : एक तो उपाध्यक्ष महोदय राज्य सरकार इस बात का निर्णय लेकर सारे सरकार की मशीनरी को जो हैड्स है, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उन सबको और आम कर्मचारियों में एक सरक्यूलर जारी करके कि हमारी पालिसी को जो अचीवमेन्ट है उसमें जो छोटे छोटे हरडल्स आते हैं-कागज 20-20 बार लौटाया जाता है वह न लौटाया जाय और जितना जल्दी हो सके वह करनी चाहिये। रेड टेपिज्म को खतम किया जाय वरना उपर के जो अफसर हैं.........

श्री मदनसिंह : पालिसी के सिद्धांतों के अनुसार तो यह मशीनरी ऊपर से चलनी चाहिये.........

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो नीति से यह बजट बनाया है जो नीतियां इस बजट में हैं उनका इम्पलीमेन्टेशन सरकार द्वारा कैसे हो, यह मैं निवेदन कर रहा हूं। दूसरा उपाध्यक्ष महोदय प्रशासनिक मशीनरी चाहे देश की, चाहे राज्य की हो-आज प्रशासनिक मशीनरी के अन्दर कोई भय नहीं है आज सरकार कई दफा इस बात के लिये सक्षम नहीं हो पाती है कि किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ एक्शन लें और कोई दण्ड दे सकें। उसके लिये कहते हैं अपने संविधान के अन्दर कान्स्टीट्यूशनली गारन्टी है। मैं कहता हूं सरकारी कर्मचारियों के लिये कान्स्टीट्यूशनली गारन्टी ठीक है उनके हाथों की रक्षा के लिये हो उसके लिये कोई सीमा होनी चाहिये। छोटी मोटी बातों को हम देखते हैं वास्तव में कई आदमी गुनाहगार है, सरकार ने दण्ड भी दिया

(श्री शंकरलाल)

लेकिन वह किसी न किसी बड़े आदमी का कृपापात्र होने से बच जाता है। वह खुद कहता है गलती की है लेकिन अदालत से बरी हो जाता है। इसलिये यह जो प्रोसीजर है डिपार्टमेन्टल प्रोसीजर और अदालतों का प्रोसीजर यह राज्य स्तर पर हल किया जाय और चाहे देश स्तर पर हल किया जाय। मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा चाहे वे इधर बैठने वाले हों और चाहे उधर बैठने वाले हों सबको मिलकर एक आवाज उठानी पड़ेगी। सरकारी मशीनरी के अन्दर जो सरकारी अफसरों के दिमाग में बू घुसी हुई है, उनके दिमाग में जो भय नहीं है वह भय होना पड़ेगा और उपाध्यक्ष महोदय यह भय होना चाहिये कि गलत काम करूंगा तो तुरन्त दण्ड मिल जायगा यह भय नहीं आयेगा तब तक काम नहीं हो सकेगा। उपाध्यक्ष महोदय देश के अन्दर हमारे प्रधानमंत्री को भी समझना पड़ेगा किस वजह से प्लान फैल होगा, अगर हमारे टारगेट्स फैल होंगे, तो सबसे बड़ा काम होगा वह यह होगा कि जो मशीनरी है जो हमारे काम करने वाले कर्मचारी हैं वह इसको इम्पलीमेन्ट नहीं करेगी और तब हमारी आलोचना होगी और जो लक्ष्य निर्धारित किय हैं वह अचीव नहीं कर पायेंगे क्योंकि इम्पलीमेन्टेशन होता है मशीनरी के जरिये। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात हुई लेकिन साथ में सर्विसेज के अन्दर यह बात भी होना लाजमी है कि सर्विस करने वाला इस बात का ध्यान रखें कि वह अपनी सेवा के प्रति वफादार हो, अपनी सर्विसेज के प्रति वफादार हो न कि किसी व्यक्ति के प्रति वफादार हो। उपाध्यक्ष महोदय इस बात का दुःख होता है कि फलां आदमी का फलां अफसर है और फलां आदमी का फलां अफसर है.........

श्री मदनसिंह : फलां मिनिस्टर की बात तो कहें...

श्री शंकरलाल : हां, फलां आदमी का फलां मिनिस्टर है, यह भी गलत है।

श्री आलमअली : नाम क्यों नहीं लेते हो। इन्दिराजी का नाम लिया जैसे इन मिनिस्टरों का भी नाम लो।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री शंकरलाल : सही बात जो जनता के हित में है जो प्रदेश और राज्य के हित में है वह सुझाव देना चाहिये इसलिए मैं निवेदन कर रहा था सर्विसेज को अपनी सर्विस के प्रति वफादार होना चाहिये - किसी पार्टी व्यक्ति के प्रति नहीं। सवाल किसी एक पार्टी का सवाल नहीं है। हम अध्यापक लेवल पर देखते है फलां स्कूल खुलने पर फलां अध्यापक पार्टी पोलिटिक्स में भाग लेने लग जाते हैं। मेरा निवेदन है जो भी सरकार है, जो सरकार की नीति है चाहे कांग्रेस की सरकार हो और चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो उसकी जो नीति है, जो बजट है उसको इस प्रकार से लेना चाहिये जैसे वह हमारे लिये एक कानून है। इसकी प्रत्येक चीज का पालन करना चाहिये। मुझे उपाध्यक्ष महोदय कहने में अफसोस होता है यह जो सरकारी अफसर हैं कहते हैं

(श्री शंकरलाल)

यह तो बजट भाषण है अभी तक हमारे पास कोई आॅर्डर नहीं आया है। ठीक है, ऑर्डर आप निकालते हैं निकालें लेकिन जो बजट भाषण है, जो बजट के प्रति बातें कही गई हैं उसका इम्पलीमेन्टेन्शन सरकारी मशीनरी करने वाली है उसको अक्षरशः पालन करना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनके दुखों को भी कहना चाहता हूं और माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं और वह यह है उपाध्यक्ष महोदय, सर्विसेज के अन्दर जो प्रमोशन होते हैं, जो तरक्की होती है उसमें अधिकतर कानफिडेन्सियल रिपोर्ट - गोपनीय प्रतिवेदन के आधार पर प्रमोशन होता है यह बहुत ही खतरनाक है। यह हमारी सर्विसेज को गुलामी की ओर ले जाने वाला है एक बड़े अफसर के नीचे रहने वाला छोटा कर्मचारी उनकी जी हां करता है, गुलामी करता है। काम कुछ नहीं करे अफसर को जी हजूरी करे, उनके घर का काम, काज करे, घर में क्या चाहिए अफसर आये तो बड़े अदब से जी हजूरी करे तो वह अफसर समझता है यह बहुत ही अच्छा आदमी है, गुड वर्कर है और बेस्ट कम्पीटेन्ट आदमी। है और जो आदमी जी हजूरी में विश्वास नहीं रखता है और डेमोक्रेसी में और सोशियेलिज्म में अपनी सर्विस पर लगा रहता है और आॅफिसर को सलाम नहीं मारता उसके लिए लिखेंगे कि यह लेजी है और अपने काम को नहीं जानता है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ी खतरनाक बात है। इसका इलाज यही है कि सरकारी कर्मचारियों के जो प्रमोशन्स हों वह गोपनीय प्रतिवेदनों के आधार पर नहीं हों। हां, अगर गोपनीय प्रतिवेदनों को भी आधार बनाना चाहें तो बनायें लेकिन यह केवल प्रमोशन का आधार नहीं हो। यह गुलाम राज्य की देन है और लोकतन्त्रीय सरकार और समाजवाद के लक्ष्य के अन्दर हमें इस बात को हटाना पड़ेगा और राज्य कर्मचारियों के दिमाग में जो गोपनीय प्रतिवेदन का भय बैठा हुआ है उस भय को आपको हटाना पड़ेगा कि जो हजूरी नहीं करेंगे तो कान्फीडेन्सियल रिपोर्ट को बिगाड़ देंगे। नीचे वाले को कहा जाता है कि रिपोर्ट में यह लिखो और उसको अपने ही आदमी के खिलाफ लिखना पड़ता है। काम तो बड़े अधिकारी करते हैं लेकिन छोटे कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। इसलिए यह मामूली बात नहीं है। आज बहुत से हमारे भाई सर्विसेज में हैं और उनके लिए हमें सुधार करना पड़ेगा और गोपनीय प्रतिवेदनों को जो प्रमोशन का आधार बनाया हुआ है उसको हटाना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन में थ्रू प्रॉपर चेनल को जो बात है इसको भी हटाना पड़ेगा। आज कोई आदमी अपनी बात कहना चाहे - एक चपरासी है उसके साथ बड़ा आॅफिसर कर रहा है और वह चाहते हैं कि वह कलेक्टर के पास दरख्वास्त करे, डाईरेक्टर के पास दरख्वास्त करे, मिनिस्टर के पास दरख्वास्त करे लेकिन नहीं कर सकता। करेगा तो थ्रू प्रापर चेनल। अगर उसने सीधी दरख्वास्त कर दी तो

(श्री शंकरलाल)

उसकी चार्जशीट में यह बात लिखी आती है कि आपने डायरेक्ट एप्रोच कैसे कर लिया और थ्रू प्रॉपर चेनल क्यों नहीं किया। यह भी गुलाम राज्य की देन है। आज किसी आदमी के साथ अन्याय होता है तो उसको अधिकार होना चाहिए कि वह बड़े से बड़े ऑफिसर के पास जा कर अपनी बात को कह सके। ठीक है आप उसकी इन्क्वायरी करो लेकिन आप कहते हैं कि थ्रू प्रॉपर चेनल हो, इसको भी आपको हटाना पड़ेगा। अगर सर्विस में आपको निडरता लानी है तो आपको यह करना ही पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं आई० ए० एस० और आर० ए० एस० के बारे में कहना चाहता हूं और उनकी जो मनोभावनायें हैं उसके बारे में विशेष तौर से कहूंगा। आई० ए० एस० ऑफिसर्स यह समझते हैं कि हमारा तो राज्य सरकार कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती चाहे वह कुछ भी करे और ज्यादा से ज्यादा होगा तो ठीक है हमारा केन्द्रीय सरकार से ट्रान्सफर करवा देंगे और राज्य सरकार अपने आपको पंगु पाती उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए। यह गलत है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा और भारत सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आई० ए० एस० ऑफिसर जो किसी भी राज्य में हो उनकी ड्यूटी उनके ऊपर एक्शन लेने का अधिकार उस राज्य को भी होना चाहिए और राज्य सरकार को भी होना चाहिए और वह गलत काम करे तो। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि राज्य सरकार के अन्दर बड़े बड़े कर्मचारी हैं और जैसा व्यवहार आई० ए० एस० अधिकारी करते हैं वैसा आर० ए० एस० अधिकारी नहीं करते। आई० ए० एस० अधिकारी चाहे छोटा भी हो और आर० ए० एस० अधिकारी बड़ा भी हो और चाहे उसको कितना भी अनुभव हो लेकिन वह उसकी कद्र नहीं करता और उसको ऐसा समझता है जैसे मामूली सा आदमी उसके सामने आ कर खड़ा हो। समाजवाद के अन्दर आपको सर्विसेज की कद्र करनी पड़ेगी और योग्य आदमियों की कद्र करनी ही पड़ेगी... ..

श्री मदनसिंह : आई० ए० एस० ही योग्यता का प्रतीक है इसलिए वह दबता नहीं है।

श्री शंकरलाल : ....वह तो पढ़ाई के अन्दर डिग्री प्राप्त की है। पढ़ने के बाद गुणना भी जरूर होता है। पढ़ना और गुणना दो चीजें होती हैं। हमने कई आर० ए० एस० को देखा है कि जो कि आई० ए० एस० अधिकारियों से सैकड़ों गुना अच्छे हैं और हमने ऐसे भी आई० ए० एस० देखे हैं जो कुछ नहीं समझते हैं सिवाय ऑफिस की रिपोर्ट पर दस्तखत करते हैं।

मैं यह कह रहा था उपाध्यक्ष महोदय, कि एक तो सर्विसेज को हमें सुधारना पड़ेगा और उनको हमारे लक्ष्यों के प्रति उत्तरदायी ठहराना पड़ेगा और सरकार को चाहिए कि कुछ टारगेट्स फिक्स करके हर हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट को उसके लिए जिम्मेदार ठहरा दे और उसको कहना चाहिए कि अगर यह फिक्स्ड टारगेट्स एचीव नहीं हुए तो "यू विल बी पैनेलाइज्ड" (इसके लिए तुम्हें जिम्मेदार ठहराया जायेगा)। लेकिन होता क्या है कि वह कह देते हैं कि इतने दिन तो फाइल वहां चली गयी, उसके बाद उसकी रिपोर्ट मिली, फिर लॉ

(श्री शंकरलाल)

डिपार्टमेन्ट को चली गयी तो यह जो एक जंजाल है और कहना चाहिए कि ब्रह्मजाल है उस ब्रह्मजाल से निकलने के लिए सरकार को हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट को जिम्मेदार बनाना पड़ेगा। हां, आपको जो चीज चाहिए उसके लिए कह दो कि यह सुविधायें दो लेकिन आपको उनके ऊपर रेस्पॉन्सीबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर निवेदन करूं कि सीलिंग की बात को लें। राज्य सरकार ने घोषणा की कि अप्रेल, 71 तक सीलिंग के अन्दर तमाम भूमि ले लेंगे और मई, 71 में उसको बांट देंगे। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, सरकार क्या आज कहने की स्थिति में है कि अप्रेल की आज 14 तारीख हो गयी और अब इस महीने में केवल 14 दिन बाकी रहे इस काम के लिए कितने सरकारी कर्मचारियों को आपने लगाया। वह कहते हैं कि हमारे पास स्टाफ नहीं है किस को नोटिस दें......

श्री उपाध्यक्ष : अपन ने भी उसमें ढिलाई 10-12 साल की की।

श्री शंकरलाल :......इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि टारगेट्स के प्रति सरकार भी वफादार हो कि हमें यह टारगेटस बजट में एचीव करने हैं और साथ ही साथ में उन टारगेट्स को एचीव करने का जो प्रॉसीजर है और उसकी जो मशीनरी है उसको ठीक करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, यह तो बीच में बात आई कि किस प्रकार से इसका इम्पलीमेन्टेशन होगा और आपने कहा कि उसका पालन हुआ या नहीं तब मैंने निवेदन किया। इसलिए प्रशासन में हमको सुधार लाना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि कृषि के ऊपर इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट के बारे में यह कहा अभी भारतीय जनसंघ के नेता महोदय ने कि इतनी बातें तो केन्द्रीय सरकार कर रही है। 16 जिलों में उद्योगों को प्राथमिकता दी जायेगी और 16 जिलों की लिस्ट दी है यह भी भारत सरकार की योजना है। इसमें कई बातें भारत सरकार की हैं। रीफाइनेन्सिग की स्कीम भी भारत सरकार या रिजर्व बैंक की है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इसको हम बजट से नहीं निकाल सकते और यह नहीं कह सकते कि राज्य सरकार का इससे कोई वास्ता नहीं है। चाहे भारत सरकार की स्कीम हो या राज्य सरकार की स्कीम हो वह बजट का अंग है। भारत सरकार की तरफ से जो स्कीमें दी जाती है वह हमारे ही बजट का अंग है इसलिए यह कहकर अलग नहीं किया जा सकता कि वह राज्य की स्कीम नहीं है। हमारे राज्य की स्कीम है और भारत सरकार की स्कीम अच्छी है तो उसे भी हमें इम्पलीमेन्ट करना है। हां, यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक जिलों के अन्दर एक-एक हजार ग्रामीणों को रोजगार देने की स्कीम है वह हमारे बेरोजगारों की संख्या को देखते हुए पर्याप्त नहीं है। यह कहा जा सकता है और मैं भी इससे इन्कार नहीं करता कि बेरोजगारों की संख्या अधिक है लेकिन यह मानना पड़ेगा कि आज दिन तक ऐसी योजना नहीं थी लेकिन अब योजना तो आई है। कम से कम एक हजार आदमी अगर एक जिले के अन्दर होगा तो मान लीजिए कि राजस्थान में 25-26 जिलों

Page No 103

(श्री शंकरलाल)

में 25-26 हजार आदमी तो काम में लगेंगे, तो इसमें हर्ज क्या है ? 50 करोड़ की योजना हमारे देश में है और कितने लाख आदमी इसमें लगेंगे। तो यह तो हम नहीं कहते कि कुछ नहीं हुआ लेकिन हां ज्यादा होना चाहिए था और यह पर्याप्त तो नहीं है लेकिन इन मध्यावधि चुनावों के बाद में जो स्कीम हमें भारत सरकार ने दी है बेरोजगारों के प्रति उनके प्रति उनकी चिन्ता है। आखिर यह स्कीम तो है।

साथ में हमारी राज्य सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगारों के लिए जो ग्रेजुएट्स हैं, जो टेक्नीकल ग्रेजुएट्स हैं, जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनके लिए भी इसमें कहा गया है कि उनको किस प्रकार से एक हजार स्नातक और डिप्लोमा प्राप्त लोग होंगे उनका चयन किया जायेगा और उनके प्राप्त अंकों के आधार पर होगा, मेरिट्स के आधार पर होगा और 250 रुपया टेक्नीकल ग्रेजुएट्स के लिए हैं और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 150 रुपया है और यह प्रति मास वजीफा उनको दो वर्ष तक दिया जायेगा। आज हमारे यहां शिक्षित बेरोजगारों की एक बहुत बड़ी समस्या है। उनमें से बहुत से बेरोजगार फिर रहे हैं तो उनके लिए वास्तविक व कारगर वस्तु है वह, लेकिन हम आलोचना करते हैं तो उस वक्त यह नहीं कह सकते हैं कि यह एक अच्छी स्कीम है, लेकिन व्यक्तिगत आरोप लगा देंगे, लेकिन बजट में क्या क्या चीजें हैं उन पर अपने सुझाव नहीं देंगे।

आज डॉक्टर्स के लिए बात कही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि सबके लिए न हो। डॉक्टर्स का आया है तो डॉक्टर्स के लिए भी हो। डॉक्टर्स जो बेरोजगार होने वाले हैं क्योंकि उनकी सप्लाई बढ़ रही है और सरकार ने पहले उसको अनुभव किया है कि जितने हमारे यहां शफाखाने हैं उनमें मेडिकल कॉलेजेज से आये वर्ष इतने डॉक्टर्स निकल रहे हैं कि इनको पूरी को नौकरी नहीं दे सकेंगे इसलिए सरकार ने यह जो योजना निकाली है डॉक्टर को पहले साल में 250 रु० प्रति माह और दूसरे साल में 200 रु० प्रति माह स्टाईपेण्ड दिया जायगा और दो हजार रुपया उनको उपकरण खरीदने के लिए भी उपगार दिया जायगा ताकि वे गांवों में जा कर जहां कि चिकित्सा की सुविधा नहीं है काम चालू कर सकें।

श्री मदनसिंह : यह स्कीम तो बिड़लाजी ने भी चुनाव के टाइम में रखी थी। यह परमानेन्ट क्योर नहीं है।

श्री शंकरलाल : बिड़लाजी भी हार गये और उनके समर्थक भी हार गये।

श्री मदनसिंह : यह टेम्पोरेरी क्योर है।

श्री शंकरलाल : परमानेन्ट स्कीम का प्रश्न नहीं है। इमर्जेन्सी की स्थिति में ज्यादे से ज्यादा यह बात आने वाली है कि इमीजियेट रिलीफ क्या दे सकते हैं। आप बताइये की इमीजियेट्ली रिलीफ क्या दे सकते हैं। लेकिन यह अच्छी स्कीम है इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

(श्री शंकरलाल)

उपाध्यक्ष महोदय, वेटरनरी डाक्टर्स को खपाने के लिए ज्यादा शफाखाने खोलने की बात कह सकते हैं, और उनकी बेकारी जो इस वक्त नजर आ रही है वह बाद में नजर नहीं आयेगी, ऐसी उम्मीद इस बात से की जा सकती है। इसलिए बेरोजगारी का सवाल नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि यह योजना पढ़े-लिखे बेरोजगारों को किस प्रकार से खपाया जाय, डॉक्टरों को किस प्रकार से खपाया जाय, इन सारी बातों का इसमें उल्लेख है, और मैं समझता हूं कि एक अच्छी बात इस बजट के अन्दर है, एक समाजवादी बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं निवेदन करना चाहता हूं शिक्षा के क्षेत्र के विषय में। वैसे हमारे वित्त मंत्रीजी ने आंकड़ों की दृष्टि से अच्छी बात रखी है, और मैं उनकी तारीफ किये बिना नहीं रह सकता हूं। 300 प्राइमरी स्कूलों को मिडिल स्कूलों में इस साल बदला जायगा, और 50 मिडिल स्कूलों को हाई स्कूल में बदल दिया जायगा और 10 हाई स्कूलों को हायर सैकेण्डरी स्कूलों में बदल दिया जायगा। ठीक है, उपाध्यक्ष महोदय, आज वक्त की मांग है कि शिक्षा की प्रणाली में कुछ परिवर्तन हो जिससे अनएम्प्लायड (बेरोजगारों) को खपाया जा सके। इन स्कूलों के बढ़ने से शिक्षित बेरोजगारों की आउटपुट बढ़ने वाली है। आपने ऐसी कौनसी बेसिक एज्यूकेशन स्टार्ट करने का सुझाव दिया है? वित्त मंत्रीजी ने दूसरी योजनाओं में मस्तिष्क लगाया, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में नवीनता लाते और शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने की बात करते। यह जो वर्तमान शिक्षा है वह हमें बेरोजगारी की तरफ खींचे लिये जा रही है। उन्होंने कहा कि स्कूलों की संख्या को बढ़ाया जाय तो संख्या तो बढ़ाई जाय लेकिन जो अनएम्प्लायमेंट होने वाला है स्कूलों की संख्या बढ़ने से तो उसमें ऐसी एज्यूकेशन के लिए ऐसा प्रावधान रखें कि प्राइमरी स्कूलों के अन्दर यह आ सके कि इस प्रकार से खेती का काम होता है और इस प्रकार से दूसरे धन्धे होते हैं......

श्री उपाध्यक्ष : खेती वाले भी टेक्निकल हैण्ड्स हैं वे भी बेरोजगार हैं। उनकी तो पढ़ाई और भी ज्यादा है इसका क्या होगा?

श्री शंकरलाल : वह इसलिए कि उच्च शिक्षा में जाकर बेरोजगार होते हैं।

श्री मदनसिंह : यह शिक्षा नौकरशाही की शिक्षा है। गांवों में रहने वालों के लिए कुछ नहीं करती है।

श्री शंकरलाल : वही मैं कह रहा हूं। मैट्रिक तक पढ़ना चाहते हैं और मैट्रिक में उनको यह शिक्षा नहीं मिलती है इसलिए आगे जाते हैं। यदि मैट्रिक तक उनको बेसिक एग्रीकल्चर बता दी जाय तो उनको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। फार्म में किस प्रकार से काम करेंगे वह अगर मैट्रिक तक बता दिया जाय, लेकिन आजकल नहीं बताया जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर चिन्तन करना चाहिए। यह गम्भीर विषय है और सारे देश के स्तर पर इसका चिन्तन किया जाना चाहिए। यह बहुत जरूरी है। इसका हल निकालने के लिए हमें बहुत गहराई से बात करनी पड़ेगी,

(श्री शंकरलाल)

वर्ना हम शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ाते रहेंगे। इसलिए स्कूलों की संख्या बढ़ाने की बात की तो मैं तारीफ करता हूं लेकिन इसमें मूलभूत परिवर्तन नहीं है इस बात के लिए कहना पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा के क्षेत्र में अस्पतालों में रोगी शैयाओं की संख्या बढ़ाकर संतोष प्राप्त कर लिया है। यह भी बात अच्छी है कि किसी अस्पताल में 100 की जगह 150 शैयाएं हो जायेंगी। यह बात ठीक है।

(2.55 म० प०)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति पदासीन)

लेकिन, सभापति महोदय, चिकित्सा के क्षेत्र में अस्पतालों में रोगी शैयाओं की संख्या बढ़ाने से कुछ फायदा वास्तव में नहीं होने वाला है सिवाय इसके कि ज्यादा रोगी आने वाले हैं उनको एकोमोडेशन मिलेगा। लेकिन अगर खास राहत मिलती है तो वह मैंने यह देखा है कि मोबाइल सर्जीकल युनिट्स से मिलती है, क्योंकि गांवों में डिस्पैन्सरीज सब जगह खुल नहीं सकती हैं इसलिए मोबाइल सर्जीकल युनिट्स गांवों के लिए बड़े फायदे की चीज है। मोबाइल सर्जीकल युनिट्स में हमने देखा है कि पूरा स्टाफ आता है और कुछ दिनों तक गांवों में रहता है, ऑपरेशन करता है और दवाईयां भी देता है और फिर गांवों से आगे चला जाता है। उस पर खर्चा भी ज्यादा नहीं करना पड़ता है। मोबाइल युनिट्स की संख्या ज्यादा बढ़ाने की थी जिससे गांवों के लोगों को वास्तविक राहत मिले।

सभापति महोदय, मैं इस संदर्भ में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह समय जहां तक मैं समझता हूं परिवार-नियोजन का है इसके बारे में कोई खास विरोध नहीं है, लेकिन परिवार नियोजन की समस्या पर जो खर्च किया जाता है और माननीय सदस्य भी इस बात से इंकार नहीं करेंगे कि जनता के अन्दर एक आम धारणा है कि फैमिलि प्लानिंग में गजब का खर्चा किया जा रहा है। अलग से एक दफ्तर, अलग से अस्पताल, अलग से सेन्टर और कभी कभी तो ऐसे इन्स्टान्सेज भी सामने आते हैं, सभापति महोदय कि रोगी का ऑपरेशन करने के लिए डाक्टर, नर्स और सारा शफाखाना मोटर में डालकर ले जाते हैं और 100-50 मील जाते हैं और फिर वह आदमी कह देता है कि मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है और वे वापस लौट जाते हैं। कई जगह ऐसे मामले देखे हैं कि लूप लगाने के लिए जो इमपीट्स दिया गया है उसके कारण से परिवार नियोजन हुआ है, लेकिन खर्चे की तुलना में परिवार नियोजन का काम जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। बहुत सा वेस्टेज हुआ है और हो रहा है, उसकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह एक आम जनता की आवाज है कि परिवार नियोजन पर फालतू खर्चा किया जा रहा है। जितना उस पर खर्चा किया जाता है उसके अनुपात में आउटपुट कितना है उस पर ध्यान दिया जाय।

सभापति महोदय, इसके अलावा इस बजट के अन्दर शहर और गांवों दोनों के लिए बहुत सी उपयोगी बातें हैं। जहां

(श्री शंकरलाल)

तक पानी की समस्या है यह समस्या शहरों में भी है और गांवों में भी है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) वैसे इस बजट में हमारे वित्त मंत्रीजी ने कहा है कि म्युनिसिपैलिटी के ऊपर जो पानी का बकाया था और वह करीब दो करोड़ से भी ज्यादा की रकम थी वह इन्होंने माफ कर दी और सार्वजनिक नलों के ऊपर जो पानी की सप्लाई है वह निःशुल्क कर दी है। मैं समझता हूं कि जो शहर के निवासी हैं उनको वास्तव में राहत मिलेगी और नगरपालिकाओं की भी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। ग्रामीण योजना के लिए कहा, उसमें सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण योजनाओं से भी सार्वजनिक नलों पर

श्री सभापति: यह अधिकांश बजट स्पीच आप दोहरा रहे हैं।

श्री शंकरलाल: मैं दोहरा नहीं रहा हूं, नल योजना की बात नहीं कही है।

श्री सभापति: मौलिक बात कहिये।

श्री शंकरलाल: मैं मौलिक बात कह रहा हूं, सुझाव दे रहा हूं, जो बातें हैं, बजट में क्या है, और क्या होना चाहिये, क्या मेरे सुझाव हैं, इन बातों को कह रहा हूं ताकि तुलनात्मक दृष्टि से देख सकते हैं।

वैसे रेगिस्तानी क्षेत्रों में कहा है, जन सहयोग की आवश्यकता नहीं होगी। जल प्रदाय योजनाओं, क्षेत्रीय योजनाओं के लिए नहीं होगी। इसमें दस जिले बताये हैं, इनके अन्दर जो वाटर स्कीम होगी, उनके अन्दर कोई पब्लिक कॉन्ट्रीब्यूशन (जन सहयोग) की आवश्यकता नहीं होगी। सभापति महोदय, इससे बहुतसी योजनाएं कार्यान्वित होंगी। पेयजल की जो समस्या है, ऐसी समस्या है राजस्थान के अन्दर, जो कि चिन्तनीय है, इसलिए उन्होंने सही बात इसके अन्दर कही है। अब जो क्षेत्र रह जाते हैं, वह रेगिस्तानी क्षेत्र नहीं हैं, कमी के क्षेत्र नहीं हैं, वहां पांच पर्सेन्ट जन सहयोग लिया जाता था वहां अब ढाई पर्सेन्ट लिया जायेगा। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि पीने के पानी की समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया है। सभापति महोदय, मैं सुझाव के तौर पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो सदन में प्रस्ताव पारित हुआ था, जो प्रस्ताव रघुनाथ विश्नोई ने रखा था, कि हमारे राजस्थान के अन्दर जो ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की समस्या है, इसके लिए एक बोर्ड की स्थापना की जाय, बोर्ड की स्थापना करके इस समस्या का हल निकाला जाय। वह जब तक नहीं होगा तब तक छुटपुट जो राहत दी है, वैसे यह राहत सराहनीय है, अच्छी राहत है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जल की समस्या है उसके निवारण के लिए यह ग्रामीण जल बोर्ड की स्थापना करनी पड़ेगी, तभी आप लोगों को परमानेन्ट राहत दे सकेंगे....

श्री सभापति: बोर्ड तो कई और भी बने हुए हैं।

श्री शंकरलाल: बोर्ड तो बने हैं, लेकिन यह बोर्ड राजस्थान के इण्टीरियर पार्ट के अन्दर, राजस्थान के हर एक पार्ट के अन्दर जल की सर्वे करके कह सकता है कि राजस्थान में अलग अलग पार्ट हैं उनमें कहां पर कुओं से पानी की

(श्री शंकरलाल)

व्यवस्था करके यह समस्या हल हो सकती है, कहां पर टांके बना कर समस्या को हल कर सकते हैं, कहां पर ट्यूब वैल बना कर समस्या का हल कर सकते हैं, कहां पर कितना पैसा देना पड़ेगा, राजस्थान सरकार कुल कितना खर्च कर सकेगी, कितना भारत सरकार से खर्च लेना पड़ेगा। आज हर एक गांव है वहां पर इन्वेस्टमेन्ट की जरूरत है, गांवों में अलग अलग तरह की समस्या है, एक तरह की नहीं है। वैसे मैं नहीं कहता कि बोर्ड का निर्माण करने से सारी समस्या का हल हो जायगा लेकिन बोर्ड काम करेगा, तो बोर्ड के द्वारा इस समस्या के प्रति विशेष ध्यान दिया जायेगा, और बोर्ड के माध्यम से ही इस समस्या का स्थाई हल निकल सकेगा। पिछले चार साल से बराबर यह समस्या सदन के सामने आती है, इस सदन के माननीय सदस्य बार बार कहते हैं कि राजस्थान में पेयजल की समस्या है, इसके लिये सरकार द्वारा छुटपुट ट्यूब वैल भी लगाये गये हैं, लोगों को राहत भी दी गई है लेकिन जब तक परमानेन्ट हल नहीं होगा तब तक राजस्थान में पेयजल की समस्या का निवारण नहीं होगा।

सभापति महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, समाजवादी दृष्टिकोण से, इस बजट की दृष्टि से जो शहरी सम्पत्ति की सीलिंग की सीमा की जो बात कही गई है, भारत सरकार जो भी कानून बनायेगी, वह लागू होगा। हम चाहते हैं कि इस प्रकार का कानून हो—इतना संकेत करके वित्त मंत्रीजी ने छोड़ दिया है। सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार की भी निश्चित राय होनी चाहिए। यह बात तो ठीक है कि अर्बन प्रॉपर्टी पर सीलिंग करने से, शहरी सम्पति की सीमा निर्धारित करने से जब सम्पति ली जायेगी तो उसका क्या मुआवजा देना पड़ेगा, यह संविधान के अनुसार या संविधान में तब्दीली होने के बाद बिना मुआवजा दिये सरकार ले सकेगी—यह सब बातें केन्द्रीय सरकार के विचार करने की हैं, लेकिन शहरी सम्पत्ति की सीमा क्या हो, राज्य की क्या स्थिति है, वस्तु-स्थिति क्या है, अपने राज्य में कितनी मिकदार करना चाहते हैं शहरी सम्पत्ति की—यह राज्य सरकार के विचार करने की बात है। सारे भारत में एक ही मिकदार तय करने की बात कही गई है—मैं उससे सहमत नहीं हूं। अगर हमें वास्तव में गम्भीरता से सोचना है, तो राज्य स्तर पर सोचें। वैसे भारत सरकार ने कह दिया है कि प्रत्येक राज्य इस पर विचार कर सकता है। इसलिए हमें सोचना चाहिए। हमारे राज्य के अन्दर हमारी आर्थिक स्थिति क्या है और शहरों में हमारे लोगों की क्या स्थिति है उसको देखते हुए हम पूंजीवाद को मिटाने के लिए जो बड़े बड़े पूंजीपतियों की सम्पत्ति है उसकी हम कितनी सीमा निर्धारित कर सकते हैं, कितनी सीमा तक हम शहरी सम्पत्ति का सीलिंग कर सकते हैं-यह भारत सरकार करेगी-यह कह कर हम छोड़ दें, तो मैं समझता हूं, यह ठीक नहीं होगा। वैसे यह ठीक है है कि भारत सरकार जो कानून बनायेगी, क्योंकि सारा देश एक है, इसलिए वह सारे राज्यों पर लागू होगा, लेकिन हमारी क्या राय है, हम क्या चाहते हैं, यह सदन क्या चाहता है, हमारे प्रान्त की जनता क्या चाहती है, हम लोगों की क्या मांग है—इन सब बातों

(श्री शंकरलाल)

के लिए शहरी सम्पत्ति के सीलिंग के बारे में हमें विचार करना चाहिये और सुझाव देने चाहिएं कि कितनी सीमा होनी चाहिए और इसके बारे में क्या होना चाहिए। तो मैं, सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि इस सारे बजट का आप अवलोकन करें, और दृष्टिपात इस पर करें तो अंत में फिर मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह बजट जो है, यह मौजूदा परिस्थितियों के अन्दर बढ़ती हुई समाजवाद की लहर में कोई अनुपयुक्त या गलत बजट नहीं है। वैसे यह कहा गया कि यह घाटे का बजट है, जनसंघ के नेता ने कहा कि यह रिवाज सा हो गया है, घाटे का बजट पेश किया जाता है और चुनाव के दिन आ रहे हैं, इसलिए घाटे का बजट पेश किया है। सभापति महोदय, डेमोक्रेसी से अन्दर, समाजवाद के अन्दर जो राज्य प्रशासन चलता है, और जो बजट बनता है, मैं कहता हूं कि अधिकतर उनके अन्दर घाटे के बजट होते हैं और वह अच्छे बजट गिने जाते हैं। यह समाजवादी सरकार है, लोकतंत्रीय सरकार है, कोई बनिये की दुकान नहीं है कि जिसके अन्दर प्रॉफिट का बजट बने........

श्री हरिवल्लभ शर्मा : यह बदल गई है।

श्री शंकरलाल : इस अर्थ-व्यवस्था के अन्दर राज्य सरकार द्वारा जनता को फायदा पहुंचाने का लक्ष्य होता है, जनता का हित सर्वोपरि होता है। यह कोई व्यापारी या बनिये की दुकान नहीं है कि वह देखे, घाटा होगा, लाभ हो गया। यह घाटे का बजट है, यह जनता के हित में है......

श्री मदनसिंह : अगर जनता के ऊपर टैक्स न लगे।

श्री शंकरलाल : जहां तक टैक्स की बात है, आपने देखा होगा, जनता पर टैक्स नहीं है, सिवाय शराबखोरी पर है। इसके लिए भी कहें कि टैक्स लगा है तो आपकी आप जानें। तो टैक्स का सवाल है, जब टैक्स नहीं लगा है तब भी आप आलोचना करते हैं। सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना करते हैं। टैक्स बिल्कुल नहीं लगा है इस पर आपने विचार नहीं रखे हैं...

श्री रामचन्द्र आर्य : टैक्स न लगाने के क्या कारण थे ?

श्री परसराम मदेरणा : डवलपिंग इकॉनॉमी में टैक्स होता है।

श्री रामचन्द्र आर्य : हर वस्तु पर टैक्स लगा है, आप पिछले सालों के बजट उठा कर देख लें, हर साल टैक्स लगा है।

श्री शंकरलाल : सभापति महोदय, जब टैक्स लगाया जाता है, तब कहते हैं कि टैक्स लगा दिया, जब नहीं लगाया तो कहते हैं कि क्यों नहीं लगाया ?

श्री रामचन्द्र आर्य : आपने चार सालों से जनता पर टैक्स लगाया है।

श्री शंकरलाल : मैंने यह कभी नहीं कहा कि टैक्स नहीं लगाया है।

श्री मदनसिंह : यह राजा महाराजाओं पर टैक्स लगा रहे हैं, गरीबों पर भी लगा रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : कौनसा ?

श्री मदनसिंह : शराब का नहीं, अन्य हैं। आज माचिस की पेटी खरीदते हैं तो जो तीन पैसे में बनती है, वह आठ पैसे में मिलती है। इस प्रकार आप समाजवाद नहीं लायेंगे। जब तक जो चीज गरीब खरीदते हैं वह सस्ती नहीं होती तब तक समाजवाद नहीं आ सकता है। आज अनाज सस्ता है, चीनी मंहगी है, जो गरीब खरीदता है। यह कौनसा समाजवाद है ?

श्री शंकरलाल : मैं यह निवेदन कर रहा था, यह बजट के बाहर की बात कही है। इसमें माचिस पर टैक्स का कोई सवाल नहीं है, न टैक्स कहीं है। आप कोई भी बात किसी भी प्रसंग में कह दें, यह आपकी इच्छा है, चाहे जो कुछ कह दें।

अंत में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वास्तव में इस सदन में बैठने वाले माननीय सदस्यों को महसूस करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी आलोचना करते हों, लेकिन उनके दिल दिमाग में यह है कि यह बजट हमारे सामने इस साल आया है, यह राजस्थान की जनता के लिए हितकर और ऐतिहासिक बजट है। अगर आगे इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है, इसकी लक्षय पूर्ति हो जाती है, तो सभापति महोदय, राजस्थान....

श्री पृथ्वीसिंह : यह सम्भव नहीं है, असम्भव है ?

श्री शंकरलाल : प्रगति की ओर जायगा। मैं चाहता हूं कि बजट अच्छी तरह से क्रियान्वित हो क्योंकि इसकी सफलता राज्य की जनता की सफलता होगी। इन शब्दों के साथ जो बजट पेश किया गया है उसकी सराहना करता हूं और सुझाव मैंने दिये हैं, मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार उन पर विचार करेगी।

श्री सभापति : श्री हरिवल्लभ शर्मा ?

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) : सभापति महोदय, इस सदन में वित्त मन्त्रीजी ने जो अपनी बजट स्पीच दी अगर उसको छोटा सा काव्य खण्ड कहा जाय, साहित्य की रचना कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सुन्दर और मोहक हिन्दी और उर्दू के शब्द जाल से उन्होंने इस सदन को भ्रम में डालने की कोशिश की है और यह बतलाने की कोशिश की है कि हमारा बजट बहुत ही प्रगतिशील बजट है, हम इस वर्ष प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं और मध्यावधि चुनाव में भारत वर्ष की आम जनता ने जो सत्ताधारी पार्टी में अपनी श्रद्धा व्यक्त की थी, जो मेन्डेट दिया था राज्य सरकार भी उन्ही नीतियों पर अग्रसर होने जा रही है। लेकिन अगर पूरे बजट भाषण को पढा जाय तो बड़ी नाउम्मीदी सी होती है ये केवल कुछ प्रोपोजल्स इस बजट में इस प्रकार से रखे गये हैं जिससे कि हम यह कह सकते हैं कि लोगों के किसी प्रकार आंसू पोछे जायें। इसलिय वित्त मन्त्रीजी ने अपने बजट भाषण में सबसे पहले प्रारम्भ में कहा है, कि "लोक सभा के मध्यावधि चुनावों से देश में एक शान्तिपूर्ण सियासी इन्कलाब आया है तरक्की और सामाजिक तबदीली चाहनेवाले तत्वों को जबरदस्त समर्थन देकर इस सैलाब ने एक ही झटके में सरमायेदारों और समाज के ठेकेदारों को राजनतिक सत्ता का सफाया

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

कर दिया है। तो इससे उन्होंने बड़ा सन्तोष कर लिया कि जनता ने उनको मेन्डेट दिया और इस बात का मेन्डेट दिया कि जनता राजनैतिक और सामाजिक ठेकेदारों को पसन्द नहीं करती, सरमायेदारों को पसन्द नहीं करती और इन चुनावों में इस बात को सिद्ध किया कि दरअसल हमारे देश में गरीब जनता चेन्ज चाहती है। परिवर्तन चाहती है। यह बात तो ठीक है आप पहले सरमायेदारों और सामाजिक ठेकेदारों को समाप्त कर लेंगे लेकिन साथ साथ कभी आपकी दृष्टि इस बात के ऊपर भी गई है कि इन 20 वर्षों में आजादी के पश्चात् हमारे समाज में और इस राज्य और व्यवस्था के कारण और उन मनुष्यों के कारण जो सत्ता में हैं और जो सत्तासे लगाव रखते हैं उनमें जो नये ठेकेदार, नये राजनैतिक सरमायेदार और नये राजा महाराजा पैदा हो गये हैं उसकी रोक के लिये कोई व्यवस्था का कोई इन्तजाम किया है। सभापति महोदय, अनुभव इस बात को बतलाता है कि सन् 1947 में हिन्दुस्तान आजाद हुआ सन् 1952 में प्रथम चुनाव हुए और सन् 1952 से लेकर 1971 तक लगभग 20 वर्ष हो गये हैं गरीब आम जनता और सत्ताधारी दल ने यह राज्य सरकार और जनता के बीच राज्य सरकार ने अपनी कुचालों से जनतन्त्र के प्रतिनिधियों और राजकीय सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों म एक ऐसा वर्ग बना दिया है, एक ऐसे वर्ग का निर्माण कर दिया है कि राज्य की जितनी सुख-सुविधा गरीब जनता को राहत पहुंचाने के लिये होती है। उसका स्वयं ही शोष जाती है और गरीब जनता का क्रन्दन राज्य के कानों तक पहुंचन के बीच दीवार बन जाता है। सरकार उनके हित के लिये नीतियां बनाती है जनता के नाम पर सुहावना सा मन्जर खड़ा करके अपनी पब्लिसिटी और प्रकाशन करवा कर अपनी वाहवाही लूटती है, तालियां पिटवाती है लेकिन जब उनके क्रियान्वयन का प्रश्न खड़ा होता है, वहां पर हम देखते हैं-इस बात को कि उस गरीब को किसी प्रकार की कोई राहत नहीं पहुंचती। एलॉटमेन्ट के मामले में सन् 1951 से बराबर सिवाय चक का एलॉटमेन्ट में कितनी सिवाय चक भूमि अलॉट हुई। जमीन द्रौपदी का चीर हो गया है बीस वर्ष में एलाटमेन्ट समाप्त नहीं हुआ सिवाय चक भूमि का और जो एलॉटमेन्ट भी हुआ तो उतनी जमीन एलाट करने को उनके वहां जमीन नहीं है। जमीन उनको मिली है जो वास्तव में काश्तकार को नहीं कुछ राज्य पून्जी बनाना अलग अलग बात है राज्य के असेट्स क्रियेट करना अलग बात है साथ साथ जहां उसके लाभ के वितरण का प्रश्न आये तो वह उचित अधिकारी को नहीं मिल पाता तो निश्चित रूप से कुछ कह लीजिये कोरे नारे दे दीजिये कुछ भी ढिंढोरा पीट दीजिये स्पीच में कुछ भी लिख दीजिये, गरीब को राहत नहीं मिलने वाली है। मेरे ख्याल से स्वयं वित्त मन्त्री जी ने अपने बजट स्पीच में इस बात को माना है और यहां आकर आपका समाजवाद पंगू हो जाता है। इस बात को बजट भाषण में भी कहा गया है कि केवल राजकीय सम्पत्ति पून्जी बनाकर उससे हम सन्तोष कर के ऐसी बात नहीं है माली तरक्की से अपने आप प्रगति नहीं होती और विकास की गति तेज कर देने से ही गरीबी दूर नहीं होती। विकास के प्रयत्नों की सफलता जितनी राष्ट्रीय सम्पत्ति के इजाफे पर मुनस्सर है उतना ही उसके उचित बंटवारे पर। यह तो उन्होंने मान लिया दिखाने के लिये

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

लोगों को कहने के लिये लेकिन वास्तव में यह भी महसूस करते हुए चलते हैं, मन में महसूस करके चलते हैं सभापति महोदय, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं । यही हालत राजस्थान की सरकार की है । उचित बंटवारे का एक प्रश्न आता है यहां आकर सारा समाजवाद सारी नीतियां इधर से उधर थोथी होकर पूरी बेकार होकर रह जाती हैं । साधनों का जनता को लाभ नहीं मिलता है उसी प्रकार नीतियां वैसी की वैसी फेल हो जाती है। इससे क्या हुआ बंटवारे के प्रश्न के अन्दर कि एक विशेष वर्ग एक नया वर्ग जिसका प्रिविलेज क्लास कह कर चले तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, वह प्रिविलेज क्लास पिछले बीस वर्षों में पनपी, चाहे राज्य कर्मचारियों में हो, अधिकारियों में हो जनता के प्रतिनिधियों में हो वह प्रिविलेज क्लास इस जरिये से सारा का सारा बंटवारे का लोइन शेअर होता है, वह ले लेती है इसके कई प्रत्येक नमूने हैं प्रत्यक्ष कई उदाहरण बराबर सदन में प्रस्तुत होते रहे हैं । आपकी पंचायत समिति के सरपंच प्रधान, पंचायत के पंच और जिला प्रमुख हैं इनके कई उदाहरण इस सदन में इस क्लास के बारबार इस प्रकार के आये कि जो अनुदान गरीब को मिलना चाहिए जो राजकीय सहायता गरीब को मिलनी चाहिए वह जनता को नहीं मिली बल्कि उन्होंने विभिन्न नामों से जनता का बहाना बनाकर स्वयं अपने खेतों पर कुए इन्होंने बना लिये वह धन अपने काम में लिया है और अपने अपने मकान घर बनाये हैं गरीब जनता के पास पैसा नहीं पहुंचा है। अव्वल तो मैं इस बात का सिद्धान्ततः विरोधी हूं क्योंकि गरीब की भलाई करना चाहते हैं दूसरे मैंने आद्योपान्त इस बात को देखा है आरम्भ में आपने इस प्रकार का डिस्टिंक्शन कर लिया है, कि कुछ कास्ट्स इस केटेगरी की निर्धारित की है जो गरीब है और दूसरी कास्ट्स वाले नहीं और आर्थिक सहायता पहुंचाने का आधार है जाति उसके लिये वह गरीब नहीं है बल्कि आपने क्या आधार रखा है शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स बस। अनुसूचित जन-जाति और अनुसूचित जाति शायद और जातियां में कोई गरीब होता नहीं, न कोई गरीब है न कोई काश्तकार है और न कोई मजदूर है। इसलिए एक समाज का एक विशेष वर्ग जो इन जातियों में शामिल नहीं है इन सुविधाओं, सहायता से वंचित रह गया और जिन शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की सहायता पहुंचनी चाहिए उसमें भी जो अधिकारी वर्ग है अधिकारी वर्ग से मेरा मतलब यह है कि जो विशेष प्रभाव रखता है समाज में केवल उनके नाम पर वह ले जाता है, जो काश्तकार गरीब है जो सीधा पहुंच नहीं सकता, जो पहुंच न पंचायत समिति में कर सकता है और न राजकीय दफ्तरों में कर सकता है उसको सहारे की आवश्यकता होती है उसको सहायता या कोई राहत नहीं पहुंच पाती है । इसलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति में जो गरीब तबका है उसकी बात छोड़ दीजिये। बीस वर्ष का काल निकल जाने के बाद जहां बीस वर्ष पहले थे, वहीं आज भी हैं शायद आप यह मानकर चलते है कि सदन को भ्रम हो जायेगा। हमारे वित्त मंत्रीजी की स्पीच से और सारे राजस्थान की दो करोड़ जनता यह समझने लग जायेगी

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

कि जो कुछ भी भाषण में कहा गया है बंटवारे के ऊपर, राज्य सरकार भी इस नतीजे पर पहुंची है कि वास्तव में अधिकारी को बंटवारा हो लाभ का मैं इसको हरगिज मानने को तैयार नहीं हूं। सन् 1967 से मैं स्वयं देख रहा हूं इस प्रकार की स्कीम दी जाती है, इस प्रकार की बात कही जाती है, बड़े कल्याणकारी उद्देश्य बताये जाते हैं लेकिन क्रियान्वयन में जाकर ढेर हो जाते है और इस प्रकार जो शोषित वर्ग है, उनका आज भी शोषण हो रहा है, जो दलित वर्ग है जिसकी आज भी आर्थिक हालात खराब है। यहां सुन्दर शब्दों में कहा गया है, आरम्भ में ही कहा गया है कि इंकलाब आया है। मैं इस बात को नहीं मानता। एक तो मध्यावधि चुनाव हुए और दूसरे वह भी प्रिवीपर्सेज के पाइन्ट पर। क्यों कि प्रिवीपर्स का एक बिल केन्द्र में गिर गया और प्रधान मंत्री की जिद्द थी कि यह तो मुझे एबोलिश करना ही है इसलिए उन्होंने लोक सभा को भंग किया, भंग करके 1972 के बजाय 1971 में चुनाव कराए। एक साल में कौनसा भारतवर्ष में एक बहुत बड़ा उत्पात आने वाला था, कौनसा पहाड़ गिरने वाला था जिसके वजह से मध्यावधि चुनाव कराने की आवश्यकता पड़ी? 4 करोड़ और कुछ लाख सालाना प्रिवीपर्सेज के रूप में और दिए जाते उसके लिए 40 करोड़ रुपये प्रति 5 वर्ष अधिक खर्च करने पड़ेंगे। एक साल में विधान सभा के चुनाव और एक साल में लोक सभा के। यह लायबिलिटी देश पर डालदी प्रति पांच वर्ष। यदि इसका ब्याज भी देखा जाए तो इतना होगा जितना प्रिवीपर्सेज पर खर्च नहीं हो सकता। तो जो इन्कलाब लाने की बात है, वह सही नहीं है। मध्यावधि चुनाव कराए गए। साल भर में कौनसा ऐसा बड़ा काम हमें करना था। इसमें ऐसी कोई नीति नहीं थी बल्कि इसे राजनैतिक सूझबूझ कही जा सकती है। बाकी समाजवादी व्यवस्था को ठोस रूप देने के लिए दृढ भावना से उसको क्रियान्वित करने के लिए मध्यावधि चुनाव कराए हों, आप चाहे ढंढोरा पीटते हों, किन्तु यह गलत बात है।

सन् 1969 में जब से कांग्रेस का विभाजन हुआ, एक अच्छी युक्ति नई कांग्रेस चली। वह इस बात की थी कि जो कांग्रेस के बड़े विशेष नेता थे राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर, उनको 1967 के चुनाव में आम जनता ने पसन्द नहीं किया और यही एक कारण था कि देश में अधिकतर राज्यों में विरोधी दलों ने सरकार बनाई। यह दूसरी बात है कि विरोधी दल बहुत अधिक बड़े होने के कारण राज चलाने में सफल नहीं हुए, मंत्री मण्डल बनाने में, सफल नहीं हुए या केन्द्र के अनावश्यक दखल के कारण सरकारें असफल नहीं हुई लेकिन यह बात निश्चित है कि जो परसन्टेज सन् 1967 में कांग्रेस पार्टी को मिला वह बहुत कम था और आम जनता ने कांग्रेस पार्टी को ठुकराया। इन 20 वर्षों के कार्यकाल में धीरे 2 जो नए सरमाएदार नए महाराजा बने उनके प्रति लोगों में घृणा थी और उनको समाप्त करने के लिये कटिबद्धता थी। जनता का ध्यान हटाने के लिए यह कहा गया कि 20 वर्ष में इस लिये

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

कुछ नहीं हुआ कि बड़े 2 पूंजीपति और राजा महाराजा देश की सम्पदा को खाए बैठे हुए हैं, खुद बच गए और जनता का ध्यान दूसरी ओर मोड़ लिया। सदन में इस प्रवृत्ति को देखता हूं कि आए दिन राजा महाराजा की चर्चा हो जाएगी या किसी जागीरदार की या बिड़ला टाटा की चर्चा हो जाएगी। राजा महाराजाओं के जमाने की कन्वेन्शन्स की बात डेमोक्रसी में करते हैं। इस बात की अधिक आवश्यकता है कि आप जहां उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं वहां ऐसा न हो कि आप जनता का ध्यान उनको हटाने में रखें। लोग धीरे धीरे आप में स्वयं जो प्रवृत्ति आपकी देख रहे हैं वह है कि आप एक वर्ग बना रहे हैं जो न राज से हटेगा न सत्ता से हटेगा। हम इस बात का अनुभव कर रहे हैं कि अगर यह बात चल गई तो जो समाजवाद की नीतियां हैं, समाजवाद के नारे हैं, सारे कार्यक्रम बिल्कुल व्यर्थ जायेंगे और आपका इरादा है कि व्यर्थ जाना चाहिए क्योंकि आप में सेवा की भावना नहीं है। जिनके खिलाफ खूब शिकायतें आती हैं उनकी फाइलें बनाकर रखते हैं और केवल इसलिये बनाते हैं कि एक्शन नहीं लेंगे, वह आदमी आपसे दबा हुआ होगा मर्जी आए जैसे करो लेकिन चुनावों में जीतने और जिताने में आपकी वह मदद करें। आपका सारा कार्यक्रम इस पर आधारित है कर्मचारियों और अधिकारियों से अपेक्षा करते हैं कि अनुचित तरीके से आपको लाभ पहुंचाते रहें, चुनाव में जिताते रहे। यह प्रणाली ऐसी है कि सारे प्रशासन को समाप्त कर देगी लेकिन याद रखिए समाजवाद की नीतियों को क्रियान्वित के लिए एक विशुद्ध प्रशासनिक ढांचा होना चाहिए सच्चा और ईमानदार। जब तक यह नहीं होगा, आपकी समाजवाद नीतियां नहीं चल सकेंगी और साथ ही साथ ऐसी ईमानदार सरकार चाहिए जो वास्तव में इन नीतियों को क्रियान्वित करने का इरादा रखती हो। आप अच्छे अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करें अच्छे जन प्रतिनिधियों को प्रोत्साहित करें, इससे जनता को बता सकेंगे कि हमारी दिशा सही है।

मैं कह रहा था कि प्रति वर्ष आपके बजट भाषण में घाटे की एक प्रकिया सी बन गई है कि इतने करोड का घाटा है और घाटे का बजट प्रगतिशील बजट कहा जाता है, बहाना लिया जाता है कि विकासशील राज्य होगा तो उसमें घाटे का बजट प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसलिये अगर हमें कोई न कोई अच्छे दूरगामी कार्यक्रम लेने हैं तो उसमें टैक्स भी लगाने पडेंगे। लेकिन आप निश्चित रूप से घाटे का बजट बनाते हुए चले जायं ऐतराज नहीं।

श्री रामचन्द्र आर्य : आप किसको कह रहे हैं, दो तीन सदस्य उधर बैठे हैं, एक जोशीजी बैठे हैं। आप नीतियां सम्बन्धी भाषण किसको सुना रहे हैं ?

श्री हरिवल्लभ शर्मा : कर्जा लेना पड़ेगा कोई आपत्ति नहीं लेकिन क्या आपने कभी इस बात की निगाह की है कि राजकीय आय के जितने स्रोत हैं, चाहे खनिज, चाहे वन संपदा हो, चाहे राजकीय उपक्रम जितने

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

चल रहे हैं इन सभी स्त्रोतों से आपको जितनी आय होनी चाहिए, वह वास्तव में हो जाती है ? आपके दल वालों को रिलीफ देने के लिये, लाभ देने के लिये राजकीय उपक्रम चला रखे हैं और उनमें मिस-मनेजमेन्ट के कारण और अच्छा प्रबन्ध न होने के कारण आपको बराबर घाटा लगता हुआ जा रहा है। मामूली सा उदाहरण दूं कि कल तेंदू पत्तों के ठेके का प्रश्न आया था। मामूली सा तेंदू पत्तों का ठेका दो तीन जगह देने का था और सदन के सामने प्रमाण प्रस्तुत हुआ कि उसमें 50 हजार का राष्ट्रीय नुक्सान हुआ है। श्रमिक सोसाइटियों को ठेके दे दिया करते हैं तो क्या कभी आप रजिस्ट्रेशन करते समय आप जांच करते हैं कि काम करने वाले वास्तव में श्रमिक हैं या नहीं या किसी ने श्रमिक सोसाइटी बना ली और प्रभावशाली व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया और ठेके ले रहे हैं। पांच हजार में ठेका लिया और 20 हजार का सरकार को नुकसान दे दिया। खुद मुनाफा कमा गये। इस प्रकार केवल एक तेंदू पत्तों के ठेके में 50 हजार रुपये की आमदनी चली गयी। बड़ी बड़ी जो लीज दी जाती हैं उनमें लाखों रुपयों के घोटाले हैं। जमीनों को बेचने में लाखों के घोटाले। इस प्रकार के दुराचार के कारण, मेरे ख्याल से, राज्य सरकार को पांच करोड़ रुपये का सालाना नुकसान होता है। अधिकार प्राप्त जो लोग हैं वे खा जाते हैं और राष्ट्रीय आय का नुकसान होता है। कौन नहीं जानता, यह एक आम बात है। कन्स्ट्रक्शन वर्क जितने चलते हैं 20 परसेन्ट तो यह मानकर चलते हैं कि यह तो उनकी जेब का है। छोटे छोटे इर्रिगेशन और पी० डब्ल्यू० डी० के वर्क हैं सौ पर बीस रुपया, हजार पर दो सौ, दस हजार पर दो हजार और एक लाख के काम पर बीस हजार रुपया। पांच करोड़ का काम करे तो 1 करोड़ तो यों ही चला जाता है। योजनाओं में कितना लगता है यह आप ही अन्दाज लगा लीजिये। बीस वर्षों में निर्माण कार्य हुए हैं 1/5 तो घटा ही दीजिये, वह तो पेट में गया और कुछ ठेके में चला गया। फिर आप सम्हाल लीजिये कि निर्माण क्या हुआ। कागजों में इतना खर्चा होता है। तीन वर्षों के अकाल में करोड़ों रुपया खर्च हुआ। कितने करोड़ रुपये का काम हुआ और कितने करोड़ का घोटाला हुआ ? आपही अन्दाजा लगा लीजिये तो आपको भी ताज्जुब होगा। इस प्रकार का वातावरण सारे राज्यों और सम्पूर्ण देश में बना हुआ है। यह नीचे से ऊपर नहीं जाता है किन्तु यह तो ऊपर से नीचे आता है। जब तक आपका तबका शुद्ध नहीं होगा तब तक नीचे के तबके को शुद्ध नहीं किया जा सकता और न रह ही सकता है। और आप रहने भी नहीं देंगे। भौतिक समृद्धि में समानता लाने के लिये गांधीभक्त हैं तो थोड़ा सम्पुट रखिये आध्यात्मिकता का।

श्री रामचन्द्र आर्य : गांधीजी तो कहते थे कि शराबबंदी करो ये तो रोज शराब पीते हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : जुआ खेलते हैं।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : वह नहीं होगा तब तक प्रशासन में विशुद्धता नहीं आवेगी और तब यह समाजवाद का नारा कागजों

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

में ही रखा रहेगा और आकाशवाणी का प्रसारण यों ही चलता रहेगा ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : भ्रष्टाचार को तो ये ही लोग प्रोत्साहन देते हैं ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : ये कहते हैं कि तीन पंचवर्षीय योजनायें पूरी हो गयीं । देश की हवा को देखते हुए राजस्थान में खर्चा किया और करोड़ों रुपयों का खर्चा करना पड़ा । जो इन्द्र देवता कृपा कर जायं तो विकास कार्य सहायक हो गये और जो इन्द्र देवता ने कोप कर लिया तो तीन वर्ष तक आपकी योजनायें सहायक नहीं रहीं । 15 वर्ष तक इन योजनाओं में लगे रहे । आपको पहले भी मालूम होता रहा है । 65, 66, 67 में अकाल रहे, 69, 70 में अकाल रहे । पांच वर्षों में से कुछ वर्ष तो सम्पूर्ण राजस्थान में अकाल रहा और कुछ वर्षों तक बाकी हिस्सों में रहा । किस प्रकार की योजना बना कर चलते हैं ? आपकी अकाल के लिये ही तो विकास योजनायें होती हैं । इन्द्र देवता रूठ जाय तो किसान दम न तोड़ सके, कभी आपने इस पर सोचा है ? आपको फुरसत ही नहीं । पश्चिमी राजस्थान में लगे रहे । नहरें बनाते रहे । पूर्वी राजस्थान के काश्तकारों को कुओं के लिये ही लोन सही रूप में दे दिया जाता और पूर्वी राजस्थान को इतना अच्छा कर दिया जाता तो ऐसे समय में जबकि पश्चिमी राजस्थान में अकाल पड़ते हैं तो वह उनको फीड करता । छोटी छोटी 2 योजनाओं से कृषि के मामले में पूर्वी राजस्थान को सेचुरेट कर देते, समृद्ध कर देते तो वह पश्चिमी राजस्थान को पूरी तरह से सम्हाल सकता था और आपको भय नहीं रहता और न ही अकाल के समय में आपको खाद्यान्न की और चारे के लिये कोई कमी रहती । न ही आपको इसके लिये इधर उधर भागना पड़ता । पांच वर्ष में सेचुरेट किया जा सकता था जिस भीषण अकाल के समय में भी अनाज, चारे आदि की कोई कमी नहीं रहती और उनकी पूर्ति हो सकती थी । लेकिन आपका यह दृष्टिकोण बिल्कुल ही नहीं रहा । 20 वर्ष में यदि विकास के कार्य किये तो क्षेत्रीय भावना उसमें हमेशा रही । ग्रामीण विद्युतीकरण नहीं हो सका । दस मील आगे लाइन जावेगी चाहे अलाभकारी हो जबकि औरों को इसमें हमने यह लिख दिया है कि ग्रामीण विद्युतीकरण वहां करेंगे जहां 25 प्रतिशत का लाभ हो ।

क्रियान्वयन में यह देखा है कि उपयोग और लाभ की दृष्टि से लाइन नहीं ले जायी जाती । प्रभावशाली व्यक्ति है तो वह अपने प्रभाव को काम में लाकर चाहे अलाभकारी हो वहां तक बिजली ले जावेगा । मंत्री है, अपने एक कुए पर ले जाने के लिए चाहे दस मील भी उसको ले जाना पड़े वह वहां तक ले जावेगा और वहां चाहे और किसी को कोई फायदा न हो और अलाभकारी हो लेकिन प्रभावशाली व्यक्ति होने से वह ले ही जावेगा । वह दस मील ले जावेगा । लेकिन वहां बिजली नहीं जावेगी जहां पर की तीन मील जाने पर ही 150।200 कुओं को लाभ पहुंच सकता है और लाभकारी भी हो सकती है । आप जहां भाषण देने जाते हैं यही कहते हैं कि आपने हमारा साथ नहीं दिया, विरोधी सदस्यों का साथ दिया उनको जिताया है इसलिए आपके यहां क्या काम करें । यह

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

कोई तरीका है ? जनतन्त्र प्रणाली है यह कोई ? जनता का विश्वास है यह कि जिस पार्टी में वह विश्वास रखकर चलती है उसको मत दे । पर सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह समान विकास की दृष्टि से सारे राज्य की प्रगति की दृष्टि से आर्थिक प्रगति की दृष्टि से आर्थिक दृष्टि से लाभकारी योजनाओं को जहां जरूरी है वहां लागू करें । पर आप ऐसा नहीं कर रहे और यही कारण है कि हम आज आर्थिक दृष्टि से पिछड़ते जा रहे हैं । आपका काम करने का लक्ष्य आर्थिक क्षेत्र में भी राजनैतिक है । जहां 15 परसेन्ट भी रिटर्न नहीं मिलेगा, पर राजनैतिक दृष्टि से आपके स्वयं के लिए लाभकारी होगा वहां पैसा लगावेंगे, पर आर्थिक दृष्टि से जहां 85 प्रतिशत रिटर्न की उम्मीद है पर चूंकि वहां विरोधी दल वालों का राजनैतिक दृष्टि से वर्चस्व है तो ऐसे क्षेत्र में आप कोई पैसा नहीं लगावेंगे । आपका दृष्टिकोण यह रहा कि इधर से उधर बिजली की लाइन खींच दी । बीच में तीन तहसीलें और पड़ती हैं, पर आप अपने लिए चौथी तहसील के क्षेत्र को अपने अनुकूल मानकर चलते हैं तो आप सीधा लांघ जावेंगे और चौथी तहसील को बिजली दे दगे, बीच म पड़ने वाली तीन तहसीलों को योंही छोड़ देंगे । इससे आपकी आर्थिक व्यवस्था को धक्का पहुंचता है । ऐसा लगता है इस धक्का लगने से आपको कोई लगाव नहीं है । लगता है तो लगे । आपको इसकी चिन्ता नहीं है ।

मुझे मालूम है बोंली से निवाई की सड़क का मामला । 54 से इस की स्वीकृति हैं । वह सड़क करीब 12 मील बन भी गई । 22 मील का कुल टुकड़ा । दुर्भाग्य की बात । 54 से 62 में जैसे ही कांग्रेस हारी कि सड़क का काम ठप्प ।

सभापति महोदय, सारा मेटीरियल सड़क बनाने का वहां गिरा दिया । 62 से 67 निकल गया । मेटीरियल लोग उठा कर ले गये । जो हिस्सा बना था, वह भी टूट फूट गया क्योंकि डामर तो उस पर पड़ा नहीं तो कितना चल सकता था । प्रतिशोध की भावना आपकी तीव्र है । पांच लाख जो अब तक उस सड़क पर लग गये और जो मेटीरियल इकट्ठा करने में लग गये, वे बरबाद हो गये । लोग वह मेटीरियल उठाकर ले गये । पर प्रतिशोध की भावना से उस सड़क का पूरा नहीं करने दिया । मैं जानता हूं आप उस सड़क का काम करने वाले भी नहीं हैं ।

आपकी प्रतिशोध की भावना का बुरा असर विकास के कार्यों पर भी पड़ता है । राज कोष को भी इससे धक्का पहुंच रहा है। यह निन्दनीय है । इस आदत को आपको छोड़ना होगा ।

सभापति महोदय, बजट भाषण में कहा गया कि 70-71 वर्ष में जब बजट पेश किया गया था तो उसमें घाटा ज्यादा बताया था लेकिन हमने उसको पूरा कर लिया और अब संशोधित अनुमान के अनुसार घाटा सिर्फ 14 करोड़ 24 लाख रुपयों का । यह घाटा तो आपने बताया है पूंजीगत खाते में । आई एम सोरी सर । 15 करोड़ 22 लाख का यह है । लेकिन बाद में क्या हुआ यह दरअसल घाटा था ज्यादा । वास्तविक वित्तीय स्थिति को यों छिपाते हैं । पर बाद में वेज एन्ड मीन्स को उसके प्रोसीजर को एडाप्ट करने से घाटा और हुआ हालांकि इसमें संशोधित अनुमान में दिखाया नहीं । पर वास्तविक घाटा गत वर्ष का काफी बताते हैं ।

अब बजट का घाटा 15 करोड़ का

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

बताया है पर यह भी अनुमान उनका गलत है। इसमें कुल मिलाकर 71-72 के बजट प्रोपोजल में राजस्व में आय 104 करोड़ 80 लाख की बतायी इसमें से आप यह मान कर चलते हैं कि 197.00 का घाटा अनुमानित बताया है 11.27 करोड़ का इस प्रकार से पूंजी खाते में आपने व्यय बताया है 89.09 करोड़ का और आय बताई है 75.82 का। इस तरह पूंजी खाते में घाटा है 14.24 लाख का। कुल घाटा 25.51 करोड़ का है।

इस घाटे को पूरा करने के लिए अलग अलग मुद्दे उन्होंने बताये हैं। कुछ केन्द्र से मिल जावेगा यह कहा है और कुछ को वे पूरा करने की कोशिश करेंगे। टैक्स प्रोपोजल आप इस बार अधिक बताने वाले नहीं हैं। मैं मानता हूं चुनाव के पहले का यह बजट है, फिर आज अधिक कर लगाने की कहीं, गुंजाइश ही नहीं बची।

खाद्यान्न बढ़ा। मानता हूं बढ़ा। पर फिर भी एक बिल्कुल बजट इस प्रकार का बनाते कि जिससे गरीबों को राहत मिलती। खाद्यान्न बढ़ा तो उसके भाव गिर गये। 69 में अच्छी हुई थी फसल। भाव कम थे तो कहा गया कि निगम की मार्फत खरीदो, पर जब भाव का टेण्डर लगा और ऊंचे चले गये तो निगम साहब छोड़ गये। राजकीय व्यापार करना भी चाहते हैं और मुकरना भी चाहते हैं। यह कैसे चलेगा।

यद्यपि मेरा राजकीय व्यापार में विश्वास नहीं है। शासन को तो शुद्ध प्रशासन देना चाहिए। पर आप सिर्फ यह चाहते हैं कि आप स्वयं ही भाव तै करें और फिर जिस भाव से खरीदेंगे या लैवी के द्वारा वसूल करेंगे और बेचेंगे तब भी आप स्वयं ही भाव तै करेंगे। इस प्रकार व्यापार हुआ नहीं करता। आपके व्यापार की तो यही उपयोगिता मानी जा सकती है कि जब पैदावार अधिक हो और भाव गिर रहे हों तो उस समय आप खरीदें। यह भी हिम्मत होनी चाहिए। और भाव जब ऊंचे चल रहे हों तो अपना माल बाजार में फैंक सकें ताकि किसान को और उपभोक्ता को दोनों को आवश्यक लाभ मिल सके। पर आपमें तो वह भी शक्ति और सामर्थ्य नहीं है। रिकार्ड उत्पादन हो गया है तो भाव नीचे नहीं गिरने दें और उत्पादन के कारण उपभोक्ता वस्तुओं को भी मंहगा न होने दें तो गरीब किसानों को राहत मिलती।

आज तो बाजार में रेजगी नहीं है। रिक्शा में बैठो तो पूछता है रेजगी हो तो बैठो नहीं तो मत बैठो। टेक्सी, में बस में सब जगह यही हाल है। पहले तो काफी चर्चा हुई पर फिर कोई नतीजा नहीं निकला।

तो आपने जो इस वर्ष योजनाओं की तस्वीर दिखाई है पाइलट प्रोजेक्ट की कुछ रूरल एग्रीकल्चर रिफाइनेन्स कारपोरेशन की, एग्रोफाइनेन्शिअल कारपोरेशन की उससे कुछ कर्जा लेकर कुछ काम बता दिये हैं। आपने कुछ अकाल से त्रस्त इलाकों में योजना बनाई हैं। कुछ जिलों को यह नाम देकर सन्तोष कर लिया है कि उनको कुल मिलाकर राष्ट्रीयकृत बैंकों से 17 करोड़ का लोन दिलवा देंगे। यह तो फाइनेन्स कारपोरेशन या एग्रीफाइनेन्स कारपोरेशन के कर्जे से आप करेंगे। इसमें आपका कुछ नहीं है।

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

छोटे किसानों के लिये पाइलट प्रोजेक्ट की स्कीम रखी है । 1।। करोड़ का अनुदान मिलेगा। इससे कुछ थोड़ा बहुत मिल जावेगा यह योजना इस वर्ष आई है इस वर्ष में इलेक्शन होगा तो उसमें यह अनुदान अच्छा काम देगा।

बेरोजगारी की समस्या को मिटाने के लिये बड़े समाजवादी कदमों का ढोल पीटा गया। एक जिले में एक हजार बेरोजगारों को काम पर लगावेंगे। अच्छा है। पर इससे प्रगतिशील कदम उठ जायेंगे ऐसी स्थिति नहीं है। मेरे ही अकेले जिले में पांच हजार मैट्रिकुलेट बैठे हैं। बी० ए०, इन्टर या हायर क्लास वालों की बात छोड़िये।

फिर बेरोजगार लेबर भी है। हजारों की तादाद में हैं। तो जहां तक बेरोजगारी की समस्या को मिटाने का प्रावधान किया गया है उस बारे में निश्चित रूप से, जैसा माननीय भैरोंसिहजी ने कहा था, मेरी भी यही मान्यता है कि आप कहीं उनको दादा-गिरी तो नहीं सिखाओगे और बेरोजगारी घटाने के बजाय और बढाओगे। ये दादा बनेंगे।

टैक्निशियनों के लिये आपने जो 250) और 150) रुपयों का प्रावधान किया है यह बेरोजगारी अलाउन्स होना चाहिये पर साथ ही यह योजनाबद्ध होना चाहिये। क्या राजस्थान सरकार ने ऐसी कोई योजना बनाली है कि हमारे यहां कुल कितने डाक्टर हैं, कितने इन्जीनियर आदि हैं और उनको यह आप बता सकने की स्थिति में हैं कि राजस्थान में कम से कम इतने समय में एक साल, दो साल, चार साल, सन् 75, 76 या 77 तक सही, इन सबको स्थायी काम में लगा देंगे लेकिन इसके पश्चात हम निश्चित रूप से परमानेन्ट सर्विस में खपा लेंगे, ऐसा नहीं हो कि यह अलाउन्स देकर आप यह समझ लें कि बेरोजगारी की समस्या समाप्त हो गई है और उससे ही आप सन्तोष कर लें और आप उनके लिये कोई स्थायी इलाज न करें। इसलिये उनको इसके बाद भी रोजगार मिल सके और वे ओवर एज न हो जायें और दूसरा भी अपना कोई रोजगार-धन्धा न कर सकें। ऐसी स्थिति का निदान करना बहुत ही आवश्यक है।

एक निवेदन मुझ और करना है। एग्रीकल्चर के बारे में जो आपने बताया है वह ठीक है। आपने कहा है कि चम्बल का जो नहरी क्षेत्र है उसको समतल किया जायेगा। यह एक बहुत ही अच्छी बात है। परन्तु इसमें भी बहुत असन्तोष है। रेवाइन्स का जो एलॉटमेंट हुआ है, चम्बल नदी के किनारे रेवाइन्स का जो ऐलॉटमेंट मेरे जिले में हुआ है वह किसी को 50 एकड़, किसी को 80 एकड़ और किसी को 100 एकड़ हुई है। इतना कलक्टर को रेवाइन्स में एलॉटमेंट करने का पावर है और उसने अपने इस पावर के अन्दर किसी को 100, 50 एकड़ से कम जमीन का एलॉटमेंट नहीं किया है और यह जो एलॉटमेंट हुआ है वह चम्बल नदी के किनारे पर हुआ है और अब चम्बल नदी के किनारे को समतल बनाने को एक योजना आपने बनायी है। इससे पहलेसे किसी गरीब आदमी की हिम्मत नहीं थी कि वह वहां जाकर एलॉटमेंट करा लें क्योंकि वह बिना साधन के कैसे उसको साफ करेगा लेकिन जो इसके लिये हैसियत रखते थे, हजारों रुपया खर्च करने की हिम्मत

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

रखते थे, जिन लोगों के पावर में यह बात थी और जो पावर में थे कि किसी भी ढंग से वे इस बीहड़ को साफ कर लेंगे उन लोगों को रेवाइन्स का एलॉटमेंट किया गया था। परन्तु अब जो योजना इसके लिये बनाई जा रही है उससे मुझे सन्देह होता है कि रेवाइन्स को एलॉट करने के बाद यह समतल बनाने की योजना क्यों बनायी जा रही है, यह प्रोग्राम अब क्यों बनाया जा रहा है। म यह मानकर चलता हूं कि यह जो प्रोग्राम है यह उन्ही व्यक्तियों के लिये हैं जो वहां पर आज से तीन साल पहले एलॉटमेंट करा चुके हैं। वे व्यक्ति प्रभावशाली है और वास्तव में काश्तकार नहीं हैं और अब आप उनके फायदे के लिये राजकीय खर्चे पर इसको समतल करने जा रहे हैं और उन्होंने आज तक वहां पर काश्त शुरू नहीं की है। आप इसका भी निराकरण कर देने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि रेवाइन्स का एलॉटमेंट हो चुका है और रेवाइन्स का एलॉटमेंट करने के बाद उसे समतल करन की बात आपने इस बजट भाषण में कही है।

सभापति महोदय, राजस्थान में जो ग्रामीण विद्युतीकरण होता है, उसमें बड़ा भारी पक्षपात होता है। इस ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत जहां पर कि बोर्ड का प्रश्न है, उसकी स्थिति अजीबोगरीब है? वह न स्वयं निर्णय करने की स्थिति में हैं और न यह देख पाता है कि दरअसल में जो योजना वह कार्यान्वित करने जा रहा है, जो विद्युतीकरण का काम वह हाथ में लेने जा रहा है, वह उसके लिये लाभकारी होगा या नहीं? यह निर्णय लेती है राज्य सरकार और उसको क्रियान्वित करना बोर्ड का काम है। यह पोलिसी मेटर का काम आज जैसे बिजली बोर्ड का नहीं रह गया है और ऐसा लगता है जैसे कोई बिजली बोर्ड न हो। उसने तो यह योजना राज्य सरकार के कहने से नियमों की पाबंदी के लिये स्वीकृत की है और वह उसको क्रियान्वित कर रहा है। यह कहा जाता है कि राज्य सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। बिजली बोर्ड के एक्ट में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार चाहे तो उसे किसी योजना के लिये बाध्य कर सकती है और वह उसको हाथ में ले सकता है। लेकिन इसमें एक यह भी प्रावधान है कि उस योजना का इतना परसेन्टेज गवर्नमेन्ट को सबसीडाइज करना पड़ेगा अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राज्य सरकार के कहने से उस योजना को हाथ में लेता है उसको क्रियान्वित करता है और राज्य सरकार उसको बाध्य करती है। सभापति महोदय, राज्य सरकार महज इस प्रावधान से बचने के लिये, उसकी लाइबिलिटी से बचने के लिये बिजली बोर्ड के कन्धे पर बन्दुक रखकर चलाती है और बिजली की सारी योजनायें राज्य सरकार के कहने से ही बिजली बोर्ड मन्जूर करता चला जाता है मेरे यहां सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर है, जो सवाई माधोपुर के बाहर पहाड़ों की तलहटी के इलाके तक जाती है वहां पर मीडियम इरिगेशन वर्क या ऐसा दूसरा कोई साधन नहीं है जिससे कि खेतों को पानी दिया जा सके। लेकिन वहां पर यह बात अवश्य है कि वहां एक एक गांव में सौ-सौ और 150। 150 कुए हैं। इन कुओं की संख्या आप चाहें तो मालूम कर सकते हैं। लेकिन वहां पर जो ट्रान्सफारमर लगा हुआ है वह केवल तीन मील तक ही बिजली पहुंचा पाता है एक्स० ई० एन० को कहते हैं तो वह कहता

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

है कि मेरी पावर डेढ़ मील तक ही है। मुझे इस बात की पूरी जानकारी है कि प्रति वर्ष जिला बोर्ड जिला कृषि उत्पादन समिति, पंचायत समिति टाप प्रायोरिटी पर इस स्कीम को भेजती है लेकिन वह कार्यान्वित नहीं हो पाती है यह एक अजीबोगरीब बात है। पंचायत समिति, जिला परिषद् भेज देती है कलेक्टर के पास और कलक्टर भेज देता है एस०ई० के पास। राज्य सरकार और बोर्ड के पास वे कागज नहीं आते हैं और पूछने पर कह देते हैं क्या करें आपके पेपर्स नहीं आते हैं। साल भर तक पेपर नहीं आते हैं। क्या किसी तरह से आप फालोअप कर के यह काम नहीं कर सकते हैं? पास बुक के बारे में अभी यहां पर विचार विमर्श हुआ काल अटेन्शन मोशन के जरिये, परन्तु राजस्व मंत्री ने इसके बारे में कोई उत्सुकता प्रकट नहीं की-यहां पर काल अटेन्शन मोशन आया तो वे यह मालूम कर लेते कि वास्तव में क्या हुआ है और नहीं हुआ है तो दूसरे जिलों के बारे में मालूम कर लेते? बस ये तो कागज पर रहते हैं। कागजों पर ही आदेश देते हैं और उसके पश्चात् वह कार्यान्वित होता है या नहीं इसको मंत्री महोदय को देखने का शौक नहीं है। दौरे पर जाते हैं तो कार्यकर्ताओं से मिल कर वापिस चले आते हैं। इससे आगे कुछ नहीं है।

सभापति महोदय, जहां तक पंचायती राज इन्स्टीट्यूशन्स, सहकारिता और सामुदायिक विकास की विभिन्न योजनाओं का प्रश्न है, इस पर कई बार इस सदन में विचार-विमर्श हो चुका है। मूल अधिनियम में संशोधन कर के इनके कार्य काल को दो वर्ष के लिये और आगे बढ़ाया गया है। लेकिन जिस भावना से पंचायती राज की स्थापना का विचार किया गया था, जिस भावना से इसका संकल्प लिया गया था और जिस संकल्प के साथ इसकी स्थापना की गई थी वह धीरे धीरे राज्य सरकार के हस्तक्षेप के कारण समाप्त प्रायः होती जा रही है। विकेन्द्रीकरण, किया गया परन्तु आंशिक रूप से और आंशिक रूप से जितना विकेन्द्रीकरण किया गया वह धीरे धीरे सारा का सारा वापिस सरकार लेती जा रही है और इस समय में निश्चित रूप से कह सकता हूं कि पंचायत समितियों के पास वास्तव में कोई काम नहीं रह गया है और उनको अपंग बना रखा है। जिला परिषदों की हालत इस प्रकार की है जैसे परिवार के अन्दर अस्सी, नब्बे वर्ष का हैड, दादा, परदादा जैसे बिस्तर पर पड़ा रहता है वह वयोवृद्ध अवस्था में मकान में चारपाई पर पड़ा रहता है और उस पर बैठे बैठे ही परिवार के किसी सदस्य से कहता है मुझे पानी पिला दो, खाना खिला दो यह उनकी मर्जी है कि वह उसको खाना खिला दे तो बढ़िया है। तो खासकर यह हालत है आपकी जिला परिषद् की और इस पर आपकी आय का 2% खर्चा होता है। लाखों रुपये आपने उनको ट्रान्सफर किये हैं। उसमें से कुछ का तो उपयोग हुआ है और कुछ का दुरुपयोग हुआ है और उपयोग नहीं हुआ है तो घोटाला हुआ है, और इस प्रकार पद का दुरुपयोग किया जाता है। वे पंचायत समिति की जीप और सारी क्षमता का अपव्यय करते हैं। ऐसी स्थिति में मैं नहीं मानता कि उनको रखने का कोई औचित्य है। खैर राज्य सरकार ने इसको बना रखा है। आज तो मैं यह मानता हूं कि जितनी जल्दी इसको समाप्त किया जाये अच्छा होगा और निश्चित

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

तौर से इसको समाप्त करें ताकि आपको तीन करोड़ का फायदा हो जायगा जो इसमें वित्तीय सुविधा मिलेगी उसको दूसरे विकास कार्यों में लगायेंगे...

श्री विजयसिंह : ये 36 में से दो मिनिस्टर बचे है और सब समाप्त हो गये ।

(विराम)

श्री हरिवल्लभ शर्मा : बजट स्पीच में एक योजना का और जिक्र किया गया है और वह यह है कि जहां बारानी खेती होती है दो प्रोजेक्ट और खोलेंगे .....

श्री मदनसिंह : एक तो इनकी नीति व्हाट इज समाजवाद । रोज रोज इधर से भी रट देते हैं और उधर से रट देते हैं-लेट फर्स्ट सी......

श्री वृद्धिचन्द जैन : समाजवाद तो इनके (श्री विजयसिंह) जमाने में थे नहीं...

श्री विजयसिंह : हमारे जमाने में तो जितना समाजवाद था उतना तो है ही नहीं !

श्री मदनसिंह : इक्वल डिस्ट्रिब्यूशन ऑफ ऐवरी थिंग.........

श्री विजयसिंह : सारी सम्पति लूटकर बांट दी जाय ।

श्री वृद्धिचन्द जैन : क्योंकि नया समाजवाद है इनको कुछ पता नहीं है ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : ..... पहले के जो शिक्षक होते थे वह वेतन नहीं लेते थे और निःशुल्क पढ़ाते थे । उनका जो भार था वह समाज पर था । वे भिक्षुक के रूप में जीवन बिताते थे.......

श्री विजयसिंह : ये तो सब खुद ही भिक्षुक हैं । सभी भिक्षा मांगते हैं ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : सारी भारतीय संस्कृति नष्ट हो गई है और जो थोड़ी बहुत है उसे भी ये खतम कर देंगे । सारी संस्कृति नष्ट भ्रष्ट हो गई है.....

(व्यवधान, अश्रव्य)

आज जापान को 20 वर्ष पहले देखो और अब देखो । इसी प्रकार जर्मनी को देखो । कहां के कहां पहुंच गये हैं-क्या उनकी संस्कृति नष्ट हो गई ? और एक हम चल रहे हैं । कभी इस पर दोष देते हैं तो कभी उस पर दोष देते हैं । प्रकृति का झूठा सहारा लेते हैं । सन् 67 के बाद सुखाड़ियाजी का जो नेतृत्व उभरा वैसा उससे पहले कभी नहीं था । मैं कहता हूं मजबूती से काम करते तो राजस्थान की दिशा बदलती । रखते पांच का मंत्री मण्डल....

श्री विजयसिंह पांच का मंत्रीमण्डल रखते भगोड़ियों को लेते ही नहीं ....

श्री हरिवल्लभ शर्मा : इससे देश में घोर अनैतिकता फैली । आया राम और गया राम की चाल से देश का सत्यानाश हो गया । इतना ही नहीं सभापति महोदय एक रात में 10-10 बार इधर से उधर होने लगेंगे । वे सोचते हैं क्या धरा है इस बेवकूफी में मौज उड़ाना है इसलिये मौज उड़ाते चलो । सेवा भाव तो किसी प्रकार का रहा ही नहीं भौतिक सुख में फंसा हुआ आदमी दूसरों को क्या सिखा सकता है । भौतिक सुख में ही वह अपनी सुख और शान्ति महसूस करता है अन्त में मैं निवेदन कर दूं बारानी खेती के लिये कोई प्रोजेक्ट है लेकिन वित्त मंत्रीजी

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

ध्यान से सुन लें यह बहुत जरूरी है आप सुनेंगे नहीं, आपने कभी इस बात का ध्यान नहीं दिया जो मीडियम इर्रीगेशन वर्क्स होंगे उस मीडियम इर्रीगेशन वर्क्स में जो जमीन होती है वह कमान्ड एरिया की जमीन है और वह बारानी होती है। बारानी का रेट किसान को देना होता है। मुश्किल से डेढ दो रूपया बीघा लगान होता है और पिलाइ ज्यादा से ज्यादा पड़ती है 3-4 रुपये तक तीन बार पानी पिलाने तक और वह नहरी जमीन कहलाती है लेकिन आपकी समाजवादी नीतियों का ध्यान उन किसानों के उपर नहीं है कि कुआ खुद ने खुदवाया, विद्युतिकरण खुद ने किया, आपने कुछ नहीं किया लाव और चड्स खुद की है। बड़ी मुश्किल से पानी कुओं से निकालते हैं। बैलों की आंतड़िया रह जाती है तब जाकर वे बड़ी मुश्किल से आधा बीघा जमीन को पानी पिला पाते हैं। उस जमीन को आपने सिंचित बारानी अलफ बाकी को अलफ की संज्ञा देते हुये 13 रु० फी बीघा लगान किया है। खुद की खातेदारी का खेत है, खुद का इम्प्रूवमेंट करके कुआ बनवाया है। स्वयं ही खुदाई करता है और स्वयं ही खेती करता है। लाव व और चड्स से पानी खुद निकालता है। ऐसे बहुत क्षेत्र हैं उनमें आपने समाजवादी व्यवस्था नहीं की। आखिर 13 रु० और बारानी के 9 रु० बीघा लगान लेते हैं, यह कौनसा आपका समाजवाद है? जबकि आपका उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। अभी लगान के रूप में बहुत विषमता है। 12 रु० और 13 रु० अल्प के लेते हैं यह बिलकुल अनुचित है। हम बार बार मांग करते हैं बन्दोबस्त करवायें, रिसेटिलमेंट करवायें तो यह साफ हो सकती है अन्यथा यह बहुत बड़ा फर्क रहेगा।

आज आवश्यकता इस बात की है चाहे गलती से आपने पहले कर लिया हो लेकिन जहां काश्तकार का स्वयं का इम्प्रूवमेंट है उसके लिये अगर टिनेन्सी ऐक्ट में अमडमेंट लाना पड़े, लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट में अमेन्डमेंट करना पड़े तो करिये।

श्री बी० एन० जोशी : पाइन्ट आफ इन्फारमेशन सर। मैं माननीय सदस्यों और सदन की जानकारी के लिये एक सूचना देना चाहूंगा इस प्रकार की एक कमेटी बनी हुई है जो रेवेन्यू सेक्रेटरी के चेयरमेनशिप में बैठी हुई है जो राजस्थान में लैन्ड के रेट्स के नेशनेलाईजेशन के बारे में अपनी रिकमन्डेशनस फारमूलेट कर रही है, वह अपनी रिपोर्ट बहुत जल्दी गवर्नमेंट को पेश करेगी। चाही जमीनों के रेन्ट रेट्स में भी बहुत वेरीऐशन्स है। अब बहुत जल्दी इसको तय किया जायगा।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : वर्षों पहले भी, यह कहा था सिमिलर रेट्स होनी चाहिये आप तो कितनी बार कमेटी और कमीशन बैठा चुके। यह तो एक टालने वाली बात होती है। लोगों की जवान बन्द करने के लिये कह देते हैं। यह अब आपका अन्तिम बजट है श्रीमानजी। अब आगे कौनसा वित्त मंत्री होगा, कौन बजट प्रस्तुत करेगा, कौन प्रपोजल रखेगा यह तो आने वाला समय ही बतायेगा। सभापति महोदय मैं कह रहा था विभिन्न क्षेत्रों की जो विभिन्न दिक्कतें हैं वह आपके ध्यान में नहीं है और अगर है तो केवल ढिंढोरा करके ओझल हो जाना चाहते है।

पेय जल की समस्या का प्रश्न है, मैं

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

समापति महोदय पहले भी कह चुका हूं राजस्थान में जब 62 और 64 के बीच सारे राजस्थान का सर्वे कराया गया था-पंचायत समिति के माध्यम से और यह तय किया गया था कि तीन वर्गीकरण होंगे। एक तो कौनसे ऐसे स्थान है, कौनसे ऐसे गांव है जहां नितान्त पानी का अभाव है। डेढ़ डेढ़ दो दो मील से पीने का पानी लाते हैं दूसरा कौनसे ऐसे स्थान हैं जहां पीने का पानी तो है लेकिन दुर्गम हैं पानी निकालने में अधिक कठिनाई है और ऐसे कौनसे स्थान है जहां पर इसकी आवश्यकता है। तीसरे वे कौनसे ऐसे स्थान है जिनमें पानी तो है, जल तो है लेकिन मीठा नहीं है। और अगर कोई है तो गांव बहुत बड़ा है और वहां पर कुआ एक ही है तो ऐसा कन्सीडरेशन होकर वह सारा हुआ लेकिन पेयजल की समस्या के लिए आप कहां हैं ? उसमें भी वही दिक्कत है। हर काम के लिए यहां तक कि चपरासी का भी ट्रान्सफर कराना है तो जब तक आपसे स्वयं नहीं कहा जाये तब तक वह ट्रान्सफर नहीं हो सकता। हरिजनों को हाउसिंग स्कीम के लिए लोन मंजूर करने का था। साल भर निकल गया लेकिन आफिसर्स ने आपको पेश ही नहीं किया। तो इस रेड टेम्पिज्म को आप बन्द कीजिए तो जो प्रायोरिटी के आधार पर राजस्थान का सर्वे हुआ तो अलग अलग बोर्ड होकर इस बात को देखें कि हमको किस प्रकार से सुचारू रूप में इस पेयजल की समस्या को सोल्व करना है और आप उसी तरीके से चलें तो इस समस्या का हल होने वाला नहीं है वरना यही होगा कि दूसरे व्यक्ति चाहे वहां साधन भी मौजूद हों और चाहे वहां पेयजल की कोई दिक्कत भी न हो और क्योंकि पेयजल योजना का जमाना चल रहा है तो आपको खर्च करने में दिक्कत आती नहीं है और आप आराम से इधर उधर खर्च कर देते हो और जहां वास्तव में इसकी अधिक समस्या है वह वंचित रहे हैं और आगे भी वंचित रहेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। अब तो चुनावों का जमाना आ रहा है और आप, खाली कह देंगे। अभी मध्यावधि चुनाव जब एम०पी० के हुए तो मैंने देखा कि गांव गांव में वह कह रहे हैं कि यह सड़क बनवा देंगे, यह कुआ बनवा देंगे और यह बान्ध देंगे। योजनाबद्ध तरीका राजस्थान का नहीं हुआ और इस कारण से क्षेत्रीय असन्तुलन पैदा हुआ और सबसे बड़ी दुखद बात जो हमारे इस राज्य में हुई वह यह है कि राजस्थान नहर जिस प्रगति से इसको पूरा किया जाना चाहिए था उस गति से नहीं हुई। आप दूसरी स्टेट्स का मुकाबला करें ऐसी वृहत योजनाय जितनी भी हैं उन्होंने युद्धस्तर पर उनका निर्माण करके पूरा किया है लेकिन राजस्थान नहर मन्थर गति से चल रही है। जितना रुपया है उसका इन्टरेस्ट यदि आप 8 आना परसेन्ट से भी लगायें याने 3 परसेन्ट पर एनम से भी लगायें और उसको देखें कि उस रुपये का कितना इन्ट्रेस्ट जुड़वा गया है तो भी हम अदा नहीं कर सकते और वह हमारे लिए बहुत हानिकारक बन रहा है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि वह योजना शीघ्रातिशीघ्र सम्पन्न हो और अंत में इन शब्दों के साथ कि भाषा तो बहुत अच्छी है बजट की लेकिन जहां तक उसके क्रियान्वयन का प्रश्न है मैं यह मानकर चलता हूं कि इसमें खास प्रगतिशील कदम तो मालूम पड़ते नहीं हैं कि जिससे यह कहा जाये कि वास्तव में हमारे राजस्थान राज्य में और देश में जो वातावरण

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

अधिक से अधिक सुसमृद्धि का बना हुआ है उसका कुछ अंशदान हमारे राज्य में भी प्राप्त हो सकेगा । इसी के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री सभापति : श्री रतनलाल रोत...

श्री रतनलाल रोत (चौरासी सु०) : सभापति महोदय, अभी मैंने सन् 1971-72 का बजट भाषण पढ़ा है । उसको देखने से यह मालुम पड़ता है कि हमारे राजस्थान के अन्दर हम पिछले मध्यावधि चुनावों में जिन बातों को जनता के सामने रखा था और जनता के अन्दर बहबूदी या खुशहाली लाना चाहते हैं उस तरह की बातें इस भाषण के अन्दर हैं ।

मैंने विशेषतौर से बजट के अन्दर देखा कि पिछले बजट भाषणों से यह जो बजट भाषण है इसके अन्दर जो आदिवासी क्षेत्र हैं या पिछड़े हुए इलाके हैं उनके अन्दर कुछ मोटी समस्यायें इस समय हैं उनको दूर करने के लिए काफी प्रावधान रखे हैं । राजस्थान में पिछले समय से वन विभाग की ओर से काफी सरकार को आमदनी होती रही है । राजस्थान में ठेकेदारी प्रथा थी वह बन्द कर दी है और कुछ क्षेत्रों के अन्दर वन विभाग ने व्यापार मण्डल कायम किये हैं । व्यापार मण्डल के अन्दर हमारे यहां विशेषतौर से बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अन्दर जिस प्रकार से वह काम कर रहे हैं उस प्रकार से राजस्थान सरकार को तो आमदानी होती है लेकिन आदिवासियों की जो समस्यायें हैं और उनको जो लकड़ी मिलनी चाहिए इमारती लकड़ी और कृषि के काम के लिए और गृह कार्यों के लिये वह लकड़ी उस व्यापार मण्डल से नहीं मिलती ह तो उसके कारण वहां पर कठिनाइयां बढ़ रही हैं । राजस्थान सरकार जहां आमदनी बढाना चाहती है तो जसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि राजस्थान के अन्दर काफी वन-सम्पदा है तेंदू के पत्ते हैं, कुन्दर है, कुवाड़ है, बांस हैं और इसी प्रकार की काफी चीजें हैं मैंने पिछली बार कहा था कि राजस्थान सरकार ने व्यापार मण्डल को दिया और उसका व्यापार किया तो काफी आमदनी सरकार को हो सकती है । अभी वन श्रमिक सहकारी संघ है राजस्थान के अन्दर उन्होंने सहकारी समितियों की मार्फत यह काम हाथ में लिया है, वन विभाग व्यापार मण्डल खोल रखा है और जो आदिवासियों की लकड़ी का सवाल हे उसको अपने हाथ मे लिया है और जो दैनिक काम में आने वाली चीज है उससे उनको वंचित कर दिया है । तो मैं चाहता हूं कि वन विभाग की ओर से जो व्यापार मण्डल है उसको बन्द किया जाना चाहिए और आदिवासी या पिछड़े हुए लोगों के कृषि कार्यों के लिए लकड़ी है वह चाहे गवर्नमेन्ट काटकर दे लेकिन रियायती दर से उनको लकड़ी मिलनी चाहिए और जो वन सम्पदा तेंदू के पत्ते हैं, कुन्दर है, कुवाड़ है और ऐसी ही चीज हैं जो कि ठेकेदारों को दे देते हैं और उसमें कई तरह की गड़बड़ियां होती हैं उनको दूर करने के लिए वह गवर्नमेन्ट के हाथ में रहनी चाहिए और जो व्यापार मण्डल है उसको इसमें पड़ना चाहिए और उनकी मार्फत व्यापार करना चाहिए ।

अभी पिछले दो तीन सालों से हम देखते रहे हैं कि हमारे इलाके में कृषि कार्यों के लिए आप एक तरफ राजस्थान सरकार की आमदनी बढ़ाना चाहते हैं और दूसरी तरफ

(श्री रतनलाल रौत)

लोगों को ज्यादा फेसेलिटीज मिले इस बात का सोच रहे हैं लेकिन जिस प्रकार की लकड़ी उनको मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती है तो इस पर ध्यान देना चाहिए ।

भूमि एलाटमेन्ट के बारे में, नाजायज कब्जों के बारे में और चरनोट भूमि के ऊपर कुछ लोग कब्जा कर लेते हैं उसके बारे में काफी केसेज हमारे यहां पर चलते हैं । आप एक तरफ आमदनी बढाना चाहते हैं दूसरी तरफ किसानों को राहत पहुंचाना चाहते हैं वह ठीक है लेकिन पिछले समय में हमारे वजट भाषण के अन्दर किसानों के भूमि एलाटमेन्ट के वारे में पेनल्टी वसूल करते हैं तो उसका पीनल ब्याज नहीं लिया जाना चाहिए । इस प्रकार की वातें हुई हैं लेकिन जहां इस वजट भाषण के अन्दर हमने रखा है कि आदिवासियों के लिए पेनल्टी माफ की जानी चाहिए । सन् 66 से लेकर 1-1-71 के वीच में जिन लोगों ने नाजायज कब्जे किये हैं उसके ऊपर जो पेनल्टी लगा रहे हैं उसको माफ किया जाना चाहिए लेकिन मैं इस हाउस को यहां वताना चाहूंगा कि आपने यहां पर घोषणा की है कि गवर्नमेन्ट अच्छे अच्छे कानून वनाती है और यह निश्चित वात है कि उन कानूनों की पालना नहीं होती है और वहां पर आज क्या होता है ? मैंने सुना था कि राजस्व मंत्रीजी ने कहा था कि 25-2-71 को म्यूटेशन खोल दिये जाने के बारे में आर्डर्स प्रसारित कर दिये हैं और आज भी एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के मार्फत हमारे राजस्व मंत्री जी उत्तर दे रहे थे कि किसानों की जो पास बुक है उसकी कीमत एक रुपया है । मैं आपको वताना चाहूंगा कि हमारी गवर्नमेन्ट ने भूमि के वारे में जो भी कानून प्रसारित किये हैं उनकी पूरी तरह से पालना नहीं होती है । उस बुक की कीमत एक रुपया बताते हैं वहां पर पटवारी हैं मैंने इस चीज में देखा है कि उस पुस्तक की कीमत दो रुपया लेते हैं । जहां आप यहां पर 1 रुपया बताते हैं वहां पर उस क्षेत्र के अंदर दो रुपया लेते हैं तो यह क्यों होता है ? आदिवासियों के लिये जो कुछ आपने फेसिलिटीज दी है और जिस प्रकार का मेथड् किया है राहत देने का, समाजवादी ढंग से राहत देने का एलान किया है तो कानूनों का सख्ती से पालन होना चाहिये ।

पिछले समय में हमारे यहां पर शराव-बन्दी हुई है । हम चाहते हैं कि शराववन्दी हो और सख्ती से हो, लेकिन जब जब चुनावों का वक्त आता है तब तब आबकारी विभाग की गाड़ी जिसके पीछे ट्रॉली लगी होती है जिसके अंदर कुछ सामान और उन लोगों के बिस्तर होते हैं जहां जहां पक्की सड़के हैं वहां पर दिखाई देती है और वहां पर सरकारी लोग घूमते हुए नजर आते हैं । शराब को अगर गवर्नमेंट बन्द करना चाहती है चाहे उसकी आमदनी में कमी हो और उस कमी को हम भारत सरकार से पूरा कराना चाहते हैं और दूसरी तरफ उस पिछड़े हुए इलाके के लोगों के मानसिक स्तर को उठाना चाहते हैं तो चुनाव के वक्त में ही वे सरकरी लोग घूमते हुए नजर न आयें लेकिन बाकी के समय में भी कानून का सख्ती से पालन करायें । जो लोग पालन करवाने वाले हैं वे लोग उसके अन्दर वफादारी से काम नहीं करते हैं । जो केसेज पकड़े जाते हैं उनका सही तरीके से केस दायर नहीं होता है । मैं तो यह कहता हूं कि न रहे बांस

(श्री रतनलाल रौत)

और न बजे बांसुरी। जिस चीज से शराब बनती है, हमारे उधर डूंगरपुर, बांसवाडा और उदयपुर के क्षेत्र में अधिकांश शराब महुए से बनाते हैं। वह एक पेड़ का फल होता है। जब अकाल के दिन होते हैं उस महुवे के फल को खाकर दिन निकालते हैं, लेकिन उसकी शराब बनाई जाती है अमूमन। गुजरात में इस शराबबन्दी के सिलेसिले में इस महुवे के पेड़ को ही कटवा दिया है ताकि न तो उसके फल होंगे और न आदिवासी उसकी शराब बनाकर पी सकेंगे। उन्होंने करीब करीब सारे महुवे के पेड़ों को कटवा दिया है। हमारी सरकार घाटा सहन कर उन लोगों में अच्छाई फैलाना चाहती है, महुवे के फलों का कोई व्यापार नहीं करता था और किसी भी दुकान पर महुवा नहीं मिलता था, लेकिन आज हम क्या देखते हैं कि डूगरपुर, बांसवाडा और उदयपुर के बाजारों में हम 10 दुकानें मक्की की देखते हैं, या गेहूं की देखते हैं या मिरची की होती हैं तो 20 दुकानें महुवे के फल की होती हैं......

श्री मनोहरसिंह मेहता : शेम शेम।

श्री रतनलाल रौत : वे दुकानें पहले तो पटेल लोग किया करते थे, लेकिन आज तो महाजन करते हैं और शर्मा लोग करते हैं....

श्री विजयसिंह : कन्हैयालाल पटेल करते थे क्या ?

श्री रतनलाल रौत : आज खुले आम महुवा बिकता है। जहां पहले नहीं बिकता था वहां अब शराबबन्दी का जब से कानून आपने बनाया है उसके बाद से वह महुवा बाजारों के अन्दर महाजनों की दुकानों पर बिकता है।

श्री विजयसिंह : महाजन का मतलब प्रद्युम्नसिंहजी से है क्या ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : उनका मतलब आपसे है।

श्री रतनलाल रौत : मैं चाहता हूं कि चुनावों के वक्त ही आबकारी की गाड़ियां शराबबन्दी का पालन करने नहीं आयें। जो कुछ भी सरकार ने कानून बनाये हैं उनका सख्ती से पालन होना चाहिए। जो लोग पीते हैं चाहे वे दूसरे हों तो भी उन पर बराबर केसेज चलने चाहिएं और उन पर जुर्माना होना चाहिए। महुवे से शराब बनती है तो वह खुले आम दुकानों पर बिकता है ...

श्री मनोहरसिंह मेहता : सभापतिजी, मैं जानकारी के लिए पूछना चाहता हूं कि आपने जो सुझाव दिये हैं वे सुन्दर हैं। इतना होते हुए भी राज्य की पूरी व्यवस्था नहीं है, फिर भी शराबबन्दी से लोगों से लाभ हुआ कि नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : यह वृद्धिचन्द्रजी से पूछ लें।

श्री मनोहरसिंह मेहता : वे बोले हैं उनसे पूछूंगा। पहले से फायदा हुआ है वह वह बहुत अच्छा है।

श्री रतनलाल रौत : मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां पर पैसे से खरीदना पड़ता था तो वह खरीदना तो बन्द हो गया, लेकिन वह तो खुद बनाते हैं, आज लोग शराब पीकर रोज सड़कों या बाजारों में वे लोग घूमते हुए नजर नहीं आते हैं। इतना ही फायदा हुआ है।

श्री दिग्विजयसिंह: कुटीर उद्योग ज्यादा बढ़ गया है।

श्री रतनलाल रौत : शराब बन्दी उस इलाके में नहीं होना चाहिए बल्कि छूट दे देना चाहिए ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आपने तो पहले यह नहीं कहा कि शराबबन्दी नहीं होना चाहिये आप तो यह चाहते हैं कि सख्ती से पालन होना चाहिए ।

श्री रतनलाल रौत : माननीय सदस्य, जब से मैं बड़ा हुआ हूं तब से आज तक शराब के खिलाफ आन्दोलन करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप व्यवधान न डालें ।

श्री रतनलाल रौत : शराब के कानून का सख्ती से पालना हो । दुकानों पर बन्द कर देना चाहिए महुवे की बिक्री । महुवे के फल को कोई न बेचे और जिन जिन आदिवासियों के यहां उसके फल होते हैं वे उनके यहां पर ही घरों पर रहें । बाजारों पर ग्वालियर या और जगह से महुवा लाकर बेचने पर रोक हो ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : यह बहुत ठीक है ।

श्री रतनलाल रौत : पिछले समय हमारे कानून मंत्रीजी ने डूंगरपुर म डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स कोर्ट की स्थापना की बात कही थी और उन्होंने यह भी कहा था कि आने वाले 2-3 महीनों या 6 महीनों में वहां पर डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स कोर्ट की स्थापना हो जायगी । बारबार हम कहते रहे हैं । डूंगरपुर एक पहाड़ी जिला है और आदिवासी क्षेत्र है । वहां के लोगों को सेशन्स के केसेज के लिए उदयपुर जाना पड़ता है । उदयपुर में उनके लिए रहने का मकान नहीं होता है और पास में पैसा नहीं होता है और आदिवासियों को फुटपाथ पर पड़े रहना पड़ता है....

श्री रामानन्द अग्रवाल : यदि ठंड लग रही हो तो कम्बल का इन्तजाम करें, सभापति महोदय, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि आसन को बहुत ठंड लग रही है ।

श्री सभापति : आपका खयाल गलत है ।

श्री दौलतराम सारण : आसन में बहुत गर्मी है, भाई ।

श्री विजयसिंह : आसन तपा हुआ है ।

श्री रतनलाल रौत : हमारे कानून मंत्रीजी ने डिस्ट्रिक्ट सेशन्स कोर्ट खोलने के लिए कहा । आदिवासियों को फेसिलिटी देना चाहते हैं तो समाजवादी ढंग के अनुसार न्याय देना है तो डूंगरपुर के अन्दर डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स कोर्ट होना चाहिए, और उस पर आदिवासी लोगों का धन बरबाद होता है वह कम होगा ।

डूंगरपुर के लिये जब से मैं यहां आया हूं तब से मैंने देखा है कि सिंचाई के मामले में, और निर्माण के काम के मामलों में डूंगरपुर के लिए बहुत कम पैसा रखा गया है । जहां भी सूखाग्रस्त एरिया हैं तो उस सूखाग्रस्त एरिया के लिए उन्होंने पैसा मन्जूर किया है और उस सूखाग्रस्त एरिया को आप दूसरे एरिया के समान लाना चाहते हैं, लेकिन उस पैसे को कैसे खर्च करेंगे । ऐसा लगता है कि आप उसी लकीर पर जा रहे हैं जो कि अकाल के अन्दर हमने किया है । उसी तरीके से आप इस पैसे को खर्च करना चाहते हैं ।

(श्री रतनलाल रौत)

वहां पर जो स्थानीय लोग हैं, चाहे पंचायत समिति के हों, चाहे जिला परिषद् के हों-लेकिन अनुसूचित जाति के लोगों के एरिया के लिए वहीं योजना बननी चाहिए और वहीं के लोगों के द्वारा इस प्रकार के मास्टर प्लान और इस ढंग की योजना बनानी चाहिए, जो आने वाले तीन वर्ष, पांच वर्ष, दस वर्ष के लिए हों। वहां के स्थानीय लोग ही अनुभव कर सकते हैं कि उनके लिए क्या योजना होनी चाहिए। योजना का काम स्थानीय लोगों के मार्फत होना चाहिए। भारत सरकार के लेवल पर से जो पैसा आता है, मैं उसका समर्थन करता हूं, लेकिन जो प्लान का पैसा आता है, उसके खर्च की व्यवस्था कैसे हो-उसकी वहीं से योजना बननी चाहिए और उसके बाद ही खर्च किया जाना चाहिए। यह जो 156 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने खर्च किया है उसके लिए तो मैं धन्यवाद देता हूं और साथ ही कहता हूं कि पिछड़े हुए लोगों के अन्दर से अकाल के अन्दर कोई मरा नहीं है। इसके लिए भी मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। लेकिन जो विशेष पैसा आता है, जो समाज के पिछड़े हुए इलाकों के लिए आता है, उनको आज तक नेगलेक्ट करते रहे हैं। इसलिए स्थानीय लोगों की मार्फत ही योजना आनी चाहिए और उस पैसे का सही सही सदुपयोग होना चाहिए और यह ख्याल रखना चाहिए कि जो पैसा भारत सरकार से आता है वह पैसा वेस्ट न जाय-यह मैं चाहता हूं।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लिए आपने अप्रैल और मई के अन्दर जो भी जमीन राजस्थान के अन्दर है, चाहे जंगलात के अन्दर हो, चाहे रेवेन्यू विभाग के पास हो, उसका एलाटमेंट कर देने की बात कही है। हमने पिछले चुनावों में भी, चाहे इस तरफ के लोग हों, चाहे उस तरफ के हों - सबने यह कहा है कि जो भूमिहीन है, जो बेरोजगार हैं उनको जमीन देना चाहते है। हमारी सरकार भी मन से जमीन देना चाहती है लेकिन आज के समय में जो बेकार लोग है वह इस बात का इन्तजार करते हैं कि जो रेवेन्यू विभाग के पास जमीन है, और जो जंगल से जमीन ली गई है उसका सख्ती के साथ में वितरण किया जाना चाहिए, और जो सही भूमिहीन लोग हैं उनके अन्दर उसका वितरण किया जाना चाहिए। इसके अलावा सीलिंग का जो कानून है उसका भी सख्ती से पालन होना चाहिए क्योंकि हमारे जो क्षेत्र है, जो पिछड़े हुए क्षेत्र है, चाहे अनुसूचित जाति के हों, चाहे अनुसूचित जन-जाति के लोग हों - उनको जमीन मिल सके - यह बात बड़ी मुश्किल है।

शिक्षा के मामले में मेरा निवेदन है कि भारत सरकार ने डूंगरपुर और बांसवाड़ा का कुछ क्षेत्र है वह शिड्यूल्ड एरिया घोषित किया है, वहां पर काफी एस०टी०सी०पास लड़के हैं, लगभग पांच सौ लड़के डूंगरपुर के अन्दर हैं। जो अनुसूचित क्षेत्र के हैं, जो पांच हजार, दस हजार की संख्या में हैं वह सर्विस पाने के मामले में कुछ पीछे रह गये हैं। लेकिन जो आदिवासी लोग हैं, जो हरिजन लोग हैं, पिछड़े लोग हैं उन्होंने अपने जेवर गिरवी रख कर उनको ट्रेनिंग दिलाई है। इसलिए ऐसे जो सैंकड़ों लड़के हैं, ढाई सौ, पांच सौ हैं उनको सर्विस में ले लेना चाहिए और हमें इस वक्त में और कुछ कहने का मौका नहीं देना चाहिए।

अकाल के अन्दर जो कुछ भी पैसा

(श्री रतनलाल रोत)

खर्च किया है, उसके बाद भी कुछ पेमेन्ट बाकी रह गये हैं। हम बराबर आपको निवेदन करते आ रहे हैं हमारे अकाल राहत मंत्री को भी, लेकिन पिछला बजट भी निकाल दिया है और अब पांच वर्ष में से समय भी बहुत कम बाकी रह गया है। वैसे हमारी सरकार ने अकाल के अन्दर बहुत अच्छा काम किया है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है, लेकिन कुछ पैसा बाकी रह गया है, जो अनपेड हैं उसके चुकारे का काम एक महीने के अन्दर अन्दर पूरा कर देना चाहिए।

हमारे बजट के अन्दर कृषि कार्यों के लिए, लघु सिंचाई योजनाओं के काम के लिए, विद्युतीकरण के लिए, पेयजल की समस्या को हल करने के लिए काफी पैसा रखा है और इस पैसा का उपयोग भी होगा। लेकिन हमारे क्षेत्र में आदिवासी लोग हैं, छोटे हरिजन हैं। इसलिए चाहे पंचायत समिति के द्वारा वहां पैसा खर्च किया जाता है, चाहे पेयजल विभाग खर्च करता हो, लेकिन इस पैसे के अलावा जो कृषि कार्यों के लिये ऋण दिया जाता है, चाहे कुओं के लिए ऋण हो, चाहे पम्पिंग सैट के लिए ऋण हो, चाहे गृह निर्माण के लिए ऋण है, लेकिन उसके लिए जो फार्म भरना पड़ता है, उस पैसे की प्राप्ति के लिए जो फार्म भरने का तरीका है, वह गलत है। वहां पटवारी-ग्राम सेवक लोन के फार्म भरते हैं उसमें काफी गड़बड़ियां होती हैं। तो यह गड़बड़ियां नहीं होनी चाहिए और उनके फार्म रिजेक्ट नहीं होने चाहिए और सही तरीके से फार्म भर कर आने चाहिए। वैसे फार्म भरने में अन्धा-धुन्धी बरती जाती है, ग्राम सेवक द्वारा, पटवारी द्वारा, ए०ई०ओ० लेवल पर जो फार्म भरे जाते हैं, वह गरीब लोगों से कह देते हैं कि हम पैसा दिला देंगे और वह पैसा तुरन्त फार्म भरने के लिए ले लेते हैं। लेकिन वह फार्म नियम में आता है या नहीं आता है – वह किसान को नहीं कहते हैं। इसलिए यहां जो आप सुविधा देते हैं और वहां जिस प्रकार क्रियान्विति होती है उसमें बहुत बड़ा फर्क है। इसलिए चाहे पंचायत समिति के लोग हों, चाहे बैंक के लोग हों, चाहे कृषि विभाग के लोग हों लेकिन जो जो भी ऋण देते हैं, लोन देने के काम में सख्ती बरतनी चाहिए और सही तरीके की चीज सही तरीके से किसान को बतानी चाहिए। अन्यथा जो कुछ भी हमने पैसा रखा है वह पैसा किसान के पास नहीं पहुंच सकेगा!

श्री बीजयसिंह : जगन्नाथजी को बोलने दें। बोलो बाबा!

श्री मनोहरसिंह मेहता : सुनेंगे बाबा आज!

श्री रतनलाल रोत : हमारी सरकार ने पिछले समय के लगान की वसूली के मामले में, तकाबी की वसूली के मामले में कुछ रियायतें दी हैं। उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं, लेकिन हमारे डूंगरपुर में आज कल सात प्रकार की वसूलियां चलती हैं। पिछले समय में अकाल पड़ा था मगर, यह वर्ष अच्छा निकाला है, और अच्छी फसल हुई है और खाद्यान्न के अन्दर हमारा राजस्थान परिपूर्ण हो रहा है लेकिन अकाल के समय से दबे हुए किसान से आप एकदम वसूली करना चाहते हैं और उनसे आज पैनल्टी भी वसूल कर रहे हैं। और हमने जो घोषणायें की हैं, उनका पालन नहीं होता है। लगान की वसूली, कृषि तकावी

(श्री रतनलाल रौत)

की वसूली हो रही है और इस प्रकार सात प्रकार की वसूलियां हो रही हैं। इसके अलावा जो कर्ज बैंक का है, पुराना जो कर्ज है उसकी वसूली हो रही है और किसानों के ऊपर कुर्कियां हो रही हैं, उनके गाय, बैल, भैंस और उनके पास जो कुछ बरतन हैं उनको नीलाम करने की बात चल रही है। हमने अभी जो कुछ बजट भाषण में कहा है रियायत देने के लिए, उसके बावजूद उनके साथ में अन्याय हो रहा है और उसके सम्बन्ध में उन पर काफी सख्ती हो रही है। इसलिए आपको इस प्रकार के आदेश देने चाहिए कि जो जो हमने घोषणायें की हैं किसानों को राहत देने के लिए उनका सख्ती से पालन होना चाहिए और लोगों को नाजायज तरीके से परेशान नहीं किया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं बजट भाषण का समर्थन करता हूं।

श्री जगन्नाथ पटेल (टोडारायसिंह) : सभापति महोदयजी .....

श्री जयनारायण सालोदिया : जय हो !

श्री जगन्नाथ पटेल : मैं आसन के सामने निवेदन करना चाहता हूं कि 1971-72 का बजट भाषण वित्त मंत्री ने तारीख 27 मार्च को सदन के सामने पढ़ कर सुनाया...

श्री जुझारसिंह : बहुत अच्छा है।

श्री जगन्नाथ पटेल : उसके लिए मैं निवेदन करूंगा यह जो बजट भाषण वित्त मंत्री ने पढ़ कर सुनाया, उस रोज मैं हाजिर नहीं था। मैंने उसको पढ़ा है और खास तौर पर किसानों के हित की बात वित्त मंत्री महोदय ने आइटम 34, 35, 36, 68 में दी हैं। इनके सम्बन्ध में ही मैं बोलूंगा बाकी के लिए नहीं बोलेंगा। सभापति महोदय, ये बीच में न बोलें। आप भी बोलेंगे और मैं भी बोलूंगा फिर कैसे काम चलेगा ?

श्री सभापति : आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री जगन्नाथ पटेल : जो अंक 34 के अंदर वित्त मंत्री महोदय ने कहा है कि राजस्थान नहर और सिंचाई की विशेष काफी प्रगतिशील बातें हुई हैं और होंगी। उसके अंदर एक छोटी सिंचाई का भी उदाहरण दिया है जिसमें टोंक जिले का नाम लिखा है। उसके लिये मैं वित्त मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा लेकिन इसमें लिखित में न रह जाए। टोरडी सागर फीडर के लिये वित्त मंत्री ने कहा है अगले साल के अंदर यह काम आरम्भ हो जाएगा। इसलिये हो जाएगा क्योंकि ये चुनाव के लिए कर रहे हैं। इसलिये यह काम इस साल शुरू होगा नहीं तो वित्त मंत्री इस बात को नहीं मानते। अगर इस साल वहां पानी पड़ जाए तो वित्त मंत्री महोदय मेरे जैसे बुद्धू को भी बुला लेना किसी राजा महाराजा के विरुद्ध खड़ा कर देना, कांग्रेस जरूर जीत जाएगी।

अब मैं अंक 35 के लिये निवेदन करूंगा। वह बिजली के बारे में है। वित्त मंत्री महोदय ने कहा है कि कृषि के लिए और कुओं के लिए बिजली देंगे। अभी कुओं में काफी बिजली नहीं है लेकिन इसमें लिखकर ही नहीं रह जाना है। अगर वित्त मंत्री महोदय कुओं को बिजली दे देंगे तो हम काफी अनाज पैदा करके राजस्थान को दिला देंगे।

सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य

(श्री जगन्नाथ पटेल)

बोले हैं उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों के लिए निवेदन किया है और आशा करता हूं कि सब की आशा वित्त मंत्री महोदय पूरा करेंगे लेकिन मैं तो अपने क्षेत्र तोड़ा और देवली के लिए निवेदन करूंगा बाकी के लिए राजकुमार दिग्विजयसिंहजी कर लेंगे। तोड़ा और देवली के अंदर बनास नदी से 32 मील दायें और बायें दक्षिण में कुएं है, उत्तर में कुछ नहीं, आसपास काफी कुएं हैं।

सभापति महोदय, पंचायत मंत्री ने ऐसी बात बताई है कि वाटर ग्राउंड मत बोलो और नाम है जलप्रदाय या और कुछ। मैं भूल गया। इसको लिखना मत, सदन को थोड़ा खुश भी करलूं।

सभापति महोदय, इस बनास नदी के पूर्व में मेरे क्षेत्र में देवपुरा गांव है यहां सेजा है। यहां से विद्युत् विभाग की लाइन नजदीक नजदीक कई जगह होती हुई यह टोडा तहसील की आखिर तक मेरे क्षेत्र के उत्तर तक आई है। मैं अणुशक्ति के लिए नहीं कहता लेकिन विद्युत् विभाग की लाइन 11 के० वी० न मालूम क्या कहते हैं, आई है। इन कुओं के अंदर कम से कम यह 36 मील के फासले पर एक हजार कुओं की लिस्ट विद्युत् मंत्री ने दी उसके अंदर जिस जिस जगह पानी है उन जगहों पर काम का नाम नहीं लिया। मैं सच्ची निवेदन करता हूं और न उन कुओं को आज तक बिजली दी गई। नाम तो क्या लूं एक गांव है उसके अंदर न मालूम क्या बात हुई है, उसके आसपास में बिजली दी जाती है और यह इस सदन में कहने की जरूरत नहीं है और यदि आगे उसमें बिजली नहीं देंगे तो नाम भी बता दूंगा।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : नाम रख दो।

श्री जगन्नाथ पटेल : मैं वित्त मंत्री से निवेदन करता हूं विद्युत् विभाग के बारे में। मेरे क्षेत्र में जितने कुएं हैं वहां तो बिजली नहीं, लेकिन जो उनका क्षेत्र है डीडवाना, वहां देंगे। मैं आपका ही नाम लेता हूं और सदस्यों का नहीं। आपको सब क्षेत्रों में बराबर ईमानदारी के साथ बंटवारा करके गांवों में पहुंचानी चाहिए।

अब मैं अंक 36 पर आता हूं। बजट भाषण में कहा है उद्योगों के बारे में कि 16 जिलों में उद्योग स्थापित करेंगे। उसमें टोंक का नाम भी लिया है। जब भी मैं टोंक जाता हूं तो वहां किसान कहते हैं कि हमारी पांती में चमड़े का कारखाना आया क्या? केन्द्रीय सरकार का लाइसेन्स भी मिल गया, यह राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में लिखा है। मैं एक बात कहता हूं 1947 में जब हत्याकांड दुनिया के अंदर हो रहे थे उन दिनों हम टोंक के दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, शहर के एक मील दूर जाकर रोटी खाकर आते थे क्योंकि वहां शहर में गायें कटती थीं

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : अब भी कटती है।

श्री जगन्नाथ पटेल : नहीं कटती हैं।

श्री जगन्नाथ पटेल : मेरा निवेदन है कि चमड़े का कारखाना न खोला जाए। किसान तो खुश हो जायेंगे यदि बनास नदी पर उन रुपयों से बांध बनाया जाए। इससे बहुत लाभ होगा और राजस्थान में अन्न ज्यादा होगा और बाहर से अन्न नहीं मंगाना पड़ेगा। मैं आशा करता हूं कि इससे उत्पादन बढ़ेगा और चमड़े के कारखाने म

(श्री जगन्नाथ पटेल)

तो कुछ नहीं रखा है लेकिन यह बांध बना दिया जावेगा तो 75 प्रतिशत किसानों को लाभ मिलेगा । चमड़े का कारखाना न खोलिये बल्कि नदी बनास को बंधाओ इससे वित्त मंत्रीजी का तो क्या मुख्य मंत्रीजी का नाम अमर हो जावेगा । इसी साल काम शुरू कर दें ।

सभापति महोदयजी, 24 नवम्बर, 67 को माननीय प्रधान मंत्री चाकसू तहसील म उद्घाटन करने आयी थीं । देवली शिविर में यह कहा कि बांध बांध दिया जावेगा । 14 करोड़ 88 लाख की योजना बनी और फरवरी मे काम शुरू हो जावेगा । लोगों को काफी उत्साह बंधा । लेकिन कुछ अब तक भी नहीं हुआ और हां हां करते हैं । यह भी कहूं कि टोरड़ी सागर में पानी भरवा दो, गरीब को भी टिकिट दे दोगे तो उसको जीता कर भेज देंगे । बेपरवाह रहो । मेरे को टिकिट मिलेगा नहीं, मैं उधर चला गया था । ज्यादा बात नहीं कहूंगा ।

श्री जयनारायण सालोदिया : टिकिट भी मिलेगा ।

श्री जगन्नाथ पटेल : यह नहीं लिखना ।

अन्तिम पृष्ठ पर लिखा है 1967 में···

एक माननीय सदस्य : 1967 में दिल्ली गये थे ।

श्री जगन्नाथ पटेल : चोतोड़ सवाई चक में कर लिया तो पेनेल्टी माफ कर दी जावेगी जिसके पास 15 बीघा जमीन से अधिक न हो । 1-1-71 तक भी किसी ने नया तोड़ कर लिया और तो उसको 35 गुना लगान माफ कर दिया जावेगा । जो 15 बीघा से ज्यादा नहीं होगी । नाराज न होइये । 35 गुना लगान तहसीलदार मुकर्रर करके पहले कर दिया, 66 तक किसान ने अतिक्रमण कर लिया 15 बीघा से ज्यादा न हो तो क्या उसको रुपया वापिस दे दिया जावेगा ।

श्री शंकरलाल : लगान में एडजस्ट कर दिया जावेगा ।

श्री विश्नोई : वसूल कर लिया वह नहीं दगे ।

श्री जगन्नाथ पटेल : सभापति महोदयजी, वित्तमंत्रीजी ने कहा कि भूमिहीनों को भूमि दी जावेगी । सभापति महोदयजी, माननीय सदस्य जानते हैं । नाराज न हों, राजपूत, हीर, गूजर, ब्राहमण, बनिये, जिसके पास जमीन नहीं है वे सब भूमिहीन हैं ।

श्री विजयसिंह : मैं भी भूमिहीन हूं ।

श्री जगन्नाथ पटेल : जिसके पास जमीन नहीं है, सवर्ण भी हों तो भूमिहीन ही नहीं भूमिहीन से भी ज्यादा भूमिहीन हैं । व्यापार करते हैं उनको भी जानता हूं ।

सभापति महोदयजी, इस विषय की बाबत तो माननीय सदस्य ने ज्यादा गड़बड़ कर दी । मुख्य मंत्रीजी बैठे हुए हैं । मेरी बात को कभी नहीं बिगाड़ेंगे ।

सभापति महोदयजी, आगे जो बात है, वित्त मंत्रीजी ने बजट भाषण में कहा, मैं तो उन बातों की सराहना ही करूंगा । क्यों करूंगा ? जो अच्छी बात होती हे उसमें सब बातों की पूर्ति हो जाती है । वे क्यों नहीं पूरी होती हैं यह हम लोगों की गफलत है । किसान होता है, व्यापारी होता है, राजस्थान

Page No 133

(श्री जगन्नाथ पटेल)

सरकार के कर्मचारी काम करते करते उनको दुख देना शुरू कर देते हैं। राज्य कर्मचारी आन्दोलन करते हैं, स्कूल के बच्चे आन्दोलन करते हैं। राज्य कर्मचारियों के लिए तो इतना बढ़ा दिया। लेकिन किसान का तो मोटे अनाज का भाव गिर गया। किसानों को इससे घाटा हुआ उसको पूरा करो। 25 और 24 रुपये क्विन्टल बाजरा है और गेहूं भी 26) 27) मन हो जावेगा।

श्री शंकरलाल : सभापति महोदय, समय बढ़ा दिया जाय।

श्री जगन्नाथ : नौकरों की तनख्वाह ज्यादा हो गयी।

श्री सभापति : एक मिनिट में खत्म कर दें।

श्री जगन्नाथ : मेरा निवेदन यह है कि किसान की बात नीति स्वीकार करते हुए इस को याद दाहनी में रखें। संवत् 2026-27 में तो पेटा भराई करा दी। अन्त में उसकी सराहना करते हुए स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्यान्ह पश्चात् 5 बजे, दिनांक 15 अप्रैल, 1971 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की गई।)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 247 की सूची)

बारां उप-जिला क्षेत्र को जलप्रदाय योजनाओं की सूची :—

नाम	लागत
नगरीय जलप्रदाय योजनाएें :—	
कार्य चल रहे हैं :—	
बारां	19,67,000
कार्य पूर्ण हो चुके हैं :—	
कोई नहीं है ।	
विचाराधीन नल योजनाऐं कोई नहीं ।	
ग्रामीण जलप्रदाय योजनाए :—	
कार्य चल रहे हैं :—	
अन्ता	2,26,100
शाहबाद	37,000
कार्य पूर्ण हो चुके हैं :—	
मांगरोल	1,68,650
अडोद	17,000
पलायता	37,100
विचाराधीन नल योजनाऐं कोई नहीं हैं ।	

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 256 की सूची)

दिनांक 24-2-71 को जे० के० सिन्थेटिक्स फैक्ट्री, कोटा के एरिये में हुई फायरिंग में मरने वाले व्यक्तियों की सूची:—

1. श्री लालाराम
2. श्री मन्नालाल
3. श्री दौलतराम
4. श्री मदनलाल
5. श्री लालचन्द
6. श्री नवलकचन्द
7. श्री रामनारायण
8. अज्ञात

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न सं० 257 की सूची)

S. No.	Budget Head	Year 1968-69		Year 1969-70		Year 1970-71	
		Sanctioned	Expenditure	Sanctioned	Expenditure	Sanctioned	Expenditure
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Buildings including repairs	4,90,229	4,93,488	4,64,514	4,88,484	4,67,541	1,42,036
2.	Roads including repairs	10,67,740	10,58,366	15,63,716	15,78,112	18,32,237	18,17,320
3.	Famine... ..	31,340	32,765	—	24,16,085	84,400	1,51,498
4.	Flood	—	—	12,00,000	14,36,736	—	4,47,392

परिशिष्ट 14

(तारांकित प्रश्न संख्या 75 की सूची)

सूची 'अ'

1. आगोलाई से माडपुरा सड़क	बेलास्ट एकत्रित किया कि० मी० 8।0 से 25।0 तथा 35 से 51 कि० मी० ।
2. शेरगढ से पचपदरा सड़क	मेटल एकत्रित 30 कि० मी० पर ।
3. बालोतरा से सिंदरी सड़क	10 कि० मी० में मेटिरियल साइट पर लाया गया ।

परिशिष्ट 5

(तारांकित प्रश्न संख्या 160 की सूची)

सूची 'अ'

गांव का नाम	काश्तकारों की संख्या
(1) घाटोल	111
(2) सावनीया	41
(3) बरोडा	10
(4) खमेरा	22
(5) नाथखेड़ी	2
(6) मगोरा का खेड़ा	5
(7) मुहासेल	20
(8) पाड़ी	4
(9) हावड़ी	6
(10) पीपल खूंट	..
(11) लाम्बाडा बड़ा	..
(12) सेम्लीया घाट	..

Page No 138

परिशिष्ट 6

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के अन्तर्गत मामले

258. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि तहसील उनियारा, जिला टोंक में लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के मामले तय कर दिए गए हैं? यदि हां, तो कुल कितने और अब कितने बाकी हैं ?

(2) क्या यह सत्य है कि अतिरिक्त तहसीलदार ने 35 गुना पैनल्टी लगाई है, जिससे काश्तकारों पर बहुत अधिक भार हो गया है ?

(3) क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार ने ही ऐसे आदेश प्रसारित किये थे कि काश्तकारों पर 35 गुना पैनल्टी लगा कर वसूली की जावे ? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह भी सत्य है कि इनकी बकाया करीब 2 लाख रुपये है।जो अब वसूल होनी है ?

(5) क्या राज्य सरकार इस सारी परिस्थिति पर पुनः विचार कर जिन काश्तकारों पर इस प्रकार 35 गुना पैनल्टी लगाई गई है उसको कम करने के आदेश देगी ?

उत्तर

(1) तहसील उनियारा, जिला टोंक में लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत 3,621 काश्तकारों के मामले रेग्यूलराइज किये गये हैं और अब 2,222 केसेज बाकी हैं जिन्हें निर्णय करने की कार्यवाही चालू है ।

(2) जी हां, नियमन किये गये मामलों में प्रिमियम व पेनल्टी लगान का 35 गुना तक नियमानुसार लगाई गई है ।

(3) जी हां, आज्ञा की प्रति संलग्न है ।

(4) जी हां, तहसील अलीगढ़ (उनियारा) में माह फरवरी, 1971 के अन्त तक कुल प्रिमियम 24,555.60 पेनल्टीज 1,94,168.80 कुल 2,18,724.40 की राशि वसूल होने योग्य है ।

(5) गत 1-1-1966 के पश्चात् नियमन हुए मुकदमात में वसूल की गई राशि सम्बन्धित व्यक्तियों के भविष्य में देय लगान में समायोजन करने का निर्णय ले लिया गया ।

आदिवासी पहाड़ी क्षेत्र के निवासियों के लिये पानी की व्यवस्था

259. **श्री हरलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सत्य है कि जिला चित्तौड़गढ, तहसील प्रतापगढ में आदिवासी पहाड़ी ऐरिया के रहने वाले आदिवासियों के पीने के स्वस्थ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है ? वे आज भी दो-दो, तीन-तीन माइल से पीने का पानी लाते हैं ?

(श्री हुरलाल मीणा)

(2) क्या यह भी सत्य है कि आज भी वे आदिवासी उन नदी नालों का पानी पीते हैं, जिसमें लोग नहाते हैं व जंगली जानवर, पशु-पक्षी पानी पीते हैं? यदि हां, तो सरकार उनके पीने के पानी की क्या व्यवस्था कर रही है व कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं, लोग कुवों व बावड़ीयों का पानी काम में लेते हैं। गर्मी के मौसम में जब कुओं में पानी की कमी हो जाती है तो वे लगभग 1 मील की दूरी से बहते हुये नालों से या कुओं से पानी प्राप्त करते हैं।

(2) जी हां, तहसील प्रतापगढ के अन्तर्गत केवल एक ग्राम को छोड़कर ऐसा कोई ग्राम नहीं है जिसकी जन संख्या 2,000 से ऊपर हो अतः इस विभाग द्वारा वहां नलों द्वारा पेयजल व्यवस्था नहीं की जा सकती। ऐसे ग्रामों में जिनकी जनसंख्या 2,000 से कम है पेयजल व्यवस्था विकास विभाग द्वारा कुओं द्वारा की जाती है, जिसके लिये पंचायत समिति को चाहिये कि वह विकास विभाग से सम्पर्क स्थापित करें।

फ्लोरिंग के लिये पत्थर की खरीद

260. **श्री जुझार सिंह** (रामगंजमंडी): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पुलिस लाइन झालावाड़ व डिग्री कॉलेज बारां में फ्लोरिंग के लिय कोटा स्टोन काम में लिया गया है? यदि हां, तो अलग अलग, कितना कितना वर्ग फूट ?

(2) फ्लोरिंग का यह स्टोन किस किस कम्पनी से कितने कितने भाव पर कब कब खरीदा गया है ? यह भी बतावें कि क्या इस पत्थर का टेण्डर लिया गया था ? यदि हां, तो किन किन व्यक्तियों या फर्म द्वारा टेण्डर दिया गया था व सबसे कम टेण्डर किस फर्म का था ?

(3) क्या यह सही है कि फ्लोरिंग स्टोन की रेट किन्हीं कम्पनियों द्वारा पहले से घोषित की हुई होती है ? यदि हां, तो ए० एस० आई०, रामगंज मंडी की पिछले तीन साल की प्रकाशित प्राइस लिस्ट क्या थी ?

उत्तर

(1) जी हां, पुलिस लाईन झालावाड़ में 9,500 वर्ग फुट तथा कॉलेज में 10,744 वर्ग फुट।

(2) मैसर्स चतुर्भुज मारवाल, रामगंज मंडी से पुलिस/लाइन हेतु ब्राऊन रफ स्टोन 55 रुपये % वर्गफुट व डिग्री कालेज के लिये बिल्यू स्टोन 64 रुपये % वर्गफुट के भाव से फरवरी, 1969 में खरीदा गया था।

जी हां, मैसर्स ज्ञानसिंह अवतारसिंह मोदी फ्लोरिंग स्टोन कम्पनी मोडक एसोशियेटड स्टोन इन्डस्ट्रीज, रामगंज मंडी तथा चतुर्भुज मारवाल, रामगंज मंडी ने टेण्डर दिये थे, जिसमें मैसर्स चतुर्भुज मारवाल का कम दर का टेण्डर था।

(3) ए० एस० आई०, रामगंज मंडी की मूल्य सूची की जानकारी इस विभाग को नहीं है।

रतनगढ़ नगर में गंदगी

261. **श्री लाभचन्द वैद** (सुजानगढ):

(श्री लाभचन्द)
क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार के यह बात ध्यान में है कि रतनगढ़ में उत्तरी बाजार में शहर का गन्दा पानी जाने हेतु मोरियां बनी हुई हैं और वहां पर भयंकर दुर्गन्ध आती रहती है?

(2) क्या सरकार जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस दुर्गन्ध को मिटाने हेतु इन मोरियों पर एक चिमनी बनाने का विचार रखती है?

(3) क्या सरकार इस गन्दगी को मिटाने हेतु जो योजना बने, उसे पूर्ण करने हेतु रतनगढ़ नगरपालिका को अनुदान देगी?

उत्तर

(1) नगरपालिका से प्राप्त सूचना अनुसार यह सही है कि शहर का गन्दा पानी जाने हेतु मोरियां बनी हुई है।

(2) प्रश्न नगरपालिका के विचाराधीन है।

(3) नगरपालिका से प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जावेगा।

छोटी जोतों पर लगान

262. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्यपाल महोदय ने विधान सभा में यह घोषणा की थी कि छोटी जोतों से लगान नहीं लिया जावेगा? यदि हां, तो कब और उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

(2) अन्य प्रान्तों में कहां कहां पर कितने लगान की छूट किसानों को दी गई है? प्रान्तवार आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या सरकार गरीब छोटी जोतों के किसानों का लगान माफ करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार ने आदेश प्रसारित किया था कि 1 अप्रेल, 1967 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 (1) के अन्तर्गत नियमों में जो न्यूनतम कृषि भूमि निर्धारित की गई है उसकी सीमा तक या उससे कम कृषि भूमि थी, उससे खरीफ की फसल से भू-राजस्व नहीं लिया जावे। (प्रतिलिपि संलग्न है) बाद में राज्य सरकार ने उक्त आदेशों को स्थगित कर वसूलि शुदा राशि का समायोजन करने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की है। (प्रतिलिपि संलग्न है।

(2) अन्य प्रान्तों से सूचना एकत्रित की जा रही है।

(3) ऐसा कोई प्रश्न इस समय राज्य के विचाराधीन नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम रोड़सा एवं मडोस तक सड़क

263. **श्री गोरधन सोनी** (मेड़ता): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम रोड़सा

(श्री गोरधन सोनी)

एवं मडोस अच्छे, बड़े व पदावार के गांव होते हुए भी मेड़ता तहसील हैडक्वार्टर से सड़क द्वारा संबंधित नहीं है ?

(2) क्या यह सही है कि बीच में नदी आने के कारण इन गांव वालों को मेड़ता मंडी में माल पहुंचाने में दिक्कत पड़ती है ?

(3) क्या सरकार इन दुहरी फसल वाले गांवों को सड़क से जोड़ने के लिए रोइसा और जीटीया एवं मेड़ास और लाइवा के बीच नदी तट पर रपट बंधवा कर जनता की दिक्कत दूर करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) दिक्कत पड़ती होगी ।

(3) जी नहीं, अर्थाभाव के कारण ।

सैनिक विश्रामगृह का शिलान्यास

264. **श्री केसरीसिंह हाड़ा** (हिन्डोली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सत्य है कि बून्दी में सैनिक विश्राम गृह का शिलान्यास 1947 में लार्ड माउन्टबैटन द्वारा जो उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल थे, किया गया था ?

(2) सन् 1947 से 1970 तक इस भवन के नहीं बनने का क्या कारण है ? अब तक इस विषय में क्या प्रगति हुई और यह विश्राम गृह कब तक बन जावेगा ?

उत्तर

(1) हां, यह सही है कि बून्दी में सैनिक विश्राम गृह का शिलान्यास भारत के गवर्नर जनरल लार्ड माउन्ट बैटन द्वारा दिनांक 7 मई, 1948 को किया गया था ।

(2) शिलान्यास के पश्चात् विश्रामगृह निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ अत: विश्राम-गृह निर्माण की प्रगति एवं उसकी समाप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता ।

कस्बा बीदासर की जलप्रदाय योजना

265. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कस्बा बीदासर, जिला चूरू के लिए बनाई गई जल प्रदाय योजना के लिए पानी कहां से लाना था और उक्त योजना के लिए बनाये गये नल कूप में पानी कितना गैलन प्रति घंटा प्राप्त होने की रिपोर्ट सरकार के पास थी ?

(2) उक्त नल कूप में उक्त योजना के लिये पानी पर्याप्त मात्रा में मिलता रहेगा या कम पड़ेगा ? यदि कम पड़ेगा तो कितना और उसकी पूर्ति कहां से की जायगी ?

(3) उक्त योजना पर नल कूप बनाने पर कितना खर्चा हुआ और नल कूप के अलावा दूसरे कार्यों पर कितना खर्चा हुआ?

उत्तर

(1) धनेऊ नल कूप से 4,000 गैलन प्रति घंटा ।

(2) कम पड़ेगा लगभग 60,000 गैलन जिसके लिये योजना में 3 और नल कूप खोदे जाने प्रस्तावित हैं ।

Page No 142

(स्वास्थ्य मंत्री)

(3) योजना के अन्तर्गत नलकूप बनाने का कोई खर्चा नहीं किया गया है अब तक फरवरी, 71 तक कुल खर्च 10.26 लाख रुपये हुआ है ।

कठूमर-धोषराणा सड़क का कार्य

266. **श्री गंगासहाय** (कठूमर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कठूमर से घोषराणा तक बनने वाली सड़क का कार्य कब प्रारम्भ किया गया था ?

(2) सरकार ने इस सड़क को पूर्ण करने का कितने समय का लक्ष्य रखा था ?

(3) अब तक सरकार ने इस सड़क के निर्माण पर कितनी धनराशि व्यय की है ?

(4) इस सड़क के निर्माण का ठेका ठेकेदार को कितनी अवधि के लिए दिया गया था । क्या ठेकेदार ने ठेके की शर्तों का पालन किया ? यदि नहीं किया तो सरकार ने दोषी ठेकेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) वर्ष 1965–66 में ।

(2) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तक पूर्ण करने की योजना थी ।

(3) फरवरी, 1971 के अन्त तक 3,00,313 रु० खर्च हुआ है ।

(4) सूची 'अ' संलग्न है। कार्य ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा है। धीमी गति के लिये ठेकेदारों को नोटिस दिये गये हैं ।

सूची "अ"

मीला संख्य	कार्य आरम्भ	निर्धारित तिथि समाप्ति
3	26-1-69	25-4-69
4	18-2-69	17-5-69
5	1-9-70	31-1-70
6 से 9	28-9-65	29-9-66
10 से 12	19-6-65	18-6-66

ग्राम सीसवाली में पुलिस चौकी

267. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बारां क्षेत्र की डाकूग्रस्त तहसील मांगरोल के करीब आठ हजार की आबादी के ग्राम सीसवाली में पुलिस स्टेशन कायम किए जाने से संबंधित जनता की मांग पर सरकार ने कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ?

(2) क्या यह सही है कि जिला कोटा पुलिस विभाग धिकारियों द्वारा भी सीसवाली में पुलिस स्टेशन कायम किए जाने की सिफारिश सरकार के पास भेजी जा चुकी है ?

(3) क्या यह सही है कि सीसवाली में कई बार डाके पड़ चुके हैं और इस क्षेत्र में आए दिन चोरी, डकैती, हत्या एवं मारपीट आदि जुर्म से संबंधित घटनाएं होती रहती ह ?

(4) सीसवाली में कब तक पुलिस स्टेशन खुल जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है । पुलिस आऊट-पोस्ट, सीसवाली को थाने में तब्दील

(गृह मंत्री)

करने का मामला विचाराधीन है । पुलिस अधीक्षक, कोटा से इस सम्बन्ध में अभी कुछ सूचनाऐं एकत्र करना बाकी है । वहां से सम्बन्धित सूचनाऐं प्राप्त हो जाने पर राज्य सरकार निर्णय लेगी ।

(2) जिला पुलिस, कोटा से पुलिस मुख्यालय को सिफारिश प्राप्त हुई है जो अभी विचाराधीन है ।

(3) जी नहीं, यह सही नहीं है । सीसवाली में पिछले 5 साल में कोई डकैती नहीं पड़ी । इस ग्राम में पिछले 5 सालों में दर्ज हुए जुर्मों की लिस्ट संलग्न है ।

(4) मामला विचाराधीन है । शीघ्र ही निर्णय ले लिया जायगा ।

ग्राम सीसवाली में पिछले 5 साल में हुए जुर्मों की सूची (1966 से 1970 तक)

सन्	चोरी	मारपीट	कत्ल	विविध
1966	7	11	..	23
1967	12	6	1	14
1968	12	9	..	17
1969	11	10	..	20
1970	15	8	1	18

भोमासर कस्बे तक सड़क

268. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चूरू जिले का भोमासर कस्बा डिफेन्स रोड और नेशनल हाईवे नम्बर 11 के बीच में दोनों सड़कों से थोड़े फासले पर ही पड़ता है, परन्तु इन सड़कों से लिंक रोड नया अप्रोच रोड द्वारा इस कस्बे को जोड़ा नहीं गया है ?

(2) क्या यह सही है कि इस विकासशील कस्बे के नागरिकों को आवागमन की बड़ी कठिनाई है ? यदि हां, तो इस कस्बे को उपरोक्त दोनों मुख्य सड़कों से जोड़ने की क्या विभाग की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) ग्राम भोमासर राष्ट्रीय मार्ग से लगभग 16 कि० मी० व सुरक्षा रोड से 11 कि० मि० की दूरी पर है । भोमासर डिफेन्स रोड से घांदला सड़क से जुड़ा हुआ है, व 2 कि० मी० डामर हो चुका है ।

(2) अड़ासर-भोमासर सड़क का कार्य रूरल प्रोग्राम वर्क्स के अन्तर्गत प्रगति पर है।

स्थागित प्रश्न

(31-3-71)

किसानों की आराजी पर खड़े पेड़

158. **श्री शंकरलाल जाट** (कपासन): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिस भूमि पर वृक्ष खड़े हैं, वह वृक्ष उन्हीं व्यक्तियों के है कि जिस व्यक्ति की वह आराजी है ?

(2) क्या यह सही है कि तहसील बड़ी सादड़ी, जिला चित्तौड़गढ में गांव पीली खेन्या (सं. रामपुरा), जयसिंहपुरा, बोरेन्डी, सुखपुरा,

(श्री शंकरलाल जाट)

लक्ष्मीपुरा, डीकोडेया खेड़ी में किसानों की आराजी पर खड़े महुवे व ढोल में का लाभ भूतपूर्व ठिकाना बड़ी सादड़ी के भूतपूर्व राजराणा हो उठा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों की आराजी पर महुवे के वृक्ष हैं उन्होंने वृक्षों के फल लिये तो उनके विरुद्ध भूतपूर्व राजराणा, बड़ी सादड़ी ने मुकदमे दर्ज कराये थे? सरकार इस संबंध में अब क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। जिन व्यक्तियों की आराजी पर वृक्ष खड़े हैं उन्हीं व्यक्तियों की सम्पत्ति है लेकिन राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम की धारा 23 (बी) (4) के अन्तर्गत तमाम फलदार वृक्ष जो जागीरदार अथवा अन्य व्यक्तियों के कब्जे में थे वे जागीर पुनर्ग्रहण के पश्चात् भी उन्हीं के कब्जे में माने जाते हैं।

(2) जागीर आयुक्त के निर्णय के अनुसार निम्नलिखित वृक्ष जागीरदारों की निजी सम्पत्ति में माने गये हैं :—

ए—गांव पीली खेन्या (संग्रामपुरा)	440 महुव के पेड़
बी—जयसिंहपुरा	514 पेड़
सी—ब्रोरेन्डी	30 पेड़
डी—सुखपुरा	94 पेड़
ई—लक्ष्मीपुरा	129 पेड़
एफ—डीकोडेया खेड़ी	निल

जागीर अधिनियम की धारा (23) (बी) (4) के अनुसार इन पेड़ों को अथवा इनके फलों को बेचने का अधिकार जागीरदार को ही है जो वृक्ष निजी सम्पत्ति में जागीरदार के नहीं माने गये हैं उनको जागीरदार को बेचने का कोई हक नहीं है।

(3) जी नहीं। तहसील बड़ी सादड़ी में इस प्रकार का कोई दावा दर्ज नहीं हुआ है।

परिशिष्ट 7

(अ० प्र० सं० 251 की सूची)

उन नल-कूपों की सूची जो अकाल विभाग की एतदर्थ चालू हैं।

जैसलमेर जिला :

1. सुल्हामा
2. खिनयान
3. झिन्हानयाली
4. सलको

बीकानेर जिला :

1. भीकमपुरा
2. रणजीतपुरा

परिशिष्ट 8

(अ० प्र० सं० 256 की सूची)

P. W. D. (B & R), Rajasthan.
Plan Progress Report for the year, 1970-71.

S. No.	Name of District	Road constructed during the year, 1970-71 (Lengths in Kms.)	Expenditure during the year, 1970-71 (R. E. Figures) (Rs. in lacs)
1	2	3	4
1.	Ajmer	8	1.50
2.	Alwar	32.75	13.00
3.	Banswara	8	5.00
4.	Barmer	3	0.95
5.	Bharatpur	28	9.00
6.	Bhilwara	9	9.40
7.	Bikaner	—	0.50
8.	Bundi	16	6.88
9.	Chittorgarh	16	12.40
10.	Churu	7	2.30
11.	Dungarpur	—	1.40
12.	Ganganagar	7	10.50
13.	Jaipur	33.50	13.10
14.	Jaisalmer	—	0.33
15.	Jalore	5	1.20
16.	Jhalawar	22.35	4.71
17.	Jhunjhunu	11	3.82
18.	Jodhpur	4	1.00
19.	Kota	17	4.91
20.	Nagaur	7	2.72
21.	Pali	10.5	2.00
22.	Sawai Madhopur	8	7.00
23.	Sikar	10	3.08
24.	Sirohi	1	1.80
25.	Tonk	10	5.00
26.	Udaipur	10.5	8.20
27.	Prorater charges	—	18.30
		TOTAL ..	150.00
	Deduct Probable Savings	..	10.00
	Grand Total	288 ..	140.00

Page No 147

परिशिष्ट 9

(अ० प्र० सं० 258 की सूची)

S. No.	Name of works	Expenditure 1968-69	Expenditure 1969-70
1.	Jaipur-Tonk Road Mile 3 Rambagh crossing to University Marg.	39,654	59,629.67
2.	Jaipur-Tonk Road University to Gandhinagar crossing.		
3.	Jawaharlal Nehru Marg, from Bajaj Nagar crossing to Gate of Malviya Regional Engg. College.	51,207	4,837.63

परिशिष्ट 10

(अ० प्र० सं० 148 की सूची)

दिनांक 1-4-70 से 30-9-70 तक जिन व्यक्तियों को नियुक्तियां की गई उनका श्रेणीवार विवरण

क्र० सं०	श्रेणी	कुल नियुक्ति	अन्य जातियों से	अनु० जाति से	अनु० जन-जाति से
1.	राजपत्रित	426	355	45	26
2.	अधीनस्थ सेवाएं	4069	3854	155	60
3.	मंत्रालय सेवाएं	360	303	43	9
4.	च० श्रेणी कर्मचारी	2,077	1,728	197	192
	योग ..	6,932	6,245	440	247

शुद्धि-पत्र

(बुद्धवार, दिनांक 14 अप्रेल, 1971)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या		अशुद्धि	शुद्धि
1	अन्तिम से	2	सव	सेवा
3		1	स्पॉट	स्पोट
		7	एलाटमट	एलाटमेंट
6		13	माच	मार्च
6	अन्तिम से	3	लगे	लेंगे
7		14	पजाव	पंजाव
8	अन्तिम से	10	म	में
8	"	2	न्यायाभिश	न्यायाधीश
10	"	2	इतन	इतना
13		7	श्री दवीदत्त गडिया	श्री देवीदत्त गाडिया
15		2	मत्री	मत्री
15	अन्तिम से	6	वष	वर्ष
27		10	स्टडी	स्टेडी
34		16	ओयेंगे	आयंगे
37		13	रखन	रखने
45		8	ताल्लूक	ताल्लुक
47	अन्तिम से	3	कराद	करादें
58		15	पी० डब्ल० डी०	पी० डब्लु० डी०
60	अन्तिम से	6	फॅसल	फॅसले
62		12	मीर्की	कुर्की
69		17	को	की
74	अन्तिम से	1	द्वार	द्वारा
76		4	एसे	ऐसे
76	अन्तिम से	14	एसी	ऐसी
83		2	पूण	पूर्ण
83		4	काय	कार्य
36	अन्तिम से	8	म	में
88		15	रख	रखें
94	अन्तिम से	3	कें	की
96	"	6	निलती	मिलती

1		2	3	4
98	अन्तिम से	5	है	हैं
100	,,	13	ह	हैं
102	,,	5	निपुक्तियां	नियुक्तियां
117	,,	14	ऊटपटांग	ऊट्पटांग
124		8	देन	देने
126		17	लैंडमार्टगेज	लैण्डमोरगेज
128		15	का	को
129		17	मार्टगेज	मोरगेज
131	अन्तिम से	7	कायं	कार्य
132	,,	10	बाफणा	वाफना
134		13	इसम	इसमें
137		3	डिसकशन	डिसक्शन
138		12	होन	होने
139		4	टॅस	टैक्स
142	अन्तिम से	1	वदलन	वदलने
145		10	बढ़गा	बढ़ेगा
146	अन्तिम से	13	पंजवर्षीय	पंचवर्षीय
149	,,	12	डिस्ट्रक्ट	डिस्ट्रिक्ट
154	,,	15	दना	देना
156	,,	4	इसम	इसमें
159	,,	13	सहारना	सराहना
160		9	बढ़ान	बढ़ाने
,,		10	साधने	साधन
162	अन्तिम से	11	ताज्जब	ताज्जुब
163	,,	6	छोटे छोट	छोटे छोटे
164	,,	23	54 हाख	54 लाख
169		5	24 का लाख था	24 लाख
,,		11	पसट	पर्सेन्ट
1		4	मिस्री	हिस्ट्री
172	अन्तिम से	15	लिया	दिया
175		3	टक्स	टैक्स
175	अन्तिम से	11	थ	थी
175		1	रेटस	रेट्स

1		2	3	4
177		1	न	ने
181		16	तयार	तैयार
183		1	म	में
184		8	म	में
184	अन्तिम से	7	कमचारियों	कर्मचारियों
185	"	18	आपन	आपने
186		7	वषे	वर्ष
188	अन्तिम से	7	तात्पय	तात्पर्य
189		15	वदखल	वेदख
191	अन्तिम से	15	र	पर
193	"	18	पया	रुपया
193	"	11	हो	ही
194	"	12	दता	देता
197	"	8	किय	किया
200	"	10	को	की
206	"	10	टम्पोरेरी	टम्परेरी
210	"	1	लए	लिए
211	"	16	दीहरा	दोहरा
214	"	8	है	—
215	"	17	स	के
218	"	1	राजनतिक	राजनैतिक
219	"	7	म	में
226	"	8	बैठ	बैठे
231		2	ढोई	कोई
236		13	मुझ	मुझे
237		9	म	मे
237		15	करन	करने
251		5	महवे	महुवे
251		8	सिलेसिले	सिलसिले
260		2	वोलेगा	वोलूंगा
281	अन्तिम से	12	मारपोट	मारपीट
283	"	6	माम	भूमि
284	"	1	यें	में